चतुर्दश माला, खंड 6, अंक 11

बुधवार, 15 दिसम्बर, 2004
24 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 11, बुधवार, 15 दिसम्बर, 2004/24 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय		कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख		
जालंधर-पठानकोट खंड में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के बारे में		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	201 से 203	3-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	204 से 220	34-57
अतारांकित प्रश्न संख्या	2274 से 2503	58-391
सभा पटल पर रखे गए पत्र		391-417
विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियां - एक समीक्षा		417
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
चौथा प्रतिवेदन		417-418
लोक लेखा समिति		
चौथे से छठा प्रतिवेदन		418
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
पहला प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश		418
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति		
पहला प्रतिवेदन		419
सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक		419
उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में जालंधर-पठानकोट खंड पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में		419-426

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में जालंधर-पठानकोट खंड पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में

श्री आर. वेलु. 427, 434-437

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सरकार की बैंकिंग नीति में परिवर्तन संबंधी सरकार की पहल से उत्पन्न स्थिति

श्री गुरूदास दासगुप्त . . . 428

श्री पी. चिदम्बरम 428-437

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आंध्र प्रदेश में प्राग टूल्स लिमिटेड की कार्यशील पूंजी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अंजनकुमार यादव 437

(दो) आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की सीधी खरीद हेतु खरीद केन्द्र खोलने के लिए भारतीय कपास निगम को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी 437-438

(तीन) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्ति पर लगाई गई 5 प्रतिशत की सीमा को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 438

(चार) संयुक्त राज्य अमरीका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों की भारत वापसी पर उनकी "सोशल सिक्यूरिटी सेविंग्स" लौटाया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी 438-439

(पांच) भागलपुर और नई दिल्ली के बीच चल रही विक्रमशिला एक्सप्रेस में भोजन यान सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार मोदी 439

(छह) उत्तरांचल में कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर उपरि-पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी 439

(सात) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत गुजरात सरकार को धनराशि आबंटित किए जाने की विधि की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा 440

(आठ) गोरखपुर और टूठीबारी के बीच दो लेनवाली सड़क बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पंकज चौधरी 440

(नौ) केरल में बीड़ी श्रमिकों की सहकारी समितियों के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण की राशि बढ़ाए जाने तथा इन समितियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल्लाकुट्टी 440-441

(दस) उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद-जौनपुर-कोशीनगर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव 441

(ग्यारह) बक्सर-पटना तथा क्यूल-पटना क्षेत्रों में उपनगरीय रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण 441-442

(बारह) उत्तर प्रदेश के राबर्टसगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वनवासियों को स्वामित्व का आधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री लाल चन्द्र कोल 442

(तेरह) उड़ीसा में फूलबनी में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सुग्रीव सिंह 442

(चौदह) आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार 443

(पंद्रह) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की प्रतिशतता को बढ़ाए जाने तथा यायावरी जनजातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 443-444

विषय		कॉलम
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	445
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	446-450
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	451-452
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	453-454

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द्र मलहोत्रा

लोक सभा

बुधवार, 15 दिसम्बर, 2004/24 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

जालंधर-पठानकोट खंड में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के बारे में

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे निधन संबंधी उल्लेख करना है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

जैसाकि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कल पंजाब के होशियारपुर जिले में जम्मू-तवी अहमदाबाद एक्सप्रैस और जालंधर-पठानकोट डी. एम.यू. यात्री गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 37 व्यक्तियों की मृत्यु होने और 53 व्यक्तियों के घायल होने का समाचार है।

हम इन व्यक्तियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

पूर्वाह्न 11.00 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): कल पंजाब में जो रेल दुर्घटना हुई, उसके कारण रेल मंत्री लाल प्रसाद जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, कल का रेल हादसा माननीय भूल के कारण हुआ है, सरकार को इस पर सदन में बयान देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उनकी सहायता करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, मैं सरकार से इस मुद्दे पर सभा में यथाशीघ्र वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं संबंधित माननीय मंत्री को यह बता दूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें वक्तव्य देने का निदेश दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही उन्हें यथाशीघ्र वक्तव्य देने का निदेश दे चुका हूं।

श्री विजय हान्डिक: मैं आपके निदेश के बारे में संबंधित माननीय मंत्री को बता दूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सरकार को स्टेटमेंट देने का आदेश दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें पहले ही निदेश दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुशील जी, मैंने आपकी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, कल रेल मंत्री ने सदन में कहा था कि वह सारे तथ्यों को इकट्ठा करके आज यहां बयान देंगे, लेकिन मंत्री जी बयान देने की बजाय पटना चले गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उनके लिए इस रेल दुर्घटना से अधिक महत्वपूर्ण पटना है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपनी रिसपौंसिबिल्टी को पूरा कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, गैसल में हुई रेल दुर्घटना के कारण माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। कल की रेल दुर्घटना को देखते हुए श्री लालू प्रसाद को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री यह नोट करें कि इस मुद्दे पर यथाशीघ्र वकतव्य दिया जाए। माननीय सदस्यो, यहां आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए।

अब हम प्रश्न सं. 201 लेंगे—श्री सुकदेव पासवान।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

औषध विनियामक प्रणाली

+

*201. **श्री सुकदेव पासवान:**
श्री रामकृपाल यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना औषध विनियामक प्रणाली के लिए और अधिक सुदृढ़ एवं सख्त कानून बनाने की है ताकि जन स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कार्यान्वयन प्राधिकरण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच प्रणाली में खामियों के कारण औषधियों की गुणवत्ता और नकली एवं मिलावटी दवाओं की उचित ढंग से निगरानी नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या दुनिया भर में प्रतिबंधित/वापस ली गयी औषधों की भारत में अभी भी बिक्री की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्राधिकरण की अनिवार्य स्वीकृति के बिना कई औषधों की बाजार में बिक्री की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी देशों में औषधियों की कीमत इनकी उत्पादन लागत का लगभग 1/10वां भाग है किन्तु भारत में यह काफी अधिक है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की समीक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

औषध और प्रसाधन सामग्री के आयात, विनिर्माण और बिक्री को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनिमय, 1940 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के उपबंधों के द्वारा विनियमित किया जाता है। इनमें समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि भारतीय बाजार में सुरक्षित, प्रभावकारी और गुणवत्ता वाली औषधियों का विनिर्माण और बिक्री सुनिश्चित हो सके। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बने नियमों के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को उनसे संबंधित औषध नियंत्रण संगठनों के माध्यम से औषधों के विनिर्माण को विनियमित करने और अन्तरराज्यीय वाणिज्य मे प्रचलित औषधों की गुणवत्ता की मानीटरिंग करने का अधिकार दिया जाता है। इन नियमों में हाल ही में संशोधन किया गया है ताकि देश में सभी विनिर्माताओं द्वारा अपनाए जाने वाली अच्छी विनिर्माण पद्धतियों के लिए अधिक कठोर व्यवस्था की जा सके। सभी विदेशी विनिर्माताओं के लिए देश में आयात की जा रही औषधियों के पंजीकरण के लिए भी नियमों में संशोधन किया गया है। माशेलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 22 दिसम्बर, 2003 को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में और संशोधन करने के लिए लोक सभा में औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन विधेयक 2003) नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक का उद्देश्य नकली औषधियों के विनर्माण और बिक्री से संबंधित अपराधों के लिए निर्धारित दण्ड और जुर्माने की व्यवस्था को और कड़ा करना था। तेरहवीं लोक सभा के भंग हो जाने के बाद यह विधेयक समाप्त (लैप्स) हो गया था, इसलिए अब एक नया संशोधन विधेयक उक्त अधिनियम में संशोधन के लिए लाए जाने का प्रस्ताव है। संशोधित अधिनियम पारित हो जोन के बाद इसमें अधिक कड़े दण्ड की व्यवस्था हो सकेगी, नकली औषधियों से संबंधित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे, ऐसे मामलों में विशेष अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा, पुलिस अधिकारियों को जांच करने और मुकदमा चलाने की शक्तियां होंगी और अपराधों के लिए अधिक कठोर (कम्पाउंडिंग) दण्ड की व्यवस्था होगी।

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को, अपने-अपने औषध नियंत्रण संगठनों को विनिर्माण और बिक्री प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देने और उनका निरीक्षण करने, निर्धारित मानदण्डों के अनुसार औषधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा नकली अथवा मिलावटी औषधों के विनिर्माण और/या बिक्री पर छापा मारने और कार्रवाई करने की शक्तियां हैं।

तथापि, यह देखा गया है कि राज्यों में आधारभूत ढांचे तथा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति में समानता नहीं है। औषध नियंत्रण प्रशासनों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा

नकली और मिलावटी औषधों के मामलों का पता लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य औषध प्रशासनों की क्षमता बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना अक्तूबर, 2003 में आरम्भ की गई है।

औषध मिश्रणों पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने की कोई प्रणाली नहीं है। एक देश में प्रतिबंधित, हटाई गई अथवा अस्वीकृत औषध का दूसरे देशों में प्रयोग जारी रह सकता है। किसी भी औषध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई राष्ट्रीय सरकारों द्वारा लाभ-जोखिम अनुपात, विदेश अथवा देश में हुई सूचित विपरीत घटनाओं, तकनीकी समितियों की रिपोर्टों, अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ संगठनों के विचारों, अनुमति प्राप्त उक्त औषध की प्रयोग और खमता तथा देश में इसकी आवश्यकता, सभी को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में औषध मिश्रणों की 76 श्रेणियां हानिकारक अथवा अपर्याप्त चिकित्सीय औचित्य वाली समझी गई हैं।

औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किसी भी औषध को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से लाइसेंस लिए बिना निर्मित और बेचा नहीं जा सकता। नए औषध मिश्रणों के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा निर्माण लाइसेंस की मंजूरी के लिए औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होता है।

जहां तक औषधियों के मूल्य का संबंध है, वह विषय राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य प्राधिकरण के अंतर्गत आता है जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत और पश्चिमी देशों में औषधियों के तुलनात्मक मूल्यों पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। तथापि, भारत में औषधियां विकसित देशों की तुलना में प्राय: सस्ती हैं और पड़ोसी देशों की तुलना में भी उनके मूल्य कम हैं।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के अनुसार 74 औषधियां मूल्य नियंत्रण सूची में आती हैं। औषधियों के मूल्य कमोवेश नियंत्रण में हैं। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि पिछले चार वर्षों में सामान्य वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक औषधियों के मूल्य से अधिक रहा है। नीचे दी गई तालिका में उदाहरण दिया गया है। इन आंकड़ों का स्रोत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार है।

पिछले वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

	2002-01	2001-02	2002-03	2003-04
औषध और दवाईयां	5.85	3.48	0.71	2.55
सभी वस्तुएं	7.16	3.60	3.41	5.46

ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है कि भारत में दवाइयों के मूल्य बहुत अधिक हैं। एक गतिशील अर्थव्यवस्था में अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की तरह ही दवाइयों के मूल्यों में परिवर्तन होना एक सामान्य बात है। जहां कुछ औषधियों के मूल्य बढ़ते हैं तो वहीं पर औषधियों के मूल्य कुछ कम भी होते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर तथ्यों से परे है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि औषधि निरीक्षण जांच के लिए सेंट्रल इंडियन फार्मेस्यूटिकल लेबोरेट्री में जिन औषधियों को भेजा जाता है, उसकी कितने माह में रिपोर्ट आती है और नकली दवाईयां बनाने वाली दिल्ली, हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों में कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जिनके मालिकों को जेल में डाला गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, क्या आपके पास इस संबंध में कोई जानकारी है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यहां एक केन्द्रीय औषध नियंत्रण प्राधिकरण है जो नीतियां बनाता है तथा राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण इन्हें क्रियान्वित करता है। यह राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण का दायित्व है कि वह इसकी निगरानी करे, विनियमित करे और वस्तुत: इन औषध विनिर्माताओं को लाइसेंस दें। भारतवर्ष में पिछले तीन वर्षों से आज तक लगभग 35,000 से लेकर 40,000 तक नमूनों की जांच की गई थी। इनमें से 0.5 से 1 प्रतिशत तक औषध नकली पाए गए। हम क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। राज्य स्तर पर राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण की क्षमता मानव संसाधन तथा बुनियादी ढांचे के रूप में पर्याप्त नहीं है।

हम इस समस्या पर विजय पाने हेतु क्षमता निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजना शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान: अध्यक्ष महोदय, भारत में दवाओं की स्वीकृति का मानक से कोई संबंध नहीं है। दर्द निवारक दवा—रोफीकॉक्सिब दुनिया भर में प्रतिबंधित है, फिर भी हिन्दुस्तान में वह क्यों बिकती है? इस संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए भी सरकार की कोई नीति नहीं है। नकली दवाएं जो बाजार में बिकती हैं, सरकार उसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? प्रत्येक मरीज पर सरकार द्वारा कितना खर्च किया जाता है और जनता को उत्पादित मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा मूल्य देकर दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई औषधि नहीं है जिस पर विश्वव्यापी प्रतिबंध हो ओर ऐसा नहीं होता है कि यदि किसी औषध पर किसी अन्य देश में प्रतिबंध लगा है तो भारत में स्वत: उस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। यह हमारे अपने नियम हैं। हमारे अपने विशेषज्ञ और तकनीकी कर्मी हैं जो इन मुद्दों को देखने हेतु सक्षम हैं। अनेक ऐसी औषधियां हैं जिन पर अमरीका ने प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन विश्व भर में, विकसित देशों, यूरोप और आस्ट्रेलिया में इनका उपयोग किया जा रहा है। यदि अमरीका में किसी औषधि पर प्रतिबंध लग जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि विश्व में कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड है जो इन मुद्दों की जांच करता है और उनके गुणावगुण के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि इन औषधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए अथवा नहीं।

नकली दवाओं के बारे में दूसरे अनुपूरक प्रश्न के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें दो भिन्न प्रकार की औषधियां हैं। एक घटिया दवाएं और दूसरा नकली। घटिया औषधि का अर्थ है कि गुणवत्ता में थोड़ी कमी, जबकि नकली औषधियों का अर्थ है कि यह पूर्णत: भिन्न औषध अथवा अन्य औषधियां का मिश्रण है जो किसी व्यक्ति को भारी क्षति पहुंचाने अथवा उसकी मृत्यु के लिए पर्याप्त है। सरकार नकली दवाओं की बिक्री और विपणन को रोकने हेतु हर संभव कदम उठा रही है लेकिन मैं मानता हूं कि इतना पर्याप्त नहीं है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग तीव्र गति से बढ़ रहा है तथा इस उद्योग के विनियमन और निगरानी हेतु निगरानी और विनियामक तंत्र इससे बहुत पीछे है। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि यह काफी पीछे है और हम उद्योग के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं जबकि जैसाकि मैंने पहले कहा कि हम औषध और खाद्य प्रयोगशालाओं की क्षमता निर्माण के लिए 354.25 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इसके अंतर्गत हम राज्यों तथा केन्द्र में औषध के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर लगभग 110.85 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हम कर्मचारियों को परीक्षण देंगे तथा हमने राज्यों को उनके औषध निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कहा।

उनके अनुपूरक प्रश्न के भाग तीन के संबंध में मुझे कहना है कि औषध मूल्य-निर्धारण मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह मेरे सहयोगी श्री रामविलास पासवान के पास है।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान: अध्यक्ष महोदय, नकली दवाइयों की जो फैक्ट्रीज हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, आप पहले ही पांच प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव--उपस्थित नहीं।

श्री एल. राजगोपाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार औषध विनियामक प्राधिकरण द्वारा केवल कुछ चुनिंदा कम्पनियों को दिए गए आयात लाइसेंस की मौजूदा पद्धति के बजाय सभी अस्पतालों को कम से कम जीवन रक्षक दवाइयों के सीधे आयात की अनुमति देगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जीवन-रक्षक दवाइयों पर आयात शुल्क हटाने का कोई प्रस्ताव है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के फार्म 12 (क) के अंतर्गत कम्पनियों को उनकी विनिर्दिष्टयों के अनुसार औषधि आयात करने का प्रावधान पहले से विद्यमान है तथा फार्म 12 (ख) के अंतर्गत परमिट जारी किया जाता है। अस्पतालों को औषधियों का आयात करने के लिए भी प्रावधान है जिसकी उनकी प्रयोजनों के लिए आवश्यकता होती है। इसके लिए कानून में उपबंध है।

जहां तक जीवन-रक्षक औषधियों पर आयात शुल्क हटाने का संबंध है, वित्त मंत्री को इस संबंध में निर्णय लेना है।

श्रीमती वी. राधिका सेलवी: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष तमिलनाडु में मिलावटी और फाइलेरिया रोधी दवाइयां देने के कारण कई लोगों की मौत हुई है। मैं मंत्री महोदय से जांच के परिणाम तथा मिलावट करने वाले अपराधियों के विरुद्ध की गई अंतिम कार्यवाही के बारे में जानना चाहती हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हमारा राष्ट्रीय फाइलेरियसिस रोधी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हम प्रतिवर्ष जून के माह में हैट्राजैन नामक डाइईथाइलकार्बामैजाइन देते हैं। अगले पांच वर्षों में पूरे भारत में लोगों को ये औषधियां दी जाएंगी। इसके लिए खुराक निश्चित की गई है अर्थात् वयस्कों के लिए तीन गोलियां तथा बच्चों के लिए एक गोली।

समाचारपत्रों में एक समाचार था कि तमिलनाडु में इन औषधियों के कारण कुछ लोगों की मौत हुई है। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि यह दवाएं बहुत सुरक्षित हैं और इन दवाइयों के कारण कोई मौत नहीं होगी। लेकिन हमने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं तथा सरकार के पास अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष जी, भारत में विभिन्न श्रेणियों की 76 औषधियां हानिकारक और अपर्याप्त औचित्य वाली समझी गई

हैं, इस प्रकार का जवाब मंत्री जी ने दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये औषधियां पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के बहुत से भागों में अनेक गवर्नमेंट हास्पीटल्स में वितरित की गई हैं, क्या यह बात उनके ध्यान में है, और यदि है, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कठोर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है या कोई ऐसी कार्रवाई कर रही है जिसके अन्तर्गत इस मामले की इनवैस्टीगेशन की जा सके?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: किसी भी प्रतिबंधित औषधि का निर्माण अथवा विपणन देश में नहीं होना चाहिए। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष घटनी की ओर ध्यान दिलाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार विनिर्माता तथा विपणन एजेंसी दोनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश में आजकल दवाओं की कीमतें आम जनता की पहुंच से बहुत दूर हैं। मेरा स्पेसिफिक क्वैश्चन है कि क्या सरकार का दवाओं के मूल्य निर्धारण में कोई नियंत्रण है, यदि है, तो क्या सरकार का दवाओं की कीमतों में कमी करने का कोई विचार है, या नहीं, ताकि आम जनता को उनका लाभ मिल सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान: अध्यक्ष महोदय, दवाओं के मूल्यों पर सरकारी कंट्रोल के बारे में अभी यहां प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपका मूल्य निर्धारण पर कोई नियंत्रण है?

डा. अंबुमणि रामदास: मूल्य निर्धारण मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। मेरे सहयोगी, श्री पासवान इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फर नगर में खुले आम नकली दवाओं के चलते कारोबार की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई कदम उठाएगी क्योंकि नकली दवाओं में केवल देश की गरीब जनता का पैसा ही नही जाता, बल्कि लाखों की संख्या में हमारी जनता के शरीरों के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि किसी दवाई का रेट फिक्स करने में क्या सरकार की कोई भूमिका होती है, और यदि होती है, तो क्या कंपनियों से बातचीत करके दवाओं के रेट कम करने का सरकार प्रयास करेगी?

[हिन्दी]

यदि सरकार का इसमें कोई नियंत्रण नहीं है, तो क्या प्राइवेट दवा कंपनियां अपनी मर्जी से दवाओं के रेट फिक्स करती हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मूल्यों के बारे में पूछ रहे हैं!

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम: अध्यक्ष महोदय, दवाओं के मूल्य फिक्स करने में सरकार का क्या कोई नियंत्रण है, या नहीं, और क्या कंपनियां अपनी मर्जी से दवाओं के मूल्य फिक्स करती हैं, इस बारे में मंत्री जी जवाब दें?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: प्रश्न के पहले भाग के संबंध में मैं माननीय संसद सदस्य तथा इस सभा के सभी माननीय सदस्यों की नकली दवाओं के प्रति चिंता को वाजिब मानता हूं। गत वर्ष नकली दवाओं के मुद्दे पर ध्यान देने तथा हमारे देश में विनियामक व वित्तीय तंत्र को किस प्रकार उन्नत किया जा सकता है, इस संबंध में डा. माशेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उन्होंने गत वर्ष की समाप्ति तक अपना प्रतिवेदन दिया था।

तत्कालीन सरकार ने संसद में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के संशोधन करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसमें अधिक कठोर सजा दिए जाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन तेरहवीं लोक सभा के भंग होने के कारण वह विधेयक व्यपगत हो गया। हम इस विधेयक को पुन: ला रहे हैं। इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। वह इसमें कुछ सुधार करना चाहता था। इसे विधि मंत्रालय में भेजा गया है और उसके बाद उसे इस सभा में लाया जाएगा। इस विधेयक में बहुत से कठोर उपायों की सिफारिश की गई है जैसे कि इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है तथा इस अपराध से संबंधित मुकदमों को चलाने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। लघु अपराधों को एक साथ मिलाने का प्रावधान है।

सरकार इन सब समस्याओं से निपटने के लिए इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, वृहत्तर मुद्दों पर ध्यान देने के लिए क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। हम इन मामलों से निपटने के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या सात महीनों में यह संभव नहीं था?

अध्यक्ष महोदय: कृपया, इसका उत्तर न दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस सभा के सभी पक्षों को अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपके दल को पहले ही अवसर दे चुका हूं। मैं आपके दल के एक और सदस्य को अवसर दूंगा।

श्री सांताश्री चटर्जी: जहां तक नकली दवाओं का संबंध है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या छह माह से अधिक अवधि के उनके कार्यकाल के दौरान उनके कार्यालय को कोई ठोस आरोप या शिकायतें प्राप्त हुई हैं? दूसरे उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

डा. अंबुमणि रामदास: मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन मंत्रालय का तंत्र इस प्रकार का है कि यह राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। पुन: यह राज्य का मुद्दा है जहां राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण इसकी निगरानी करता है और इस तंत्र की निगरानी करना व इसे विनियमित करना उसका कर्तव्य है। हम इस प्राधिकरण के माध्यम से इस तंत्र की सतत् निगरानी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में, राज्य सरकार इसे कार्यान्वित करती है। मैं नहीं जानता कि वे क्या कर सकते हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां तक स्पूरियस और सब-स्टैंडर्ड मेडीसिंस का सवाल है, हमारा जो डिफरेंट स्टेट्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर है—चाहे उसमें इक्विपमेंट्स हों या मुलाजिम हों, ये दोनों चीजें पूरे हिन्दुस्तान में मेक्सिमम स्टेट्स में नहीं हैं। जब सैम्पलिंग की जाती है तो उसे कलकत्ता और मद्रास भेजा जाता है, हमारी दवाइयां भी जाती रही हैं, लेकिन सैम्पलिंग की रिपोर्ट आने में कई-कई महीने लग जाते हैं, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। जब कोई दवाई अस्पताल में खत्म हो जाती है तो उसके दो साल या दस साल के बाद सैम्पलिंग की रिपोर्ट आती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था और सैम्पलिंग को टाइम बाउंड करके, सारे स्टेट्स में ऐसा सिस्टम बनाने का प्रयास करेंगे?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय संसद सदस्य ने इन चिंताओं को व्यक्त करके बहुत सही किया है क्योंकि वर्तमान में, माननीय संसद सदस्य ने जो कुछ कहा है उसमें से अधिकांश सत्य है।

अध्यक्ष महोदय: क्या कुछ किया जा रहा है?

डा. अंबुमणि रामदास: जी हां, महोदय, मैं प्रश्न के उस भाग पर आ रहा हूं। कभी-कभी नमूनों की जांच और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने में 6 से 8 माह का समय लगता है। कुछ राज्यों में तो जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी नहीं हैं। अत: इसके लिए, जैसा कि मैंने कहा, हम राज्यों और केन्द्र में भी जांच तथा प्रशिक्षण हेतु क्षमताओं का निर्माण करने के लिए 350 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने जा रहे हैं। देशभर में कानूनों में कोई एकरूपता नहीं है। हम इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसका ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री सुशील कुमार मोदी: माननीय मंत्री जी ने अभी आर.ए. माशेलकर समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। इस समिति ने नकली दवाओं के डीलरों के लिए मृत्युदंड दिए जाने की सिफारिश की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि मंत्रिमंडल ने 3 नवंबर को इस सिफारिश को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया कि यह बहुत कठोर है।

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछली एन.डी.ए. की सरकार जो बिल लाई थी, उसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन था और माशेलकर कमेटी ने भी डेथ पेनल्टी रिकमेंड की थी, परन्तु अभी 3 नवम्बर को हुई केबिनेट की मीटिंग में डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया।

[अनुवाद]

उन्होंने जुर्माने की राशि को 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 25,00,000 रुपये कर दिया है, कुछ और कठोर उपाय भी किए गए हैं।

[हिन्दी]

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डेथ पेनल्टी को क्यों खत्म किया गया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपकी पहुंच मंत्रिमंडलीय सूचनाओं तक है?

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है।

डा. अंबुमणि रामदास: मुझे नहीं पता कि माननीय संसद सदस्य की पहुंच मंत्रिमंडलीय नोट तक थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: सब कुछ पेपर्स में आया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप चाहते हैं कि नया कानून बनाया जाए?

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: हमारा प्रश्न यह है कि क्या सरकार स्पूरियस ड्रग्य के लिए बिल में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन करने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अलग है। जब कानून आएगा तो हम उसे देखेंगे। आप एक संशोधन ला सकते हैं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बाजार में दवाओं की ऊंची कीमत को ध्यान में रखते हुए देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक औषधियों की आपूर्ति करने पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, नकली दवाओं का खतरा इतना गंभीर है कि यहां तक कि एक पूर्व मंत्रिमंडलीय सचिव की बेटी नकली दवा दिए जाने के कारण ऑपरेशन टेबल पर ही मर गई। यह मामला इतना गंभीर है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में सही ही कहा है कि यह राज्य का विषय है और वे इससे नहीं निपट सकतीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु, कि देशभर में एक समान गुणवत्ता का अनुपालन किया जाए व इसी के साथ-साथ प्रत्येक प्रयोगशाला व प्रत्येक कम्पनी डब्ल्यू.एच.ओ.जी.एम.पी. मानकों का अनुपालन करे, एक राष्ट्रीय प्राधिकरण गठित करने पर विचार कर रही है क्योंकि यही वह एकमात्र उपाय है जिससे कि नकली दवाओं के खतरे को सही स्तर पर रोका जाना सुनिश्चित किया जा सकता है।

महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि वह विधेयक व्यपगत हो गया है। क्या सरकार एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है? वे बहुत सी चीजों के लिए अध्यादेश लाए हैं। एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा सकता?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं श्री सुरेश प्रभु की चिंता समझता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यादेश को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, जब सत्र चल रहा है तो वे अध्यादेश नहीं ला सकते। इस पर विचार करके इसे पहले ही लाया जा सकता था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, अध्यादेश लाने के बारे में मेरे प्रधानमंत्री को निर्णय लेना पड़ेगा...*(व्यवधान)* महोदय, मैं माननीय सदस्यों की चिंताओं से सहमत हूं। हमने पहले ही अनुसूची 'एम' में संशोधन जारी कर दिया है जिसमें 'गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस' को लागू किया जा रहा है। हमारे पास अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के स्तर वाली भेषज कंपनियां होंगी। इसलिए, हम गुणवत्ता बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भेषज कंपनियों को जी.एम.पी. प्रमाणपत्र लेने और प्रयोगशालाओं को 'गुड्स लैबोरेटरी प्रैक्टिस' याने जी.एल.पी. लेने के लिए निश्चित प्रक्रियाओं को अभिपुष्ट करने की आवश्यकता होती है।

इन्होंने परीक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के बारे में पूछा है। मैं राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं बताना चाहता। हम नीतियां बनाते हैं और वे लागू करती हैं। परन्तु यदि वे कार्यवाही नहीं करते, तो इसके लिए हम भी बराबर जिम्मेदार हैं। हमें राज्य स्तर पर संसाधनों को और मजबूत बनाना होगा। माशेलकर समिति की सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों के पास उनके विचार जानने के लिए भेजा गया था और आज तक केवल सात से नौ राज्यों ने उन सिफारिशों पर अपने उत्तर दिए हैं। हम माशेलकर समिति की सिफारिशों को पूरी तरह नहीं, बल्कि गुण-दोष के आधार पर लागू करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

जहां तक प्रयोगशालाओं की बात है, तो हम सभी प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: विनिर्माण सुविधाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन के जी.एम.पी. मानकों के अनुरूप बनाए जाने की जरूरत है ...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: इसीलिए, अधिनियम की अनुसूची 'एम' में संशोधन किया गया है जहां भविष्य में सभी विनिर्माण कंपनियों के लिए जी.एम.पी. अनिवार्य होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं।

श्री रामजीलाल सुमन। कृपया एक प्रश्न को न दोहरायें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात को जानती है कि बाजार में नकली दवाइयां खूब बिक रही हैं। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो सुषमा स्वराज जी ने भी कई बार कहा था कि इस बारे में हम सख्त कानून बनाएंगे और इसे वर्तमान सरकार भी स्वीकार करती है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप वही प्रश्न दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अगले सत्र में ऐसा विधेयक लाएगी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अगली बार कोई विधेयक ला रहे हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: मैंने इसका उत्तर दे दिया है। यह मामला मंत्रिमंडल के पास गया था। वे कुछ परिवर्तन चाहते थे। अब यह शोधन के लिए विधि मंत्रालय के पास गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे दर्ज नहीं किया जाएगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक का अर्थ है अनुपूरक।

डा. अंबुमणि रामदास: हम भी इसके लिए उतने ही चिंतित हैं जितने कि माननीय सदस्य। जैसे ही हम इन परिवर्तनों पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र इसे लाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: अब आप यथाशीघ्र एक वरिष्ठ मंत्री बन रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: धन्यवाद, महोदय।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, यदि औषध नियंत्रक का कार्यालय एक स्वतंत्र निकाय हो तो इनमें से बहुत से मामलों का समाधान किया जा सकता है। यह स्वतंत्र निकाय हुआ करता था। इसे इतना कमजोर बना दिया गया कि औषध नियंत्रक की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है और मुख्य मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त सचिव इस पर दोहरा नियंत्रण रखता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या औषध नियंत्रक को एक स्वतंत्र अधिकारी बनाने का कोई विचार है।

मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि वह कौन सा तंत्र है जो प्रतिबंधित औषधियों को प्रचलन में वापस लाता है। उदाहरणार्थ, 1998 में न्यूरोबियन, आयरन टॉनिक तथा क्लोराम्फेनिकॉल नामक तीनों औषधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब वे बाजार में वापस आ गई हैं और उन्हें अनुमोदित कर दिया गया है।

डा. अंबुमणि रामदास: स्वतंत्र निकाय के संबंध में 1975 में हथी समिति ने राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण (एन.डी.ए.) बनाने की सिफारिश की थी। महोदय, एन.डी.ए. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नहीं है राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण है। राज्य सरकारों की इस तंत्र में प्रमुख भूमिका होती है। इसलिए, केन्द्र में राज्य के सहयोग के बिना एक स्वतंत्र प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं होती। परन्तु हमारे पास भारत के औषध महानियंत्रक हैं जिन्हें इन मामलों के संबंध में सभी शक्तियां दी गई हैं। हम खाद्य और औषध भवन बनाने की योजना बना रहे हैं। शीघ्र ही हम 10 से 12 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा भवन बनाने जा रहे हैं और हम उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु और शक्तियां प्रत्यायोजित करने जा रहे हैं।

उनके दूसरे प्रश्न के संबंध में जैसा कि मैंने पहले भी उत्तर दिया है, अन्य देशों में प्रतिबंधित कुछ औषधियों का भारत में उपयोग किया जा रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य देशों, यथा अमरीका में प्रतिबंधित औषधियों को यहां भी प्रतिबंधित कर दिया जाए। पूरे विश्व में वे ही विशेषज्ञ नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: औषधियों पर भारत में प्रतिबंध लगाया गया था।...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: उदाहरणार्थ, 1960 के आसपास थैलीडोमाइड नामक एक औषधि को प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि इससे बच्चों में विकृतियां उत्पन्न हो जाती थीं। आज इसका उपयोग वक्ष कैंसर के लिए किया जा रहा है। ऐसा नवीनतम अभिपुष्टि प्रक्रियाओं के कारण है और इसके लिए हमारे पास तकनीकी विशेषज्ञता है...*(व्यवधान)* यही बात एनलनीन के साथ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह विज्ञान का विकास है।

अब प्रश्न सं. 202, श्री मोहन सिंह।

मंत्री जी मुझे आपके साथ हमदर्दी है। हर बुधवार को आप सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले चिकित्सा महाविद्यालय

***202. श्री मोहन सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई निजी और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रावधानों का उल्लंघन करके उसकी अनुमति के बिना नए विषय पढ़ा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन डिग्रियों का क्या भविष्य है जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं तथा सरकार द्वारा इन पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) ऐसे कितने सरकारी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं जो मान्यता हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने ऐसे कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के लागू होने से, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार से प्राप्त पूर्व अनुमति संबंधी मामले को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति नया मेडिकल कालेज स्थापित नहीं करेगा या चिकित्सा संबंधी कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम नहीं शुरू करेगा या किसी पाठ्यक्रम में नामांकन क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा।

सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसी प्राइवेट या सरकारी मेडिकल कालेज में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के उपबंधों का उल्लंघन कर बिना अनुमति प्राप्त किए ही कोई नया विषय पढ़ाया जा रहा है।

इस अधिनियम के उक्त उपबंधों के उल्लंघन में किसी मेडिकल कालेज द्वारा किसी छात्र को प्रदान की गई कोई चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्य अर्हता नहीं मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति भारत में आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली में प्रैक्टिस करने के लिए राज्य मेडिकल रजिस्टर या भारतीय मेडिकल रजिस्टर में पंजीकरण या अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के वास्ते तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक संबंधित व्यक्ति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची में शामिल मान्य अर्हता नहीं रखता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए के अंतर्गत स्थापित नए मेडिकल कालेज का निरीक्षण उसको मान्यता प्रदान करने तक वार्षिक आधार पर करती है और इस अधिनियम के अंतर्गत पहले ही मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों का निरीक्षण आवधिक रूप से करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये कालेज इस अधिनियम के उपबंधों और परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार चल रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार ऐसे आवधिक निरीक्षणों के दौरान इन मानदंडों का पूरी तरह अनुपालन नहीं करते पाए गए आठ मान्यता प्राप्त राज्य सरकार के प्राइवेट मेडिकल कालेजों के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने इन कालेजों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। केन्द्र सरकार ने पहले उपाय के रूप में संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा उजागर की गई कमियों को दूर करें और उनके संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद इनकी पुष्टि कर सके।

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेडिकल ऐजुकेशन हमारे गरीब और इतने बड़े राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार ऐसे आवधिक निरीक्षणों के दौरान इन मानदंडों का पूरी तरह अनुपालन नहीं करते पाए गए आठ मान्यता प्राप्त राज्य सरकार के प्राइवेट मेडिकल कालेजों के संबंध में हमें रिपोर्ट मिली है। मैं ऐसा मानता हूं कि इन मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करना इसका विकल्प नहीं है। आज हमारे देश में मेडिकल ग्रैजुएट्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के अधीन चलने वाले इन मेडिकल कालेजों की तरक्की के लिए और वे अपने एम.सी.आई. के मानक पूरे कर सकें, उसके लिए सक्षम बनाने हेतु, क्या भारत सरकार एकमुश्त राशि राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देने पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। हम यकायक ही देश में कहीं भी इन कालेजों की मान्यता समाप्त नहीं करते। हम सार्वजनिक और निजी दोनों मेडिकल कालेजों को पर्याप्त अवसर देते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का दल उनमें जाता है और उनका निरीक्षण करता है और उसके बाद सरकार को सिफारिश करता है। हम उन्हें एक और मौका देते हैं। यदि वे अनुरोध करते हैं तो हम उन्हें दूसरा मौका देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अचानक ही उनकी मान्यता समाप्त कर देते हैं।

हम उन राज्यों के बारे में चिंतित हैं जहां अधिक मेडिकल कालेज नहीं हैं जैसे कि उत्तरी राज्य। भारत में 229 मेडिकल कालेज हैं। उनमें से 125 सरकारी कालेज हैं और 104 निजी कालेज हैं। परन्तु इनमें से दो तिहाई से अधिक दक्षिण भारत में हैं। हम उत्तरी भारत

के कालेजों के बारे में अधिक चिंतित हैं। कुछ राज्यों में अधिक चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। हम केवल इन कालेजों की मान्यता को समाप्त करने के लिए ही निर्णय नहीं लेते, हम उन्हें काफी मौके भी देते हैं।

जहां तक दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित दूसरे भाग की बात है बहुत पहले मेरे ख्याल से नौवीं योजना के परिव्यय में चिकित्सा अनुदान आयोग के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। दसवीं योजना के दौरान भी इसके लिए संस्तुति की गई थी जिस पर अधिक विचार नहीं किया गया।

[अनुवाद]

मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि योजना आयोग अपनी मध्यावधि समीक्षा में इस पर विचार करे जिसके माध्यम से हम इन सरकारी विद्यालयों में सुधार के लिए कुछ अनुदान राशि प्रदान कर सकें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐलोपैथिक मेडिकल एजुकेशन की तर्ज पर मेडिकल एजुकेशन की बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, आदि। इनके मेडिकल कालेजों को स्ट्रैन्दन करने और अधिक से अधिक को मान्यता देने के बारे में एम.सी.आई. की क्या विचारधारा है।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में भारतीय चिकित्सा परिषद की कोई भूमिका नहीं होती। इसका संबंध केवल आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से है। यह केवल एम.बी.बी.एस. के लिए है। दन्त चिकित्सा से संबद्ध मामलों के लिए दन्त चिकित्सा परिषद तथा आयुर्वेद के लिए अलग से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति परिषद है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि दो तिहाई मेडिकल कालेज दक्षिण एरिया में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर शहर में एक मेडिकल कालेज निजी क्षेत्रा में खोला गया है। इसी तरह राजस्थान में और दो-तीन मेडिकल कालेज निजी क्षेत्र में खोले गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और मेडिकल कालेज के बीच इस तरह के कई विवाद चल रहे हैं, जैसे सारे सब्जैक्ट्स पढ़ाने की सुविधाएं भी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं देखें, आदि। क्या सरकार इन सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रही है और जो संस्थाएं प्राइवेट सैक्टर में, मरुस्थल क्षेत्र में चल रही हैं, उन्हें योगदान देने की आपकी कोई योजना है? इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि जो मैनेजमैंट कोटा है, उसी के अनुसार एडमिशन वहां की संस्थाएं करेंगी लेकिन अभी भी उनमें सरकार का हस्तक्षेप है, इस संबंध में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न से वास्तव में यह बात नहीं उठती।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, ये दोनों ही मुद्दे—राज्य सरकारों तथा प्रबन्धन के बीच कोटा संबंधी मुद्दा तथा शुल्क ढांचा संबंधी मुद्दा, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाये गये थे। इस बारे में सभी राज्यों में कहा गया है कि वे पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं आयोजित कराने, शुल्क ढांचे से संबंधित मुद्दे को निपटाने तथा राज्यों और केन्द्र के बीच कोटा निश्चित करने से संबंधित मुद्दों को निपटाने के उद्देश्य से सभी राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग-अलग समितियां गठित करें।

जहां तक इनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुमति के बिना कोई नये पाठ्यक्रम शुरु नहीं किये जा सकते। इस बारे में निर्णय लेने का प्राधिकार भारतीय चिकित्सा परिषद को ही है।

अध्यक्ष महोदय: अनुदानों के बारे में तो आप उत्तर दे ही चुके हैं।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, चिकित्सा परिषद विधेयक, वर्ष 1956 में पारित किया गया था। उस समय, लगभग 20 मेडिकल कालेज थे, और इन मेडिकल कालेजों में केवल कुछेक सौ छात्र प्रवेश लेते थे। आज देश में 200 से भी अधिक मेडिकल कालेज हैं और प्रत्येक वर्ष इनमें 25,000 से अधिक एम.बी.बी.एस. छात्र प्रवेश ले रहे हैं। अब जनसाधारण की ओर से यह मांग की जा रही है कि एम.एस. और एम.डी. पाठ्यक्रमों के लिए परास्नातक सीटों की संख्या में वृद्धि की जाये। लेकिन सरकार की ओर से इसमें अड़चनें हैं। इसके लिए और अधिक बैंक गारंटी तथा जमानत राशि की मांग की जा रही है। क्या सरकार बैंक गारंटी और जमानत राशि के प्रावधान को हटायेगी और परास्नातक सीटों की संख्या में वृद्धि करेगी?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हमें और अधिक चिकित्सकों की आवश्यकता है। हमें अपने देश में और अधिक चिकित्सा परास्नातकों की आवश्यकता है, लेकिन हमें इन संस्थाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखना होगा। जहां तक बैंक गारंटी का संबंध है, सरकारी विद्यालयों को बैंक गारंटी से मुक्त रखा गया है। केवल निजी विद्यालयों को बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है। यह केवल एक गारंटी मात्र है ताकि वे गुणवत्तापरक शिक्षा दीया जाना सुनिश्चित करें।

श्री लक्ष्मण सेठ: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन मेडिकल कालेजों को मंजूरी प्रदान किए जाने की प्रक्रिया क्या है? नये मेडिकल कालेजों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया क्या

है? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग दो यह है कि इन मेडिकल कालेजों में छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया क्या है?

अध्यक्ष महोदय: प्रक्रिया के बारे में सभा में नहीं बताया जायेगा। आप इसका पता स्वयं लगायें। हम सबको पता है कि यह भारतीय चिकित्सा परिषद से मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है।

डा. अंबुमणि रामदास: मेडिकल कालेजों हेतु आवेदन के लिए निजी प्रबन्धन हेतु प्रक्रिया यह है कि इसके लिए राज्य से राज्य अनिवार्यता प्रमाणपत्र अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। दूसरी बात यह कि इसे संबंधित चिकित्सा विश्वविद्यालय से स्वयं को संबद्ध करना होता है। इसे ये दो कागजात सरकार को देने होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में आप माननीय सदस्यों को एक लिखित विवरण दे सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: जी, महोदय, मैं उन्हें लिखित विवरण दे दूंगा।

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न, मुख्य प्रश्न के भाग (ग) और (घ) से संबद्ध है। मैं जिस समस्या के बारे प्रकाश डालना चाहता हूं उसे मैं एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर में प्राइम मेडिकल कालेज के नाम से एक निजी मेडिकल कालेज कुछ समय पहेल अस्तित्व में आया। उस कालेज के प्रबन्धकों ने छात्रों और उनके परिवारजनों से पैसे ले लिये। उसने छात्रों को प्रवेश भी दे दिया और पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी शुरू कर दी। लेकिन यह मेडिकल कालेज भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। कुछ वर्षों बाद इस कालेज को बंद कर दिया गया। हमने बहुत कोशिश की कि वहां के छात्रों को देश के दूसरे कालेजों ओर जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कालेजों में समायोजित करा दिया जाये। लेकिन कई कारणों से, मुख्यत: राजनीतिक कारणों से, हम ऐसा नहीं कर पाये। इसका परिणाम यह हुआ, कई वर्षों तक उस कालेज में पढ़ाई करने के बाद भी उनका कैरिअर बर्बाद हो गया। वे किसी और कालेज में प्रवेश न ले सके। वे किसी दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु प्रवेश न पा सके। कालेज के प्रबन्धन को भी दंडित नहीं किया गया। उन्होंने पैसा लिया और कालेज छोड़कर चले गये। इससे केवल छात्र और उनके परिवार वाले ही दंडित हुये।

अब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई उपाय है कि भारत सरकार छात्रों और उनके परिवार वालों के इस तरह के खुल्लमखुल्ला शोषण को रोक सके। क्या ऐसे कोई दिशानिर्देश हैं जिन्हें राज्यों को जारी किया जा सके? और, क्या इस तरह के कालेजों का जल्दी पता लगाया जा सकता है ताकि छह से आठ वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बजाय आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एक वर्ष के अंदर ही बंद कर दिया जाये, क्योंकि इतने वर्षों में तो छात्रों का भविष्य ही बर्बाद हो जाता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चाहे जो भी बोलने की अनुमति मांगें मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, इस विषय में दो प्रावधान हैं। पहला यह है कि संस्थान द्वारा बैंक गारंटी प्रदान की जाती है। दूसरा यह है कि सभी राज्यों द्वारा दिए जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र में एक नियम है कि यदि किसी समय कालेज बंद कर दिया जाता है तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वयं द्वारा चलाये जा रहे मेडिकल कालेजों में उन छात्रों को समायोजित करेगी। इसलिए, राज्यों द्वारा दिए जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र में यह प्रावधान पहले से ही है। इस बारे में एक खंड दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन इस बोर में समस्याएं तो हैं।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत में कितने मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज हैं। इन कालेजों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देश क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह तो भारतीय चिकित्सा परिषद पर निर्भर करता है।

डा. अंबुमणि रामदास: भारत में कुल 165 मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज हैं। किसी कालेज को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब छात्रों का पहला बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। इस प्रकार अंतिम वर्ष की परीक्षा के बाद उस कालेज को अंतत: मान्यता प्रदान कर दी जाती है।

श्री प्रबोध पांडा: महोदय, मैंने अभी-अभी मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर को सुना है।

अध्यक्ष महोदय: मान्यता संबंधी दिशानिर्देशों के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

श्री प्रबोध पांडा: यह दिशानिर्देशों के बारे में नहीं है। जहां तक सरकारी मेडिकल कालेजों में नये पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदंडों का संबंध है, उन्हें प्रतयेक वर्ष नया पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमति प्राप्त करनी होती है। तीन वर्षों तक लगातार अनुमति मिलने पर ही वह अंतिम रूप से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकते हैं। क्या मंत्री जी वास्तव में इस तरह के मानदंडों को हटाने पर विचार कर रहे हैं ताकि वह एक बार में ही संबद्ध हो सकें। इससे छात्रों को सहायता मिलेगी।

डा. अंबुमणि रामदास: मेरी समझ में नहीं आता कि सिर्फ संबद्ध हो जाने से छात्रों को कैसे सहायता मिलेगी। हमें इन संस्थानों की गुणवत्ता बरकरार रखने पर ध्यान देना होगा। हमें इस बारे में आये दिन शिकायतें मिलती रहती हैं कि किस तरह इन मानदंडों का उल्लंघन

हो रहा है और किस तरह इन संस्थानां की गुणवत्ता घटती जा रही है। अत: जब तक ये संस्थान मान्यता नहीं प्राप्त करते हमें इन संस्थानों पर नजर रखने की आवश्यकता है, और हम ऐसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय नेताओं से मुझे मदद करने का अनुरोध करूंगा। जब मुझे 20-25 अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं तब आप मुझसे उनमें से कितनों को अनुमत्त करने की उम्मीद रखेंगे? तब, हम कितने प्रश्नां पर चर्चा कर सकते हैं? सभी के अनुपूरक प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। मैं पहले ही 12 अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं। मैं इस तरह से सभा की कार्रवाई कैसे चला सकता हूं? मैं माननीय नेताओं से मेरा मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध करूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: धन्यवाद, महोदय।

क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि कई चिकित्सा प्राध्यापकों ने कई विभिन्न निजी महाविद्यालयों के संबद्ध संक्पयों के प्राध्यापकों के रूप में अपना नाम दर्ज कराया हुआ है? यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या करने पर विचार कर रही है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, भारतीय चिकित्सा परिषद के पास कई ऐसी शिकायतें आई थीं कि कुछ राज्यों में एक प्राध्यापक एक ही समय दो महाविद्यालयों के लिए कार्य कर रहे थे जो नियमों के विरुद्ध है। अत:, भारतीय चिकित्सा परिषद ने उन डाक्टरों, प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों का आंकड़ा इकट्ठा किया था जो साथ-साथ दो महाविद्यालयों में कार्य कर रहे थे तथा उन्हें नोटिस जारी किया कि क्यों नहीं उन्हें चिकित्सा परिषद से बहिष्कृत किया जाए तथा उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया चल रही है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसे मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे उनके पास भेज दीजिए।

माननीय सदस्यगण, कृपया संक्षिप्त और संबद्ध प्रश्न पूछिए। इससे मदद मिलती है।

श्री बी. विनोद कुमार: धन्यवाद, महोदय। आपके द्वारा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कई अनियमितताओं और हाल में चिकित्सा विज्ञान में विकास के परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार की भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के समीक्षा की कोई योजना है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यकरण के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री को भी कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा उन्होंने हमसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन लाने के लिए कहा था। विधेयक तैयार हो गया है और यह अंतिम परीक्षण के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के पास गया हुआ है। इसके वापस आने पर, हम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने के लिए इसे संसद के समक्ष लाने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानदंडों का पालन न करने के कारण आठ मेडिकल कॉलेजेज की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन आठ कॉलेजेज का ब्यौरा क्या है और जो सिफारिश की गई है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? इस प्रकार की जो संस्थाएं विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सिर्फ अंतिम भाग का उत्तर दे दीजिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, उन आठ चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त नहीं की गई है। उन्हें मात्र मान्यता समाप्त करने की नोटिस भेजी गई थी। इनमें से पांच मध्य प्रदेश में थे, एक उत्तर प्रदेश में और दो कर्नाटक में मनिपाल संस्थान में थे। उनकी मान्यता समाप्त करने की मात्र सिफारिश की गई थी। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने प्राध्यापकों और अपेक्षित कर्मचारी की मांग पुन: रखी है। हमने भारतीय चिकित्सा परिषद का एक निरीक्षण दल भेजा था और यह पाया कि उन्होंने कमियों में सुधार लाया है। अत:, इन छह महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं है। कर्नाटक के मनिपाल में मामला भिन्न है। उन्होंने एक महाविद्यालय में एन.आर.आई. कोटा से 30 प्रतिशत प्रवेश देकर 15 प्रतिशत एन.आर.आई. कोटा के नियम का उल्लंघन किया है जबकि उनके दो महाविद्यालय थे। जब उन्नीकृष्णन मामले में टी.एम.ए. पाई फैसला आया तब एन.आर.आई. कोटा समाप्त कर दिया गया और अब यह प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय: अब यह समाप्त हो गया है। पश्चिम बंगाल के छात्र संकट में हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ है। हमें और ज्यादा चिकित्सा महाविद्यालयों की आवश्यकता है। जब राज्य सरकारें कुछ खास महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का निर्णय लेती है और वे भारतीय चिकित्सा परिषद के पास आते हैं तो इसके लिए अनुमति पाने के लिए उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्ष 1993 में एक बार भारतीय चिकित्सा

परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया था। पिछली राजग सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में और संशोधन करने का निर्णय लिया था। अत:, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार आगामी बजट सत्र में संशोधन लाएगी या नहीं।...*(व्यवधान)* हम माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। पिछली सरकार ने संशोधन करने का निर्णय पहले ही ले लिया था। अत:, आप इसमें देरी क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: हम भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक लाने में देरी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस मामले के बारे में काफी चिंतित हैं। वह बहुत जोर दे रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द लाया जाना चाहिए। यह विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अंतिम निरीक्षण के लिए गया हुआ है। हम इसे जल्द से जल्द सभा में लाएंगे।...*(व्यवधान)* हम इसे करना चाहते हैं क्योंकि हमें कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: 'जितना जल्द संभव हो' मत कहिए। आपने इस सभा को आश्वासन दिया है कि आप इसे अगले सत्र में लाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न मात्र उनकी सुविधाओं के बारे में नहीं है बल्कि ये महाविद्यालय बेहिसाब कैपिटेशन शुल्क तथा बेहिसाब शुल्क भी ले रही है। अत:, इस संबंध में चिकित्सा परिषद क्या करने का विचार रखती है? क्या वे इस पर नियंत्रण रखने का विचार रखते हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्य की चिंता का सम्मान करता हूं। किसी को भी इस देश में कोई कैपिटेशन (प्रतिव्यक्ति) शुल्क लेने की अनुमति नहीं है और यदि कोई लेता हुआ पाया जाएगा *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: सभी चिकित्सा महाविद्यालय ले रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसकी जानकारी इन्हें दीजिए।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: कानूनन कोई भी किसी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: यदि मैं माननीय मंत्री जी को सूचित करूं तो क्या वह कार्रवाई करेंगे?...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: गुजरात या राजस्थान में एक घटना घटी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, जहां न्यायालय ने एक चिकित्सा महाविद्यालय के मालिक को कैपिटेशन शुल्क लेने के लिए गिरफ्तार किया था। अत: कानून के अंतर्गत किसी को भी कोई कैपिटेशन शुल्क लेने की अनुमति नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उन्हें पकड़ने में सक्षम हो!

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: शुल्क संरचना और निजी तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में कोटा के साथ-साथ शुल्क संरचना पर विचार के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति बनाई गई है। जैसे ही इसकी सिफारिश आएगी, हम जरूरी कार्रवाई करेंगे. *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर 12 अनुपूरक पूछने की अनुमति दे चुका हूं।

अब, हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

[हिन्दी]

खादी कार्य योजना

*203. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 56 करोड़ रुपये की लागत से 1994 में एक खादी कार्य योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तब से इस कार्य योजना के तहत क्या कार्य किए गए और इस योजना के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार दिया गया; और

(ग) खादी कार्य योजना की असफलता के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 1994 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थापित खादी और ग्रामोद्योग पर उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक योजना की रूपरेखा बनाई गई। आठवीं योजना की शेष अवधि अर्थात् 1994-95 से 1996-97 के दौरान के.वी.आई. क्षेत्र में सुधार करके 20 लाख नए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से कुल 5600 रु. करोड़ की वित्तीय लागत की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया।

इसके बाद, केन्द्र सरकार ने 1994-95 से 1996-97 तक के इन तीन वर्षों की अवधि के लिए एक 'कार्य योजना' (ऐक्शन प्लैन)

अनुमोदित की। उपरोल्लिखित अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली इस कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थी:

(i) एक 'विशेष रोजगार कार्यक्रम' के अधीन 50 चुनिंदा जिलों को शामिल करते हुए के.वी.आई. क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे प्रत्येक जिले में 10,000 रोजगार सृजित करना।

(ii) इसके अतिरिक्त, खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए 125 प्रखंडों (ब्लॉक्स) को शामिल करते हुए ऐसे प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 1000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करना।

(iii) 10 लाख रुपये तक की स्वयं-रोजगार परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ एक 'मार्जिन मनी स्कमी' आरंभ करना।

(iv) खादी का उत्पादन 10.5 करोड़ वर्गमीटर के तत्कालीन स्तर से वर्ष 1997 तक 20 करोड़ वर्गमीटर तक बढ़ाना।

(v) रिबेट योजना को विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) स्कमी द्वारा प्रतिस्थापित (रिप्लेस) करना।

कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की ऋण शृंखला (लाइन ऑफ क्रेडिट) अनुमोदित की। यह ऋण भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्वाधीन बैंकों के समूह द्वारा उपलब्ध की जानी थी। इसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा मार्च, 1995 में दिए गए बजट भाषण में की गई।

इस 1000 करोड़ रुपये में से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुल 738 करोड़ रुपये का ऋण आहरित किया गया। इसमें से 291.50 करोड़ रुपये इस कार्य योजना की खादी संबद्ध स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा पंजीकृत खादी संस्थाओं और राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों को ऋण के रूप में दिए गए। इसी प्रकार, के.वी.आई.सी. द्वारा आहरित ऋण में से रु. 446.50 करोड़ मार्जिन मनी स्कीम सहित ग्रामोद्योग क्षेत्र की स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य के.वी.आई. बोर्डों और पंजीकृत ग्रामोद्योगों को दिया गया। मार्जिन मनी स्कीम को बाद में "ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.)" का नाम दिया गया। आर.ई.जी.पी. के तहत ऋण और मार्जिन मनी अनुदान ये दोनों चयनित लाभार्थियों को दिए गए। तत्पश्चात आर.ई.जी.पी. को सुदृढ़ किया गया और मार्जिन मनी (अनुदान) के लिए कार्यक्रम के अधीन नियमित बजटीय सहायता दी गई और आवश्यक ऋण सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया।

उपर्युक्त निधि की उपलब्धता से पंजीकृत खादी संस्थाओं और राज्य के.वी.आई. बोर्डों द्वारा वर्ष 1995-96 से अतिरिक्त कार्यकलापों का संवर्धन किया गया। ग्रामोद्योगों के लिए मार्जिन मनी स्कीम (बाद में आर.ई.जी.पी.) भी उसी वर्ष प्रारंभ की गई। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्पादन, बिक्री और सृजित रोजगार की स्थिति निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में, उत्पादन और बिक्री, लाख व्यक्तियों में--रोजगार)

वर्ष	उत्पादन		बिक्री		रोजगार		वर्ष के दौरान सृजित अतिरिक्त रोजगार	
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1994-1995	389.71	3234.35	490.86	3578.33	13.19	40.27	—	—
1995-1996	522.23	3504.22	567.36	3861.77	13.97	42.75	0.78	2.48
1996-1997	626.40	3889.86	581.11	4232.90	14.97	43.38	1.00	0.63
1997-1998	624.10	3895.21	745.90	4319.38	14.01	42.49	-0.96	-1.09
1998-1999	635.89	4476.48	647.83	4953.18	13.85	44.44	-0.16	1.95
1999-2000	551.94	5613.41	631.79	6137.41	12.35	46.88	-1.50	2.44
2000-2001	431.57	6491.69	570.55	7384.55	9.56	50.51	-2.79	3.63
2001-2002	416.69	7140.52	527.86	8383.49	8.40	54.16	-1.17	3.65
2002-2003	443.07	8126.30	577.63	9615.71	8.58	57.87	0.18	3.71
2003-2004	453.50	9228.27	587.04	10988.17	8.61	62.58	0.03	4.71

प्रारंभ में खादी क्षेत्र ने उत्पादन, बिक्री तथा रोजगार में वृद्धि दर्शाई। तथापि, स्थिति वर्ष 1997-98 से बिगड़ गई। इस गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

(i) पुराने चरखों और करघों की मरमम्त और प्रतिस्थापन (रिप्लैसमेंट) की आवश्यकता, जिसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं हुआ।

(ii) उत्पादन और बिक्री योजना, विशेषकर उत्पाद की गुणवत्ता और विपणनीयता (मार्केटेबिलिटी) पर अपर्याप्त ध्यान।

(iii) बिक्री नहीं किए गए अत्यधिक भंडारों और देय रिबेट का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण खादी संस्थाओं की कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

दूसरी ओर, ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम ने पिछले 10 वर्षों में, विशेषकर बैंक ऋण की सहायता से आर.ई.जी.पी. को प्रारंभ करने के पश्चात, निरंतर वृद्धि दिखाई है। दसवीं योजना अवधि के दौरान आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार सृजित किए जाने की अपेक्षा है। इनमें से 8.3 लाख रोजगार दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान सृजित हो चुके हैं।

श्री कुलदीप बिश्नोई: अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे सवाल का इतना विस्तृत जवाब दिया है। यहां मैं एक-दो बातें बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी के सपनों के अनुरूप सन् 1994 में कांग्रेस सरकार ने खादी कार्य योजना के नाम से 5600 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई थी, जिसमें 20 लाख लोगों को नौकरी देनी थी। इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि सन् 1997-98 के बाद इसकी स्थिति निरंतर बिगड़ती गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है? दूसरे, हम सभी जानते हैं कि खादी का प्रचलन महात्मा गांधी जी ने आम आदमी के तन को ढकने के लिए किया था, इसलिए मेरा कहना है कि खादी कम दाम पर उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह काफी विस्तृत है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि खादी महात्मा गांधीजी की विचारधारा और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों, दलितों, शोषितों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन-यापन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसीलिए यूपीए सरकार ने एन.सी.एम.पी. के आधार पर संकल्प लिया है और मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि:

[अनुवाद]

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के कार्यकरण की सीमक्षा करेगी तथा कॉयर, हथकरघा, विद्युतकरघा, वस्त्र, रबड़, काजू, हस्तशिल्प, खाद्य-प्रसंस्करण, रेशम-उत्पादन, खाद्य-विकास, चमड़ा और अन्य कुटीर उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए नए कार्यक्रम शुरू करेगी।

[हिन्दी]

इसलिए स्थिति सुधारने के लिए हमने एक योजना बनाई है और उसके तहत खादी को आगे बढ़ाने के लिए रिबेट योजना हमने शुरू की। दूसरे, खादी संस्थाओं को, सब्सिडी के आधार पर, ब्याज दर में 4 प्रतिशत की विशेष सुविधा दी है। तीसरे, उत्पाद, विकास, डिजाइन, शेष एवं पैकिंग स्कीम भी हमने लागू की है। जनश्री बीमा योजना खादी को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की है।

श्रीमन्, हमने कारीगर कल्याण योजना भी शुरू की है। हम खादी को किस प्रकार आगे बढ़ाएं, ऐसे काफी कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनसे गरीबों को लाभ हो सके।

श्री कुलदीप बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि खादी इतनी महंगी होने के बावजूद बुनकरों को उचित राशि नहीं मिलती है, जिसके चलते काफी बुनकरों द्वारा खुदकुशी करने की खबरें मिली हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके प्रथम प्रश्न के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: खादी एक ऐसी परंपरा है जो महात्मा गांधी जी के समय से चल रही है। हमने इसका पुनरुद्धार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। करघा, हथकरघा और दूसरी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने शुरू किया है, विशेषकर जो खादी की पसन्द और स्वाद जिस तरह कम होता जा रहा है, इसे देखते हुए, नई तकनीक विकसित करके, नए बाजार स्थापित करने के उपाय किए गए हैं, ताकि खादी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ सके। इस प्रकार हमने खादी को बढ़ावा देने के लिए अनेक काम किए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया सुस्पष्ट प्रश्न ही पूछें, भाषण न दें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में आर.ई.जी.पी. के तहत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, बैकवर्ड क्लासिज ओर महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व मिला है? यदि नहीं, तो सरकार कब तक इसे पूरा करेगी?

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आर.ई.जी.पी. कार्यक्रम का आरंभ एक अप्रैल, 1995 को हुआ था। आज तक 1,86,252 इकाइयां आर.ई.जी.पी. कार्यक्रम के आधार पर स्थापित की गई हैं। इनमें से 23,350 अर्थात 12.5 परसैंट अनुसूचित जातियों की इकाइयां स्थापित की गई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित सभी विवरण उन्हें दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमन्, माननीय सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विषय में जानकारी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप वह संख्या भेज दीजिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की स्थिति के बारे में माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि वह ठीक नहीं है और उसके कारण भी यहां प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मार्किटिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा लूम्स तथा चरखों का रिप्लेसमैंट और अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है ताकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री देश में उन्नत हो।

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमन्, माननीय सदय ने मेरी बात को श्रवण नहीं किया। मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है कि खादी को उन्नत करने के लिए ग्रामीण अंचलों में रिबेट योजना चलायी जा रही है और सबसिडी दी जा रही है। मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में इस बारे में जो बताया है, आप उसकी तरफ ध्यान दें।

श्री संदीप दीक्षित: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से दिए अपने उत्तर में उस कार्यक्रम का उल्लेख किया है जिसमें सवा सौ प्रखंड या ब्लॉक इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास की गांधी ब्लॉक परियोजना उसी समय चालू की गई थी। उससे सामंजस्य रखकर, उनके साथ चलने वाली स्कीम को बड़े विस्तार से चला कर, गांधी ब्लॉक प्लान के अंतर्गत प्लान और एक्शन प्लान बनाए गए थे। क्या उन एक्शन प्लान्स के अंतर्गत पिछले 8-10 सालों में कोई कार्यक्रम शुरू किया गया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके प्रथम प्रश्न पर आपको बधाई देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी बनायी गई थी। जब हाई पावर्ड कमेटी ने एक सिफारिश की थी, जिसके तहत 20 लाख रोजगार देने का अनुमान था। चूंकि एक रोजगार देने में 28 हजार रुपये की अनुमानित लागत आती थी, इस तरह से 5600 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च तय किया गया था। उसी एक्शन प्लान में, कार्य योजना में, हमने चुनिंदा 50 जिले लिये थे। उन 50 जिलों के आधार पर एक जिले में अनुमानत: 10,000 रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि जो 125 ब्लाक चुने गए थे, उन 125 ब्लाकों में, हर ब्लाक में 1000 रोजगार मुहैया करने की कार्य योजना बनाई गई थी।...*(व्यवधान)* कृपया आप तो सुन लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को परेशान मत कीजिए। यह अच्छी बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: उसी प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया था। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह योजना आगे चलकर 1 अप्रैल, 1995 को आर.ई.जी.पी. के रूप में बदल गई और आर.ई.जी.पी. के आधार पर हमने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा सबके साथ होता है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, हम उसमें दिनोंदिन प्रगति करते जा रहे हैं और इस आधार पर, एक अनुमान के अनुसार, 8 लाख रोजगार हम इस वर्ष में मुहैया करा चुके हैं। इसी प्रकार हम प्रयत्न कर रहे हैं कि और आगे बढ़ेंगे और उन अंचलों में जाएं, जहां रोजगार नहीं है, जहां गरीब लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारी खादी वहां पहुंचे जहां आज तक कोई उद्योग नहीं पहुंच सका है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सी.एस. सुजाता। कृपया अपनी बात संक्षेप में रखिएगा। मैं अगले प्रश्न पर जाना चाहता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि इस योजना के अंतर्गत केरल में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के अंतर्गत केरल में कितनी राशि खर्च की गई है?

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास केरल से संबंधित जानकारी है?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: मैं माननीय सदस्या से आग्रह करूंगा कि वह अलग से अगर नोटिस दें तो मैं उनको उत्तर भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब तो नोटिस मिल गया। आप उनको केरल के संबंध में जानकारी भेज दीजिए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी यूपीए सरकार का संकल्प है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे बुनकरों के सामने आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि मूल्य का केवल उनको 8 या 9 प्रतिशत दाम मिलता है, बाकी व्यापारी ले जाते हैं। बुनकरों को बाज़ार के पास लाने और बाजार को बुनकरों के पास ले जाने के लिए मंत्री जी का क्या विचार है—इस बारे में हम जानना चाहेंगे।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक बुनकरों की समस्या का प्रश्न है, सही रूप में बुनकरों की खादी की समस्या हमारे मंत्रालय से संबंधित है जबकि हैंडलूम और बुनकर जो काम करते हैं वह विशेषकर टैक्सटाइल मंत्रालय से संबंधित होता है। जहां तक हमारा संबंध है, हम खादी के आधार पर जो पुराना चरखा था, पुराने लूम थे, उस आधार पर, हम नयी तकनीक की तरफ, नये बाजार की तरफ जा रहे हैं और इसकी शुरूआत कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब बनेगा, तभी तो बाजार में जाएगा।

[अनुवाद]

श्री खीरेन रिजीजू, यह आज का अंतिम अनुपूरक प्रश्न है। आप इसे शीघ्र से शीघ्र पूछिए।

श्री खीरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदय, '(क) से (ग)' के संबंध में माननीय मंत्री जी का विवरण गलत है क्योंकि दी गई सब्सिडी 25 प्रतिशत है तथा यह दस लाख रुपये तक नहीं है बल्कि पच्चीस लाख रुपये तक है। किन्तु दस लाख रुपये से अधिक की लागत के लिए यह कुल अवयव का दस प्रतिशत है। अतः, उनका जवाब भ्रामक है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि खादी को दूरदराज के गांवों, विशेषकर पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है क्योंकि खादी का अर्थ है हाथ से बुना हुआ, हाथ से काता हुआ और भारत में निर्मित।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, अगर आपके पास नॉर्थ-ईस्ट के बारे में कुछ जानकारी हो, तो माननीय सदस्य को लिखकर भेज दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को लिखकर भिजवा दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में साफ-सफाई

*204. **श्री ब्रजेश पाठक:***
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2004 में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद प्रशासन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का चालान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कुत्तों और बंदरों की भरमार है जैसा कि दिनांक 23 सितम्बर, 2004 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(घ) क्या अक्तूबर, 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में स्वच्छता एवं अन्य सुविधाओं की कमी के कारणों की जानकारी मांगी है;

(ङ) क्या सरकार ने न्यायालय में उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद प्रशासन ने इस वर्ष

के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दो चालान जारी किए हैं। ये चालान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आवासीय परिसर और सेवा केन्द्र के भंडार (डिस्मैंटल्ड स्टोर) में पड़े टूटे-फूटे (डिस्मैंटल्ड) टैंकों में पाए गए स्थिर पानी के लिए जारी किए गए थे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में आवारा कुत्ते एवं बन्दर हैं। बन्दर से बहुत अधिक खतरा नहीं है।

छत पर और भूमि गत स्थित सभी 2101 टैंकों को साफ करके ढक दिया गया है। अभियंता दलों को विभिन्न परिसरों को मलबा रहित रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक किसी भी स्थल पर भवन का कूडा-करकट 48 घंटों से अधिक समय के लिए नहीं पड़ा रहता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के स्टाफ द्वारा साप्ताहिक रूप से निरीक्षण किया जाता है और लार्वारोधी छिड़काव किया जाता है। बन्दरों/कुत्तों को परिसर से हटाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(घ) से (छ) सफदरजंग अस्पताल में साफ-सफाई और वहां अन्य सुविधाओं से संबंधित विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में विचार-विमर्श किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में दिनांक 9.11.2004 को पांच सदस्यीय समिति गठित कर ली गई है। यह समिति रोगियों और मेडिकल स्टाफ की समस्याओं पर विचार करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। उक्त समिति द्वारा छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इस समिति की बैठक 11.12.2004 को हुई थी। इस समिति की बैठक शीघ्र होने की संभावना है।

मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

*205. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री पी. करुणाकरन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मंदबुद्धि व्यक्तियों को न्यूनतम बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मानसिक चिकित्सालयों की स्थिति निधियों की कमी की वजह से बहुत खराब है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस मामले में वित्तीय और तकनीकी सहायता हेतु राज्यों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा बढ़ रहे मानसिक रोग से निपटने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(छ) क्या इस संबंध में वर्ष 2004-05 हेतु 190 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को आवंटित निधियों के वितरण/उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ज) मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की बढ़ी हुई पहुंच और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए एक वृहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया है जिसका परिव्यय 139 करोड़ रुपये है। इस कार्यक्रम में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विस्तार की योजना है जिसमें देश में मौजूदा 27 जिलों से बढ़ाकर 100 जिलों को कवर करके उनमें सामुदायिक स्तर पर शीघ्र निदान और उपचार की व्यवस्था प्रदान करने, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सभी 37 मानसिक अस्पतालों, 75 चिकित्सा महाविद्यालयों के मनश्चिकित्सीय विंगों, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यकलापों और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं के उन्नयन की योजना है।

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक अस्पतालों के उन्नयन के लिए 3 करोड़ रुपये तक चिकित्सा महाविद्यालयों में मनश्चिकित्सीय विंगों के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 लाख रुपये तक और प्रति जिला 110.50 लाख रुपये (5 वर्ष हेतु) की धनराशि प्रदान की जाती है। वास्तविक आवश्यकता और तैयारी के आधार पर विभिन्न संघटकों के अंतर्गत राज्यों को धन मंजूर किया जाता है।

विभिन्न राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों से प्राप्त हुए प्रस्तावों में से अब तक 48 नए जिलों को जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है और पहले वर्ष के लिए प्रति जिला 26.20 लाख रुपये की दर से धनराशि जारी की गई। इन जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। केरल राज्य में कोजीकोड, त्रिसूर और तिरुवनंतपुरम में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों मं मनश्चिकित्सीय विंगों को सुदृढ़ करने के वास्ते भी धन मंजूर किया गया है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित शेष प्रस्तावों, चिकित्सा महाविद्यालयों के मनश्चिकित्सीय विंगों के सुदृढ़ीकरण और मानसिक अस्पतालों के उन्नयन के लिए तकनीकी मूल्यांकन और धन की उपलब्धता की शर्त पर धन जारी किया जाएगा।

विवरण

10वीं योजना के दौरान जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में अब तक शामिल किए गए नए जिलों की सूची दर्शाने वाला विवरण (48)

1.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम, कुडुपा
2.	असम	नलबाड़ी, मोरीगांव

3.	हरियाणा	हिसार, गुड़गांव
4.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा
5.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू, उधमपुर
6.	कर्नाटक	कारवार, गुलबर्गा, चमराज नगर, शिमोगा
7.	मणिपुर	इम्फाल पश्चिम, थाऊबल
8.	मध्य प्रदेश	सिहोर, देवास, मंडला, सतना
9.	महाराष्ट्र	अमरावती, बुलढ़ाना, परभानी, सतारा, जलगांव
10.	मेघालय	जयंतिया हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स
11.	नागालैंड	फेक
12.	उड़ीसा	पुरी, मयूरभंज, धेनकानल, क्योंझर, खुर्दा
13.	त्रिपुरा	नार्थ त्रिपुरा
14.	तमिलनाडु	कन्या कुमारी, थेनी
15.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर, इटावा, बांदा, मुरादाबाद, रायबरेली, मिर्जापुर, फैजाबाद, आजमगढ़, सीतापुर, गाजियाबाद, गाजीपुर
16.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदनीपुर, जलपाईगुड़ी

[अनुवाद]

स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक

*206. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या स्थिरीकरण पर बल देने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर आम सहमति बनाने हेतु 2 नवंबर, 2004 को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियां की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्यनीति पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में 2 नवम्बर, 2004 को 22 राज्यों के साथ परामर्श किया गया। इन 22 राज्यों में से 12 राज्यों का प्रतिनिधित्व मंत्री स्तर पर हुआ था। इस मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित उपायों विशेषकर ग्रामीण स्तर पर स्वैच्छिक महिला मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) का नया संवर्ग बनाने, उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उप-केन्द्र स्तर पर उदार निधियों का प्रावधान करने, प्रथम रेफरल यूनिटों को प्रचालनात्मक बनाने, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों की वर्टिकल निधियों एवं सोसाइटियों को मिलाने, बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमता निर्मित करने, मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना करने, जिला ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सृजित करने संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें मिशन की व्यापक कार्य नीतियों पर सहमति बनी। तथापि, राज्यों ने समग्र नीति दिशानिर्देशों के भीतर राज्य विशिष्ट उपायों का ब्यौरा तैयार करने के लिए समुचित छूट देने हेतु अनुरोध किया। इस मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा हेतु निधि बढ़ाने के लिए भी अनुरोध किया गया।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। राज्यों की सिफारिशों को इस प्रस्तावों में शामिल (फेक्टर्ड) कर लिया गया है।

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन

*207. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री के.एस. राव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में लाओस में हुए तीसरे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिखर सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत द्वारा इस शिखर सम्मेलन में कौन से प्रस्ताव रखे गए; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) प्रधानमंत्री ने 30 नवंबर, 2004 को विएनशियेन में तीसरे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनैतिक तथा आर्थिक घटनाओं और साथ ही भारत-आसियान संबंधों से जुड़े मसलों पर चर्चा की गयी।

शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा किए गए प्रस्तावों में शामिल है भारत-आसियान ब्रॉडबैंड तीव्र गति नेटवर्क, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए इंटरनेट संपर्क सुलभ करने के लिए एक नेट पोर्टल, भेषज के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास, क्षेत्र में यदा-कदा उपयोग में लायी जाने वाली दवाओं का संचयन, बीजों के उत्पादन तथा फलों और सब्जियों के जर्मप्लाज्म का आदान-प्रदान किए जाने के लिए सहयोग। प्रधानमंत्री ने आसियान के गात्र सदस्य देशों के लिए

200 मिलियन अमरीकी डालरों तक की रियायती ऋण के किस्तों का प्रस्ताव किया।

शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, प्रगति और साझी समृद्धि के लिए भारत-आसियान भागीदारी पर एक करार संपन्न किया गया। इसमें भारत और आसियान के बीच दीर्घावधिक भागीदारी की कल्पना की गयी है। करार से जुड़ी कार्य योजना में आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग और साथ ही राजनैतिक और सुरक्षा मसलों पर सहयोग के व्यापक उपाय शामिल किये गये हैं।

टेलीमेडीसिन के लिए मार्गनिर्देश

*208. **श्री पी.एस. गढ़वी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में टेलीमेडीसिन कार्य के लिए मार्गनिर्देशों और मानकों की सिफारिश की है और स्वास्थ्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे हेतु खाका तैयार करने की भी सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश किए गए मार्गनिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या आम बहस हेतु इन सिफारिशों को वेबसाइट पर डाला गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दूर औषधि प्रणालियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अंकीकृत सूचना का मानकीकरण करने के उपाय संस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उक्त समिति के तत्वावधान में दूर औषधि मानकीकरण तकनीकी कार्यदल ने "भारत में दूर औषधि के प्रयोग के लिए संस्तुत दिशा-निर्देश एवं मानदंड" नामक एक दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज में दूर औषधि प्रणालियों, दूर औषधि सॉफ्टवेयर, संचार प्रणालियों, सुरक्षा तथा गोपनीयता संबंधी मुद्दों, विभिन्न दूर औषधि प्रणालियों में अंतर प्रचालनीयता के लिए आंकड़ा विनिमय मानदंडों, नैदानिक युक्तियों तथा दूर औषधि प्रक्रिया दिशा-निर्देशों के लिए मानदंडों/विशिष्टियों की सिफारिशें की गई हैं। दूर औषधि प्रणालियों की विभिन्न श्रेणियों और स्तरों के लिए प्रणाली की आवश्यकताओं का भी सुझाव दिया गया है।

"सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भी "भारत में स्वास्थ्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना का प्रस्तावित ढांचा" शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन में विभिन्न पणधारियों में स्वास्थ्य संबंधी सूचना के प्रसार के लिए मानदंडों की संस्तुति की गई है तथा इसमें आंकड़ा तत्व, स्वास्थ्य सूचक, नैदानिक शब्दावली, न्यूनतम आंकड़ा समूह, स्वास्थ्य बीमा के लिए बिलिंग के प्रारूप तथा संदेश मानदंड शामिल हैं। इसमें स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की गोपनीयता और विश्वसनीयता के समर्थन में स्वास्थ्य सूचना-विज्ञान शिक्षण और विधायी ढांचे से संबंधित पहलुओं की आवश्यकताएं भी पूरी की गई हैं।

(ग) और (घ) इन संस्तुतियों को व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट (http://www.mit.gov.in/telemedicine/home.asp) पर उपलब्ध कराया गया है। वेबसाइट की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार "भारत में दूर औषधि के प्रयोग के लिए संस्तुत दिशा-निर्देश एवं मानदंड" शीर्षक से दस्तावेज के 21000 से ज्यादा डाउन लोड तथा "भारत में स्वास्थ्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना (आई.टी.आई.एच.) का प्रस्तावित ढांचा" शीर्षक से दस्तावेज के 4700 से ज्यादा डाउनलोड पहले ही हो चुके हैं।

रोगियों की मृत्यु के लिए डाक्टर उत्तरदायी नहीं

*209. **श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि डाक्टर के निर्णय में गलती होने के कारण यदि रोगी की मृत्यु हो जाती है तो डाक्टर आपराधिक रूप से दोषी नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त फैसले से लोगों के दिमाग में आशंकाएं पैदा हुई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस स्थिति से उपयुक्त कानून बनाकर निपटने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) फौजदारी अपील सं. 2004 की 778 में दिनांक 4.8.2004 के अपने निर्णय में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विधिक स्थिति लगभग दृढ़तापूर्वक नियत कर दी गई है कि जहां किसी रोगी की मौत डाक्टर के लापरवाह चिकित्सीय उपचार से हो जाती है तो डाक्टर को मुआवजा तथा क्षति के भुगतान के लिए दीवानी विधान में उत्तरदायी बनाया जा सकता है तथा साथ ही, यदि लापरवाही इतनी गंभीर हो और उसका कृत्य इतना असावधानीपूर्ण हो जिससे कि रोगी के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए तो डाक्टर को धारा 340-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत दोष के लिए आपराधिक दृष्टि से उत्तरदायी बनाया जाएगा। किसी डाक्टर अथवा सर्जन पर

आपराधिक-उत्तरदायित्व नियत करने के लिए, सिद्ध किए जाने हेतु अपेक्षित लापरवाह का मानदंड इतना ऊंचा होना चाहिए जिसे "घोर लापरवाही" अथवा "असावधानी" के रूप में वर्णित किया जा सके। इसने इसके आगे पुष्टि की कि केवल असावधानी अथवा पर्याप्त देखरेख तथा ध्यान की कुछ हद तक कमी से दीवानी उत्तरदायित्व उत्पन्न हो सकता है परन्तु डाक्टर को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए ये पर्याप्त नहीं होंगे।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा नीतिपरक) विनियमन, 2002 में ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं जिनके अंतर्गत किसी डाक्टर के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार के संबंध में कोई भी शिकायत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष लाई जा सकती है और यदि इस मामले में जांच-पड़ताल कराने के पश्चात संबंधित परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि संबद्ध डाक्टर कदाचार के लिए दोषी है तो परिषद ऐसी सजा दे सकती है जो आवश्यक समझा जाए अथवा वह रजिस्टर से दोषी डाक्टर का नाम पूर्णतया अथवा किसी विशेष अवधि के लिए हटाने का निर्देश दे सकती है।

उपर्युक्त को देखते हुए, इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसके अंतर्गत इस चरण में विधायी हस्तक्षेप न्यायसंगत सिद्ध होगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के स्थान में परिवर्तन

*210. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री विक्रम केशरी देव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के स्थान बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अस्पतालों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आवंटित धनराशि सहित इन अस्पतालों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन अस्पतालों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश) राज्यों में प्रत्येक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी एक-एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है। विभिन्न स्थानों में सात आयुर्विज्ञान संस्थाओं को अपग्रेड करके प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाओं के स्तर की संस्थाएं बनाने का भी एक प्रस्ताव है।

जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी छह संस्थाओं का संबंध है, उनमें से किसी का भी स्थान बदलने का प्रस्ताव नहीं है।

इस योजना को व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और इसे अब अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। जब तक ये स्वीकृतियां नहीं मिल जातीं तब तक चारदीवारी का निर्माण, व्यापक परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्था के लिए संरचनात्मक संकल्पनाओं/डिजाइनों के चयन जैसे शुरूआती कार्यकलाप शुरू कर दिए गए हैं। 2004-05 के दौरान बजट में 60 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस योजना को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, इन संस्थाओं के निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से तीन वर्षों के बाद प्रचालित हो जाने की आशा है।

निजी अस्पतालों को छूट

*211. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्कृष्ट जन-स्वास्थ्य सेवाओं में कमी तथा अविनियमित निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपचार करवा रहे रोगियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या निजी अस्पतालों को गरीब लोगों का नि:शुल्क उपचार करने के बदले में दी गई छूट को इस शर्त को पूरा न करने के कारण वापस ले लिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए समरूप स्वास्थ्य सेवाएं कराने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की योजना बना रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) चूंकि भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों सहित सभी रोगियों को गुणवत्तायुक्त जन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना और प्राइवेट अस्पतालों को रियायती दरों पर भूमि का आवंटन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना एवं यह सुनिश्चित करना कि भूमि का आवंटन करते समय निर्धारित शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

तथापि, भारत सरकार वस्तुगत अनुदान, अवसंरचनात्मक विकास आदि के लिए सहायता प्रदान करके विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में वृद्धि करती है और उन्हें पूरक बनाती है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उन रोगियों, जो प्रमुख जीवन घातक रोगों से पीड़ित होते हैं, को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार भी गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु अस्पतालों, उपचर्या गृहों और अन्य क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम मानक और विनिर्देश निर्धारित करने हेतु एक विधेयक बनाने पर कार्रवाई कर रही है। वर्तमान में समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता लाने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एम.ए.आर.आर प्रौद्योगिकी वाले फोन

*212. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी एम.ए.आर.आर. प्रौद्योगिकी वाले फोनों को डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी और बुनियादी फोनों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004-05 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) सभी एम.ए.आर.आर. प्रौद्योगिकी वाले फोनों को कब तक बदल दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन फोनों को बदले जाने से उपभोक्ता को क्या लाभ होगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) जी, हां। भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) की सभी मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एम.ए.आर.आर.) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी.) को वायरलैस/वायरलाइन प्रौद्योगिकियों से बदलने की योजना है। 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार, देश में 1,13,839 एम.ए.आर.आर. वी.पी.टी. बदले जा चुके हैं। भारत संचार निगम लि. ने वर्ष 2004-05 के दौरान, 40,000 एम.ए.आर.आर. वी.पी.टी. बदलने की योजना बनाई है। इसके अलावा, प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) निधि के कार्यालय द्वारा कार्य प्रदान करने संबंधी करार में निर्धारित शर्तों के अनुसार बी.एस.एन.एल. की जून, 2006 तक शेष एम.ए.आर.आर. आधारित वी.पी.टी. बदलने की योजना है।

(घ) एम.ए.आर.आर. वी.पी.टी. को बदलने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को जो लाभ मिलने की संभावना है, उसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार।

(ii) प्रयोक्ताओं को डाटा सुविधा की उपलब्धता।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

*213. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य कोयला कंपनियों की प्रत्येक सहायक कंपनी ने कुल कितने टन कोयले का उत्पादन किया;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितना और कितने मूल्य का कोयला आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने कोयले की गुणवत्ता को सुधारने और देश में कोयले के आयात को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री शिबु सोरेन): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. और अन्य कंपनियों में कोयले का उत्पादन नीचे दिए अनुसार है:

(मिलियन टन में)

कंपनी	2003-04	2002-03	2001-02
1	2	3	4
ई.सी.एल	28.00	27.18	28.55
बी.सी.सी.एल.	22.68	24.15	25.25

1	2	3	4
सी.सी.एल.	37.33	36.98	33.81
एन.सी.एल.	47.03	45.10	42.46
डब्ल्यू.सी.एल.	39.53	37.82	37.01
एस.ई.सी.एल.	71.01	66.60	64.12
एम.सी.एल.	60.05	52.23	47.81
एन.ई.सी.	0.73	0.63	0.64
सी.आई.एल.	306.36	290.69	279.65
एस.सी.सी.एल.	33.85	33.24	30.81
अन्य	20.95	17.34	17.33
कुल योग	361.16	341.27	327.79

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात किए गए कोयले की कुल मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है:

वर्ष	आयात	
	मात्रा मिलियन टन में	मूल्य करोड़ रु. में
2001-02	20.55	4535.70
2002-03	23.26	5027.90
2003-04	21.68	5008.70

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों ने कोयला मुहाने पर खनन से लेकर उपभोक्ताओं को उसके प्रेषण तक स्वदेशी कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। खनन मुहानों पर परिकल्पित खनन क्रमबद्धता/खनन योजना का अनुपालन, कोयले से धूल कणों को अलग करने के लिए चयनित खनन, सतही खनिकों द्वारा कोयले के खनन/खान में शेल/पत्थरों को हटाने जैसे उपायों को अपनाना, कोयला रख-रखाव संयंत्रों (सी.एच.पी.) एवं प्रेषण बिन्दुओं, उपयुक्त ब्लास्टिंग तकनीकें अपनाना जैसे कुछ विभिन्न प्रयास हैं जो कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किए गए हैं।

इसके अलावा, अन्त्य उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार कोयले की धुलाई को अंगीकृत किया गया। कोयले में राख के तत्व को कम करने के लिए काफी समय से कोकिंग कोयले की धुलाई की प्रक्रिया चलन में है। पर्यावरणीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं विशेषकर विद्युत क्षेत्र को कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता की आपूर्ति के लिए अब नॉन-कोकिंग कोयले की धुलाई भी की जा रही है।

सरकार की मौजूदा आयात नीति के अंतर्गत सभी प्रकार का कोयला और कोक खुले सामान्य लाईसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत आयात के लिए खुला है और कोई भी कोयले का आयात कर सकता है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं और आर्थिक कारकों के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोयले का आयात करते हैं।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण उपाय

*214. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में स्त्री और पुरुष दोनों के विवाह की उम्र बढ़ाने हेतु कोई कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। सरकार देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में अपनाए गए संशोधित जनसंख्या प्रतिमान के अनुसार, सरकार देश में 1997 से कार्यान्वित किए जा रहे प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भनिरोधन, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के लिए उन्नत सेवाओं की उपलब्धता के मुद्दों पर एक साथ ध्यान देकर व्यापक तरीके से जनसंख्या स्थिरीकरण के विषय पर ध्यान देगी। सरकार जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास को अंशदायी कारकों के रूप में देखती है और इस प्रकार इसका उद्देश्य बेहतर महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, विवाह के समय ज्यादा उम्र, पोषण और स्वच्छता के लिए संबंधित सामाजिक क्षेत्रों के साथ अन्तर क्षेत्रीय अभिसारिता (कनवर्जेंस) प्राप्त करना भी है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है और 17 राज्यों में राज्य जनसंख्या आयोगों का गठन किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में निजी क्षेत्रा की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक जनसंख्या स्थिरता कोष को एक स्वायत्तशासी सोसायटी के रूप में भी पंजीकृत किया गया है। सरकार का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों,

समुदाय आधारित संगठनों और स्वयं-सहायता समूहों की बढ़ी हुई भागीदारी और स्वास्थ्य के लिए बेहतर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से गुणवत्तापरक परिवार कल्याण सेवाओं तक उन्नत पहुंच के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक जन-कार्यक्रम बनाने का है।

9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु, केरल, गोवा, नागालैंड, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़ और मिजोरम) ने 2.1 की कुल प्रजननता दर की प्राप्ति के लिए पहले ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जबकि 11 और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दमन व दीव और सिक्किम) इसको प्राप्त करने की स्थिति में हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण की वास्तविक चुनौती चुनिंदा राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। इन 8 राज्यों पर केन्द्रित ध्यान देने के लिए 2001 में एक अधिकार प्राप्त कार्रवाई-समूह का गठन किया गया था। वर्तमान में, 8 ई.ए.जी. राज्यों, 8 पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर सहित 17 राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जन सहयोग की कमी के कारण ज्यादातर राज्यों में बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का कार्यान्वयन एक प्रमुख चुनौती है। पुरुषों के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष और महिलाओं के लिए यह उम्र 18 वर्ष से आगे बढ़ाना और भी मुश्किल होगा।

[हिन्दी]

राज्यों के लिए धनराशि का आबंटन

*215. **श्री नीतीश कुमार:***
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ग) राज्यों के पास शेष अप्रयुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा इस धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार से संबंधित कुछ प्रस्ताव/आग्रह प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उक्त प्रस्तावों/आग्रहों पर क्या कार्यवाही की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) देश में फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 65,569 कि.मी. है। राज्यवार ब्यौरे संलगन विवरण-I में दिए गए हैं। राज्य की जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा नहीं की जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलग ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वर्षवार आबंटित धनराशि इस प्रकार है।

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण व मरम्मत के लिए धनराशि का आबंटन (करोड़ रु.)
2001-02	758.52
2002-03	565.02
2003-04	581.09

(ग) राज्यों के पास अनुपयुक्त रही धनराशि के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा समय पर साख पत्र जारी करने की समस्या, कुछ राज्यों में कानून-व्यवस्था की समस्या और कुछ राज्य सरकारों से अनुरक्षण कार्य के लिए देर से प्राक्कलन प्राप्त होने के कारण अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

(ङ) और (च) गत 3 वर्षों में और 30 नवंबर, 2004 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 5,793.07 करोड़ रु. के 2450 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण-I

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार	2, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3537
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 111, 200, 202, 216, 217 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17 बी	269
9.	गुजरात	6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और एन ई-1	2871
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 71बी, 72, 73 और 73ए	1468
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 73ए और 88	1208
12.	जम्मू-कश्मीर	1ए, 1बी और 1सी	823
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218	3843
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79, 86, 86ए और 92	5200
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704

1	2	3	4
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 112, 113, 114 और 116	5585
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	4183
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123 और 125	1991
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97 और 119	5599
31.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2325
32.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	223	300
		जोड़	65569

विवरण-II

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए अनुपभुक्त धनराशि के राज्यवार ब्यौरे

(धनराशि करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुरक्षण और मरम्मत		
		2001-02 अनुपभुक्त धनराशि	2002-03 अनुपभुक्त धनराशि	2003-04 अनुपभुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.84	2.75	2.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.09	0.15
3.	असम	2.10	2.32	0.90
4.	बिहार	7.03	8.27	0.00
5.	चंडीगढ़	0.37	0.58	0.00
6.	छत्तीसगढ़	0.00	0.83	0.00
7.	दिल्ली	1.02	0.12	0.42
8.	गोवा	7.00	0.11	0.02
9.	गुजरात	4.12	0.10	1.59
10.	हरियाणा	2.05	1.53	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	0.74	1.69	2.68
12.	जम्मू-कश्मीर	0.75	0.09	0.08
13.	झारखंड	2.55	1.59	1.80
14.	कर्नाटक	0.00	0.70.	0.00

1	2	3	4	5
15.	केरल	0.00	0.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	13.20	8.67	0.00
17.	महाराष्ट्र	0.00	0.21	1.14
18.	मणिपुर	1.81	0.61	0.00
19.	मेघालय	0.98	3.62	0.21
20.	मिजोरम	1.51	0.36	0.01
21.	नागालैंड	2.28	0.04	0.01
22.	उड़ीसा	1.21	3.67	1.98
23.	पांडिचेरी	0.04	0.21	0.00
24.	पंजाब	8.11	8.21	1.29
25.	राजस्थान	6.54	4.14	2.12
26.	तमिलनाडु	10.18	3.62	10.25
27.	उत्तर प्रदेश	12.73	10.44	0.49
28.	उत्तरांचल	2.95	1.50	1.04
29.	पश्चिम बंगाल	2.11	0.85	0.00
	जोड़	94.22	68.92	28.21

[अनुवाद]

रेबीज प्रतिरोधी टीका

***216. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे स्थित एक संस्थान द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से देश में विकसित और उत्पादित रेबीज प्रतिरोधी एक नया टीका शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस टीके का मानव पर और अन्यथा किये गए परीक्षणों के आधार पर निकले परिणाम के प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी उत्पादन लागत कितनी है और इसका अनुमोदित बिक्री मूल्य कितना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) गुणवत्ता, निरापदता और प्रभावकारिता के संतोषजनक मूल्यांकन के आधार पर भारत के औषध महानियंत्रक ने पिटमेन मूरे स्ट्रेन (लिक्विड और प्रशीतित शुष्क दोनों रूपों में) का इस्तेमाल करते हुए मानव डिप्लायड सेल लाइन्स पर आधारित अलर्क-रोधी (एंटी-रेबीज) वैक्सीन को अनुमोदित किया है जिसका उत्पादन देश में विपणन हेतु मैसर्स भारतीय सीरम संस्थान, पूणे द्वारा स्वदेशी रूप से किया जाएगा। इस वैक्सीन के साथ किए गए क्लिनिकल परीक्षण को रेबीज प्रतिपिंडों के 0.5 आई.यू./एम.एल. से अधिक के सीरा संरक्षी स्तर का पाया गया है। इस वैक्सीन को देश में इसका विपणन करने से पहले वैक्सीनों को जारी करने के एक पूर्वापेक्षित मानदंड के रूप में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली स्थित राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा मानक किस्म का पाए जाने की सूचना मिली थी।

भारतीय सीरम संस्थान लिमिटेड, पूणे इस वैक्सीन का विपणन "रेबीवेक्स" ब्रांड नाम के अंतर्गत कर रहा है। जबकि उत्पादन की अनुमानित लागत उपलब्ध नहीं है, रेबीवेक्स का वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य 293/-रुपये (लागू करों को छोड़कर) प्रति शीशी है।

[हिन्दी]

रबरीकृत सड़कों का निर्माण

***217. श्री रामदास आठवले:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबीरकृत सड़कों के निर्माण के संबंध में प्रयोग किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और आज की तारीख तक इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजधानी में रबरीकृत सड़कों के निर्माण का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजधानी में ऐसी सड़कों का निर्माण कब तक शुरू होगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालु): (क) से (ग) मंत्रालय ने सड़कों के निष्पादन में सुधार के लिए रबड़ और पॉलीमर शोधित बिटुमन के प्रयोग की जांच के लिए 7,46 लाख रु. की अनुसंधान स्कीम आर-54 के अंतर्गत एक अध्ययन किया था। यह अध्ययन सन् 2000 में पूरा किया गया था।

(घ) और (ङ) राजधानी में कुल 18.5 कि.मी. लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 और 2 पर सुधार परियोजनाओं के सतह निर्माण कार्य के लिए पॉलीमार/रबड़ शोधित बिटुमन के उपयोग के लिए अनुमोदन दे दिया गया है।

[अनुवाद]

अप्रवासी भारतीयों से विवाह करने वाली लड़कियों की सुरक्षा

*218. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने अप्रवासी भारतीयों से विवाह करने वाली भारतीय लड़कियों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को एक प्रारूप अभिसमय प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन सिफारिशों से अप्रवासी भारतीयों से विवाह करने वाली लड़कियों को कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, हां।

(ख) अप्रवासी भारतीयों की विवाह समस्याओं संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार की गई। आयोग की मुख्य सिफारिशें हैं विवाह का अनिवार्य पंजीकरण जिसमें अप्रवासी वर भारत और अधिक आबादी वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों वाले देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते, सरकार की निगरानी में वैवाहिक झगड़ों के निपटारे के लिए सुलह प्रक्रिया, मध्यस्थता/सुलह केन्द्र, तलाक के मामले में कानून के अंतर्गत सम्पति के उचित बंटवारे, अपराध कानून के अंतर्गत अप्रवासी भारतीय वरों द्वारा वैवाहिक स्थिति को छुपाने का उपचार करने, विदेश विवाह अधिनियम 1969 का संशोधन और अप्रवासी भारतीय पति द्वारा कष्ट पहुंचाई हुई पत्नियों के लिए दूतावास/कौंसुलावास जाने की सुविधा शामिल हैं।

(ग) और (घ) इस मामले पर मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से जांच किया जा रहा है।

(ङ) 8 जनवरी, 2005 को मुम्बई में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में अप्रवासी भारतीयों की विवाह संबंधी समस्या से निपटने के लिए एक अलग कानून/अभिसयम पर बल देने के साथ निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर एक अलग सत्र आयोजित किया जाएगा।

सी-डॉट उत्पाद

*219. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में कितनी कीमत के सैन्टर फार डवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का विनिर्माण किया गया;

(ख) क्या कुछ विनिर्माण इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सी-डॉट को उन्नत न बनाए जाने से एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केन्द्र रूपी उसकी भूमिका प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी स्थिति बरकरार रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में आपूरित सी-डॉट प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों का कुल मूल्य निम्नवत है :

2001-2002	901 करोड़ रु.
2002-2003	245 करोड़ रु.
2003-2004	147 करोड़ रु.

(ख) और (ग) जी, हां। कुछ ऐसी विनिर्माणकारी इकाइयां जो केवल स्थिर लाइन स्विचन प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का ही विनिर्माण करती हैं, वे ऑर्डरों की कमी के दौर से गुजर रही हैं क्योंकि भारत और पूरे विश्व भर में नेटवर्क प्रचालक स्थिर लाइन प्रौद्योगिकियों का उपयोग छोड़ कर मोबाइल नेटवर्कों को अपना रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

सी-डॉट अपनी प्रौद्योगिकियों का उन्नयन नियमित रूप से करता रहा है। एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केन्द्र के रूप में सी-डॉट की भूमिका प्रभावित नहीं होगी क्योंकि यह बदलते दूरसंचार परिदृश्य में अपेक्षित समसामयिक प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने हेतु अपने क्रियाकलापों को पुन: केंद्रित करके स्वयं को सशक्त बना रहा है। अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए सी-डॉट द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. निम्नलिखित सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां विकसित करना:
   - (i) सॉफ्टवेयर इंटेन्सिव सोल्यूशंस जैसी नेटवर्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन सपोर्ट प्रणालियां।
   - (ii) इंटेलिजेंट नेटवर्क प्रणाली।
   - (iii) आई.पी. आधारित अगली पीढ़ी की प्रणालियां।
   - (iv) ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए ब्रॉडबैंड वेतार प्रणालियां।
   - (v) हाई स्पीड बैकबोन के लिए ऑप्टिकल फाइबर प्रणालियां।

(vi) महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपेक्षित प्रणालियां।

2. इसे एक बाजारोन्मुख मैट्रिक्स संगठन बनाने के लिए इसका आंतरिक पुनर्गठन करना तथा प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों की पेशकश करने के लिए संवर्धित गुणवत्ता प्रक्रियाओं एवं साधनों की शुरूआत करना ताकि खुली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जा सके।

3. पारस्परिक सामर्थ्य को संपुष्ट करने के लिए अन्य संगठनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करना।

[हिन्दी]

चीन के साथ समझौता

*220. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जैसा कि दिनांक 18 नवम्बर, 2004 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हमारा देश चीन की किन-किन क्षेत्रों में सहायता करेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चीन ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की सहायता करने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, नहीं। 14-18 नवंबर, 2004 के दौरान चाइनीज स्टेट काउंसिलर के हाल के भारत दौरे के समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) चाइनीज स्टेट काउंसिलर एवं माननीय राज्य मंत्री (विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास विभाग) के बीच हुई बैठक के दौरान, भारतीय चिकित्सा पद्धति, गैर-परम्परागत ऊर्जा आदि सहित आपदा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, भेषज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक संयुक्त संचालन समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया।

(घ) और (ङ) दौरे के दौरान, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को सहयोग करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

पुन: रेल लाइन बिछाना

2274. **श्री रघुनाथ झा:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा दक्षिण रेल के चल रहे आमान परिवर्तन कार्य के समय मीटर गेज रेलवे साइडिंग के अनुचित रूप से पुन: बिछाने के कारण कंपनी को 3.17 करोड़ रुपये का आर्थिक घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कंपनी को हुए आर्थिक घाटे की वसूली करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं। तापीय विद्युत गृह-I विस्तार कार्यक्रम को अगस्त, 2000 (यूनिट-I) तथा फरवरी, 2001 (यूनिट-II) तक पूरा किया जाना था, उसके लिए एन.एल.सी. द्वारा अधिप्राप्त की गई भूमि मुहैया कराने के लिए मौजूदा रेलवे लाइन को पुन: बिछाना अनिवार्य था। उस समय तक दक्षिण रेलवे ने कुड्डालोर-वृधाचलम् लाइन को ब्रोड गेज में परिवर्तित करने का प्रस्ताव नहीं किया था। यदि एन.एल.सी. ने दक्षिण रेलवे के गेज परिवर्तन कार्यक्रम का इंतजार किया होता, जो दिसम्बर, 2003 में पूरा हो गया था, तो टी.पी.एस.-I विस्तार कार्यक्रम तथा लागत आधिक्य के कार्यान्वियन में विलम्ब हो जाता। इसलिए रेलवे साइडिंग को भिन्न स्थान की ओर पुन: प्रशस्त करना आवश्यक था।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

संगठन की लेखा परीक्षा

2275. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठन (निगमों अथवा समितियों) की लेखा-परीक्षा का कार्य, धनराशि के महत्व के लिए अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत जनहित में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा जाता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहकारी समिति (केन्द्रीय भंडार) की लेखा परीक्षा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को न सौंपने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार को असरकारी विभागों को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की स्टेशनरी और अन्य मदों की आपूर्ति करने का कार्य सौंपा गया है जहां लोक निधियां संलिप्त हैं और उनकी खरीद में खर्च धनराशि का मूल्य न मिलने की बार-बार शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भंडार की लेखा परीक्षा का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार, बहु राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी है और इसकी सांविधिक लेखा परीक्षा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 20(1) के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय भंडार की लेखा परीक्षा के कार्य को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपने की कोई बाध्यकारी परिस्थितियां नहीं रही हैं।

(ग) अधिक धनराशि वसूलने के संबंध में यदि शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच-पड़ताल की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना का अधिकार

2276. **श्री बालेश्वर यादव:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार संबंधी कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने में विलंब के संबंध में सरकार को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कानून को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का अपनी स्थिति को कब तक स्पष्ट करने का विचार है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "सूचना प्राप्त करने का अधिकार" संबंधी विधान को अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील, सहभागितापूर्ण और सार्थक बनाने की दृष्टि से सरकार, "सूचना का स्वातंत्र्य/सूचना का अधिकार अधिनियम" को और अधिक व्यापक बनाने के काम में जुटी है।

[अनुवाद]

नेशनल फार्माको विजिलेंस कमेटी

2277. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फार्माको विजिलेंस कमेटी गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) इस कमेटी के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) क्या इस कमेटी ने हाल ही में किसी मुद्दे पर कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कमेटी ने की रिपोर्टों, सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) इस समिति में अध्यक्ष के अलावा निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1.	अध्यक्ष	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
2.	सदस्य-सचिव	औषध महानियंत्रक (भारत)
3.	सदस्य	1. डा. एन.के. गांगुली महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
		2. श्री राजेश भूषण प्रभारी निदेशक (औषध प्रभाग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
		3. अध्यक्ष भेषज विज्ञान विभाग 'एम्स' नई दिल्ली-29
		4. डा. नीलिमा क्षीर सागर डीन, एम.एस. बिल्डिंग, पहला तल, सेठ जी.एस. मेडिकल कालेज एवं के.ई.एम. अस्पताल, पारेल, मुम्बई-400012
		5. प्रोफेसर रंजीत राय चौधरी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं औषधों के उपयोगी प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी दिल्ली सोसाइटी के अध्यक्ष भारतीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान, अरुणा आसिफ अली मार्ग, नई दिल्ली-11006;

6. डा. सी. आदिथान
प्रोफेसर, भेषज विज्ञान विभाग,
जिपमेर, पांडिचेरी-605006

7. डा. टी.डी. डोगरा
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
आंगुल विज्ञान चिकित्सा एवं विषविज्ञान,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

8. प्रोफेसर अनूप मिश्रा
प्रोफेसर, औषध विभाग
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
पोस्टर बाक्स नं. 4938
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

9. डा. ए.के. अग्रवाल
परमार्शदाता, औषध
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल,
नई दिल्ली

10. प्रोफेसर एस.डी. सेठ
अध्यक्ष, क्लीनिकल भेषज विज्ञान भारतीय
आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अंसारी
नगर, नई दिल्ली-110029

11. श्री बृजेश रीगल
एपोथेकेयरीज लिमिटेड
579, देवली, पूर्वी सैनिक फार्म
नई दिल्ली-110062

12. प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता
निदेशक,
औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र,
पोस्ट बॉक्स नं. 80,
एम.जी. मार्ग, लखनऊ-226001

13. डा. एम.डी. गुप्ते
निदेशक
राष्ट्रीय जानपदिक रोग विज्ञान संस्थान,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
पोस्ट बॉक्स नं. 2577, मेयर,
वीर आर रामनाथन रोड, चेरपेट
चेन्नई-600031

14. डा. कुसुम वर्मा
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
रोग विज्ञान विभाग
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

15. डा. प्रमिल तिवारी
सम्बद्ध प्रोफेसर एवं प्रभारी फार्मेसी
प्रैक्टिस राष्ट्रीय फार्मास्युटीकल शिक्षा एवं
अनुसंधान संस्थान, सेक्टर-67,
एस.ए.एस. नगर, रोपड़, पंजाब-160062

16. डा. उर्मिला थाटे
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
क्लीनिकल भेषज विज्ञान
बी.एल. नायर अस्पताल एवं मेडिकल
कालेज,
मुम्बई सेंट्रल-480008

(ग) राष्ट्रीय भेषज संहिता निगरानी समिति का अधिदेश भारतीय भेषज संहिता निगरानी कार्यक्रम को सहायता देना है जिसके विशिष्ट लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

1. औषधों के विनियामक मूल्यांकन के लाभ, हानि, प्रभावकारिता एवं जोखिम, उनके सुरक्षित, उपयोगी और अधिक प्रभावी (सस्ती औषधियों सहित) प्रयोग में सहायता देना।

2. औषधों के प्रयोग तथा सभी चिकित्सा एवं पराचिकित्सीय कार्यकलापों के संबंध में रोगी परिचर्या एवं सुरक्षा में सुधार करना।

3. औषध के प्रयोग के संबंध में जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सुधार करना।

4. भेषज संहिता निगरानी में समझ (जानकारी), शिक्षा और क्लीनिकीय प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और जनता में इसका प्रभावी सम्प्रेषण करना।

(घ) और (ङ) जी, हां। दिनांक 11/10/2004 को समिति की बैठक हुई थी। समिति ने मैसर्स मर्क, यू.एस.ए. द्वारा रोफिकोस्ब औषध को विश्व भर से वापिस लेने के मामले का अध्ययन किया और इस पर विचार-विमर्श किया तथा भारत से रोफिकोस्ब को वापिस लेने की सिफारिश की। इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना

2278. **श्री देविदास पिंगले:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों को कंक्रीट की सड़कों, जल निकायों, आवास, स्वच्छ पेय जल और स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर नासिक जिले के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दो कार्यक्रम संचालन में हैं, अर्थात्, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.) तथा पश्चिमी घाट विन्कास कार्यक्रम (डब्ल्यू.जी.डी.पी.)। एच.ए.डी.पी. के अंतर्गत, सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करती हुई एक योजना तैयार की जाती है, अत: नाजुक अंतरालों को भरने तथा किसी क्षेत्र में महसूस की जाने वाली जरूरतों को पूरा करने की स्कीमों को पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण पुनरुद्धार के समग्र विचार के साथ शुरू किया जा सकता है। डब्ल्यू. जी.डी.पी. के तहत जो महाराष्ट्र के घाटों को शामिल करके पश्चिमी घाटों के निर्दिष्ट तालुकों को कवर करता है, प्रमुख और जल संभर विकास, भागीदारी अभिगम, जैव-विविधता संरक्षण के नए स्कीम, नाजुक अंतरालों को भरने के लिए आय सृजन तथा अवसंरचना की स्कीमों पर है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, महाराष्ट्र के नासिक जिले को शामिल करते हुए पश्चिमी घाट के निर्दिष्ट तालुकों को डब्ल्यू. जी.डी.पी. के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित किया जाना जारी है। वर्ष 2004-05 में महाराष्ट्र के लिए डब्ल्यू.जी.डी.पी. के तहत आवंटन 21.06 करोड़ रुपये है।

आरक्षित कोटे को भरना

2279. श्री तूफानी सरोज: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि., महानगर टेलीफोन निगम लि., विदेश संचार निगम लि. और टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स (इंडिया) लि. में समूह क, ख, ग और घ के श्रेणी-वार कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से उपक्रम-वार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या इन उपक्रमों में इन श्रेणियों के आरक्षित कोटे को भर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कोटा कब तक भरे जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली

2280. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी प्रकार की दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न कंपनियों से राय मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में टिप्पणियां कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) भाग 'क' का उत्तर ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न स्टेक होल्डरों की टिप्पणियां 31 अगस्त, 2004 तक आमंत्रित की गई थीं।

(ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था पर अंतिम सिफारिशें शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत कर दी जाएंगी।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

2281. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औषधीय और सुगंधित पादपों की कृषि, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड, अर्थात् उसके सदस्यों की संख्या, उनके कार्यों और उत्तरदायित्वों, कार्यकाल आदि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 24 नवंबर, 2000 को अधिसूचित संकल्प

के द्वारा सरकार ने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड को स्थापित करने का उद्देश्य एक ऐसे अभिकरण को अस्तित्व में लाना था जो संरक्षण हेतु नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने, सम्यक् पैदावार, लागत प्रभावी कृषि, अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण व इस क्षेत्रक को संरक्षित, संपोषित और विकसित करने के लिए कच्ची सामग्रियों के विपणन सहित औषधीय पादपों से संबंधित सभी मामलों के समन्वय हेतु उत्तरदायी होगा।

(ख) बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा उपाध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा किया जाता है। औषधीय पादपों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले संगठनों/राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को भी दो वर्षों की अवधि के लिए बोर्ड में नामित किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (सदस्य सचिव) सहित इसके 28 सदस्य होते हैं। ये बोर्ड के क्रियाकलापों हेतु मार्गदर्शन देते हैं।

बी.एस.एन.एल. द्वारा उठाया गया घाटा

2282. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर, 2000 में अपने गठन के बाद से गांवों/दूरवर्ती क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने में बी.एस.एन.एल. को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) बी.एस.एन.एल. के गठन के समय से, गांवों/दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने में बी.एस.एन.एल. द्वारा उठाए गए प्रचालन घाटे का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष 2000-01 के लिए (6 माह)	–	2587.71 करोड़ रु. (अनुमानित);
2001-02	–	6913.16 करोड़ रु.;
2002-03	–	7960.80 करोड़ रु.;
2003-04	–	9528.88 करोड़ रु.; (लेखा-परीक्षारहित)

(ख) सरकार द्वारा बी.एस.एन.एल. को सहायता के तौर पर दी गई राशि निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रु. में)

	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
(i)	लाइसेंस शुल्क प्रतिपूर्ति	2300.00	2300.00	2300.00	6900.00
(ii)	बी.एस.एन.एल. के जारी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन्स (वी.पी.टी.) कार्यक्रम हेतु, बजटीय सहायता के रूप में ऋण की मंजूरी	720.00	0	0	720.00
कुल प्राप्त सहायता		3020.00	2300.00	2300.00	7620.00

इसके अलावा, वर्ष 2002-03 और 2003-04 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.) से बी.एस.एन.एल. को क्रमश: 297.23 करोड़ रु. और 222.77 करोड़ रु. की राशि दी गई है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में यथा उल्लिखित सीमा तक लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति और ऋण अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा की गई बजटीय व्यवस्था के अनुसार है।

इनवर्टिड ड्यूटी स्ट्रक्चर को समाप्त करना

2283. **श्री ए.के. मूर्ति:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटर हार्डवेयर विनिर्माताओं ने इनवर्टिड ड्यूटी स्ट्रक्चर समाप्त करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस ड्यूटी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माता संघ ने अपनी बजट 2005-06 पूर्व सिफारिशों में इस बात का सुनिश्चय करने का अनुरोध किया है कि कुछ सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के मामले में प्रतिलोमित प्रशुल्क ढांचा न हो।

(ख) इस अभ्यावेदन की जांच वित्त मंत्रालय द्वारा बजट 2005-06 के प्रस्तावों के एक भाग के रूप में की जाएगी।

औषधीय पादप बोर्ड का गठन

2284. **श्री डी. नरबुला:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के पूर्वी क्षेत्र में औषधीय पादपों की हजारों किस्में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्वी क्षेत्र में अलग औषधीय पादप बोर्ड गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बोर्ड को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्य में राज्य स्तर के औषधीय पादप बोर्डों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तांबा परियोजना, खेतड़ी का पुनरुद्धार

2285. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तांबा परियोजना, खेतड़ी (राजस्थान) को लाभ कमाने वाली परियोजना बनाने तथा इसे घाटे से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गती तीन वर्षों के दौरान कितने कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई; और

(ग) वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत कितने कार्मिक/कामगार कार्यरत हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) खेतड़ी कॉपर कम्पलेक्स (के.सी. सी.), में दो भूमिगत खानें नामत: कोलिहान खान और खेतड़ी खान एक सज्जीकरण संयंत्र तथा 31,000 टन प्रतिवर्ष परिष्कृत तांबे का उत्पादन करने वाला एक प्रगालक है। यह इकाई मुख्यतया भूमिगत खान की कम उत्पादकता, सान्द्र में तांबे की कम मात्रा, तांबे के कम एल.एम.ई. मूल्य आदि की वजह से घाटे में जा रही थी, जिसने समग्र रूप से भूमिगत खानों की व्यवहार्यता को प्रभावित किया। तथापि, तांबे की उच्चतर एल.एम.ई. कीमत और बेहतर निष्पादन से, के.सी. सी. ने 7 वर्षों से अधिक समय के बाद वर्ष, 2004 में पहली बार धनात्मक सकल मार्जिन प्राप्त किया है। कम्पनी ने पुराने संयंत्र और मशीनरी के प्रतिस्थापन और नवीकरण हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता से प्रगालक की ओवर हालिंग और रिपेयर और खनन और सज्जीकरण संयंत्र के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपस्कर की प्राप्ति के जरिए इकाई की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं। के.सी.सी. की जन-शक्ति को भी नियोजित तरीके से रेशनेलाइज्ड किया गया है।

(ख) के.सी.सी. से वर्ष 2001-2002 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आधार पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 2240 कर्मचारियों को पृथक् किया गया है।

वर्ष	खेतड़ी कॉपर परियोजना में		
	अधिकारी	कामगार	कुल
2001-2002	128	802	930
2002-2003	75	746	821
2003-2004	25	437	462
2004-2005 (नवम्बर, 2004 तक)	6	21	27

(ग) 30.11.2004 की स्थिति के अनुसार खेतड़ी कॉपर कम्पलेक्स की नामावली में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 3105 कर्मचारी हैं:

अधिकारी	–	317
कामगार	–	2788
कुल	–	3105

रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की वित्तीय सहायता

2286. **श्री पारसनाथ यादव:**
श्री हरिसिंह यादवा:
श्री चंद्रशेखर साहू:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री काशीराम राणा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसदीय एवं जनरल पूल रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, वसंत विहार, नई दिल्ली सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को वार्षिक वित्तीय सहायता अनुदान प्रदान कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी वसंत विहार इस रेजीडेंट्स वेलफेयर ऐसोसिएशन के कल्याण क्रियाकलापों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए प्राधिकृत है जो कि अपने संसाधनों से निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़े प्रयास कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उस क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है जिसने उक्त क्षेत्र के निवासियों को गुमराह करने वाला पत्र परिचालित किया जिसके कारण उक्त क्षेत्र के विकास कार्यों में बड़ी बाधा आई?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ऐसे रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों को अनुदान दिया जाता है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। इस समय वसंत विहार की संसदीय एवं जनरल पूल रेजीडेंट्स वेलफेयर ऐसोसिएशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है अत: उसे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

(घ) से (च) क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी, वसंत विहार को बदल दिया गया है।

[अनुवाद]

ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर

2287. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम (श्रीनगर से गुवाहाटी) में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 चरण-I पर ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर के लिए ठेकों/भूमि अधिग्रहण आदि को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस खंड को पूरा करने के लिए लक्षित तारीख क्या है; और

(ग) इस कार्य में आज तक कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) संभवत: माननीय संसद सदस्य असम में रा रा 37 पर पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर निर्माण कार्यों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। रा रा 37 के गुवाहाटी-नागौन खंड (कुल लंबाई 132 कि.मी.) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम महामार्ग के तौर पर 4 लेन की सुविधा में विकसित किया जा रहा है जिसमें से 18 कि.मी. लंबा गुवाहाटी बाइपास पहले ही पूरा कर लिया गया है। शेष खंड में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। शेष लंबाई में जून, 2005 तक निर्माण कार्य सौंप दिए जाने की संभावना है। इस कार्य को दिसंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

मेडिकल सीटों में वृद्धि

2288. श्री तथागत सत्पथी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार की ओर से मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सीटें कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि की अनुमति दे रही है। इन उपबंधों के अंतर्गत उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें उन्होंने कटक, बुरला और ब्रह्मपुर में स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों में वृद्धि के लिए अनुमति मांगी है।

भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर वर्ष 2003-04 में एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 150 सीटें करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, यह महाविद्यालय वर्ष 2004-05 के दौरान दूसरे बैच के दाखिले की अनुमति के नवीकरण के वास्ते अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं कर सका। अत: वर्ष 2004-05 के लिए अनुमति का नवीकरण नहीं किया जा सका। भारतीय चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार बुरला और ब्रह्मपुर में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों में वृद्धि के प्रस्तावों को भी नामंजूर कर दिया गया क्योंकि इन महाविद्यालयों में प्रस्तावित वृद्धि के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

लाइसेंस शुल्क संग्रहण

2289. श्री रघुनाथ सिंह शाक्य: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न आपरेटरों द्वारा भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क से कुल कितना वार्षिक संग्रहण किया गया;

(ख) इस निधि के व्यय का संचालन और मार्गदर्शन कौन से सिद्धांत करते हैं; और

(ग) ग्रामीण टेलीफोन के विकास की दिशा में इस धनराशि का कितना प्रतिशत खर्च किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान, दूरसंचार प्रचालकों से लाइसेंस शुल्क के रूप में 5228 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई।

(ख) वसूल की गई इस राशि को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है, जिससे संसद द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए यथा-अनुमोदित निधियां रिलीज की जाती हैं। मुख्यत: ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) निधि को सरकार से भी वार्षिक अनुदान मिलता है। यू.एस.ओ. निधि से निधियों को भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2004 के अनुसार रिलीज किया जाता है। सरकार, भारत संचार निगम लिमिटेड को ग्रामीण टेलीफोनी के क्षेत्र में हुई हानि की पूर्ति करने हेतु उसके द्वारा अदा किए गए लाइसेंस शुल्क के कुछ भाग की प्रतिपूर्ति करती रही है।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान, सरकार ने लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूल की गई 5228 रु. की राशि में से 2500 करोड़ रु. (अर्थात् 47%) ग्रामीण टेलीफोनी के विकास में व्यय किया।

[हिन्दी]

संचारी रोगों का उन्मूलन

2290. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संचारी रोगों से पीड़ित रोगियों की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रभावी अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999 से 2003 के दौरान देश में प्रमुख संचारी रोगों के रोगियों और उनसे हुई मौतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

भारत सरकार ने इन रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन तथा इनसे होने वाली मृत्यु और रुग्णता में कमी लाने के लिए कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य संवर्धन, विशिष्ट सुरक्षा, आरम्भ में ही निदान और त्वरित उपचार के लिए कदम उठाए जाते हैं। इस दिशा में टीकाकरण, वैयक्तिक स्वच्छता एवं पर्यावरणिक स्थितियां, सामान्य जागरूकता प्रसार के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं।

सरकार ने शुरू में ही संचारी रोगों के प्रसार को रोकने और समय पर उन्हें नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से एकीकृत रोग निगरानी परियोजना भी आरंभ की है।

विवरण

भारत में 1999, 2000, 2001, 2002 और 2003 के दौरान प्रमुख संचारी रोगों के सूचित रोगी और मौतें

क्र.सं.	रोगों के नाम	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंत्र ज्वर	379304	382	471502	390	490195	606	374660	1497	532726	815
2.	खसरा	51001	261	38835	115	51780	85	34329	138	47147	115
3.	विषाणु यकृत शोथ	131798	1322	153034	1038	149262	1147	98273	736	142601	998
4.	तीव्र श्वसनी संक्रमण	16730509	3686	19657605	3278	20555848	3453	18342226	3166	23365785	4197
5.	पोलियो	899	11	3655	6	1368	7	269	12	368	3
6.	डिप्थीरिया	4216	85	5125	101	5472	89	4496	118	4236	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	मैनिन्गोकोकल मैनिनजाइटिस	7444	868	7857	991	9555	969	8387	817	7829	622
8.	न्यूमोनिया	417977	3027	519921	3604	546780	6190	483807	3698	638206	4083
9.	रेबीज	6610	483	7248	473	एन.ए.	490	एन.ए.	437	3386	377
10.	टेटनस नवजात शिशु	2792	385	3287	355	1718	331	1188	239	1720	162
11.	टेटनस अन्य	6729	1014	8997	892	5764	755	11426	634	4020	534
12.	कुक्कुर खांसी	32939	22	32431	14	34703	25	25881	33	33954	31
13.	गोनोकोकल संक्रमण	95278	11	116686	49	121207	109	104672	58	144082	58
14.	सिफलिस	31684	7	35390	19	32756	9	23420	2	44852	11
15.	तीव्र अतिसार रोग	8215296	3594	8586735	2853	9289558	2787	7703029	2670	10173321	4652
16.	क्षय रोग	736064	6656	834084	7509	842947	8302	628687	7097	712259	8189
17.	हैजा	3839	6	3879	18	4178	6	3455	10	2893	2

स्रोत : केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नोट : आंकड़े अनन्तिम

[अनुवाद]

आवर्ती जमा योजनाएं

2291. श्री मिलिन्द देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघरों द्वारा अपने नियुक्त एजेंटों के माध्यम से आवर्ती जमा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एजेंटों को जमाओं पर कमीशन मिलता है जबकि डाकघरों को केवल जमाओं को सीधे डाकघरों में जमा कराने से लाभ मिलता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पासबुक एजेंटों के द्वारा रखी जाती हैं और किश्तों का भुगतान उन्हें जमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो निवेशकों को अपनी धनराशि सीधे डाकघरों में जमा कराने की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) "महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना" (एम.पी.के.बी.वाई.) तथा "पे रोल सेसिंग्स ग्रुप लीडर्स" (पी.आर.एस.जी.एल.) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंट के माध्यम से आवर्ती जमा खातों में राशि जमा की जा सकती है। ये एजेंट डाकघरों के लिए प्रचार करने तथा लघु बचत वाले ग्राहकों से निवेश प्राप्त करते हैं तथा गृहणियों को मुख्य रूप से बचत की आदत डालने की जानकारी देते हैं।

(ग) और (घ) एम.पी.के.बी.वाई. और पी.आर.एस.जी.एल. एजेंट जमा राशियों के क्रमश: 4% और 2.5% के हिसाब से कमीशन प्राप्त करते हैं। डाक विभाग को एजेंसी के रूप में आवर्ती जमा संबंधी लेन-देन चलाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर पारितोषित प्रदान किया जाता है।

(ङ) जी, हां। महिला एजेंटों को संलग्न विवरण में दिए गए फार्म ए.एस.एल.ए.ए.एस.-5 के क्रम संख्या वाले कार्डों का प्रयोग करना होता है। जमाकर्ता कार्ड में निहित रसीद देकर एजेंट जमाकर्ता से पास बुक और धन प्राप्त करेगा, जमाकर्ता से प्राप्ति की तिथि के पांच से दस दिनों के अंदर डाकघर में राशि जमा करेगा और डाकघर से पास बुक वापस मिलने के दस दिनों के अंदर इसे जमाकर्ता को वापस कर देगा।

(च) निवेशक डाकघर काउंटर पर उपलब्ध एस.बी.-103 (ए) आवेदन फार्म भरकर डाकघरों में आवर्ती जमा (आर.डी.) स्कीमों में अपनी राशि सीधे जमा करा सकते हैं।

विवरण

(कृपया खण्ड I का पैरा 11 देखें)

जमाकर्ता का कार्ड

(इस कार्ड को खातेदार अपने पास रखें)

फोइल नं. 1 फार्म नं. ए.एस.एल.ए.ए.एस.-5

राष्ट्रीय बचत संस्थान, भारत सरकार

महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना

अभिकर्ता का नाम.....

अधिकार पत्र सं. .....तारीख.....तारीख तक वैध.....

खातेदार का नाम.....

पता.....

.....

आवर्ती जमा खाता संख्या.....रु. के लिए.....

खाता खोलने की तारीख.....के.....पीओ

खातेदार को सूचना

1. खातेदार अपना कार्ड सावधानी से रखे।
2. पास बुक प्राप्त होने पर जांच करें कि सही रकम खाते में जमा की है।
3. अगर अभिकर्ता से पास बुक 10 दिनों में प्राप्त न हो तो आप अपने जिले के जिला बचत अधिकारी या अपने क्षेत्रा के क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत को लिखें।

जिला बचत अधिकारी के

पदनाम मुहर के साथ हस्ताक्षर (भारत सरकार)

अभिकर्ता को रकम देने की तारीख	रकम	अभिकर्ता के हस्ताक्षर	पास बुक वापसी की तारीख
1	2	3	4

(कृपया खण्ड I का पैरा 11 देखें)

जमाकर्ता का कार्ड

(इस कार्ड को अभिकर्ता अपने पास रखें)

फोइल नं. 2 फार्म नं. ए.एस.एल.ए.ए.एस.-5

राष्ट्रीय बचत संस्थान, भारत सरकार

महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना

अभिकर्ता का नाम.....

अधिकार पत्र सं. .....तारीख.....तारीख तक वैध.....

खातेदार का नाम.....

पता.....

.....

आवर्ती जमा खाता संख्या.....रु. के लिए.....

खाता खोलने की तारीख.....के.....पीओ

अभिकर्ता को सूचना

1. अभिकर्ता को म.प्र.क्षे.ब. योजना के सभी नियमों और विनियमों का तथा आर.डी. स्कीम का अच्छी तरह ज्ञान होना आवश्यक है।
2. अभिकर्ता एक समय में 10000 से अधिक की नकद राशि का व्यवहार न करें।
3. खातेदार के पैसे तुरंत डाकघर में भरने चाहिए।
4. अगर पास बुक दस-दस दिन के अंदर जमाकर्ता को वापस देकर, तारीख के साथ उनका हस्ताक्षर नहीं प्राप्त कर लिया तो ऐसी स्थिति में आपके कमीशन के दावे का भुगतान रोक दिया जाएगा।
5. ए.एस.एल.ए.ए.एस.-5 कार्ड की एजेंटों की प्रति जिला बचत अधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।
6. भारत सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति के आदेशों तथा निदेशों का उचित पालन अभिकर्ता द्वारा होना आवश्यक है।
7. उपरोक्त दर्शाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर एजेंसी रद्द की जाएगी।

जमाकर्ता से रकम और पास बुक प्राप्त करने की तारीख	डाकघर में जमा करने की तारीख	जमाकर्ता को पास बुक देने की तारीख	जमाकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4

1	2	3	4

(कृपया खण्ड I का पैरा 11 देखें)

जमाकर्ता का कार्ड

(इस कार्ड को अलग करें और जिला बचत अधिकारी को लौटा दें)

फोइल नं. 3 कार्ड क्रम सं. फार्म नं. ए.एस.एल.ए.ए.एस.-5

राष्ट्रीय बचत संस्थान, भारत सरकार
महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना

अभिकर्ता का नाम.....

अधिकार पत्र सं. .....तारीख.....तारीख तक वैध.....

खातेदार का नाम.....

पता.....

.....

आवर्ती जमा खाता संख्या.....रु. के लिए.....

खाता खोलने की तारीख.....के.....पीओ

खातेदार को सूचना

1. खातेदार अपना कार्ड सावधानी से रखे।
2. पास बुक प्राप्त होने पर जांच करें कि सही रकम खातो में जमा की है।
3. अगर एजेंट से पास बुक 10 दिनों में प्राप्त न हो तो आप अपने जिले के जिला बचत अधिकारी या अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत को लिखें।

अभिकर्ता को सूचना

1. अभिकर्ता को म.प्र.क्षे.ब. योजना के सभी नियमों और विनियमों का तथा आर.डी. स्कीम का अच्छी तरह ज्ञान होना आवश्यक है।
2. अभिकर्ता एक समय में 10000 से अधिक की नकद राशि का व्यवहार न करें।
3. खातेदार के पैसे तुरंत डाकघर में भरने चाहिए।
4. अगर पास बुक दस-दस दिन के अंदर जमकर्ता को वापस देकर, तारीख के साथ उनका हस्ताक्षर नहीं प्राप्त कर लिया तो ऐसी स्थिति में आपके कमीशन के दावे का भुगतान रोक दिया जाएगा।
5. ए.एस.एल.ए.ए.एस.-5 कार्ड की एजेंटों की प्रति जिला बचत अधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।
6. भारत सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति के आदेशों तथा निदेशों का उचित पालन अभिकर्ता द्वारा होना आवश्यक है।

7. उपरोक्त दर्शाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर एजेंसी रद्द की जाएगी।

मैं छपे हुए उपरोक्त नियमों के पालन के लिए अपनी सहमति देता हूं/देती हूं और यदि उनका अनुपालन मेरे द्वारा नहीं किया गया तो उसके लिए मैं स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूंगा/हूंगी।

जमकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख

अभिकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख

नाम और पता

नाम और पता

दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट

2292. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हृदय रोगों के लिए सुपर स्पेशलिटि अस्पताल दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए सी.जी.एच.एस. द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को हृदय रोगों में विशेषीकृत उपचार प्रदान करने के लिए इस अस्पताल को पैनल में सम्मिलित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की मान्यता के लिए वर्ष, 2000 में निविदाएं आमंत्रित की गई जिसके लिए दिल्ली हार्ट और लंग इंस्टीट्यूट ने आवेदन नहीं किया और अत: उक्त अस्पताल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता देने के लिए विचारा नहीं जा सका।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने मार्च-अप्रैल, 2004 के दौरान अपने अधीन निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देने के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की थीं जिसके लिए अन्य अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के साथ इसे अस्पताल ने भी आवेदन किया है। इन निविदाओं में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदक अस्तपालों/नैदानिक केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता देने के लिए गुणों के आधार पर पात्रता के वास्ते विचार किया जाएगा।

(च) चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता देने की प्रक्रिया लम्बी प्रक्रिया है जिसमें आवेदक अस्पतालों का निरीक्षण करना और इसके पश्चात् प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन इत्यादि शामिल होता है। इसलिए इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की नई सूची निकालने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

डाकघर खोलना

2293. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वेस्ट एन्कलेव, पीतमपुरा और विकासपुरी दिल्ली में डाकघर खोलने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वेस्ट एन्क्लेव पीतमपुरा में डाकघर खोलने का प्रस्ताव 31.10.1996 को मंजूर कर लिया गया था, लेकिन रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन तथा प्रॉपर्टी डीलरों से व्यक्तिगत संपर्क करने और विभाग द्वारा टैंडर जारी करने के बावजूद इस क्षेत्र में उचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण यह डाकघर खोला नहीं जा सका।

विकासपुरी में दो कर्मचारियों वाला एक डाकघर 1.9.1980 से पहले ही कार्य कर रहा है। डाक वितरण का कार्य तिलक नगर और जनकपुरी डाकघरों द्वारा किया जा रहा है। एक अन्य एकल कर्मचारी वाला उप-डाकघर मंजूर किया गया और 30.3.2000 से इसे खोल दिया गया। अस्थाई व्यवस्था के तहत वास्तविक रूप से इसे विकासपुरी डाकघर के भवन में एजी-I ब्लॉक विकासपुरी बतौर इस विचार से खोला गया कि इसे इसके उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जायेगा क्योंकि टैंडर जारी करके लगातार प्रयासों के बावजूद इस डाकघर के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया। तदुपरांत इस डाकघर की समीक्षा की गई और पाया गया कि यह भारी घाटे में चल रहा था और साथ ही अपने बने रहने के लिए दूरी के मानदंड को भी पूरा नहीं कर रहा था। अत: 1.6.2003 से इस डाकघर का विकासपुरी डाकघर के साथ विलयन कर दिया गया।

विवरण

वेस्ट एन्क्लेव ,पीतमपुरा में डाकघर खोलने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा

1. श्री जी.एस. भारद्वाज, विधायक, दिल्ली, दिनांक 5.12.95
2. श्री पी. आर. वाधवा, मुख्यमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, दिनांक 14.6.2000
3. वेस्ट एन्क्लेव पेंशनर्स एसोसिएशन, दिनांक 13.12.2001
4. श्री सोमनाथ चटर्जी, अध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति का सचिव, डाक के माध्यम से दिनांक 19.3.2002

विकासपुरी में डाकघर खोलने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा

1. कन्फेडरेशन ऑफ रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन, दिनांक 30.7.1997
2. महासचिव, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी, दिनांक 30.3.1998 और 2.2.99
3. श्री केशव राम, सी-39 विकासपुरी का प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से दिनांक 1.8.99
4. द हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 22.11.99 में "अर्जेंट नीड ऑफ पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी" शीर्षक के अंतर्गत
5. विकास पुरी वेलफेयर एसोसियेशन, दिनांक 5.6.2000

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार/सतर्कता संबंधी मामले

2294. **श्री सुरेश चन्देल:**
प्रो. चन्द्र कुमार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बड़े अफसरशाहों के विरुद्ध सतर्कता/भ्रष्टाचार के कितने मामले दायर किए गए;

(ख) कितने अफसरशाहों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं;

(ग) कितने अफसरशाहों को दंडित किया गया है; और

(घ) ऐसे मामलों में शीघ्र कार्यवाही के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एच.आई.वी./एड्स के हाई रिस्क ग्रुप

2295. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुनाथ झा:
श्री वीरचंद्र पासवान:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समलैंगिकों, ट्रक चालकों, आदिवासियों, पुलिस बलों, अर्द्ध सैनिक बलों इत्यादि की पहचान एच.आई.वी./एड्स के हाई रिस्क ग्रुप के रूप में की गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में पहचान किए गए हाई रिस्क ग्रुपों का वर्ग-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान इन ग्रुपों के एच.आई.वी. प्रभावित लोगों की मृत्यु का वर्ग-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक या संबंधित संगठनों द्वारा एच.आई.वी./एड्स के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान ऐसे अध्ययनों में शामिल भारतीय/विदेशी विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स से वर्ग-वार और राज्य-वार कितने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारत में एच.आई.वी. महामारी की गतिकी के आधार पर जनसंख्या को 3 उप-वर्गों अर्थात् कोर ग्रुप, ब्रिज पापुलेशन और आम आबादी में बांटा गया है। कोर ग्रुपों में देह व्यापार करने वाले लोग (सी.एस.डब्ल्यू.), पुरुष जो पुरुषों से यौन संपर्क करते हैं (एम.एस.एम.) और इंजेक्शन से नशीली वस्तुएं लेने वाले लोग (आई.डी.यूज) आते हैं, ब्रिज पापुलेशन में ट्रक चालक, प्रवासी श्रमिक, आवारा बच्चे, कैदी इत्यादि आते हैं और शेष लोग आम आबादी में आते हैं। जोखिम वाले आचरण में लिप्त आम लोग भी एच.आई.वी. संक्रमण प्राप्त करने वाले उच्च जोखिम में आते हैं।

(ख) उच्च जोखिम वाले वर्गों (एच.आर.जीज़) के आकार के अनुमान को जानने के वास्ते उनके क्षेत्रों का पता लगाने की कार्रवाई (मैपिंग एक्सरसाईज) शुरू की गई है। उच्च जोखिम वाले वर्गों का ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मौतों की कुल संख्या को दर्शाने वाला एक राज्य-वार विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को इसके बारे में विश्व बैंक द्वारा किए गए ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) विवरण को ऊपर प्रश्न के पैरा-(ग) के उत्तर में विवरण-II में पहले ही संलग्न कर दिया गया है।

विवरण-I

राज्यों में उच्च जोखिम वाले वर्गों का मैपिंग ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	एफ.एस.डब्ल्यूज		आई.डी.यूज		एम.एस.एम.		प्रवासी कार्यकर्ता		ट्रक्स		आवारा बच्चे		हिजड़े	
	स्थान	आकार	स्थान	आकार	स्थान	आकार	स्थान	आकार	स्थान	आकार	स्थान	आकार	स्थान	आकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	58	158	—	—	—	—	64	4213	56	1140	—	—	—	—
अहमदाबाद	297	3028	—	—	81	3196	—	—	—	—	20	6070	60	—
आंध्र प्रदेश	670	23758	18	298	98	5082	453	106886	341	84725	323	8973	—	—
अरुणाचल प्रदेश	31	146	—	—	—	—	41	1060	36	324	—	—	—	—
असम	69	1270	14	100	—	—	50	5575	54	4050	—	—	—	—
बिहार	129	5458	23	338	9	128	43	7095	81	21842	50	1882	28	341
चंडीगढ़	10	3224	12	1671	7	181	16	85170	12	32100	13	6319	—	—
चेन्नई	347	18809	73	4877	85	4676	33	15125	117	11647	—	—	99	3955
दमण व दीव	16	85	—	—	—	—	55	81923	14	582	—	—	—	—
दिल्ली	—	34000	—	9605	—	7532	—	—	—	—	—	35450	—	7317
गोवा	11	601	—	—	7	936	25	11422	22	112275	14	957	—	—
गुजरात	448	10088	1	20	129	5866	—	—	103	1318860	8	1004	25	560
हरियाणा (10 जिले)	124	7835	62	3236	18	714	214	143867	90	29992	107	11172	25	719
हिमाचल प्रदेश	116	246	24	210	15	109	162	52298	197	33303	—	—	—	—
जम्मू-कश्मीर	32	125	12	48	—	—	151	28395	66	2958	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
झारखंड	38	429	3	12	—	127	82	35635	93	25593	—	180	—	—
कर्नाटक	703	9859	28	703	89	705	209	28760	180	17542	197	3569	81	557
केरल	429	5865	76	1729	273	3385	310	58704	247	9142	235	4520	—	—
मध्य प्रदेश	234	—	6	—	19	—	88	—	136	—	23	—	86	—
महाराष्ट्र (21 जिले)	325	22541	5	71	47	1468	93	99211	121	53000	10	1071	22	793
मेघालय	9	—	8	—	—	—	33	—	14	—	1	—	—	—
मिजोरम	8	1198	8	10325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मणिपुर	130	6800	1101	26800	35	2700	53	25800	25	14600	45	2500	—	—
मुम्बई (नगर निगम)	154	12881	9	149	77	39905	24	7380	11	567	44	817	35	528
नागालैंड	—	—	24	16827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	33	1455	1	15	24	1365	3	260	8	395	—	—	12	148
पंजाब	184	3250	68	864	—	—	516	307912	680	62720	—	—	—	—
सिक्किम	6	67	7	34	—	—	31	2700	4	2155	—	—	—	—
तमिलनाडु	1034	62573	178	2662	223	6560	117	12654	848	69229	—	—	265	4285
त्रिपुरा	212	644	—	164	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	320	6163	68	1466	17	1361	269	42040	413	113128	45	1888	—	—
उत्तरांचल	33	322	5	125	—	—	145	30643	48	7072	24	1097	24	168
पश्चिम बंगाल	585	49180	360	13418	217	3886	628	512394	459	61165	375	13855	117	1579
कुल	6795	292058	2194	95767	1389	86721	3908	1707122	4476	2090106	1514	95254	819	20950

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों के दौरान एड्स के कारण हुई मौतें

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2001 में दर्ज	वर्ष 2002 में दर्ज	वर्ष 2003 के दौरान
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	53	36	185
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	0	2	0
5.	बिहार	1	0	0
6.	चंडीगढ़	29	22	19
7.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
8.	दमण व दीव	0	0	0
9.	दिल्ली	27	32	29
10.	गोवा	15	14	20
11.	गुजरात	20	60	48
12.	हरियाणा	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	0	5	23
14.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
15.	कर्नाटक	27	40	27
16.	केरल	120	139	120
17.	लक्षद्वीप	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	6	3	2
19.	महाराष्ट्र	176	202	182
20.	मणिपुर	51	73	133
21.	मेघालय	0	0	0
22.	मिजोरम	0	5	11
23.	नागालैंड	28	35	51
24.	उड़ीसा	1	1	0
25.	पांडिचेरी	0	7	0
26.	पंजाब	12	2	0
27.	राजस्थान	0	0	0
28.	सिक्किम	1	2	1
29.	तमिलनाडु	249	285	351
30.	त्रिपुरा	0	1	2
31.	उत्तर प्रदेश	15	4	23
32.	पश्चिम बंगाल	27	48	62
33.	अहमदाबाद (नगर निगम)	0	23	14
34.	मुम्बई (नगर निगम)	178	202	233
	कुल	1039	1247	1541

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहन

2296. श्री वाई.वी. महाजन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश की अलग-अलग मात्रा सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। इन क्षेत्रों में अगस्त, 2004 तक लगभग 54,349 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित कर दिया गया है।

सूरत और मनेर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग

2297. श्री काशीराम राणा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूरत और मनेर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा और आज की तारीख में यह कार्य किस सीमा तक पूरा कर लिया गया है; और

(घ) कार्य का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सूरत और मनोर के बीच विद्यमान दो लेन को चार लेन बनाने का कार्य तीन पैकेजों में शुरू किया गया है। इनमें से अतुल से मनोर तक 96.00 कि.मी. के दो पैकेज पूरे हो चुके हैं। सूरत से अतुल के बीच 79.60 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है और इसे जून, 2005 तक पूरा किया जाना है।

प्रोटो-टाइप कूलेन्ट ट्यूब

2298. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'न्युक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स (एन.एफ.सी.)' ने अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में एडवांस्ड हेवीवाटर रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यू.आर.) के लिए 'प्रोटो टाईप कूलेन्ट ट्यूब' तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां महोदया। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (एन.एफ.सी.) ने प्रगत भारी पानी रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यू.आर.) के लिए एक प्रोटो-टाइप शीतलक ट्यूब बनाई है।

(ख) यह एक मिश्रधातु ट्यूब है जिसका व्यास और मोटाई बदलती रहती है। यह देश में प्रचालनरत और निर्माणाधीन दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पी.एच.डब्ल्यू.आर्ज) में इस्तेमाल में लाई जा रही शीतलक ट्यूबों जैसी नहीं हैं जहां ट्यूबों की समूची लम्बाई का व्यास और भित्ति की मोटाई एक समान होती है। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र ने इस प्रक्रिया को पूर्णत: इन-हाऊस विकसित किया है और इस उत्पाद का अंतिम रूप से समायोजन और परीक्षण किया जा रहा है।

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

2299. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष क्षय रोग के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस रोग से कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) क्या क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन न होने से मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जैसाकि इस रोग से प्रति मिनट एक रोगी की प्रतिदिन 1000 रोगियों की और प्रतिवर्ष 5 लाख रोगियों की मौतें होती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या 'डॉट्स' आधारित इलाज अभी भी देश के सभी भागों में उपलब्ध नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इस रोग के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाए गए क्षय रोगियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	इस कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाए गए क्षय रोगी
2001-02	1118664
2002-03	1129076
2003-04	1147223

(ख) और (ग) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मौतों की सूचना नहीं दी जाती है। तथापि, यह अनुमान है कि भारत में प्रत्येक तीन मिनट में दो व्यक्ति और प्रति वर्ष 4,00,000 व्यक्ति क्षय रोग से मरते हैं।

तथापि, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार के लिए पंजीकृत क्षय रोगियों की मृत्यु की सूचना दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित मृत्यु का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

व्यापक रूप से डाट्स के रूप में प्रसिद्ध संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित कार्यनीति है, का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से वर्ष 1997 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नए पाजीटिव स्पूटम वाले रोगियों में से 85 प्रतिशत रोगियों को रोग मुक्त करना और ऐसे कम से कम 70 प्रतिशत रोगियों

का पता लगाना है। इस समय 530 जिलों में 920 मिलियन लोगों को इस संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत उपचार प्रदान किया गया है। परियोजना वाले जिलों से 85 प्रतिशत से अधिक रोग मुक्ति दर प्राप्त होने की सूचना मिली है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस संशोधित कार्यनीति के तहत उपचार शुरू किए गए प्रत्येक 10 रोगियों में से 8 से अधिक रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है जबकि पिछले कार्यक्रम में 4 से कम रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सफल उपचार दर 25 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई है अर्थात् इसमें तीन गुणा से भी अधिक की वृद्धि हुई है और टी.बी. से होने वाली मृत्यु दर को 29 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया अर्थात् 7 गुणा के आस-पास कमी लाई गई है। इस प्रकार क्षय रोग से होने वाली मृत्यु में काफी कमी आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) देश में डाट्स के कवरेज में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्ष 1998 में 20 मिलियन लोगों को कवर किया गया था जबकि आज तक 530 जिलों में 920 मिलियन से अधिक लोगों को कवर किया जा चुका है। शेष जिले में इससे संबंधित आरम्भिक कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं और इस तैयारी की स्थिति की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है ताकि शीघ्र ही सेवा प्रदान करने का कार्य शुरू किया जा सके। डाट्स की इस संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत वर्ष 2005 तक सम्पूर्ण देश को कवर करने की योजना बनाई गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग से होने वाली मौतों से संबंधित ब्यौरा :

वर्ष	इस कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित मृत्यु
2001-02	15031
2002-03	19809
2003-04 (सितम्बर, 2003 तक)	15102

- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार शुरू किए गए रोगियों की संख्या और इससे होने वाली मौतों का अनुपात एक समान रहा है लेकिन संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों के कवरेज में वृद्धि होने से इस संख्या में वृद्धि हुई है।
- चूंकि उपचार शुरू होने से एक वर्ष के बाद ही उपचार का परिणाम (मृत्यु, सफलता दर आदि) मिल पाता है इसलिए वर्ष 2003-04 में क्षय रोग से होने वाली मृत्यु से संबंधित सूचना सितम्बर, 2003 तक मिल पाई है।

रीजनल रिसर्च लैबोरेट्री

2300. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजयवार कितनी 'रीजनल रिसर्च लैबोरेट्री' (आर.आर.एल.) हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन रीजनल रिसर्च लैबोरेट्रियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सी.एस.आई.आर. की 5 क्षेत्रीय अनुसंधन प्रयोगशालाएं हैं। इनकी राज्यवार स्थिति इस प्रकार है:

1.	असम	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट
2.	जम्मू-कश्मीर	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू
3.	मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल
4.	उड़ीसा	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
5.	केरल	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुवनंतपुरम

(ख) और (ग) जी, हां। इन पांचों क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं (आर.आर.एल.एस.), की निष्पादकता की वर्ष 2001-02 में समीक्षा की गई है। निष्पादकता मानदंडों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियां, संसाधन प्रबंधन, नेटवर्किंग, पणधारियों हेतु प्रतिक्रियात्मकता, ज्ञान निर्गत आदि शामिल हैं। इन प्रयोगशालाओं की निष्पादकता संतोषजनक पाई गई है।

हार्डवेयर पार्कों की स्थापना

2301. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में हार्डवेयर पार्कों की स्थापना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया है; और

(घ) उक्त पार्कों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग

2302. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में और असम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जहां हाल ही में आई बाढ़ के कारण कितने किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त हुए हैं और साथ ही इस बाढ़ से कितने सड़क पुलों को नुकसान पहुंचा है: और

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के कितने हिस्सों की मरम्मत की जा चुकी है और कितने की मरम्मत की जा रही है और इस पर कितना खर्च आ चुका है और कितना आने का अनुमान है और कौन-कौन से सड़क पुलों का निर्माण और मरम्मत कराया जाना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) अलग-अलग खंडों में लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और रा.रा. 37 पर एक पुल संख्या 253/2, असम में अभी हाल में आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात बनाए रखने के लिए क्षतिग्रस्त खंडों की तत्काल अस्थायी मरम्मत पहले ही की जा चुकी है। सड़कों को मूल स्थिति में लाने के लिए स्थायी मरम्मत उपाय भी चल रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए असम सरकार को 8.56 करोड़ रु. पहले ही जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा ऐसी क्षति पर किए गए/किए जाने वाला कुल व्यय लगभग 41.00 करोड़ रु. है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उस्मानाबाद में बी.एस.एन.एल. टावर

2303. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में बी.एस.एन.एल. टावर की स्थापना किए जाने संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) स्थापित किए गए टावरों में उपकरण लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे टावरों के कार्यकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शकील अहमद): (क) से (ग) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के योजनाबद्ध सात स्थलों में से छः स्थलों अर्थात् भूम, लोहारा, पराण्डा, तेरणनगर, वाशी तथा यारमाला—में टॉवर उपलब्ध हैं तथा उपस्कर प्राप्ति अभी होनी है। उस्मानाबाद के लिए योजनाबद्ध शेष टावर हेतु सामग्री अभी प्राप्त होनी है। आशा है कि योजना के अनुसार, उस्मानाबाद जिले के सभी योजनाबद्ध स्थल चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यरत हो जाएंगे।

भारत में विदेशी शिपिंग कंपनियां

2304. श्री गणेश सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थानवार कितनी भारतीय और विदेशी शिपिंग कंपनियां पंजीकृत हैं;

(ख) उकत कंपनियों में किस-किस श्रेणी के पोत हैं और उनकी क्षमता कितनी है तथा यात्री और मालवाहक पोतों का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय के अंतर्गत शिपिंग कंपनियां निरंतर घाटे में चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) 01.10.2004 को मौजूद स्थिति के अनुसार भारत में 156 भारतीय नौवहन-कंपनियां और संगठन पंजीकृत हैं। वाणिज्यिक पोत-परिवहन-अधिनियम, 1956 के अनुसार, विदेशी नौवहन-कंपनियों को अपने जलयानों को पंजीकृत नहीं करवाने दिया जाता।

इन कंपनियों के नाम और इन कंपनियों द्वारा पंजीकृत करवाई गई क्षमता सहित 665 जहाजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय नौवहन-निगम लिमिटेड, इस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन भारत-सरकार का एकमात्र उपक्रम है, जो कि लाभ में चल रहा है। इस उपक्रम ने वर्ष, 2003-2004 के दौरान, 627 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है।

विवरण

30.09.2004 को भारतीय टनेज (कम्पनी-वार) का ब्यौरा

क्र. सं.	नौवहन कंपनी के नाम	तटीय			विदेशी			योग		
		जहाज	जीआरटी	डीडब्ल्यूटी	जहाज	जीआरटी	डीडब्ल्यूटी	जहाज	जीआरटी	डीडब्ल्यूटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ए.बी.जी. शिपिंग लि.	2	3748	5259				2	3748	5259
2.	लक्षद्वीप प्रशासन	11	13196	5491				11	13198	5491
3.	अदानी पोर्ट लि.	1	355	0	0	0	0	1	355	0
4.	अख्तर हुसैन मर्चेंट				1	472	700	1	472	700
5.	ए.एस.एम. शिपिंग लि.				1	18101	30990	1	18101	30990
6.	एमिक टक्नोकॉन्स लि.	1	199	350				1	199	350
7.	अमित शिप मेनेजमेंट	2	707	0				2	707	0
8.	अम्मा लाइंस लि.	1	11025	16500				1	11025	16500
9.	अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह प्रशासन	6	48309	17218	2	10808	9163	8	59117	26381
10.	अंजन शिपिंग प्रा. लि.	1	382	112				1	382	112
11.	आरकेडिया शिपिंग				1	23658	39338	1	23658	39338
12.	आरडेशिर बी. क्रूसत्जी	1	98	0				1	98	0
13.	एसोसिएट मेरीटाइम प्रा. लि.	1	1090	2052				1	1090	2052
14.	एटलांटिक शिपिंग प्रा. लि.	1	2814	3617				1	2814	3617
15.	एटलस शिपिंग	1	437	605				1	437	605
16.	एशियन शिपिंग सर्विसेज	1	10848	8945				1	10848	8945
17.	भारे सेंड एंड एलाइड इंडस्ट्रीज	1	214	0				1	214	0
18.	मुम्बई मेरी एंड इंजीनियरिंग	1	499	700				1	499	700
19.	सेन्युचरी शिपिंग				1	26824	43815	1	26824	43815
20.	चौगले स्टीमशिप	5	28555	44428	1	38269	71252	6	66824	115680
21.	कोचीर पोर्ट ट्रस्ट	5	3954	2308				5	3954	2308
22.	कांसिल ऑव साइंटिफिक रिसर्च	1	2661	800				1	2661	800
23.	क्राउन मेरीटाइम कं. (आई) लि.	1	264	0				1	264	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	डी.जी. लाइटहाउस एंड लाइटशिपस	3	5823	3083				3	5823	3083
25.	दमानिया शिपिंग लि.	1	481	45				1	481	45
26.	महासागर विकास विभाग	3	4582	1605				3	4582	1605
27.	पशुपालन और डेयरिंग विभाग	1	785	0				1	785	0
28.	डारेक्टर ऑव शिपिंग सर्विसेज ए एंड एन	2	870	0				2	870	0
29.	डॉलफिन ऑफशोर	1	363	272				1	363	272
30.	भारतीय निकर्षण निगम लि.	14	67138	12408				14	67138	12408
31.	ड्रेजिंग इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि.	1	92	0				1	92	0
32.	एलकोम सर्वे	1	392	469				1	392	469
33.	एलोन हिर्नेगो लि.	3	1201	2814	1	1557	2301	4	2758	5115
34.	एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट	3	1194	380				3	1194	380
35.	ईशर शिपिंग कं. लि.	25	30346	39367	14	856250	1614459	39	88596	1653826
36.	फेलकोन मेरीटाइम मेनेजमेंट प्रा. लि.				1	11175	17240	1	11175	17240
37.	फूड, फेट एंड फर्टिलाइजर्स लि.	1	396	596				1	396	596
38.	गजम्बुजा सीमेंट	3	5599	7500	2	6045	5287	5	11644	12787
39.	गेल ऑफशोर	1	640	0				1	640	0
40.	गुह अर्थ मेरीटाइम लि.	1	428	193	3	73435	125961	4	73863	126154
41.	गरुड केरीयर्स एंड शिपिंग	5	8571	13340				5	8571	13340
42.	गरवारे शिपिंग	5	4335	5300	2	7486	12564	7	11821	17864
43.	गटी लि.	2	5063	6971	1	5548	9379	3	10611	16350
44.	गटी कोस्ट-टु-कोस्ट				1	4471	6084	1	4471	6084
45.	गोतम फ्रेट लि.	1	298	405				1	298	405
46.	गेलोन शिपिंग लि.				2	3184	4352	2	3184	4352
47.	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	3	2942	2005				3	2942	2005
48.	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कं. लि.	28	23386	26009	42	1672157	2950298	70	1695543	2976305
49.	गुजरात मेरीटाइम बोर्ड	15	1828	0				15	1828	0
50.	गुजरात अदानी पोर्ट	2	671	0				2	671	0
51.	गोवा शिपयार्ड लि.	1	121	0	0	0	0	1	121	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	हौरस लाइंस लि.	1	298	957				1	298	957
53.	हेडे फैरोमिनस (प्रा.) लि.	2	1121	1622				2	1121	1622
54.	हिबा मेरीन प्रा. लि.	1	70	0				1	70	0
55.	हिन्द ऑफशोर	3.	564	236				3	564	236
56.	इंडिया सीमेंटस लि.				2	62543	109389	2	62543	109389
57.	इंपिया स्टीमशिप्स				2	52648	79154	2	52648	79154
58.	इंडस मेरीन प्रा. लि.	2	248	0				2	248	0
59.	इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फिनांस				1	15488	26345	1	15498	26645
60.	इंटरनेशनल सीपोर्ट ड्रेजिंग प्रा. लि.	1	7751	0	0	0	0	1	7751	0
61.	जाइसू शिपिंग	6	7629	6394				6	7629	6394
62.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	7	1114	0				7	1114	0
63.	जायेस शिपिंग प्रा. लि.	3	1043	1103				3	1043	1103
64.	जेसिया मिस्त्री एजेंसी	1	91	0				1	91	0
65.	कांडला पोर्ट ट्रस्ट	5	1076	419				5	1076	419
66.	की-रसोस मेरीटाइम प्रा. लि.	3	438	32	0	0	0	3	438	32
67.	किन-शिप सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि.				1	1593	2183	1	1593	2183
68.	कोलकाता पत्तन न्यास	12	16291	11954				12	16291	11954
69.	महेश्वरी हैंडलिंग एजेंसी, कच्छ	2	188	0				2	188	0
70.	मेरीन ट्रेडर्स प्रा. लि.	1	195	0				1	195	0
71.	मीकॉन प्रा. लि.	1	1441	2195				1	1441	2195
72.	मरकेटर लाइंस लि.	2	11041	14452	9	472807	845689	11	483848	860141
73.	मुरगांव पत्तन न्यास	5	1206	0				5	1206	0
74.	मॉडेस्ट ऑफशोर सर्विसेज	1	66	0				1	66	0
75.	एम.ए.के. लाइंस	1	400	1229				1	400	1229
76.	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट	9	3388	0				9	3388	0
77.	एन.एस. गुजदेर एंड कं.	1	498	0				1	498	0
78.	नटवर पारेख इंडस्ट्रीज	7	2529	1386				7	2529	1386
79.	नव मंगलूर पत्तन न्यास	5	1878	746				5	1878	746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	ओसियन डाइविंग सेंटर	1	225	0				1	225	0
81.	ओसियन स्पार्कल लि.	6	1122	95				6	1122	95
82.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	43	90869	75800				43	90869	75800
83.	पारिख मेरीन एजेंसीज	4	551	0	0	0	0	4	551	0
84.	पेलकॉन इंटरप्राइजेज	1	249	184				1	249	184
85.	प्लूटो शिपिंग प्रा. लि.	1	117	35				1	117	35
86.	पोलरिस मेरी मेनेज, कं. प्रा. लि.				1	11996	24558	1	11996	24558
87.	पोलरिस शिपिंग प्रा. लि.	1	499	825				1	499	825
88.	पुष्पुहार शिपिंग कार्पोरेशन	3	83984	119961				3	83984	119961
89.	प्रणिक शिपिंग एंड सर्विसेज	1	1874	2849				1	1874	2849
90.	प्रतिभा शिपिंग लि.				2	53814	91904	2	53814	91904
91.	प्रिंस मेरीन ट्रान्स्पोर्ट सर्विसेज	3	710	0				3	710	0
92.	प्रोक्योन ऑफशोर सर्विसेज प्रा. लि.	5	766	381				5	766	381
93.	प्रोस्पेक्टस शिपिंग प्रा. लि.				1	14441	17550	1	14441	17550
94.	रेडिएंट शिपिंग				5	106126	175798	5	106126	175798
95.	राज शिपिंग	2	798	915				2	798	915
96.	राज शिपिंग एजेंसीज लि.	2	992	0	1	1303	2127	3	2295	2127
97.	रीकॉन इंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि.	3	845	2290				3	845	2290
98.	रिलायंस केपीटल लि.	2	930	504				2	930	504
99.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	18	26613	31266				18	26613	31266
100.	राजामहेन्द्री आयल फील्ड	2	263	125				2	263	125
101.	रेशमसिंह एंड कं. प्रा. लि.	1	144	0				1	144	0
102.	आर.एस.ओ.एस.-आर.के. कटाडी	1	55	31				1	55	31
103.	एस.के.एस. लि.	2	24	0				2	24	0
104.	साधना टैक, वर्क्स	1	108	0				1	108	0
105.	सहारा शिपिंग प्रा. लि.	1	78	24				1	78	24
106.	सलगांवकर माइनिंग				1	34920	58635	1	34920	58635
107.	सलगांवकर इंजी. (प्रा.) लि.	1	12219	17529				1	12219	17529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	सम्राट एशिया मेरीटाइम	1	1874	2350				1	1874	2350
109.	सेम्सन मेरीटाइम लि.	12	5398	5252				12	5398	5252
110.	संमार शिपिंग				4	104932	187022	4	104932	187022
111.	सप्तगिरी शिपिंग कं. लि.	1	300	710				1	300	710
112.	सी स्पार्केट हार्बर	1	292	0				1	292	0
113.	सीब्रिज मेरीटाइम	2	246	0				2	246	0
114.	सीलेंडिया शिपिंग एंड एक्सपोर्ट प्रा. लि.	1	2233	3881				1	2233	3881
115.	सीस्पेन शिपिंग	2	800	205				2	800	205
116.	सीट्रांस शिपिंग	1	42	0				1	42	0
117.	सेसा गोवा लि.	1	46178	80000				1	46178	80000
118.	सेसा शिपिंग (प्रा.) लि.	1	121	0				1	121	0
119.	सीलियोन स्पार्कल पोर्ट एंड टर्मिनल सर्विसेज	4	1168	762				4	1168	762
120.	शाही शिपिंग	1	121	0				1	121	0
121.	शान्ति शिपिंग कं. (प्रा.) लि.	1	760	830				1	760	830
122.	भारतीय नौवहन निगम लि.	14	75241	105592	70	2502899	4274328	84	2578140	4379920
123.	शिवा मार्केटिंग	1	157	0				1	157	0
124.	श्रेयास शिपिंग				6	56551	71970	6	56551	71970
125.	सीसल कोइकलेरिक लोगिस्टिक्स लि.	1	7594	10500				1	7594	10500
126.	सीसल शिपिंग लि.				2	25226	40581	1	25226	40581
127.	सीसल शिप्स इंडिया लि.				1	23797	39316	1	23797	39316
128.	साउथ ईस्ट एशिया मेरी इंजी. एंड कॉन.	3	11211	6135				3	11211	6135
129.	साउथ इंडिया कार्पोरेशन (एजेंसीज) लि.	1	490	826				1	490	826
130.	सुरेन्द्र ओवरसीज लि.	1	35430	64110	5	143292	245800	6	178722	309910
131.	एस.वी.यू.एल. प्रोजेक्ट लि.	3	339	0				3	339	0
132.	एस.एस. ट्रेडिंग एंड कं.	1	196	0				1	196	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	स्विटजर विज्समुलर हजीरा प्रा. लि.	2	902	0	0	0	0	2	902	0
134.	तरुन शिपिंग				1	4473	7334	1	4473	7334
135.	टग सीलोजिस्टिक्स लि.	1	1313	1751				1	1313	1751
136.	टी.सी.आई. सीवेज लि.	4	7511	11199	1	2854	3194	5	10365	14393
137.	थ्रीविन मेरीटाइम (इंडिया)	2	2892	3761				2	2892	3761
138.	तोलानी शिपिंग लि.				4	93577	155715	4	93577	155715
139.	ट्रांसकोस्टल कार्गो एंड शिपिंग लि.	1	6182	7738				1	6182	7738
140.	ट्रांपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑव इंडिया	1	300	710				1	300	710
141.	ट्रीटोन ओवरवाटर	2	70	0				2	70	0
142.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	3	1068	0				3	1068	0
143.	टाइडवाटर (इंडिया) प्रा. लि.	3	1397	3250	0	0	0	3	1397	3250
144.	ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विसेज (प्रा.) लि.				1	10848	8945	1	10848	8945
145.	संघ सरकार	1	1552	370				1	1552	370
146.	यूनाइटिड शिपर्स	2	1228	1856				2	1228	1856
147.	वी.एम. सलगांवकर	1	16388	18970				1	16388	18970
148.	वी.एस. डेम्पो एंड कं. (प्रा.) लि.				1	12210	7476	1	12210	7476
149.	वरुण शिपिंग कं. लि.	0	0	0	10	185711	254134	10	185711	254134
150.	वाइकिंग लाइटरेज एंड कार्गो	1	306	415				1	306	415
151.	विक्रम शिपिंग	6	7978	11590				6	7978	11590
152.	विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट	8	3150	0	0	0	0	8	3150	0
153.	वी.एन.एस. ऑफशोर सर्विसेज कं. लि.	2	619	929				2	619	929
154.	वाटरवेज शिपयार्ड प्रा. लि.	2	2482	2491	0	0	0	2	2482	2491
155.	वेस्ट एशिया मेरीटाइम लि.				4	116400	204615	4	116400	204615
156.	योगी सीवज प्रा. लि.	1	690	844	0			1	690	844
	कुल योग	449	806546	860075	216	6885926	11862870	665	7692472	12722945
	अन्तिम तिमाही (30-06-2004) का जोड़	441	805042	863183	211	6605416	11399319	652	7410458	12262502

"ए" ग्रेड नोड का लगाया जाना

2305. श्री अतीक अहमद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से मुरादाबाद में "ए" ग्रेड नोड लगाए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुरादाबाद में "ए" ग्रेड नोड लगाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुरादाबाद में पहले से ही "सी" नोड है तथा फिलहाल इसे "ए" नोड से बदलने की कोई योजना नहीं है।

जानवरों पर औषधियों का प्रयोग

2306. श्रीमती मेनका गांधी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानवरों पर किए जाने वाले कई प्रयोग/परीक्षण संबंधी औषधि प्राधिकरणों की मांग निरर्थक साबित हुई है और यहां तक कि ये औषधि उत्पादों की सुरक्षा का पता लगाने में भी बेकार सिद्ध हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवार्य रूप से किए जाने वाले उन प्रयोग को जो अब पुराने पड़ चुके हैं, समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों (अनुसूची वाई) के अंतर्गत निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार नई औषधों के साथ पशु भेषज विज्ञान, पशु विष विज्ञानिक प्रयोग इत्यादि किया जाना अपेक्षित होता है। प्रचलित पद्धतियों से उनकी संगतता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इन मानदंडों की समीक्षा की जाती है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर औषध विनियामक प्राधिकारी उत्पाद सुरक्षा और प्रभावकारिता प्रमाणित करने के लिए पशु/पूर्व-नैदानिक प्रयोगों के लिए इसी प्रकार के मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

मून मिशन

2307. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'मून मिशन' का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन पर कुल कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या कोई बजटीय प्रावधान और योजना बनायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त मिशन से कितना लाभ होने की संभावना है; और

(छ) उक्त मिशन को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने चन्द्रयान-1 नामक भारतीय चन्द्र मिशन के लिए परियेजना को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है। चन्द्रयान-1 के मिशन का उद्देश्य सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा से स्वदेशी ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) का उपायेग करते हुए चन्द्रमा के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में एक अंतरिक्षयान का प्रमोचन करना है। इसका मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य चन्द्रमा की सतह के स्वरूपों के तथा रसायनिक और खनिजविज्ञानीय संघटकों के बोर में उच्च विभेदन वाले पर्यवेक्षणात्मक आंकड़े प्राप्त करना है।

(ग) चन्द्रयान-1 मिशन की कुल लागत 386 करोड़ रुपये है, जिसमें अंतरिक्षयान के साथ अनुवर्तन/संचार के लिए अपेक्षित गहन अंतरिक्ष नेटवर्क केन्द्र की लागत शामिल है। यह सुविधा अन्य/भावी ग्रहीय मिशनों को अनुवर्तन सहायता प्रदान करने के लिए भी उपयोगी होगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए 70.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था। इस परियोजना के लिए वर्ष 2005-06 के लिए 106.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। चन्द्रयान-1 को 2007-08 के दौरान प्रमोचित करने की योजना है।

(च) इस मिशन से प्राप्त होने वाले संभावित लाभ हैं: (1) चन्द्रमा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का संवर्धन; और (2) प्रौद्योगिकीय क्षमता का उन्नयन करना। यह मिशन ग्रहीय विज्ञान की खोज में युवा पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करेगा, जिससे समाज को व्यापक रूप से असीम लाभ प्राप्त होंगे।

(छ) चन्द्रयान-1 मिशन को 2007-08 में पूरा करने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में पी.सी.ओ.

2308. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कितने पब्लिक कॉल ऑफिस (पी.सी.ओ.) कार्यरत हैं;

(ख) तत्संबंधी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश पी.सी.ओ. विशेषकर राज्य के मिशरिख जिले में काम नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.11.2004 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल 1,43,193 पब्लिक कॉल आफिस (पी.सी.ओ.) कार्यरत हैं।

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्र-वार पी.सी.ओ. का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i)	शहरी	–	1,06,294
(ii)	ग्रामीण	–	36,899

(ग) सामान्यत: पी.सी.ओ. लम्बे समय तक खराब नहीं रहते। तथापि, उपरोक्त पी.सी.ओ. के अलावा, एम.आर.आर. और डब्ल्यू.एल.एल. प्रणालियों पर कार्यरत कुछ ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) बहाली की सामान्य अवधि की तुलना में लम्बे समय तक खराब रहे हैं।

(घ) वी.पी.टी. में खराबियों के निम्नलिखित कारण हैं:

(i) प्रौद्योगिकी विफलता के कारण एम.ए.आर.आर. प्रणाली में खराबी।

(ii) फिक्सड वायरलैस टर्मिनलों (एफ.डब्ल्यू.टी.) में खराबी।

(ङ) इसके लिए निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव है:

(i) सभी एम.ए.आर.आर. ग्रामीण सार्वजनकि टेलीफोनों को उत्तरोत्तर रूप से डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली से बदलने का प्रस्ताव है।

(ii) खराब फिक्सड वायरलैस टर्मिनलों को उत्तरोत्तर रूप से मरम्मत करने/नए एफ.डब्ल्यू.टी. से बदलने का प्रस्ताव है।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों को आधुनिक बनाना

2309. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के विभिन्न भागों में सी.जी.एच.एस. औषधालयों को, विशेषकर किंग्जवे कैम्प के सी.जी.एच.एस. औषधालयों को, आधुनिक बनाने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि सी.जी.एच.एस. औषधालयों में अधिकांश दवाइयां, विशेष रूप से हाइपरटेंशन और हृदय रोगों की दवाइयां, नहीं होती हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी दवाइयां हैं जो गत एक वर्ष के दौरान आसानी से, विशेषकर किंग्सवे कैम्प के सी.जी.एच.एस. औषधालय में उपलब्ध नहीं है;

(च) क्या सरकार दिल्ली के सी.जी.एच.एस. औषधालयों में ई.सी.जी. और एक्सरे की सुविधा शुरू करेगी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का आधुनिकीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को औषधालय स्तर पर नई प्रकार की चिकित्सा/औषधें, ऐसे उपकरणों का संचालन करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों सहित अपेक्षित अद्यतन उपकरण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों (किंग्जवे कैम्प में स्थित के.स.स्वा.यो. के औषधालयों सहित) में औषधें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तथापि, यदि विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित की गई औषधें औषधालय में उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उनको अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से लाभार्थी को व्यक्तिगत नुस्खे के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। उन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों, जिनसे कोई अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट सम्बद्ध नहीं होता

है, के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को खुले बाजार में औषधें खरीदने की अनुमति दी जाती है जिनके लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

(च) से (ज) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में ई.सी.जी. और एक्स-रे सुविधाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि लाभार्थी इन सुविधाओं का लाभ के.स.स्वा.यो. के पोलिक्लीनिकों, सरकारी अस्पतालों और के.स.स्वा.यो., दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजही अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों में उठा सकते हैं।

छोटे पत्तनों को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सहायता

2310. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन न्यास ने केन्द्र सरकार को 840 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से देश के तीन बड़े 'इनर हार्बर' को विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने बढ़ते यातायात के कारण कुछ छोटे पत्तनों को विकसित करने के लिए भी केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) तूतीकोरिन-पत्तन-न्यास ने सितम्बर, 2004 में, 690 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर अन्दरूनी बंदरगाह-विकास-कार्यों के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है। उपर्युक्त विकास-कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1.	कोयला-घाट निर्माण	40.00 करोड़ रु.
2.	घाट संख्या 9 का निर्माण	40.00 करोड़ रु.
3.	भूमि-उद्धार और भारी कार्य (आवाजाही) से युक्त पगडंडी	15.00 करोड़ रु.
4.	3 उथले घाटों का निर्माण	30.00 करोड़ रु.
5.	कोयल जेटी-2 का ढांचागत उन्नयन	5.00 करोड़ रु.
6.	डॉक बेसिन का निकर्षण और 12.80 मीटर ड्राफ्ट वाले जलयानों की आवश्यकता पूरी करने हेतु जलमार्ग	450.00 करोड़ रु.
7.	घाट संख्या-1 और 2 पर पुरानी क्रेनों का बदला जाना	20.00 करोड़ रु.
8.	फ्लोटिंग क्राफ्टस्	60.00 करोड़ रु.
9.	सहायक-अनुषंगी सुविधाएं	20.00 करोड़ रु.

उपर्युक्त प्रस्ताव के प्रति योजना-आयोग का सैद्धांतिक अनुमोदन मांगा गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय पत्तन-अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार, महापत्तनों के सिवाय, अन्य पत्तनों को विकसित करने की जिम्मेदारी, संबंधित राज्य-सरकारों की है और उनका ऐसे पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी है। कुछ राज्य-सरकारों ने लघु पत्तनों को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने के अनुरोध से युक्त पत्र भेजे हैं। फिर भी, लघु-पत्तनों को विकसित करने के लिए राज्य-सरकारों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की कोई भी योजना नहीं है।

मध्य प्रदेश में पी.सी.ओ./एस.टी.डी./ आई.एस.डी. बूथ

2311. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जिलेवार कितने पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ स्थापित किए गए;

(ख) बूथ स्थापित किए जाने की स्वीकृति के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) यह स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, स्थापित स्थानीय एवं एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पी.सी.ओ. बूथों की स्थापना करने के लिए कुल 213 आवेदन-पत्र अनुमोदन हेतु लंबित पड़े हैं।

(ग) लंबित आवेदन-पत्रों को एक महीने के भीतर उत्तरोत्तर रूप से अनुमोदित किए जाने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	एसएसए का नाम	2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या					
		2001-02		2002-03		2003-04	
		स्थानीय	एसटीडी/ आईएसडी	स्थानीय	एसटीडी/ आईएसडी	स्थानीय	एसटीडी/ आईएसडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बालाघाट	15	62	20	75	45	150
2.	बेतूल	52	71	87	101	81	146
3.	भोपाल	120	56	407	113	397	86
4.	सिहोर	24	15	258	23	187	58
5.	छत्तरपुर	26	81	17	68	4	71
6.	टीकमगढ़	4	25	8	56	1	58
7.	छिंदवाड़ा	89	105	174	202	165	178
8.	दमोह	50	26	29	12	14	21
9.	देवास	25	0	256	42	42	78
10.	धार	60	56	62	112	40	139
11.	गुना	34	25	276	27	0	77
12.	अशोकनगर	0	0	0	0	23	1
13.	गवालियर	60	76	114	154	235	140
14.	दतिया	7	32	0	9	4	15
15.	होशंगाबाद	40	30	133	50	25	50
16.	हरदा	5	1	2	9	3	17
17.	इंदौर	664	0	2236	301	832	433
18.	जबलपुर	422	70	149	216	101	221
19.	कटनी	8	10	11	17	8	29
20.	झाबुआ	28	35	25	197	8	105
21.	खांडवा	76	84	314	12	7	45
22.	खुहनपुर	44	44	294	15	16	72

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	खरगोने	15	16	149	40	23	129
24.	भरवानी	7	17	61	39	11	90
25.	मांडला	15	23	9	24	4	30
26.	घिनडोरी	4	9	3	12	2	23
27.	मंदसौर	15	46	754	35	150	144
28.	नीमच	15	50	701	40	17	99
29	मोरीना	59	129	18	102	1	5
30.	भिंड	12	43	12	29	7	60
31.	शिवपुर	7	21	3	25	1	2
32.	नरसिंहपुर	45	53	51	50	43	102
33.	पन्ना	30	91	12	52	7	57
34.	रायसेन	24	40	4	3	12	18
35	राजगढ़	32	18	226	16	4	59
36.	रतलाम	81	38	391	46	115	86
37.	रेवा	37	168	107	46	25	95
38.	सागर	6	53	32	54	39	84
39.	सतना	9	33	20	64	0	45
40.	सियोनी	1	42	12	40	11	78
41.	शाहडोल	28	13	7	63	35	63
42.	अनूपपुर	13	5	6	27	23	35
43.	उमरिया	7	4	4	23	17	22
44.	शाजापुर	302	102	219	17	264	44
45.	शिवपुरी	3	47	294	35	179	47
46.	सिधी	48	25	0	70	19	127
47.	उज्जैन	451	24	764	28	75	471
48.	विदिशा	35	7	5	5	0	35
	कुल	3154	2021	8736	2796	3322	4240

आई.एम.आर./एन.एम.आर. को नीचे लाना

2312. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) और नवजात शिशु मृत्यु दर (एन.एम.आर.) को कम करने के लिए समेकित बाल विकास योजनाओं तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य मिशन (आर.सी.एच.एम.)-II के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए अंतरमंत्रालीय दल बनाने का है जैसा कि दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में शिशु मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर क्या है

(घ) क्या भारत की तुलना में पड़ोसी देशों में आई.एम.आर. और एन.एम.आर. काफी नीचे है;

(ङ) यदि हां, तो आई.एम.आर. और एन.एम.आर. को नीचे लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं;

(च) आई.एम.आर. और एन.एम.आर. विषय पर हाल ही में सम्पन्न हुए सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(छ) क्या इन सिफारिशों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) ऐसा कोई अन्तर-मंत्रालयीय दल गठित नहीं किया गया है, यद्यपि इस मामले में जब भी आवश्यक होता है, समन्वित बाल विकास योजनाओं और प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य मिशन के बीच तालमेल रखा गया है।

(ग) मौजूदा शिशु-मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 63 और नवजात शिशु-मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 44 है। (स्रोत : भारत के महारजिस्ट्रार की नमूना पंजीयन प्रणाली 2002)।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। पड़ोसी देशों के शिशु-मृत्यु दर और नवजात शिशु-मृत्यु दर भारत की तुलना में कम नहीं हैं। शिशु-मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर चीन में 37, बांग्लादेश में 64, नेपाल में 71, पाकिस्तान में 87, श्रीलंका में 20, म्यांमार में 83 और अफगानिस्तान में 162 है। (स्रोत : स्टेट आफ वर्ल्ड पापुलेशन 2004)।

परिवार कल्याण विभाग द्वारा शिशु-मृत्यु दर और नवजात शिशु-मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किए जा रहे कार्य इस प्रकार हैं:

(i) तीव्र श्वसनी संक्रमणों के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण और

(ii) अतिसार रोग नियंत्रण।

(iii) नवजात शिशु की स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए अनिवार्य नवजात परिचर्या।

(iv) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को छह वैक्सीन निवार्य रोगों के टीके लगाए जाते हैं।

(च) शिशु-मृत्यु दर और नवजात शिशु-मृत्यु दर पर हाल ही में हुए सम्मेलन की सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था की बीमारियों के समन्वित उपचार की राष्ट्रीय कार्यनीति को अंतिम रूप और इसके कार्यान्वयन के लिए योजना।

(ii) राष्ट्रीय आधारिक सर्वेक्षण।

(iii) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यनीति के प्रभावी एवं त्वरित कार्यान्वयन में सहायता के लिए विशिष्ट कार्रवाई हेतु पक्षकारों में चर्चा।

(iv) राज्य स्तर पर अनुवर्ती समन्वय कार्य के लिए शिशु जीवन रक्षा से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षकारों के साथ सरकार की अगुवाई में औपचारिक तंत्र।

(v) शिशु जीवन रक्षा में प्रगति की वार्षिक समीक्षा।

(vi) जिला स्तर पर कार्यक्रम प्रचालन और प्रबंधन से संबंधित किए जाने वाले कार्यकलापों के पूर्व निश्चित परिणाम।

(vii) प्रमुख व्यावहारिक लक्ष्यों और परिणामों तथा संप्रेषण योजना का एक सेट।

(viii) राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित बाल विकास योजना तथा प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य के बीच अन्तर मंत्रालयीय कार्य दल।

(ix) प्रणाली सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता सुधार।

(छ) और (ज) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं हेतु सहायता

2313. श्री सनत कुमार मंडल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा पश्चिम बंगाल को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशी स्रोतों से पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई वित्तीय सहायता
(राशि हजार में, दाता अभिकरण की मुद्रा में)

क्र. स	योजना का नाम	सेक्टर	दाता अभिकरण	मुद्रा	ऋण/ अनुदान राशि	उपयोग की गई राशि		
						2002-03	2003-04	2004-05
1.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	बहु-राज्यीय (पश्चिम बंगाल सहित)	आईडीए	एक्सडीआर	228943.81	38937.80	19474.32	13749.34
2.	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	पश्चिम बंगाल	जर्मनी	डीईएम	1998.03	0.00	0.00	0.00

यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रदान की गई सहायता

क्र.सं.	कार्यकलाप	दाता अभिकरण	मुद्रा	प्रदान की गई राशि (रुपये में)		
				2002	2003	2004
1.	पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं	यूएनडीपी	आईएनआर	1,100,170.00	7,297,766	923,000

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदान की गई सहायता

क्र. स.	कार्यकलाप	दाता अभिकरण	मुद्रा	प्रदान की गई राशि (रुपये में)	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, चितरंजन में अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री की स्थापना	डब्ल्यूएचओ	आईएनआर	425,000.00	2002-03
2.	रूपलाल नंदी मेमोरियल कैंसर अनुसंधान केन्द्र, चंदेरनेगोर, कोलकाता में पेन एवं पैलिएटिव केयर यूनिट की स्थापना	डब्ल्यूएचओ	आईएनआर	610,000.00	2003
3.	कोलकाता में गलियों में बिकने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सम्प्रेषण कार्यनीतियां	डब्ल्यूएचओ	आईएनआर	850,000.00	2003-04
4.	नगर निगम, हावड़ा में गली में बिकने वाली खाद्य सामग्री का मूल्यांकन और सुधार	डब्ल्यूएचओ	आईएनआर	1,156,000.00	2003-04

1	2	3	4	5	6
5.	नगर निगम, वर्द्धमान में गली में बिकने वाली खाद्य सामग्री का मूल्यांकन और सुधार	डब्ल्यूएचओ	आईएनआर	1,156,000.00	2003-04
6.	एस.एस.के.एम. अस्पताल के कार्डियो थोरेसिस नर्सिंग के विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में नर्सों का प्रशिक्षण	डब्ल्यूएचओ	आईएनआर	682.500.00	2004

विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता

क्र. सं.	कार्यकलाप	सेक्टर	दाता अभिकरण	मुद्रा	परियोजना अवधि	प्रदान की गई राशि (मिलियन अमरीकी डालर में)
1	एड्स निवारण एवं नियंत्रण-II	केन्द्रीय (पश्चिम बंगाल सहित)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	जून, 1999 से मार्च, 2006	15.9
2.	रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण	केन्द्रीय (पश्चिम बंगाल सहित)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	अप्रैल, 2000 से दिसम्बर, 2005	18.1
3.	कुष्ठ रोग-II	केन्द्रीय (पश्चिम बंगाल सहित)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	मार्च, 2001 से दिसम्बर, 2004	3.9
4.	क्षय रोग नियत्रण	केन्द्रीय (पश्चिम बंगाल सहित)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	जनवरी, 1997 से सितम्बर, 2005	15.4

तमिलनाडु में चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई

2314. प्रो. एम. रामदास: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एक ही समय में एक से अधिक महाविद्यालय में रोजगार का दावा करने वाले तमिलनाडु के सरकारी चिकित्सकों के विरुद्ध भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस मुद्दे पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगे जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार चिकित्सकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को रोकने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद से आग्रह करेगी जैसा कि उन्होंने केवल सरकार के निर्देशों का ही उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार उन्होंने तमिलनाडु के उन सरकारी डाक्टरों के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की है जो इस समय तमिलनाडु सरकार में सेवारत हैं और जिन्होंने एक ही समय में एक से अधिक महाविद्यालयों में रोजगार की मांग की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में फीडर संवर्ग

2315. श्रीमती निवेदिता माने: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में, सहायक आयुक्त के लाइन/कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति हेतु वैयक्तिक सहायक और निजी सचिवों को भी फीडर संवर्ग बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भर्ती नियमों के निर्धारित मानदंडों में यह परिवर्तन संघ लोक सेवा आयोग/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नियंत्रणकारी मंत्रालय की सहमति से किया गया था, जो कि समूह 'क' पदों संबंधी भर्ती नियम को तैयार करने/उनमें संशोधन करने से पूर्व अनिवार्य है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार सहायक आयुक्त के भर्ती नियमों में किए गए उक्त संशोधन को अवैध घोषित करने हेतु कार्रवाई करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय तथा अन्य मंत्रालयों में निजी सचिव संवर्ग के साथ भी समान व्यवहार करने की अनुमति देगी ताकि उन्हें भी अवर सचिव के पद पर समान पदोन्नति अवसर मिल सके;

(च) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में सहायक आयुक्त/अवर सचिव जैसे कार्यकारी संवर्ग में इसी प्रकार पदोन्नति देने हेतु डी.ई.ओ./एच.टी. इत्यादि जैसे तकनीकी संवर्गों की ऐसी मांगों पर भी विचार करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए फीडर संवर्ग में केवल निजी सचिव शामिल किए जाते हैं। सहायक आयुक्त के सवंर्ग में पदोन्नति के लिए फीडर संवर्ग के रूप में वैयक्तिक सहायक शामिल नहीं किए जाते।

(ख) अब निजी सचिव के रूप में पदनामित वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद को सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु, कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति के अनुमोदन से तथा 14.09.1996 को सहायक भविष्य निधि आयुक्त के भर्ती नियमों की अधिसूचना जारी करते समय संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से फीडर संवर्ग में शामिल किया गया था। चूंकि कर्मचारी भविष्य निधि एक स्वायत्त निकाय है अत: भर्ती नियम तैयार करते समय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से परामर्श किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सहायक आयुक्त के स्तर पर पदोन्नति हेतु निजी सचिव संवर्ग की, फीडर ग्रेड के रूप में, अधिसूचना जारी करने से संबंधित निर्णय, कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा एक स्वायत्त निकाय होने के नाते लिया गया था। अत: केन्द्रीय सचिवालय तथा अन्य मंत्रालयों में ऐसा निर्णय अंगीकार नहीं किया जा सकता।

(च) केन्द्रीय सचिवालय/मंत्रालयों में किसी भी संवर्ग के लिए फीडर तथा पदोन्नति ग्रेड, प्रत्येक मामले में विद्यमान अनूठी स्थिति तथा संवर्ग संरचना और विभिन्न ग्रेडों की पद संख्या जैसे कारकों के आधार पर तय किए जाते हैं।

(छ) भाग (ङ) और (च) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोवा में पी.सी.ओ. सुविधाएं

2316. श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी पी.सी.ओ. सुविधाओं की जानकारी है जो उपभोक्ता को एक रुपए (सिक्का) प्रति कॉल की दर पर मोबाइल फोन उपयोगकर्त्ता से संपर्क कराता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोई उपभोक्ता इस सुविधा का उपयोग केवल उत्तरी गोवा में कर सकता है, दक्षिणी गोवा में नहीं, जबकि दोनों जिलों और इनके मुख्य शहरों की भौगोलिक दूरी अधिक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की मंशा इस असमानता को दूर करने की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सभी सी.सी.बी. पी.सी.ओ. से सर्किल के भीतर मोबाइल टैलीफोन नंबरों से संपर्क की अनुमति देकर और साथ-ही-साथ "क्वाइन कलेक्शन बॉक्स" उपकरणों में उपयुक्त आशोधनों के बाद स्थानीय पी. सी.ओ. के प्रशुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर असमातना दूर करने का प्रस्ताव है।

दूसरे देशों में 'चांसरी' के निर्माण में विलंब

2317. श्री जोयाकिम बखला: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरे देशों में "चांसरी" के निर्माण में हुए अत्यधिक विलंब पर गौर किया गया है जैसाकि विदेश मामले संबंधी स्थाई समिति, लोक सभा की प्रथम रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दूसरे देशों में लंबित परियोजनाएं कौन-सी हैं;

(ग) उक्त विलंब के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो सके और अंतिम तिमाही में ज्यादा व्यय न हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (घ) सरकार विदेश स्थित चांसरियों की नियोजित निर्माण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को उच्च प्राथमिकता देती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ता से बढ़ रही है। इस विषय में प्रयास और तेज कर दिए गए हैं और पिछले दो वर्षों में इसमें पर्याप्त प्रगति हुई है जिसके कारण परियोजनाएं योजना और निष्पादन के संतोषजनक स्तरों पर पहुंची है।

मंत्रालय ने बर्लिन और आबू धाबी में दूतावास परिसरों, मॉरीशस में सांस्कृतिक केन्द्र और गेबोरोन में दूतावास आवास की निर्माण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। शेष निर्माण परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है। विदेशों की विभिन्न निर्माण परियोजनाएं, उनकी वर्तमान स्थिति का ब्योरा विवरण पर संलग्न है। 20 निर्माण परियोजनाओं में से 6 स्टेशनों नामत: बीजिंग, दोहा, जनेवा, मस्कट, सिंगापुर और त्रिनिडाड और टोबेगो की परियोजनाओं के लिए वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और उनके कार्यान्वयन के लिए आगे कदम उठाए जा रहे हैं। आबूजा, ब्रासीलिया, काठमांडू, इस्लामाबाद, कीव, मास्को आदि जैसी परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं/वास्तुकारों के साथ करार सम्पन्न किए गए हैं। इन परियोजनाओं के डिजाइनों और इनके आवश्यक वित्तीय अनुमोदन के लिए अनुमानित लागत हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मंत्रालय का विदेश की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का भरपूर प्रयास होता है लेकिन मंत्रालय के नियंत्रण से परे के विभिन्न कारणों से कुछ विशिष्ट परियोजनाओं में वांछित प्रगति नहीं हुई है। इनमें दोनों जगहों पर अनेक प्रक्रियाएं होती हैं, विदेश जहां मिशनों पर स्थानीय कानून, नियम और विनियम लागू होते हैं और सरकार के भीतर अनुमोदन प्राप्त करने में भी अपरिहार्य विलंब होता है। विलम्ब से चल रही कुछ परियोजनाएं और उनके विलंब के कारण नीचे दिए गए हैं:

ब्रासीलिया के मामले में, ब्राजील सरकार द्वारा 1965 में भूखंड उपहार में दिया गया था, लेकिन 1970 के दशक में बांगलादेश युद्ध और तेल संकट के कारण किए गए आर्थिक उपायों, 1980 के दशक में ब्राजील में अस्थिर आर्थिक स्थिति और 1990 के दशक में विदेशी मुद्रा संकट के कारण परियोजना शुरू नहीं हो सकी। दोहा के मामले में खाड़ी युद्ध और 1990 के दशक में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विदेशी परियोजनाओं को फ्रिज करने की वजह से विलंब हुआ। बाद में स्थानीय सरकार ने 1977 में आवंटित भूखंड को वापिस ले लिया। तब से हम मामले को कतर सरकार के साथ उठा रहे हैं, जिन्होंने सूचित किया है कि 2005 के मध्य तक नए डिप्लोमेटिक एन्कलेव में हमें एक नया प्लाट आबंटित किए जाने की आशा है। इस्लामाबाद और काबुल परियोजनाएं राजनैतिक कारणों की वजह से प्रारंभ नहीं हो सकीं लेकिन अब ये पुन: राह पर हैं। मास्को और वार्सा की परियोजनाओं को भी 80 के दशक के अंत /90 के दशक के आरंभ में राजनैतिक परिवर्तनों को झेलना पड़ा और विदेशी मुद्रा संकट ने भी इन परियोजनाओं को कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया। ताशकंद में, यद्यपि भूखंड 1989 में आबंटित कर दिया गया था परंतु खाली प्लाट का कब्जा अभी 2004 में दिया गया। मस्कट परियोजना को भी 1990 के दशक के विदेश मुद्रा संकट को झेलना पड़ा। इस परियोजना के लिए वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था, तो भी अनुमोदित लागत से संविदा लागत में वृद्धि के कारण नए अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

मंत्रालय के नियंत्रण से परे के उपरोक्त कारणों के बावजूद विदेशी चांसरियों के निर्माण में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार, विदेशी निर्माण परियोजनाओं को समय सीमा में कार्यान्वित करने के प्रति वचनबद्ध है।

विवरण

विदेश मंत्रालय

स्थापना प्रभाग

विदेशों में निर्माण परियोजनाएं

स्थान	परियोजना	वर्तमान स्थिति
1	2	3
आबूजा	चांसरी और दूतावास आवास का निर्माण	प्रधानमंत्री द्वारा 5 दिसम्बर, 2003 को आधारशिला रखी गई। मै. सी. पी. कुकरेजा एसोसिएट, वास्तुकार के साथ 9 जनवरी, 2004 को संविदा हस्ताक्षरित की गई। परियोजना की अनुमानित लागत अनुमोदन के लिए मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति के समक्ष रखी गई है।

1	2	3
बीजिंग	चांसरी और आवासों का निर्माण	वास्तुकार-परामर्शदाता के रूप में मै. राज रेवल एसोसिएट के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। जुलाई 2003 में वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किए गए। मार्च 2004 में, मिशन द्वारा स्थानीय संविदा हस्ताक्षर की गई। बीजिंग में स्थानीय अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रथम चरण (संकल्पना डिजाइन चरण) अनुमोदन देते समय चीनी प्राधिकारियों ने स्थानीय यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार को सड़क की तरफ ले जाने का प्रस्ताव किया। इस मामले के हल और मिशन और चीनी प्राधिकारियों के परामर्श से विभिन्न स्थानीय प्राधिकारियों से द्वितीय चरण अनुमोदनों में तेजी के प्रयास किए जा रहे हैं।
ब्रासीलिया	चांसरी, दूतावास आवास और अधिकारी आवास	30 सितम्बर, 2003 को मै. परनहोस के डिजाइन का चयन किया गया। अगस्त, 2004 में वास्तुकार के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। मंत्रालय के सुझावों पर विचार करते हुए परामर्शदाता प्राथमिक डिजाइन और प्रारंभिक अनुमान तैयार कर रहा है।
दार-ए-सलाम	चांसरी का निर्माण	विदेश सचिव ने परियोजना के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने को अनुमोदित कर दिया है और परामर्शदाता की टिप्पणियों के लिए उसे एक मसौदा करार भेजा गया है।
ढाका	चांसरी और आवासों का निर्माण	चयनित सूची के पांच वास्तुकारों के संकल्पना डिजाइन की डिजाइन चयन समिति द्वारा जांच की गई और उनमें से दो को सुधार के सुझावों के साथ छांटा गया है। डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए परियोजना डिजाइन चयन समिति की आगामी बैठक शीघ्र होने की आशा है।
दोहा	चांसरी और दूतावास आवासों का निर्माण	वित्त मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 2001 में अनुमोदित किया गया। दुर्भाग्यवश, भारत को आबंटित भूखंड के स्थान को स्थानीय सरकार द्वारा बदले जाने के कारण विलंब हुआ। बदले गए भूखंड के बदले भूखंड देने के लिए मिशन प्रमुख द्वारा मामले को कतर सरकार के उच्चतम स्तर तक उठाया गया है। कतर सरकार ने सूचित किया है कि नए डिप्लोमेटिक एन्कलेव में 2005 में एक भूखंड दिए जाने की आशा है।
जनेवा	जनसंपर्क अधिकारी आवास का नवीनीकरण	जून 2004 में परामर्शदाता के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। निविदा दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं और एक संविदाकार के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इस्लामाबाद	आवासों का निर्माण	मै. सचदेवा आर्किटैक्ट्स के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। सम्पत्ति दल ने मई 2004 में इस्लामाबाद की यात्रा की और इस्लामाबाद के कैपिटल कन्सट्रक्शन विभाग के सुझावों के अनुसार वास्तुकार ने डिजाइन संकल्पना को संशोधित किया। कुछ और संशोधनों की आवश्यकता थी जिन्हें परामर्शदाता द्वारा संशोधित किया जा रहा है। एक बार जब यह हो जाएगा तो संशोधित डिजाइन को हमारे मिशन द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा।

1	2	3
काबुल	चांसरी और आवासों का निर्माण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अनुमोदन के लिए हाल ही में प्रारंभिक लागत अनुमान और प्रारंभिक ड्राइंग प्रस्तुत की है।
काठमांडू	चांसरी और आवासों का निर्माण	वास्तुकारों के रूप में अप्रैल 2004 में मै. अक्षय जैन और राका चक्रवर्ती के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। वास्तुकार द्वारा प्रस्तुत की गई ड्राइंग और प्रारंभिक अनुमानों को सी.एन.ई. अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।
कीव	आवासों को गिराना और उनका पुनर्निर्माण	मिशन द्वारा जून 2004 में स्थानीय वास्तुकार के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। मंत्रालय के अनुमोदन के लिए वास्तुकार से प्रारंभिक लागत अनुमान और प्रारंभिक ड्राइंग प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
लंदन	8 दक्षिण ओडले स्ट्रीट में 6 आवासों का निर्माण	मिशन द्वारा जुलाई 2004 में परामर्शदाता मै. एक्सिस मैसन के साथ करार सम्पन्न किया गया। पड़ौसी के साथ राइट्स टू लाइट एंड पार्टी वाल मामलों के लिए सर्वेयर की नियुक्ति के मामले की जांच की जा रही है।
मास्को	आवासों और स्कूलों का निर्माण	परामर्शदाता मै. कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज लि. के साथ संविदा हस्ताक्षर की गई। वित्तीय अनुमोदन के लिए प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए, जिसने कुछ स्पष्टीकरण मांगे जिनको पूरा कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा सी.एन.ई. टिप्पणी के अनुमोदन के बाद मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी (क्योंकि परियोजना लागत 100 करोड़ रु. से अधिक है) तैयार की जाएगी। इसी दौरान मिशन द्वारा हमें सूचित किया गया कि रूसी प्राधिकारियों ने एक वैकल्पिक भूखंड, जो विचाराधीनी है, का प्रस्ताव किया है।
मस्कट	चांसरी और दूतावास आवास का निर्माण	वास्तुकार-परामर्शदाता के रूप मै. बब्बर एंड बब्बर के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। निर्माण संविदा के लिए निविदा आमंत्रित की गई लेकिन निविदा राशि वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई राशि से अधिक थी। सबसे कम बोली लगाने वाले के साथ बातचीत की गई लेकिन राशि को परियोजना अनुमोदित राशि तक नही लाया जा सका। परामर्शदाता को पुनः लागत अनुमान लगाने के लिए कहा गया है और नई निविदा आमंत्रित की जाएगी।
पारामारिबो	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	परामर्शदाताओं की छंटनी का काम किया जा रहा है।
पोर्टलुई	चांसरी परिसर का निर्माण	मॉरीशस सरकार ने एक वैकल्पिक भूखंड की पेशकश की है। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए एक सम्पति दल शीघ्र ही यात्रा करेगा।
सिंगापुर	दूतावास आवासों का पुनर्विकास, दो आवासों का निर्माण	स्थानीय परामर्शदाता के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। अक्तूबर 2004 में कुछ टिप्पणियों सहित जिन्हें पूरा किया जा रहा है, वित्त मंत्रालय से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किया गया।

1	2	3
ताशकंद	दूतावास आवास, चांसरी और आवासों का निर्माण	परामर्शदाता के रूप में श्री रोमी खोसला के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक डिजाइन और लागत अनुमानों को और स्पष्टीकरण/संशोधन की आवश्यकता है। इस पर परामर्शदाता के साथ विचार-विमर्श करके कार्रवाई की जा रही है।
त्रिनिडाड और टोबेगो	सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	मई, 2003 में वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किए गए। संशोधित ड्राइंग को स्थानीय वास्तुकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।
वार्सा	चांसरी और आवासों का निर्माण	वास्तुकार के रूप में मै. सचदेवा एग्लस्टन के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई। सक्षम प्राधिकारियें के द्वारा वित्तीय प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही हैं।

कोयला क्षेत्र में अनुमानित निवेश में कमी

2318. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला क्षेत्र में किए जाने वाले अनुमानित निवेश में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने कोयला मंत्रालय के लिए 31591.10 करोड़ रु. के पूंजीगत परिव्यय को अनुमोदित कर दिया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एम.टी.ए.) के दौरान, इसे घटाकर 18652.18 करोड़ रु. किए जाने का प्रस्ताव है। अनुमोदित तथा दसवी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	कंपनी/योजना	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित	मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान प्रस्तावित
1	2	3	4
1.	कोल इंडिया लि.	14310.00	10975.11
2.	सिंगरेनी कोलियरीज कं. लि.	2113.00	1550.00
3.	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि		
	(i) कोयला क्षेत्र	6125.94	2130.26
	(ii) विद्युत क्षेत्र	8007.64	2992.91
	जोड़	14133.58	5123.17
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	100.00	72.93
5.	क्षेत्रीय अन्वेषण	275.80	261.55
6.	विस्तृत ड्रिलिंग	70.66	93.84
7.	पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण	163.00	150.52
8.	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	425.06	425.06
	जोड़	31591.10	18652.18

योजनागत परिव्यय में अधोगामी संशोधन किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

(क) हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी मानदंडों में संशोधन जिसका प्रभाव हैम उपकरणों हेतु पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता पर पड़ा है।

(ख) हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी की अधिप्राप्ति में विलम्ब।

(ग) भूमि अधिग्रहण की समस्या, वनीय स्वीकृति तथा अन्य प्रक्रियात्मक मामलों में देरी के कारण कोयला/लिग्नाइट खनन तथा विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब।

(घ) आउटसोर्सिंग क्रियाकलापों में वृद्धि।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों की विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पेंशन

2319. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्यालय आदेश संख्या 1/19/03 पी एवं पी.डब्ल्यू.ई. के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्रियों को पेंशन का पात्र बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पेंशन की पात्रता हेतु आयु-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार के समक्ष लंबित ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है; और

(च) इस पर कितनी धनराशि के व्यय होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन, केन्द्र सरकार के दिवंगत कर्मचारी/पेंशनभोगी की तलाकशुदा/विधवा पुत्री के संबंध में, कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से, उनकी आयु-सीमा में छूट/रियायत देने हेतु दिनांक 25 अगस्त, 2004 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/19/03-पी एंड पी.डब्ल्यू. (ई) जारी किया है। फिर भी, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के अन्य पुत्र/पुत्रियों के संबंध में, शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य बच्चों को छोड़कर, कुटुंब पेंशन की पात्रता हेतु आयु सीमा को पहले की तरह 25 वर्ष ही रखा गया है।

(ङ) और (च) चूंकि पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का दिया जाना विकेन्द्रीकृत है, अत: ऐसे कुटुम्ब पेंशनभोगियों की संख्या और इस पर व्यय राशि के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

जड़ी-बूटियों को पेटेंट कराना

2320. श्री अजीत जोगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक जड़ी-बूटियों को पेटेंट कराने से संबंधित प्राप्त सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वैसी जड़ी-बूटियों की सूची कितनी है जो कि पेटेंट हेतु लंबित पड़ी हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) समझौते के उपबंधों के अनुसार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, किसी भी आविष्कार के लिए पेटेंट संभव है, बशर्ते कि वे नवीन, मौलिक तथा औद्योगिक अनुप्रयोग के योग्य हों। सूक्ष्मजीवों के अलावा पादपों एवं पशुओं तथा अजैविक तथा सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया को छोड़कर पादपों या पशुओं के प्रवर्धन हेतु अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाओं को पेटेन्ट प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान

2321. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:
श्री सुरेश चंदेल:
प्रो. चन्द्र कुमार:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 8.11.2002 को हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने उनके मंत्रालय से वाहन चालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जसूर में हिमाचल सड़क परिवहन निगम की भूमि पर एक आदर्श प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दिनांक 20.12.2002 को मंत्रालय स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उक्त प्रस्ताव को अंतरिम मंजूरी प्रदान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आगे और क्या कार्रवाई की गई है तथा लंबित होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अंतिम रूप से मंजूरी प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो किस तिथि को यह मंजूरी प्रदान की गई थी और उक्त परियोजना हेतु कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जसूर में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 6 अगस्त, 2004 को 181.00 लाख रु. की सहायता स्वीकृत की गई है।

[अनुवाद]

अवसंरचना संबंधी समिति

2322. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 11-सदस्यीय अवसंरचना संबंधी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(घ) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इनसे अवसंरचना में सुधार लाने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ङ) सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक ग्यारह सदस्यीय अवसंरचना समिति गठित की है जिसका उद्देश्य विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधा का सृजन करने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका बढ़ाने वाली संरचना का विकास करने तथा मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु नीतियां शुरू करना है। समिति रेल, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, दूरसंचार, पेट्रोलियम व विद्युत क्षेत्रक संबंधी कार्य करेगी। प्रारंभिक तौर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा क्षेत्रकवार नीतिगत पहल एवं कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नालॉजी लीडरशीप इनिशिएटिव (एन.एम.आई.टी.एल.आई.)

2323. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एम.आई.टी.एल.आई. कार्यक्रम के अंतर्गत कई उत्पादों को रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इनका चयन करने के मानदंड क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खारापन दूर करने वाले संयंत्र

2324. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री सुरेश [illegible]:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) ने खारापन दूर करने हेतु एक अल्प लागत संयंत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तटीय नगरों में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु वहां उक्त संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्तावित सरकारी कार्यक्रम क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय समृद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै ने कम तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रणाली पर आधारित 500 लीटर प्रति दिन और 5000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले दो प्रयोगशाला स्तरीय विलवणीकरण संयंत्र विकसित किए हैं।

(ग) क्षेत्र में एल.टी.टी.डी. प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के बाद इसे या तो संबंधित मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाएगा या तटीय क्षेत्र में उपयुक्त स्थानों पर इसी तरह के संयंत्र स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त क्रियाविधि तैयार की जाएगी।

होता समिति की सिफारिशें

2325. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री वी.के. ठुम्मर:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष पी.सी. होता की अध्यक्षता वाली सिविल सेवाओं में सुधार संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) समिति ने मुख्य 64 सिफारिशें दी हैं, जिनमें (i) सिविल सेवा को प्रक्रियात्मक और जनसंपर्क में उत्तरदायी और नागरिक हितैषी, पारदर्शी, जवाबदेह तथा नीतिगत बनाना; (ii) सिविल सेवा को ई-गवर्नेंस हितैषी बनाना; (iii) सिविल सेवकों के प्राज्ञ-ज्ञान में वृद्धि करना और उनके ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाना; (iv) सिविल सेवा को प्रशासनिक उच्च अधिकारियों, राजनीतिक कार्यपालकों, व्यावसायिक हितों तथा अन्य निहित स्वार्थों द्वारा गलत तरीके से उन पर डाले जाने वाले दबावों से बचाना; (v) यदि, आवश्यक हो तो, विभिन्न अखिल भारतीय सेवा नियमों तथा केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों में परिवर्तन करना ताकि प्रस्तावित सिविल सेवा सुधारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो सके; (vi) सिविल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई को शासित करने वाले नियमों में परिवर्तन करना जिससे जहां तक हो सके प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत किया जा सके और उन कार्रवाईयों को एक समय-सीमा के अंदर निपटाया जा सके; तथा (vii) स्वास्थ्य बीमा, विवाद निवारण आदि से संबंधित मामले भी शामिल किए गए हैं।

(ग) इन सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) इस अवस्था में इनके क्रियान्वयन के लिए कोई समय-योजना निर्धारित नहीं की जा सकती है।

सीमा व्यापार

2326. श्री वनलाल जावमा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मिजोरम सीमा पर म्यांमार और बांग्लादेश के साथ "सीमा व्यापार" को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव सरकार के पास कब से लंबित है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) पारंपरिक वस्तुओं के व्यापार की वर्तमान प्रथा को एक विधिक रूपरेखा प्रदान करने के लिए 1994 में म्यांमा के साथ एक सीमा व्यापार करार संपन्न किया गया था। इस करार के अंतर्गत, मिजोरम में भारत-म्यांमा सीमा पर जनवरी, 2004 में जोखाथार (मिजोरम) रिह (म्यांमा) में एक सीमा व्यापार स्थल खोला गया था।

बांग्लादेश के साथ पारंपरिक वस्तुओं का सीमा पार व्यापार करने के लिए 1972 में एक करार संपन्न किया गया था। परंतु यह करार अभी तक संचालित नहीं हो पाया। इसके पश्चात् दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार के मसले की जांच के लिए 1997 में विशेषज्ञों के एक संयुक्त दल की स्थापना की गई थी। इस दल के बांग्लादेश के सदस्यों के नामांकन की प्रतीक्षा है। भारत सरकार इस मामले को बांग्लादेश पक्ष के साथ फिर से उठा रही है। मिजोरम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर व्यापार की सुविधा के लिए तियाबंग (देमागिरी) में एक सीमा-शुल्क कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है जिसके लिए बांग्लादेश से उत्तर की प्रतीक्षा है।

भारतीय लागत लेखा सेवा की संवर्ग समीक्षा

2327. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लागत लेखा सेवा की संवर्ग समीक्षा अभी भी लंबित है जबकि समूह 'क' सेवाओं की संवर्ग समीक्षा पूरी की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सेवा एकमात्र ऐसी सेवा है जिसमें सनदी लेखाकार और लागत लेखाकार जैसे योग्य पेशेवर होते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय डाक लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा जैसी अन्य लेखा सेवाओं की कुल संवर्ग संख्या और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस.ए.जी.) के बीच का अनुपात भारतीय लागत लेखा सेवा के इस अनुपात से बहुत अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस अनुपात को अन्य समूह 'क' सेवाओं के बराबर लाने हेतु क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या सरकार ने भारतीय लागत लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) संवर्ग समीक्षा सतत् और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। संवर्ग समीक्षा समिति ने भारतीय लागत लेखा सेवा की संवर्ग समीक्षा के प्रस्ताव पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 को विचार किया। समूह 'क'

की केवल 11 सेवाओं के मामले में संवर्ग समीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया हाल ही के वर्षों में पूरी कर ली गई है। कुछेक सेवाओं के प्रस्ताव लंबित चल रहे हैं और प्रशासनिक विभागों द्वारा अभी कई प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) संवर्ग संरचना का निर्धारण, कार्यात्मक अपेक्षाओं और कॅरिअर आकांक्षाओं दोनों के आधार पर किया जाता है। भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय डाक और तार लेखा सेवा और भारतीय सिविल लेखा सेवा के कुल पदों की संख्या की तुलना में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पदों की प्रतिशतता क्रमशः 10.88, 3.23 और 14.38 है। यदि संवर्ग समीक्षा का प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है तो भारतीय लागत लेखा सेवा के कुल पदों की संख्या की तुलना में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पदों की प्रतिशतता 7.53 हो जाएगी।

(छ) से (झ) संवर्ग समीक्षा के प्रक्रिया में चल रहे प्रस्ताव से भारतीय लागत लेखा सेवा के समूह 'क' अधिकारियों की सभी मुख्य शिकायतों का समाधान हो जाएगा। संवर्ग समीक्षा के इस प्रस्ताव के अलावा कोई भी अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास फिर से पौधारोपण

2328. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्थायी ऐवेन्यू ग्रीन बेल्ट का कार्य शुरू करने हेतु विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना से धन जारी करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेतु कितने धन की मांग की गई है/आबंटित की गई है तथा अब तक कितना धन जारी किया गया है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के आस-पास वृक्षों को फिर से लगाने हेतु क्या तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत अनुमोदित राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य वन विभाग को धनराशि जारी की गई है। वृक्षारोपण के लिए राज्य वन विभाग की मांग पर सरकार द्वारा 3.30 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए वृक्षारोपण नीति तैयार की है जिसमें वृक्षारोपण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और विनिर्देश दिए गए हैं। राज्य वन विभाग इन दिशा-निर्देशों के अनुसार वृक्षारोपण कर रहा है।

चिकित्सा महाविद्यालयों का आधुनिकीकरण

2329. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिरुवनंतपुरम, कोझीकोड और त्रिचूर के चिकित्सा महाविद्यालयों में विद्यमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 7 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और सम्बद्ध अस्पतालों में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ करने तथा भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी गई है। इस प्रस्ताव को विश्व बैंक वित्तीय व्यवस्था योजना के अनुसार नहीं पाया गया है। अतः इस पर सहमति नहीं दी गई है। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है। तथापि, कोजीकोड, त्रिचूर और तिरुवनन्तपुरम में स्थित तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में मनश्चिकित्सीय विंगों को सुदृढ़ करने के लिए धन मंजूर किया गया है।

अस्पतालों में पानी की कमी

2330. **श्री गुरुदास कामत:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल पानी की कमी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अस्पतालों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल को छोड़कर दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के किसी भी अस्पताल में पानी की कमी की सूचना नहीं मिली है।

सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड से अस्पताल में पानी की आपूर्ति बढ़ाने हेतु संपर्क किया जा चुका है।

सचल औषधालय

2331. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत सचल औषधालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में खोले जाने वाले ऐसे औषधालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सचल आफ्थेलमिक यूनिटें जिला स्तर पर संचालित की जा रही हैं। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना में नई सचल यूनिटें खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

सचल आफ्थेलमिक यूनिटों का राज्यवार वितरण

क्र. सं.	राज्य	जिला सचल यूनिट	केन्द्रीय सचल यूनिट
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	23	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	1
4.	असम	3	2
5.	बिहार (झारखंड सहित)	15	6
6.	चंडीगढ़	0	1
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0
8.	दमन और दीव	2	0
9.	दिल्ली	1	1
10.	गोवा	0	1
11.	गुजरात	11	4
12.	हरियाणा	3	1
13.	हिमाचल प्रदेश	5	2
14.	जम्मू-कश्मीर	4	2
15.	कर्नाटक	25	4
16.	केरल	15	2
17.	लक्षद्वीप	1	1
18.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34	9
19.	महाराष्ट्र	33	5
20.	मणिपुर	3	1
21.	मेघालय	3	1
22.	मिजोरम	3	1
23.	नागालैंड	0	1
24.	उड़ीसा	18	3
25.	पांडिचेरी	1	0
26.	पंजाब	8	2
27.	राजस्थान	30	5
28.	सिक्किम	3	1
29.	तमिलनाडु	23	3
30.	त्रिपुरा	4	1
31.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	60	11
32.	पश्चिम बंगाल	6	3
	कुल	344	80

[हिन्दी]

दो देशों में कराए जाने वाला एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम

2332. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई निजी चिकित्सा महाविद्यालयों ने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए भारतीय और विदेशी छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं जिसका अध्ययन दो देशों में कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को दो देशों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे चिकित्सा पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दिए जाने के बारे में किन मानदंडों/मार्गनिर्देशों का पालन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के लागू होने से, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार से प्राप्त पूर्व अनुमति संबंधी मामले को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति नया मेडिकल कालेज स्थापित नहीं करेगा या चिकित्सा संबंधी कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम नहीं शुरू करेगा या किसी पाठ्यक्रम में नामांकन क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा। दो विभिन्न देशों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम चलाने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के तहत कोई उपबंध नहीं हैं। सरकार को किसी प्राइवेट मेडिकल कालेज द्वारा चलाए जा रहे ऐसे किसी पाठ्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

एक्सेस डेफीसीट चार्ज

2333. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए नई एक्सेस डेफीसीट चार्ज प्रणाली तैयार की है जिससे ऐसी कॉलों की दरें 35% तक कम हो जाएंगी।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बाद स्थानीय और एस.टी.डी. कॉलों की दरों में कितनी कमी की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आवेदनों का पंजीकरण

2334. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक औषधियों और डायग्नॉस्टिक किटों के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण संबंधी कितने मामले प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) पंजीकरण हेतु अभी भी कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) इस पंजीकरण प्रक्रिया से औषधि नियंत्रक कार्यालय द्वारा अब तक कुल कितने राजस्व का संग्रह किया गया है;

(घ) क्या पंजीकरण प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 31 अक्तूबर, 2004 तक विदेशी औषध और नैदानिक निर्माण स्थलों (डायग्नोस्टिक मैन्यूफैक्चरिंग साइटों) को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या 974 है।

(ख) 31 अक्तूबर, 2004 को पंजीकरण के लिए लंबित आवेदनों की संख्या 132 है।

(ग) आज तक उनकी निर्मित औषधों सहित निर्माण स्थलों के पंजीकरण के लिए औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा फीस के रूप में एकत्र किया गया कुल राजस्व लगभग 22 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 27-क के अंतर्गत उनकी निर्मित औषधों सहित विदेशी निर्माण स्थल के पंजीकरण प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि 9 मास है (यदि आवेदन-पत्र सभी तरह से पूरा हो)। इन नियमों में निर्धारित किए गए समय-सीमा के भीतर ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

रेल मार्गों पर यातायात का अवरुद्ध होना

2335. श्री सज्जन कुमार: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-अम्बाला और दिल्ली-रोहतक रेल मार्ग पर नरेला, होलम्बी, खेड़ाकलां, सुल्तानपुरी (नांगलोई), कंझावला, विजवासन, बेवरा और समयपुर (बादली) के रेल समपारों पर अंडरब्रिजों/उपरि पुलों के न होने के कारण यातायात अत्यधिक अवरुद्ध होता है;

(ख) क्या औद्योगिक इकाइयों के पुनर्स्थापन और वहां पुनर्वास बस्तियों को बसाए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों (नरेला, बवाना आदि) में यातायात बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर अंडरब्रिजों/उपरिपुलों के निर्माण संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारत सरकार मुख्यत: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। शेष सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। दिल्ली-अम्बाला और दिल्ली-रोहतक रेल मार्ग पर नरेला, होलम्बी, खेड़ाकलां, सुल्तानपुरी (नांगलोई), कंझावला, विजवासन, घेवरा और समयपुर (बादली) के रेल क्रासिंग राष्ट्रीय राजमार्गों पर नहीं हैं। ये राज्यीय सड़कें हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन

2336. श्री राजाराम पाल: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योगों के चयन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कृषि आधारित उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के विकास के लिए सरकार सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टीज़) में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन करती रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी उद्यमी 25 लाख रु. की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर परियोजनाओं की स्थापना कर सकता है। स्वीकार्य, मार्जिन मनी सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

आर.ई.जी.पी. के तहत मार्जिन मनी सहयोग

क्र. सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहयोग
1	2	3	4
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
2.	अनु.जा./अनु.जनजा./महिलाएं/ पूर्व-सेवाकर्मी/पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत
3.	सामान्य	10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	2.5 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत
4.	अनु.जा./अनु.जनजा./महिलाएं/ पूर्व-सेवाकर्मी/पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	3 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत

2. आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना में सहायता के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा पहचान किए गए ग्रामीण उद्योगों का वर्गवार श्रेणीकरण निम्नलिखित हैं:

(1) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

(2) वन आधारित उद्योग

(3) हस्त निर्मित कागज एवं फाइबर उद्योग

(4) खनिज आधारित उद्योग

(5) पॉलिमर एवं कैमिकल आधारित उद्योग

(6) ग्रामीण ऊर्जा एवं जैव-प्रौद्योगिकी सेवा क्रियाकलाप

(7) सेवा क्रियाकलाप

3. आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत निम्नलिखित उद्योगों के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(i) हार्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर, चाय, कॉफी, रबड़, पशुपालन, मत्स्यपालन;

(ii) हथकरघा एवं रेशम-उत्पादन;

(iii) खादी एवं पॉलीवस्त्र परियोजनाएं;

(iv) मांस (प्रसंस्करण, कैनिंग तथा/अथवा सर्विंग) और तम्बाकू, शराब जैसे मादक द्रव्य (उत्पादन/विनिर्माण/बिक्री); तथा

(v) 20 माइक्रोन्स की मोटाई से कम के पॉलीथीन बैग्ज, आदि के उत्पादन जैसे पर्यावरण के लिए खतरनाक क्रियाकलाप

4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना:

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) और बैंकों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई) के तहत, शिक्षित बेरोजगारों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगार उपक्रम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। पी.एम.आर.वाई. के तहत, केन्द्र सरकार हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सौंपे गए रोजगार अवसरों के सृजन के लक्ष्यों के आधार पर सब्सिडी, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (ई.एफ.पी.), आकस्मिकताओं आदि के लिए फंड आवंटित करती है। सब्सिडी के लिए केन्द्रीय फंड भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं जो बदले में उन्हें कार्यान्वयक बैंकों को जारी करता है ताकि प्रत्येक लाभार्थी के ऋण खाते में राशि को क्रेडिट किया जा सके। इस योजना के तहत, व्यवसाय क्षेत्र में 1 लाख रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाएं और अन्य क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाएं सहयोग की हकदार हैं। सब्सिडी राशि परियोजना लागत का 15 प्रतिशत और अधिकतम 7,500 रुपये तक है। हकदार व्यक्ति एक पार्टनरशिप में साथ मिलकर 10 लाख रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी का मार्जिन मनी सहयोग परियोजना लागत का 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत है, ताकि सरकारी सब्सिडी और मार्जिन मनी में लाभार्थी का अपना योगदान मिलकर परियोजना लागत का 20 प्रतिशत के बराबर हो। पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत सृजित किए गए स्व-रोजगार अवसरों का लगभग 49.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है।

[अनुवाद]

साइबर अपराध

2337. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पता लगाए गए बड़े साइबर अपराधों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा साइबर अपराध को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अधिनियमित होने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों के दौरान साइबर अपराध से संबंधित 18 मामले दर्ज किए हैं तथा वर्ष 2004 में नवंबर तक 3 मामले दर्ज किए हैं। इसके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

वर्ष	मामलों की संख्या
2001	दो
2002	नौ
2003	सात
2004	तीन

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 87 शिकायतों तथा भारत से किए गए साइबर अपराध के लिए विभिन्न देशों से प्राप्त कई अंतर्राष्ट्रीय/इंटरपोल शिकायतों की जांच की है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) ने वर्ष 2002 के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साइबर अपराध आंकड़े एकत्रित किए हैं। वर्ष 2003 के लिए कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से आंकड़े नहीं प्राप्त हुए हैं। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत किए गए साइबर अपराध नीचे दिए अनुसार हैं:

वर्ष	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम	आई.पी.सी.
2002	67	738
2003	56	348

(5 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं)

(ख) साइबर अपराधों का सामना करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यह गृह मंत्रालय में और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कई एजेंसियों की ओर से सतत् आधार पर किया गया एक समन्वित प्रयास है। साइबर अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में पुलिस संगठन जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां तथा अन्य विशिष्ट संगठन जैसे कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तथा भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) शामिल हैं। सर्ट-इन की भूमिका सुरक्षा संबंधी समुचित दिशा-निर्देशों और अन्य सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को तैयार करना तथा देश भर में कम्प्यूटर प्रणालियों और नेटवर्कों के प्रणाली प्रशासकों को इन्हें कार्यान्वित करने की सलाह देना है ताकि प्रणालियों को हैकरों एवं अन्य अपराधियों के हमले से बचाया जा सके। सर्ट-इन सरकार, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के संगठनों के प्रणाली तथा नेटवर्क प्रशासकों के लिए नियमित सुरक्षा कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। किसी प्रणाली पर हमला होने की स्थिति में सर्ट-इन कम्प्यूटर सुरक्षा संबंधी दुर्घटनाओं से प्रभावित संगठनों की प्रणालियों को ठीक करने में सहायता करता है ताकि उन्हें यथाशीघ्र चालू किया जा सके। साइबर अपराध विज्ञान एक उभरता हुआ विषय है जो कानून प्रवर्तन संगठनों की अपराध स्थल से साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता करता है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए कानूनी ढांचा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का एक भाग है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य पुलिस संगठनों ने साइबर अपराध कक्ष स्थापित किए हैं जिनके ऐसे पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है जिन्हें विशेष रूप से साइबर अपराध-विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संबंधी मामलों में प्रशिक्षण दिया गया है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

2338. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनकि टेलीफोन बूथ की स्थापना हेतु छूट संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक कार्यान्तिव किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक संस्थानों में अनियमितताएं

2339. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) ने आई. सी.ए.आर., आई.सी.एम.आर., सी.एस.आई.आर. आदि जैसे कतिपय वैज्ञानिक संस्थानों के कार्यकरण में कमियों और अनियमितताओं का खुलासा किया है; और

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विशेषज्ञ डाक्टर से परामर्श के लिए नीति

2340. **श्री राकेश सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा आपात स्थिति में सी.जी.एच.एस. द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ डाक्टरों से परामर्श करने और लाभ उठाने की पुरानी नीति में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परिवर्तन केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में ही लागू होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं के अभाव में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समक्ष आ रही गंभीर समस्याओं के मद्देनजर सरकार का विचार सी.जी.एच.एस. द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पुरानी नीति को पुन: बहाल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 24.10.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एस-12020/4/97-सी.जी.एच. एस. (पी) के तहत सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में उपचार प्राप्त करने के लिए सी.जी.एच. एस. लाभार्थियों (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की है।

सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को सी.जी.एच.एस. के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में अंतर्गत रोगी उपचार और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि जैसी ओ.पी.डी. जांच/परीक्षण करवाने का विकल्प दिया गया है बशर्ते कि सी.जी.एच.एस./सरकारी विशेषज्ञ या सी.जी. एच.एस. औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सलाह दी गई चिकित्सा प्रक्रिया/जांच/परीक्षण हेतु सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त कर ली गई हो।

तथापि, आपातकाल के दौरान रोगी उपचार के लिए किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में सीधे ही जा सकते हैं और उसके बाद प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

सी.जी.एच.एस. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में ओ.पी.डी. परामर्श की अनुमति सी.जी.एच.एस. के तहत नहीं दी जाती है क्योंकि लाभार्थी, सी.जी.एच.एस. औषधालयों में और सरकारी अस्पतालों में परामर्श ले सकते हैं जहां विशेषज्ञ परामर्श भी उपलब्ध होता है।

उत्तर प्रदेश में मोबाइल टावर

2341. **मो. मुकीम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां अगले तीन वर्षों में मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे; और

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के उचित कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदान की जा चुकी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लि. सहित विभिन्न प्रचालकों को लाइसेंस जारी कर दिए हैं और ये लाइसेंसधारक लाइसेंस करार के ढांचे के भीतर अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस करार की शर्तों के अंतर्गत लाइसेंसधारकों पर ग्रामीण क्षेत्रों के कवरेज की अनिवार्यता नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में मोबाइल कनेक्शन

2342. श्री पी.सी. थामस: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिनके पास बी.एस.एन.एल. की मोबाइल सेवाएं हैं; और

(ख) पूरे केरल को मोबाइल कनेक्शन कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने अब तक केरल के 6,12,405 उपभोक्ता आधार वाले सभी जिला मुख्यालयों (डी.एच.क्यू.) तथा प्रमुख पर्यटक केन्द्रों/तीर्थ स्थलों इत्यादि सहित इसके 395 नगरों में अपनी सेल्युलर सेवा प्रदान की है। बी.एस.एन.एल. ने अब, प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्रों, तहसील मुख्यालयों के स्तर तक के अतिरिक्त शहरों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई है एवं नेटवर्क रॉल-आऊट वर्ष 2005 के दौरान प्रत्याशित है। तहसील मुख्यालयों से निचले स्तर के नगरों में सेल्युलर सुविधा प्रदान करने के लिए, उनकी व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए, भावी विस्तार कार्यक्रम में विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

दृष्टिहीनता

2343. श्रीमती करूणा शुक्ला:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री रामदास आठवले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है और देश में बढ़ रही दृष्टिहीनता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जिला स्तर पर किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है जिससे देश में दृष्टिहीनता को नियंत्रित किया जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। दृष्टिहीनता के बारे में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1986-89 में दृष्टिहीनता की व्यापतता 1.49 प्रतिशत होने का अनुमान था जो वर्ष 2001-2002 में घटकर 1.1 प्रतिशत रह गई है।

(ख) देश में 12 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्ति होने का अनुमान है।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दृष्टिहीनता की व्यापतता को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. मोतियाबिंद के उपचार के लिए इन्ट्रा ओकूलर लेन्स नि:शुल्क लगाने के काम को प्रोत्साहन।
2. स्कूली बच्चों में अपवर्तक दोषों (रिफ्रक्टिव इरर) का पता लगाना और उनको ठीक करना तथा निर्धन बच्चों को नि:शुल्क चश्मे उपलब्ध कराना।
3. कार्नियल दृष्टिहीनता के उपचार के लिए नेत्रदान एवं नेत्र बैंक को बढ़ावा देना।
4. नेत्र रोगों की रोकथाम एवं उपचार के लिए जन जागरूकता।
5. आधारभूत सुविधा के विकास, उपकरण एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करके सरकारी एवं स्वैच्छिक क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या सेवा-क्षमता में वृद्धि करना।

टेलीफोन मीटर की शुरूआत

2344. श्री राजेन गोहेन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिलों के विरुद्ध बड़ी संख्या में शिकायतों/उपभोक्ता मामलों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की बिजली मीटर और जल मीटर की तरह उपभोक्ता के पास टेलीफोन मीटर की शुरूआत करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) जारी बिलों की बड़ी संख्या की तुलना में, बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. में गलत एवं अधिक बिलिंग की शिकायत की प्रतिशतता बहुत कम है। (क्रमश: 0.06% एवं 0.12%)। अधिकांश एक्सचेंज, डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर आधारित हैं एवं इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग की अनुरक्षण प्रणाली में स्वत: ही होता है। यह प्रणाली त्रुटिरहित, विश्वस्त एवं सुरक्षित है। अत: टेलीफोन उपभोक्ताओं के आवास पर बिजली के मीटर/पानी के मीटर की भांति टेलीफोन का पृथक् मीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, बिलिंग प्रणाली को उत्तरोत्तर रूप से कंप्युटरीकृत किया जा रहा है ताकि हर संभव यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही टेलीफोन बिल जारी किए जाएं। उपभोक्ताओं के आवास पर मीटरों की व्यवस्था करना तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

'कोल वाशरिज'' की स्थापना

2345. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''बिल्ड-आपरेट-लीज ट्रांसफर'' (बी.ओ. एल.टी.) के आधार पर ''कोल वाशरिज'' की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले में राख का प्रतिशत अधिक होता है; और

(घ) यदि हां, तो ''कोल वाशरिज'' की स्थापना से कम राख प्रतिशत वाले कोयले को प्राप्त करने में उपभोक्ताओं को कितनी मदद मिलेगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) सरकार निजी क्षेत्र की वाशरियों में कोयले की धुलाई को प्रोत्साहित कर रही है। इन वाशरियों को स्व-निर्मित-स्वचालित (बी.ओ.ओ.) आधार पर कोयला वाशरियों को स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(i) कोल इंडिया लिमिटेड ने मुख्य रूप से तापीय विद्युत गृहों को धुले कोयले की आपूर्ति करने के लिए वैश्विक निविदा के माध्यम से, विभिन्न स्थलों पर नान-कोकिंग कोयला वाशरियों की स्थापना करने के लिए निजी उद्यमियों का चयन किया है। वर्तमान में एम.एस.ई.बी. को धुले कोयले की आपूर्ति के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, दिपका में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष थ्रूपुट क्षमता की एक वाशरी स्थापित करने के लिए निजी प्रचालकों के साथ करार को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत चल रही है।

(ii) कोल इंडिया लि. ने मुख्य रूप से तापीय विद्युत गृहों को धुले नॉन-कोकिंग कोयले की आपूर्ति के लिए अपने उपभोक्ताओं तथा निजी उद्यमियों को नान कोकिंग कोयला वाशरियां स्थापित करने की पेशकश की है। सी.आई.एल. ने पट्टे पर/शुल्क लिए जाने के आधार पर, जैसा भी उपलब्ध हो, बी.ओ.ओ. योजना के अंतर्गत स्वयं अथवा निजी उद्यमियों के द्वारा वाशरियां स्थापित करने के लिए अपने उपभोक्ताओं को भूमि तथा अन्य ढांचागत सुविधाओं की पेशकश की है। इस योजना के अंतर्गत सी.आई.एल. की भूमि पर कोरबा कोलफील्ड में 2 वाशरियां स्थापित की गई हैं और लिंक्ड उपभोक्ताओं को धुले कोयले की आपूर्ति के लिए वे प्रचालन में है। सी.आई.एल. ने बी.ओ.ओ. योजना के अंतर्गत वाशरी स्थापित करने के लिए राज्य विद्युत उपयोगिता को भी भूमि आबंटित की है।

(iii) सी.आई.एल. ने बी.ओ.ओ. योजना के अंतर्गत नॉन-कोकिंग कोयला वाशरियां स्थापित करने के लिए सुविधादाता के रूप में भी कार्रवाई आरम्भ कर दी है और वे भारी संख्या में निवेशकों द्वारा दर्शाई गई रूचि से अभिभूत है। तथापि, अभी तक इस प्रयास का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि उपभोक्ता तथा निवेशक/वाशरी प्रचालक के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।

(ग) सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति किया गया सारा कोयला उच्च राख प्रतिशतता वाला नहीं है। सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को आपूर्तित नान-कोकिंग कोयले की राख प्रतिशतता लगभग 18% से 40% के बीच है (ग्रेड ''ए'' से ग्रेड ''एफ'')।

(घ) कोयला वाशरियां कोयले की धुलाई की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन संभव सीमा तक अपेक्षित गुणवत्ता वाला धुला कोयला प्राप्त करने में उपभोक्ताओं अर्थात् तापीय विद्युत ग्रहों, सीमेन्ट संयंत्रों, स्पान्ज आयरन संयंत्रों आदि की मदद करेंगी। तथापि, कुछ तापीय विद्युत गृहों को 33 से 34% के बीच राख अंश वाले धुले कोयले की आपूर्ति की गई है।

पत्तनों पर कंटेनरों की कमी

2346. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल भेजने वालों और माल पाने वालों के बीच विवाद के चलते सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कंटेनरों को अनुचित रूप से निरूद्ध किए जाने और प्रचालन में कंटेनरों की अपर्याप्त संख्या के कारण विभिन्न पोतों पर कंटेनरों की उपलब्धता घट गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन और सुदूर-पूर्व में बढ़ते कंटेनर बाजार में कई उन कंटेनरों को आकर्षित किया है जो पहले भारत की सेवा में थे; और

(घ) यदि हां, तो कंटेनर कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पर्याप्त कंटेनरों की अनुपलब्धता से, सितम्बर

और अक्तूबर, 2004 के महीनों के दौरान, भारत के निर्यात पर कुछ सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी कंटेनरों की अनुपलब्धता से निर्यात पर पड़े उपर्युक्त प्रभाव की मात्रा आंकी नहीं जा सकती। सीमा-शुल्क-अधिनियम की धारा 118 और 119 के प्रावधानों के अनुसार, सीमा-शुल्क-प्राधिकारियों द्वारा कंटेनरों को रोके रखे जाने से निर्यातक समुदाय को कंटेनर उपलब्ध करावाया जाना प्रभावित होना संभावित नहीं है।

(ग) और (घ) चीन और सुदूर पूर्व में कंटेनर-बाजार के फलने फूलने से भारत में प्रमुख कंटेनर-टर्मिनलों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वाणिज्य-विभाग ने पत्तन-प्राधिकारियों, शिपिंग लाइंस, माल-भाड़ा-अग्रेषकों, सीमा-शुल्क-एजेंटों से कई बैठकें की हैं। उपर्युक्त एजेंटों को आयात के परेषणों के संबंध में शीघ्र ही अनापत्ति दिलवाने और उनका अन्तर्देशीय परिवहन करवाने के कारगर कदम उठाने की सलाह दी गई है, जिससे कि निर्यात के प्रयोजनों से कंटेनरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

[हिन्दी]

डाक वितरण

2347. श्री बीर सिंह महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक विभाग द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तत्परता से डाक वितरण हेतु कौन-सी नीतियां बनाई गई हैं;

(ख) क्या गांवों में पत्रों और लिफाफों के वितरण में अत्यधिक विलंब के कारण ग्रामीण लोगों को असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय कि गए हैं या किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में डाक के समय से वितरण के लिए डाक विभाग द्वारा बनाई गई नीतियां निम्नानुसार हैं:

(i) त्वरित पारेषण एवं शीघ्र वितरण के लिए डाक का लोकल मेल के लिए ग्रीन चैनल, मैट्रो चैनल, राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल, पत्रिका चैनल आदि विभिन्न चैनलों में वर्गीकृत करना।

(ii) परीक्षण पत्रों और जांच कार्डों के माध्यम से डाक रूटिंग और वितरण की नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

(iii) कमियों की पहचान करने और डाक पारेषण एवं वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में नियमित अंतराल पर लाइव मेल सर्वेक्षण किया जाता है।

(iv) डाक पारेषण को और कुशल बनाने तथा शीघ्र डाक वितरण के लिए मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण एवं ऑटोमेशन किया जा रहा है।

(v) डाक वितरण का प्रगामी यांत्रिकीकरण।

(vi) फैलती हुई शहरी बस्तियों में पर्याप्त मानवशक्ति को तैनात करने के लिए डाक वितरण को युक्तिसंगत बनाना और इसका पुनर्गठन करना।

(vii) डाक वितरण तक मॉनीटरिंग को विकेन्द्रीकृत करना एवं पर्यवेक्षक कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा डाक वितरण की औचक जांच करना।

(viii) डाक के पारेषण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयरलाइनों, रेलवे एवं राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरणों से समन्वय बैठकों का आयोजन।

(ix) शीघ्र वितरण के लिए बहु मंजिली इमारतों के भूतल में मेल बॉक्स संस्थापित करने एवं पिन कोड आदि के उपयोग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना।

(x) सीजनल डाक के निपटान के लिए पर्याप्त मानवशक्ति वाले अलग केन्द्र खोले गए हैं ताकि ऐसी डाक पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

(ख) जी नहीं। बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कभी-कभी यह होता है। कभी मेल वाहक रेल गाड़ियों और राज्य परिवहन की बसों के रद्द होने/देरी से चलने, डाक के गलत स्थान पर भेजने, अधूरे पते, प्राप्तकर्ता के न मिलने, वितरक डाकघर को सूचित किए बिना प्राप्तकर्ता का पता बदले होने आदि के कारण भी पत्रों एवं लिफाफों के वितरण में देरी हो जाती है।

(ग) प्रणाली में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय:

1. परीक्षण पत्रों और जांच कार्डों को डाक में डालकर डाक रूटिंग, पारेषण और डाक-वितरण की नियमित मानीटरिंग।

2. डाक पारेषण रूटों और विधियों की सावधिक पुनरीक्षा की जाती है ताकि डाक पारेषण की त्वरित एवं अधिक विश्वसनीय ढंग की व्यवस्था हो सके।

3. समय पर डाक प्रेषण, पारेषण, डाक वितरण और समय-समय पर यथापेक्षित तुरन्त पूरक या वैकल्पिक बन्दोबस्त सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।

4. अपेक्षानुसार पर्याप्त मानवशक्ति लगाने के विचार से डाक हैन्डलिंग संबंधी प्रणालियों का युक्तिकरण/पुन:संरचना करना।

5. डाक परिवहन और इसके वितरण करने का प्रगामी यांत्रिकीकरण।

[अनुवाद]

प्रिंटिंग पेपर की खरीद

2348. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.आई.आर. के निस्केयर (एन.आई.एस.सी.ए. आई.आर.) प्रतिष्ठान के निदेशक ने वर्ष 2000 के बाद भारी मात्रा में प्रिंटिंग पेपरों की यह कहते हुए खरीद की कि यह पेपर सांपत्तिक वस्तु है;

(ख) यदि हां, तो सितंबर, 2000 के बाद खरीद की गई और उपयोग में लाई गई पेपर की मात्रा सहित ऐसी खरीद का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त खरीद के बाद निदेशक ने निस्केयर (एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर.) के एक कर्मचारी पर यह आरोप लगाते हुए उसे निलंबित कर दिया कि संस्थान में खरीद सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है;

(घ) D;kmDr [kjhn dsckn deZpkfj;ksa ldksfth fcØेताओं के बिलों को निपटाने के लिए रविवार सहित अवकाश के अन्य दिनों में भी कार्य करने का निर्देश दिया गया है;

(ङ) क्या उक्त खरीद, निलंबन और अवकाश के दौरान कार्य करने के निदेश की जांच का आदेश दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केबल बिछाया जाना

2349. डा. राजेश मिश्रा:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन शहरों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनमें रिलायंस लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा केबल बिछाए गए थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा उन लाइनों को बिछाने के लिए राज्य-वार सड़कों की कुल कितनी लंबाई को काटा गया;

(ग) उक्त कंपनियों द्वारा सड़क कटाई प्रभार के रूप में स्थानीय निकायों को वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) क्या उक्त कंपनियों द्वारा काटी गई सड़कों और सड़क कटाई प्रभार के बीच कोई समानुपातिक अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा सड़क कटाई प्रभार जारी करने में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तपेदिक के इलाज के लिए नया अणु

2350. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (सी.एस.आई.आर.) और ल्यूपाइन लिमिटेड ने संयुक्त रूप से एल.एल. 4858 सबोटर्न नामक एक नया अणु खोजा है जो तपेदिक के इलाज को 6-12 महीने के वर्तमान समय से घटाकर केवल 2 महीने का समय लगाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों के समूह ने इस अणु आधारित औषध के मानव पर उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस नयी औषध को बाजार में कब तक लाये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एन.एम.आई.टी.एल.आई.) स्कीम के अंतर्गत सी.एस.आई.आर. द्वारा समर्थित परियोजना में औद्योगिक भागीदार ल्यूपिन लिमिटेड ने तपेदिक के उपचार के लिए एक नया अणु खोजा है। इस अणु का नाम सुडोटर्ब एल.एल. 4858 है। वास्तव में यह सुडोटर्ब, आइसोनिएजिड, रिफैम्पिसिन, तथा पाइरैजिनेमाइड का संयोजन है। जानवरों पर किए गए अध्ययनों में इस संयोजन ने वर्तमान में उपचार में लगने वाले 6 से 8 माह के समय को घटाकर 2 माह कर दिया है।

(ख) और (ग) भारत के औषध महानियंत्रक (डी.सी.जी.आई.) ने इस अणु के मानवों में चरण-I के चिकित्सीय परीक्षणों के

लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह अणु अभी औषध का रूप नहीं ले पाया है और यदि सभी चिकित्सीय परीक्षण सफल होते हैं, तो औषध के रूप में इस यौगिक को प्रवर्तित करने में लगभग 5-6 वर्ष का समय लग सकता है।

[अनुवाद]

समुद्रीय आयोग की स्थापना

2351. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समुद्रीय आयोग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग में किन-किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है; और

(ग) आयोग के गठन के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विजन-2020

2352. **श्री बी. विनोद कुमार:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक सुधार, उदारीकरण आरंभ किये जाने और कुल निवेश में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि होने से देश में आयोजना की भूमिका में बदलाव आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारणों से आयोजना का दीर्घकालिक स्वप्न भी बदल गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके मद्देनजर सरकार ने विजन-2020 संबंधी समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति के विस्तृत निदेश पद क्या हैं और समिति ने अपने गठन के पश्चात् से अभी तक कितनी बैठकें की हैं और कितनी प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं; और

(ङ) समिति ने अभी तक दीर्घकालिक आयोजना हेतु कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां। आर्थिक सुधारों, उदारीकरण और कुल निवेश में निजी क्षेत्रक की भागीदारी में वृद्धि से देश में आयोजना की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन यह विगत में परिकल्पित भूमिका से अलग है। बहुत से क्षेत्र, उदाहरण के लिए सामाजिक क्षेत्रक ऐसे हैं जहां स्पष्टतया इसकी भूमिका को बढ़ाना होगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, उदाहरण के लिए जैसे आधारिक संरचना विकास जहां अन्तराल बहुत अधिक हैं और निजी क्षेत्रक के इसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रवेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इन सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के अनुकूल व्यवहार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक विनियामक प्रणाली को सृजित करने और उसे बनाए रखने में आयोजना की भूमिका, और एक स्तरीय संचालन क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय और भावी योजनाओं ने उभरती चुनौतियों, प्राथमिकताओं और अवसरों पर निर्भर करते हुए अपने विजन तैयार किए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने मई, 2000 में विजन 2020 संबंधी समिति का गठन किया था। समिति के मुख्य विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:

1. विशेष रूप से अवसरों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आउट लुक फॉर इण्डिया इन 2020 तैयार करना, और
2. मानव विकास, सामाजिक और भौतिक आधारित संरचना, ज्ञान संसाधन और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, अभिशासन और सुरक्षा सहित बहुआयामी ढांचे में अगले दो दशकों में भारत के विकास अवसरों की संभावनाओं की कल्पना करना।

समिति ने दिसम्बर, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व आठ बैठकें की थीं।

(ङ) समिति द्वारा दीर्घकालिक आयोजना के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई थी।

1. भौतिक संसाधनों की संधारणीयता
2. भौतिक आधारिक संरचना
3. सुविज्ञान समाज की ओर
4. खाद्य और पोषण
5. एक भारतीय की स्थिति
6. कल्याण के आर्थिक आयाम
7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता
8. बाहरी पर्यावरण, और
9. अभिशासन तथा लोगों की भागीदारी।

स्नातकोत्तर संस्थान के रूप में राम मनोहर लोहिया अस्पताल

2353. **श्री मधुसूदन मिस्त्री:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आर.एम.एल.) को स्नातकोत्तर संस्थान में परिवर्तित करने का कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल पूर्ण रूप से स्नातकोत्तर संस्थान के रूप में कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा;

(ग) क्या राम मनोहर लोहिया के गैर-शिक्षण विशेषज्ञों को शिक्षण पदनाम दिये जायेंगे जैसा कि दिनांक 25 जून, 2004 के 'द स्टेट्समैन' में ''आर.एम.एल. डॉक्स टु डॉन टीचर्स रोब्स'' शीर्ष से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के विरुद्ध होगा: और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्नातकोत्तर संस्थान के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुसार शिक्षण संकाय में भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्नातकोत्तर संस्थान खोलने के लिए नींव 25 नवम्बर, 2004 को रखी गई थी। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वहां कार्य कर रहे विशेषज्ञों की पात्रता का आकलन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के संगत विनियमों के अनुसार संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। अस्पताल का पूर्ण रूप से स्नातकोत्तर संस्थान के रूप में कार्य करना सभी अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

एक गांव एक उद्योग कार्यक्रम

2354. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'एक गांव एक उद्योग कार्यक्रम' आरंभ करके ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री मल्लवीर प्रसाद): (क) और (ख) ग्रामोद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा सहयोग देने के लिए, सरकार सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) को कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत, एक उद्यमी अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहयोग और किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करके परियोजनाएं स्थापित कर सकता है। अनुमेय मार्जिन मनी सहयोग निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

आर.ई.जी.पी. के तहत मार्जिन मनी सहयोग

क्र. सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहयोग
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
2.	अनु.जा./अनु.जनजा./महिलाएं/पूर्व-सेवाकर्मी/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत
3.	सामान्य	10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	2.5 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत
4.	अनु.जा./अनु.जनजा./महिलाएं/पूर्व-सेवाकर्मी/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	3 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत

टिप्पणी: अनु.जा/अनु.जन.जा. = अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

सरकार ने 2004-05 के दौरान आर.ई.जी.पी. के तहत 5.25 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आर.ई.जी.पी. के तहत रोजगार सृजन के लिए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केंद्रों (डी.आई.सी.) और बैंकों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत, शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार उपक्रम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। पी.एम.आर. वाई. के तहत, केंद्र सरकार हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सौंपे गए रोजगार अवसरों के सृजन के लक्ष्यों के आधार पर सब्सिडी, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (ई.एफ.पी.), आकस्मिकताओं आदि के लिए फंड आबंटित करती है। सब्सिडी के लिए केंद्रीय फंड भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं जो बदले में उन्हें कार्यान्वयक बैंकों को जारी करता है ताकि प्रत्येक लाभार्थी के ऋण खाते में राशि को क्रेडिट किया जा सके। इस योजना के तहत, व्यवसाय क्षेत्र में 1 लाख रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाएं और अन्य क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाएं सहयोग की हकदार हैं। सब्सिडी राशि परियोजना लागत का 15 प्रतिशत और अधिकतम 7,500 रुपये तक है। हकदार व्यक्ति एक पार्टनशिप में साथ मिलकर 10 लाख रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी का मार्जिन मनी सहयोग परियोजना लागत का 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत है, ताकि सरकारी सब्सिडी और मार्जिन मनी में लाभार्थी का अपना योगदान मिलकर परियोजना लागत का 20 प्रतिशत के बराबर हो। 2004-05 के दौरान पी.एम.आर.वाई. के तहत नई इकाइयां स्थापित करने के लिए योजना लक्ष्य का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

2004-05 के दौरान आर.ई.जी.पी. के तहत अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए राज्यवार लक्ष्य

क्र. स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य (संख्या व्यक्तियों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	24884
2.	अरुणाचल प्रदेश	1417
3.	असाम	28717
4.	बिहार	25567
5.	गोवा	9030
6.	गुजरात	13754
7.	हरियाणा	14017
8.	हिमाचल प्रदेश	12285
9.	जम्मू-कश्मीर	12915
10.	कर्नाटक	25567
11.	केरल	23677
12.	मध्य प्रदेश	21577
13.	महाराष्ट्र	40319
14.	मणिपुर	2535
15.	मेघालय	7980
16.	मिजोरम	2467
17.	नागालैंड	4935
18.	उड़ीसा	19057
19.	पंजाब	26197
20.	राजस्थान	43627
21.	सिक्किम	1732
22.	तमिलनाडु	23309
23.	त्रिपुरा	5407
24.	उत्तर प्रदेश	43679
25.	पश्चिम बंगाल	50084
26.	अंडमान एवं निकोबार	1607
27.	चंडीगढ़	53
28.	दादर नगर हवेली	221
29.	दिल्ली	735
30.	लक्षद्वीप	52
31.	पांडिचेरी	210
32.	छत्तीसगढ़	10447
33.	झारखंड	13965
34.	उत्तरांचल	13125
	योग	525150

विवरण-II

2004-05 के दौरान पी.एम.आर.वाई. के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नई इकाइयों के लिए सौंपे गए लक्ष्य

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना लक्ष्य (इकाइयों की संख्या)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	21500
2.	असम	7500
3.	अरुणाचल प्रदेश	200
4.	बिहार	16000
5.	दिल्ली	4500
6.	गोवा	500
7.	गुजरात	10000
8.	हरियाणा	5100
9.	हिमाचल प्रदेश	3000
10.	जम्मू-कश्मीर	2000
11.	कर्नाटक	12000
12.	केरल	17000
13.	मध्य प्रदेश	14000
14.	महाराष्ट्र	26000
15.	मणिपुर	1500
16.	मेघालय	400
17.	मिजोरम	200
18.	नागालैंड	400
19.	उड़ीसा	7100
20.	पंजाब	4600
21.	राजस्थान	9100
22.	तमिलनाडु	20000
23.	त्रिपुरा	1000
24.	उत्तर प्रदेश	26000
25.	पश्चिम बंगाल	24000
26.	अंडमान एवं निकोबार	150
27.	चंडीगढ़	300
28.	दमन एंड दीव	50
29.	दादरा एंड नगर	50
30.	लक्षद्वीप	50
31.	पांडिचेरी	700
32.	सिक्किम	100
33.	उत्तरांचल	2500
34.	झारखंड	6500
35.	छत्तीसगढ़	6000
	योग	250000

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन

2355. श्री सीताराम सिंह: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन और विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जड़ी-बूटी और औषधीय पौधों पर आधारित ग्रामीण उद्योगों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के कारण लाखों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण उद्योगों के अंतर्गत पंजीकृत संगठनों/संस्थाओं को विशेष छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ङ) देश में ग्रामीण उद्योगों जिसमें हर्बल एवं औषधीय पादप आधारित उद्योग शामिल हैं; को संवर्धित करने के लिए, सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) को कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत, कोई भी उद्यमी 25 लाख रुपये की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता एवं सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर ग्रामोद्योग की स्थापना कर सकता है। मार्जिन मनी सहायता निम्नलिखित सारणी में दिए गए ब्योरे के अनुसार दी गई है:

आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता

क्र. सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहयोग
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25%
2.	अनुसूचित जाति/अ.ज.जाति/महिला/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30%
3.	सामान्य	10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	2.5 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10%
4.	अनुसूचित जाति/अ.ज.जाति/महिला/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	3 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10%

आर.ई.जी.पी. के तहत, देश में स्थापित हर्बल एवं औषधीय पादप आधारित उद्योगों सहित वन-आधारित उद्योगों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में सृजित रोजगार निम्नोक्त है:–

वर्ष	हर्बल एवं औषधीय पादप आधारित उद्योगों सहित वन आधारित उद्योग	
	परियोजना की संख्या	सृजित रोजगार व्यक्तियों की संख्या
2001-02	1607	23528
2002-03	3666	53320
2003-04	2371	118235

इस प्रकार इन उद्योगों के स्तर में स्थिरतापूर्वक वृद्धि हो रही है। केन्द्र सरकार, आर.ई.जी.पी. के तहत, नई इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है। विद्यमान इकाइयों, जो बैंकों से ऋण सहायता लेकर स्थापित की गई थी, परन्तु जो अब रूग्ण हो गई हैं, वे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) के दिशानिर्देशों के अनुसार लघु उद्योग (एस.एस.आई.) क्षेत्र में रूग्ण इकाइयों के लिए उपलब्ध पुनर्वास सहायता के लिए पात्र हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये उपाय शामिल हैं:–

(i) कैश क्रेडिट और आवधिक ऋण पर, उस वर्ष से जबसे इकाई ने कैश की हानि उठानी शुरू की है, पैनल इन्टरेस्ट का अधित्याग।

(ii) कैश क्रेडिट और आवधिक ऋण पर भुगतान न किए गए ब्याज को कुल देयता से अलग किया जाना चाहिए तथा पहले की राशि को अलग ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में माना जाना।

(iii) भुगतान न किए गए आवधिक ऋणों पर ब्याज की घटती दर (अतिलघु इकाइयों के लिए 3% तक तथा लघु उद्योग इकाइयों के लिए 2% तक की कमी) प्रभारित की जानी चाहिए।

(iv) ब्याज दर, जो प्राईम लेंडिंग दर से अधिक न हो, पर अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाना चाहिए।

पटना में सम्राट अशोक स्मारक अस्पताल

2356. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पहले पटना स्थित राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के परिसर में 50 बिस्तरों वाले सम्राट अशोक स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र का उद्घाटन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल की अनुमानित लागत, बजटीय प्रावधान का ब्यौरा क्या है और कितना व्यय किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या निर्माण कार्य गत एक वर्ष से लंबित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक अस्पताल का निर्माण किये जाने की संभावना है और यह कब तक आरंभ किया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) यद्यपि राजेन्द्र स्मारक आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, पटना की नींव मई, 2001 में रखी गई थी, लेकिन आवश्यक मंजूरियां वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 49.44 करोड़ रुपए है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्थल की आरम्भिक तैयारी आदि के लिए प्रारम्भिक कार्य पहले ही शुरू कर दिया है और निर्माण कार्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाने की आशा है।

कोयला कंपनियों का बन्द होना

2357. **श्री टेक लाल महतो:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में उत्खनन उद्योग के बंद होने के कारण राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार झारखंड में बड़े पैमाने पर कोकिंग कोयले के उत्खनन का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) कोकिंग कोयले का उत्खनन कब से आरंभ किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) की कुछ खानें झारखंड में स्थित हैं। जब इन कंपनियों की कोई कोयला खानें, कोयला भंडारों की समाप्ति हो जाने सुरक्षा अथवा तकनीकी-आर्थिक अक्षमता के कारण बंद कर दी जाती है, तो इन खानों के कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाती है अपितु उन्हें अन्य खानों में पुन: लगा दिया जाता है।

(घ) से (च) झारखंड राज्य में सी.आई.एल. की कोकिंग कोयला खानें बी.सी.सी.एल. तथा सी.सी.एल. में हैं। कठिन भू-खनन स्थिति तथा बी.सी.सी.एल. में झरिया टाउनशिप की मौजूदगी के कारण जहां प्रमुख कोकिंग कोयले के मुख्य भंडार हैं, काफी मात्रा में कोकिंग कोयले के उत्खनन की संभावना नहीं है। कोकिंग कोयले के उत्खनन योग्य भंडार कई वर्षों से खाली हो रहे हैं। झारखंड राज्य में स्थित खानों से सी.आई.एल. का कोकिंग कोयला उत्पादन कार्यक्रम नीचे दिया गया है:–

(मिलियन टन में)

	2004-05 (लक्ष्य)	2005-06 (लक्ष्य)	2006-07 (प्रक्षेपण)
बी.सी.सी.एल.	8.54	7.73	10.77
सी.सी.एल.	11.01	11.78	10.32
जोड़	19.55	19.51	21.09

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय मिशन खोला जाना

2358. **श्री वी.के. दुग्गर:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के कौन-कौन से देशों के साथ राजनय संबंध है और भारत कौन-कौन से देशों के साथ समवर्ती प्रत्यायन के माध्यम से शामिल है;

(ख) कुल कितने देशों के और कौन-कौन से देशों के नयी दिल्ली में निवासी प्रतिनिधि है और कौन-कौन से देशों के अनिवासी प्रतिनिधि हमारे देश में हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुछ देशों में मिशन खोलने/बंद करने की आवश्यकता संबंधी कोई व्यापक अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसी अन्य देश में मिशन/वाणिज्य दूतावास/चौकी खोलने के उद्देश्य के प्राय: ध्यान में रख जाने वाले कारकों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) उन देशों, जहां निवासी भारतीय दूतावास/उच्चायोग विद्यमान हैं और जिन देशों को समवर्ती मान्यता के माध्यम से भारत द्वारा शामिल किया गया है, को संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस समय 118 देशों के निवासी प्रतिनिधि नई दिल्ली में हैं, जिनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। जिन देशों के अ-निवासी प्रतिनिधि भारत में हैं, उनके नाम संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) मंत्रालय विदेश में निवासी भारतीय मिशनों के खोलने/बंद करने की आवश्यकता की निरन्तर समीक्षा करता है। एक बाहरी देश में निवासी भारतीय मिशन/पोस्ट को खोलने का निर्णय प्रदेश में हमारे हितों और संबंधित बाहरी देश के आकलन के बाद लिया जाता है। विदेश में एक निवासी मिशन/पोस्ट को खोलने का निर्णय लेते समय सामरिक एवं राजनीतिक पहलुओं, आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों, कौंसलर आवश्यकताओं, विदेश में भारतीयों की उपस्थिति के साथ-साथ संबद्ध देश के साथ द्विपक्षीय राजनीतिक संपर्क के स्तर को ध्यान में रखा जाता है। नए निवासी भारतीय मिशनों को खोलने का निर्णय लेने से पहले मंत्रालय की मानव एवं वित्तीय संसाधन बाधाओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

इसी तरह से, मंत्रालय द्वारा इसका निरन्तर आकलन किया जाता है कि क्या भारतीय हितों-सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा कौंसलर या अन्य हितों–को एक विशेष देश में निवासी मिशन/पोस्ट को बनाए

रखकर पूरा किया जा रहा है? कानूनी झगड़े, कानून-व्यवस्था के बिगड़ने, युद्ध-जैसी परिस्थितियों, आदि के कारण जहां मिशन का कार्य करना संभव नहीं होता है, वहां मिशन को बंद करने का निर्णय लिया जाता है। इसके साथ-साथ वित्तीय परिस्थितियां भी यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि क्या एक निवासी भारतीय मिशन को बनाए रखना आवश्यक है? किसी भी उपरोक्त परिस्थिति में, यदि एक निवासी भारतीय मिशन को बंद किया जाता है, तो मंत्रालय उस देश के साथ भारत के हितों को बनाए रखने के लिए समवर्ती मान्यता तंत्र को अपनाती है। स्वभाविक तौर पर, मिशनों को बंद करते समय सावधानी बरती जाती है।

उदाहरणस्वरूप, पूर्ववर्ती सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विघटन के बाद, केन्द्रीय एशिया और अन्य सी.आई.एस. देशों में निवासी भारतीय मिशनों को खोलने का निर्णय लिया गया था। पुन: अफगानिस्तान में तालीबान शासन के समाप्त होने के बाद सरकार ने काबुल में अपने मिशन के साथ-साथ कंधार और जलालाबाद में कौंसलावासों को फिर से खोला तथा मजार-ए-शरीफ और हेरात (अफगानिस्तान) में नए कौंसलावासों को खोला। इसी तरह से, पिछले दो वर्षों के दौरान मण्डल (म्यांमा) और वीरगंज (नेपाल) में नए कौंसलावास खोले गए थे।

विस्तृत आकलन के आधार पर, 2001-02 के दौरान ओगादोगो (बुर्किना फासो) और वलेट्टा (माल्टा) में दो भारतीय मिशनों को बंद कर दिया गया था।

विवरण-I

देशों की सूची जहां भारतीय दूतावास/उच्चायोग विद्यमान हैं

भारत का राजदूतावास

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
1	2	1	2
1.	अफगानिस्तान	9.	बेलारूस
2.	अल्जीरिया	10.	बेल्जियम
3.	अंगोला	11.	भूटान
4.	अर्जनटीना	12.	ब्राजील
5.	आर्मेनिया	13.	बुल्गारिया
6.	आस्ट्रिया	14.	कम्बोडिया
7.	अजरबाइजान	15.	चिली
8.	बहरीन	16.	चीन
17.	कोलम्बिया	46.	मेडागास्कर
18.	कोटे डी आइबरी	47.	मैक्सिको
19.	क्रोएशिया	48.	मंगोलिया
20.	क्यूबा	49.	मोरक्को
21.	चेक गणराज्य	50.	म्यांमा
22.	डेनमार्क	51.	नेपाल
23.	मिस्त्र	52.	नीदरलैंड
24.	इथोपिया	53.	नार्वे
25.	फिनलैण्ड	54.	ओमान
26.	फ्रांस	55.	पनामा
27.	जर्मनी	56.	पेरू
28.	यूनान	57.	फिलीपींस
29.	हंगरी	58.	पोलैंड
30.	इण्डोनेशिया	59.	पुतर्गाल
31.	ईरान	60.	कतर
32.	इराक	61.	रोमानिया
33.	आयरलैंड	62.	रूसी परिसंघ
34.	इजरायल	63.	सऊदी अरब
35.	इटली	64.	सेनेगल
36.	जापान	65.	सरबिया और मॉंटेनेग्रो
37.	जोर्डन	66.	स्लोवक गणराज्य
38.	कजाकस्तान	67.	स्पेन
39.	कोरिया (नार्थ)	68.	सूडान
40.	कोरिया (साउथ)	69.	सूरीनाम
41.	कुवैत	70.	स्वीडन
42.	किर्गिजस्तान	71.	स्विटजरलैंड
43.	लाओस	72.	सीरिया
44.	लेबनान	73.	ताजिकिस्तान
45.	लीबिया	74.	थाइलैंड

1	2	1	2
75.	टयुनीशिया	**भारत का उच्चायोग**	
76.	तुर्की	86.	आस्ट्रेलिया
77.	तुर्कमेनिस्तान	87.	बंगलादेश
78.	संयुक्त अरब अमीरात	88.	बौत्सवाना
79.	यू एस ए	89.	ब्रने दारूसलाम
80.	यूक्रेन	90.	कनाडा
81.	उजबेगिस्तान	91.	साइप्रस
82.	वेनेजुएला	92.	फिजी
83.	वियतनाम	93.	घाना
84.	यमन	94.	गुयाना
85.	जिम्बाबवे	95.	जमैका
96.	केन्या	106.	सेशल्स
97.	मलेशिया	107.	सिंगापुर
98.	मॉलदीव	108.	साऊथ अफ्रीका
99.	मारीशस	109.	श्रीलंका
100.	मोजाम्बिक	110.	तंजानिया
101.	नामिबिया	111.	त्रिनाड एंड टेबेगो
102.	न्यूजीलैंड	112.	यूगांडा
103.	नाईजीरिया	113.	यू.के.
104.	पाकिस्तान	114.	जाम्बिया
105.	पपुआ न्यू गिनी		

उन देशों के नाम, जिनके अप्रवासी भारतीय मिशन/केन्द्र नहीं हैं परंतु जिन्हें पड़ोसी आवासी भारतीय मिशन में सह प्रत्यापित किया गया है।

क्र.सं.	देश का नाम	भारतीय मिशन जहां इस समय सह-प्रत्यायित हैं
1	2	3
1.	अल्बानिया	भारत का राजदूतावास, बूखारेस्ट (रोमानिया)
2.	अंडोरा	भारत का राजदूतावास, मैड्रिड (स्पेन)
3.	अंगुइला	भारत का हाई कमीशन, जार्ज टाउन (गयाना)
4.	एटिंगुआ और बारबूडा	भारत का हाई कमीशन, जार्ज टाउन (गयाना)
5.	अरूबा	भारत का राजदूतावास, कराकस (वेजनुएला)
6.	बहामास	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन (अमरीका)
7.	बारबाडोस	भारत का राजदूतावास, पारामारिबो (सूरीनाम)
8.	बेलीज	भारत का राजदूतावास, मेक्सिको सिटी (मेक्सिको)
9.	बेनिन	भारत का राजदूतावास, लागोस (नाइजीरिया)
10.	बोलिविया	भारत का राजदूतावास, लीमा (पेरू)
11.	बोस्निया एंड हर्जेगोविना	भारत का राजदूतावास, बूडापेस्ट (हंगरी)
12.	बुर्किना फासो	भारत का हाई कमीशन, अकरा (घाना)
13.	बुरून्डी	भारत का हाई कमीशन, कम्पाला, (उगान्डा)
14.	कैमरून	भारत का हाई कमीशन, लागोस (नाइजीरिया)

2		3
15.	केमैन द्वीपसमूह	भारत का हाई कमीशन, किंगस्टन (जमाइका)
16.	केप वर्दे	भारत का राजदूतावास, डकर (सेनेगल)
17.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	भारत का हाई कमीशन, अकरा (घाना)
18.	चाड	भारत का हाई कमीशन, लागोस (नाइजीरिया)
19.	कैमरोस	भारत का राजदूतावास, अन्तनानारिबो (मडागास्कर)
20.	कोंगा लोकतांत्रिक गणराज्य	भारत का हाई कमीशन, नैरोबी (कीनिया)
21.	कोंगो गणराज्य	भारत का राजदूतावास, लुआन्डा (अंगोला)
22.	कोस्टारिका	भारत का राजदूतावास, बोगोटा (कोलम्बिया)
23.	कुक द्वीपसमूह	भारत का हाई कमीशन, सूवा (फिजी)
24.	जिबूती	भारत का राजदूतावास, आदिस अबाबा (इथियोपिया)
25.	डोमिनिका	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट स्पेन (त्रिनिडाड एंड टोबागो)
26.	डोमिनिकन गणराज्य	भारत का हाई कमीशन, किंस्टन (जमाइका)
27.	इक्वाडोर	भारत का राजदूतावास, बोगोटा (कोलम्बिया)
28.	अल-सल्वाडोर	भारत का राजदूतावास, पनामा (पनामा)
29.	इक्गाटोरियल गिन्नी	भारत का राजदूतावास, लुआन्डा (अंगोला)
30.	एरीत्रिया	भारत का हाई कमीशन, नैरोबी (कीनिया)
31.	एस्तोनिया	भारत का राजदूतावास, हेलसिंकी (फिनलैंड)
32.	गैबोन	भारत का राजदूतावास, लुआन्डा (अंगोला)
33.	गाम्बिया	भारत का राजदूतावास, डकर (सेनेगल)
34.	जार्जिया	भारत का राजदूतावास, येरेवान (अर्मेनिया)
35.	ग्रेनाडा	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिडाड एंड रोबागो)
36.	ग्वाटेमाला	भारत का राजदूतावास, मेक्सिको सिटी (मेक्सिको)
37.	गिन्नी	भारत का राजदूतावास, आबिदजान (आइवरी कोस्ट)
38.	गिनी बिसाऊ	भारत का राजदूतावास, डकर (सेनेगल)
39.	हाइती	भारत का हाई कमीशन, किंगस्टन (जमाइका)
40.	होन्डुरस	भारत का राजदूतावास, मेक्सिको सिटी (मेक्सिको)
41.	आइसलैंड	भारत का राजदूतावास, ओस्लो (नार्वे)
42.	होलीसी	भारत का राजदूतावास, वर्न (स्विटजरलैंड)
43.	किरीवाती	भारत का राजदूतावास, वेलिंगटन (न्यूजीलैंड)
44.	लात्विया	भारत का राजदूतावास, स्टाकहोम (स्वीडन)

1	2	3
45.	लेसोनो	भारत का हाई कमीशन, प्रीटोरिया (दक्षिण अफ्रीका)
46.	लाइबेरिया	भारत का राजदूतावास, आबिदजान (कोत द आइवरी) आइवरी कोस्ट
47.	लिश्तेन्स्तेन	भारत का राजदूतावास, बर्न (स्विटजरलैंड)
48.	लिथुआनिया	भारत का राजदूतावास, मिंस्क (बेलारूस)
49.	लक्जमबर्ग	भारत का राजदूतावास, ब्रसेल्स (बेल्जियम)
50.	मकेडोनिया	भारत का राजदूतावास, सोफिया (बुलगारिया)
51.	मालवी	भारत का हाई कमीशन, लुसाका (जाम्बिया)
52	माली	भारत का राजदूतावास, डकार (सेनेगल)
53.	माल्टा	भारत का राजदूतावास, त्रिपोली (लिबिया)
54.	मार्शल आइलैंड	भारत का राजदूतावास, मनीला (फिलीपींस)
55.	मौरीतानिया	भारत का राजदूतावास, डकार (सेनेगल)
56.	माइक्रोनेशिया	भारत का राजदूतावास, तोक्यो (जापान)
57.	मोंटसेरात $$	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद और टोबागो)
58	मालडोवा	भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट (रोमानिया)
59.	नौरू	भारत का हाई कमीशन, वेलिंग्टन (न्यूजीलैंड)
60.	नीदरलैंड अंटिल्स	भारत का राजदूतावास, काराकस (वेनेजुएला)
61.	निकारागुआ	भारत का राजदूतावास, पनामा, (पनामा)
62.	नाईजर	भारत का हाई कमीशन, अकरा (घाना)
63.	पलाऊ	भारत का राजदूतावास, मनीला (फिलिपींस)
64.	परागुवै	भारत का राजदूतावास, ब्रूनस आयर्स (अर्जेण्टीना)
65.	रवांडा	भारत का हाई कमीशन, कम्पाला (युगाण्डा)
66.	सेंट किट्स एवं नेविस	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद एवं टोबागो)
67.	सेंट लुसिया	भारत का राजदूतावास, पारामारिबो (सूरीनाम)
68.	सेंट विंसेट एवं ग्रेनेडाईंस	भारत का राजदूतावास, पारामारिबो (सूरीनाम)
69.	समोआ	भारत का हाई कमीशन, वेलिंग्टन (न्यूजीलैंड)
70.	सान मरिनो	भारत का राजदूतावास, रोम (इटली)
71.	सावो टोम और प्रिंसिप	भारत का राजदूतावास, लुआण्डा (अंगोला)
72.	सिएरा लिओन	भारत का राजदूतावास, अबीजान (अंगोला)
73.	स्लोवेनिया	भारत का राजदूतावास, वियना (आस्ट्रिया)
74.	सोलोमन आईलैंड	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट मोरेसी (पापुआ न्यू गुआना)

1	2	3
75.	स्वाजीलैंड	भारत का हाई कमीशन, मापूतो (मोजाम्बिक)
76.	तिमोर लेस्ते	भारत का राजदूतावास, जकार्ता (इंडोनेशिया)
77.	टोगो	भारत का हाई कमीशन, अकरा (घाना)
78.	टोंगा	भारत का हाई कमीशन, सूवा (फिजी)
79.	तुवालु	भारत का हाई कमीशन, सूवा (फिजी)
80.	टर्कस एंड काईकस	भारत का हाई कमीशन, किंग्सटन (जमाईका)
81.	उरूग्वे	भारत का राजदूतावास, ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना)
82.	वनुआतू	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट मोरशी (पपुआ न्यू गुआना)

$$ वे देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं।

विवरण-II

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
1	2	1	2
1.	अफगानिस्तान	18.	बुरकिना फासो
2.	अल्जीरिया	19.	कंबोडिया
3.	अंगोला	20.	कनाडा
4.	अर्जेंटीना	21.	चिली
5.	आर्मेनिया	22.	चीन
6.	आस्ट्रिलिया	23.	कोलंबिया
7.	आस्ट्रिया	24.	कांगो
8.	अजरवैजान	25	क्रोसिया
9.	बंगलादेश	26.	क्यूबा
10.	बहरीन (मम्बई)	27.	साइप्रस
11.	बेलारूस	28.	चेक
12.	वेल्जियम	29.	डेनमार्क
13.	भूटान	30.	दिबोती (मुम्बई)
14.	बोसानिया और हरजेगोविना	31.	मिस्र
15.	ब्राजील	32.	इरिट्रिया
16.	ब्रने दारूसलाम	33.	इथोपिया
17.	बुल्गारिया	34.	फीजी

1	2	1	2
35.	फिनलैण्ड	54.	कोरिया (आर.ओ.के.)
36.	फ्रांस	55.	कुवैत
37.	जर्मनी	56.	किर्गिजस्तान
38.	घाना	57.	लाओपिडिआर
39.	ग्रीस	58.	लेबनान
40.	गयाना	59.	लीबीया
41.	होल सी	60.	लगजैमबर्ग
42.	हंगरी	61.	मलेशिया
43.	इण्डोनेशिया	62.	मालदीव
44.	इरान	63.	मारिशस
45.	ईराक	64.	मैक्सिको
46.	आरलैंड	65.	मंगोलिया
47.	ईस्त्राइल	66.	मोरक्को
48.	इटली	67.	मोजाम्बिक
49.	जापान	68.	म्यांमा
50.	जोर्डन	69.	नामबिवीया
51.	कजाकस्तान	70.	नेपाल
52.	कीनिया	71.	नीदरलैंड
53.	कोरिया (डी.पी.आर.)	72.	न्यूजीलैंड

1	2	1	2
73.	नाईजीरिया	96.	सूडान
74.	नारावे	97.	सूरीनाम
75.	ओमान	98.	सीरिया
76.	पाकिस्तान	99.	तजाकिस्तान
77.	फिलीस्तीन	100.	तजांनिया
78.	पनामा	101.	थाइलैंड
79.	पेरू	102.	त्रिनिडाड एवं टौबेगो
80.	फिलीपींस	103.	ट्यूनिशिया
81.	पोलैंड	104.	टर्की
82.	पुतर्गाल	105.	तुर्कमेनिस्तान
83.	कतर	106.	उगांडा
84.	रोमानिया	107.	यूक्रेन
85.	रूसी परिसंघ	108.	संयुक्त अरब अमीरात
86.	रवाडा	109.	यू. के.
87.	सऊदी अरब	110.	यू. एस. ए.
88.	सेनेगल	111.	यूग्रेव
89.	सरबिया और मोटेग्रो	112.	उजेबेकिस्तान
90.	सिंगापुर	113.	वेनेजुएला
91.	स्लोवाक	114.	वियतनाम
92.	स्लोवाकिया	115.	यमन
93.	सलोमालिया	116.	जाम्बिया
94.	साऊथ अफ्रीका	117.	जिम्बावे
95.	श्रीलंका		

विवरण-III

देश जिनके अ-निवासी प्रतिनिध भारत में हैं

क्र.सं.	देश	स्टेशन
1	2	3
1.	अलबानिया	कैरो
2.	अंटिगुवा एवं बरबुडा	न्यूयार्क
3.	बन्नी	बीजिंग
4.	बोलिवा	न्यूयार्क
5.	बोत्सावाना	टोक्यो
6.	कांगों गणराज्य	बीजिंग
7.	दिबौती	टोक्यो
8.	अल सलवाडोर	लंदन
9.	इक्यूवाटोरियल गुआना	बीजिंग
10.	गैबन	टोक्यो
11.	गुआना	मास्को
12.	आईलैंड	लंदन
13.	कोट डी आईवोरी	मास्को
14.	जामैका	ओटावा
15.	लिसोथो	बीजिंग
16.	मेडागास्कर	मारीशस
17.	मालावी	नैरोबी
18.	माल्टा	माल्टा
19.	मैक्रोनेसिया	टोक्यो
20.	निकारागुवा	पनामा
21.	नाईजर	मास्को
22.	पापुआ न्यू गुआना	क्वालालम्पुर
23.	सैशल्स	क्वालालम्पुर
24.	सिएरा लिओन	तेहरान
25.	स्वाजीलैंड	क्वालालम्पुर

कुष्ठ रोग को समाप्त किया जाना

2359. श्री पी. मोहन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की बहुत समय पहले सन् 2000 में कुष्ठ रोग को वैश्विक रूप से पूर्णत: समाप्त किए जाने की उद्घोषणा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने कुष्ठ रोग को समाप्त करने में प्रगति दर्ज की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र और अन्य तीन क्षेत्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों की भावी भूमिका का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत ने कुष्ठ के उन्मूलन में काफी प्रगति हासिल करली है इसकी व्याप्तता दर वर्ष 1981 में प्रति 10,000 आबादी पर 57.6 थी जो मार्च, 2004 में घटकर प्रति 10,000 आबादी पर 2.4 रह गई है। 17 राज्यों में उन्मूलन स्तर (प्रति 10,000 आबादी पर एक से कम की व्याप्तता दर) प्राप्त कर लिया गया है और अन्य 7 राज्यों में यह स्तर प्राप्त होने वाला है।

(घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

एल्युमिनियम का उत्पादन

2360. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एल्युमिनियम का कितना उत्पादन किया गया और कितना भंडारण किया गया;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान एल्युमिनियम के भंडारण संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार एल्युमिनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या नाल्को द्वारा एल्युमिनियम उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान एल्युमिनियम उत्पादों के निर्यात से कितनी धनराशि अर्जित की गयी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) एल्युमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान एल्युमिनियम का उत्पादन तथा स्टाक नीचे दिया गया है:

वर्ष	उत्पादन मीट्रिक टन (एम.टी.)	स्टाक (एम.टी.)
2001-2002	6,33,748	20,368
2002-2003	6,89,041	15,023
2003-2004	8,16,503	15,720

(ग) एल्यूमिनियम क्षेत्र विनियंत्रित है और एल्यूमिनियम तथा इसके उत्पादों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) की श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है और इसलिए मुक्त व्यापार योग्य है। सरकार ने एल्यूमिनियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि. (नालको) के द्वितीय चरण विस्तार को अनुमोदित किया है।

(घ) से (च) जी, हां। नालको ने वर्ष 2003-04 के दौरान निम्नलिखित देशों को एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्यात किया है और एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्यात से पिछले तीन वर्षों के दौरान 2305.42 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं।

क्र. सं.	देश	निर्यात की गई मात्रा मीट्रिक टन
1.	बांगलादेश	5021
2.	बहरीन	7207
3.	चीन	3794
4.	इंडोनेशिया	6375
5.	कोरिया	3935
6.	मलेशिया	14122
7.	सिंगापुर	50912
8.	थाईलैण्ड	3625
9.	ताइवान	19846
10.	संयुक्त अरब अमीरात	3761
11.	वियतनाम	10920
12.	श्रीलंका	201
	कुल	129719

कर्मचारियों का नौकरी छोड़कर अन्यत्र जाना

2361. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों को छोड़कर निजी कंपनियां ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का विचार

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कठोर शर्तें शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, लोक उद्यम विभाग ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि बोर्ड स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी, अपनी सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्षों की अवधि के भीतर निजी क्षेत्र में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

लंबित मामले

2362. श्री मुनव्वर हसन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड, डाक शाखा और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में दिवंगत व्यक्तियों के आश्रितों के रूप में राज्यवार कितने लोगों ने आवेदन किया है;

(ख) क्या ये मामले अभी भी लंबित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा परियोजना

2363. श्री एस.के. वेलायुधन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुडनकुलम, तमिलनाडु स्थित परमाणु ऊर्जा परियोजना मौलिक निर्धारित समय के अनुसार चल रही है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक कार्य आरंभ करने के लिए तैयार हो जायेगी;

(ग) इस परियोजना की लागत कितनी है;

(घ) क्या लागत में कोई वृद्धि की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) पहले यूनिट (1000 मेगावाट ई) के दिसम्बर, 2007 तक और दूसरे यूनिट (1000 मेगावाट ई) के दिसम्बर, 2008 तक वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार हो जाने की आशा है।

(ग) इस परियोजना की लागत 13,171 करोड़ रुपए है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर यह लागू नहीं होता।

नाबार्ड के अंतर्गत सड़कें

2364. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टुमकुर में नाबार्ड के अंतर्गत शामिल सड़कों के निर्माण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एस. मुनियप्पा): (क) संभवत: माननीय सदस्य कर्नाटक के तुमकुर जिले में नाबार्ड में शामिल सड़कों के बारे में जानना चाहते हैं। यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजामार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है और तुमकुर में नाबार्ड की सहायता से राष्ट्रीय राजामार्गों के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मरीजों द्वारा शल्य चिकित्सा दवाओं की खरीद

2365. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एम्स में शल्य चिकित्सा कराने वाले रोगियों से शल्य चिकित्सा संबंधी कतिपय वस्तुओं को बाजार से खरीदने के लिए कहा जाता है जबकि ये वस्तुएं एम्स में उपलब्ध होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि रोगियों विशेषकर गरीब रोगियों से अस्पताल में इलाज कराने के लिए किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए नहीं कहा जाए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में आपाती/दुर्घटना विभाग में आने वाले रोगियों को सभी आई.वी. फ्लूइड, पट्टियों आदि सहित सभी शल्य चिकित्सीय उपभोज्य वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। दुर्घटना/आपाती विभाग में आने वाले किसी भी रोगी से बाजार से कोई शल्य चिकित्सीय उपभोज्य सामान खरीदने को नहीं कहा जाता है। सामान्य वार्डों में भर्ती रोगियों को इंजेक्शन, सिरिंज और गौज, इंट्रावीनस ड्रिप्स जैसी शल्य चिकित्सीय मदें अस्पताल से प्रदान की जाती हैं। आपती शल्य चिकित्सीय उपचार वाले रोगियों को सभी अनिवार्य शल्य चिकित्सीय सामान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक मूल्य वाले एंटी बायोटिक और पोषण सप्लीमेंट आदि भी खरीद कर निर्धन एवं असहाय रोगियों को प्रदान की जाती है। विभिन्न चुनींदा शल्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित शल्य चिकित्सीय उपभोज्य सामान, जिनमें जोड़ों को बदलने की शल्य चिकित्सा, कोहेलर इम्पलांट आदि भी शामिल है, रोगियों को स्वयं खरीदने होते हैं। कार्डियो-थोरेसिक और न्यूरो सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक पैकेज प्रणाली है जिसमें शल्य चिकित्सीय प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले शल्य चिकित्सीय उपभोज्य वस्तुओं का मूल्य भी शामिल है। ऐसे रोगी जो दवाइयां और शल्य चिकित्सीय सामान नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि तथा प्रधान मंत्री राहत कोष, स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान तथा अन्य मानवतावादी संगठनों के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती है।

गैर सरकारी क्षेत्र में आरक्षण

2366. **श्री आर. सेनथिल:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह प्रावधान किया है कि गैर सरकारी क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण कोटा होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कानून बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न उद्योगपति और अन्य लोग सरकार के इस प्रस्ताव से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को अतिरिक्त धनराशि का आबंटन

2367. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना आयोग ने राज्यों को अतिरिक्त बजटीय आबंटन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को राज्यों के 10 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि वाले हिस्से से धन उपलब्ध कराया जाएगा और राज्यों का हिस्सा कम किया जा सकता है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों और केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा उपयोग में लाई गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। पूर्ण योजना आयोग की दिनांक 9.09.2004 को आयोजित बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को अतिरिक्त बजटीय आबंटन देने का निर्णय लिया गया है। (ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं के लिए वर्ष 2002-03 से 2003-04 तक सकल बजटीय सहायता के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमान को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

2004-05 (बजट अनुमान) में राज्य योजनाओं के अंतर्गत स्कीमों के लिए अतिरिक्त बजटीय आबंटन

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	केन्द्रीय सहायता के लिए मुख्य/लघु शीर्ष	2004-05 के दौरान अतिरिक्त आबंटन
1	2	3
I.	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषण सहायता के लिए ए.सी.ए. (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम)	1132.00
II.	राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	336.00
III.	विशेष योजना सहायता	1600.00
IV.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	870.00
V.	राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	510.00
VI.	राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.आई.)	115.00
VII	अभिशासन हेतु कार्य योजना के लिए ए.सी.ए.	62.00
	कुल योग	4625.00

विवरण-II

केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं को सकल बजटीय सहायता

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सकल बजटीय सहायता	2002-03		2003-04		2004-05
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1.	राज्य योजना	45361.08	44355.96	47458.40	47325.50	56240.00
2.	केन्द्रीय योजना	66870.92	68218.52	72151.60	72846.75	87886.25

[हिन्दी]

भारत-कुवैत प्रत्यर्पण संधि

2368. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कुवैत के बीच प्रत्यर्पण संधि के लिए बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संदर्भ में क्या निर्णय लिए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत और कुवैत ने 25 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि अनुसमर्थन के बाद लागू होगी और यह संधि प्रत्यर्पणीय अपराध करने वाले भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण का कानूनी ढांचा उपलब्ध कराएगी।

ट्रक ऑपरेटरों के साथ समझौता

2369. श्री रामजीलाल सुमन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 27 अक्तूबर, 2003 को ट्रक ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का पालन करते हुए क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) क्या इन निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ट्रक ऑपरेटरों ने उक्त समझौते के कार्यान्वयन न होने पर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घूसखोरी के मामलों से निपटने के लिए परामर्शदात्री बोर्ड

2370. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घूसखोरी के मामलों की जांच अधिकारियों के पास भेजने से पहले एक परामर्शदात्री बोर्ड को उनसे निपटने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में कुप्रबंधन

2371. **श्री गणेश प्रसाद सिंह:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'एम्स' सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में हो रहे कुप्रबंधन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन अस्पतालों में आपातकालीन वार्ड और सामान्य वार्ड में मरीजों की उचित देखभाल नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) 'एम्स' और सफदरजंग अस्पताल में सेवाओं में सुधार हेतु क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) क्या इन दोनों संस्थानों में खराब सेवाओं का एक प्रमुख कारण चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की संख्या में कमी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एम्स व सफदरजंग अस्पताल में दाखिल नहीं किया जाता है और उन्हें दूसरे अस्पतालों में भेजा जाता है; और

(झ) यदि हां, तो मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए इन अस्पतालों में वर्तमान बुनियादी ढांचा को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में प्रबन्धन में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले आपातकालिक एवं सामान्य वार्डों के रोगियों को हर प्रकार की चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाती है। ये अस्पताल उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार आवश्यक उपकरणों से यथावश्यक युक्त हैं।

(च) से (झ) दोनों संस्थानों में सेवाओं की गुणवत्ता में कमी नहीं है। उपलब्ध जनशक्ति का बेहतर ढंग से उपयोग किया जाता है। सफदरजंग अस्पताल में आने वाले सभी गम्भीर रोगियों का उपचार किया जाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है तथा किसी भी रोगी को अन्य अस्पतालों में नहीं भेजा (रेफर किया) जाता है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तुरन्त भर्ती किए जाने वाले रोगियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण सभी को भर्ती नहीं किया जा सकता क्योंकि संस्थान में आपातकालिक बिस्तरों की उपलब्धता सीमित है। कभी-कभी आगे के उपचार के लिए रोगियों को दिल्ली के अन्य सरकारी अस्पतालों में रेफर/ स्थानांतरित करना पड़ता है। इन रोगियों की सामान्य जांच की जाती है, उपचार किया जाता है और स्थिर हालत होने पर अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाता है। रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए संस्थान बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए समय-समय पर हर सम्भव प्रयास कर रहा है ताकि रोगियों को बेहतर परिचर्या प्रदान की जा सके।

लघु उद्योग क्षेत्र में आरक्षित सूची से बाहर की गई मदें

2372. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की श्रेणी की 33 मदें लघु उद्योग के संबंध में आरक्षित सूची से बाहर की गई 85 मदों में से हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों के लिए संयंत्र और मशीनों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) दिनांक 20 अक्तूबर, 2004 की गजट अधिसूचना संख्या का.आ. 1169(ई) के अंतर्गत सरकार ने लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) द्वारा विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची से 85 मदों को अनारक्षित कर दिया है। इनमें मेकेनिकल इंजीनियरिंग माल की श्रेणी में 38 मदें शामिल हैं, जैसा कि संलग्न विवरण-I में सूचीबद्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने हॉजरी, हस्तऔजार, ड्रग्ज एवं फार्मास्यूटीकल्ज, स्टेशनरी एवं खेलकूद के सामान की व्यापक श्रेणियों में 71 मदों के संबंध में लघु उद्योग क्षेत्र में संयंत्र एवं मशीनरी के लिए निवेश सीमा को विद्यमान 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है। इन 71 मदों की सूची विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

38 मेकेनिकल इंजीनियरिंग मदों की सूची

क्र. सं.	गजट अधिसूचना के अनुसार क्र.सं.	उत्पाद कोड	उत्पाद का नाम
1	2	3	4
1.	350	331101	मैनहोल कवर देग चून
2.	351	331118	बांट
3.	352	331141	सरक्लिप्स
4.	356	331301	धातु की कांडयूट पाइप
5.	359	33160101	मशीन शाप बॉक/शिकंजा
6.	374	340323	जी आई स्नान टब
7.	392क	340922	क्राउन कार्क (कैपटिव खपत को छोड़कर)
8.	395	341011	लालटेन के खम्बे व ढांचे
9.	401	34200601	अपंगों के लिए पहियेदार कुर्सियां
10.	425	343203	सभी प्रकार की रिविट घिरी हुई रिविटों को छोड़कर
11.	433	343402	लैशिंग जंजीर (रस्सी जंजीर)
12.	461	343624	दरवाजे के हुक
13.	462	343625	पशु नालों की कीलें
14.	467क	344029	विटरस इनेमल होलोवेयर्स और स्लेट्स
15.	475	345203	घरेलू बर्तन बैलमेटल
16.	476	345204	तांबे के घरेलू बर्तन
17.	478	345208	चांदी के घरेलू बर्तन
18.	479	345209	कांसे के घरेलू बर्तन
19.	480	345210	जर्मन सिल्वर के घरेलू बर्तन
20.	483	345407	यांत्रिक गैस लाइटर
21.	484	349201	रेजर
22.	488	34990702	डाक तराजू
23.	489	349909	धातु की जाली
24.	492	349914	स्टील बुरादा
25.	493	349940	हेयर पिन
26.	496	349943	लुहार की भट्टी
27.	497	349944	पीतल के डम्पर
28.	520क	35711701	हैंड थरेडिंग टेप होल्डर्स
29.	527	357809	मशीन वाइसेज-मशीनों के औजार
30.	528	35781101	निर्माताओं से खरीदे गए कार्बाइड टिप्पड
31.	533	350601	जैवीय और एयरकंडीशनिंग के उपयोग के लिए एब्सोल्यूट फिल्टर
32.	534	35903601	डुप्लीकेटिंग मशीनें (विशेष प्रकार की मशीनों को छोड़कर)
33.	548	359953	मुर्गीपालन के समस्त उपकरण
34.	624	37461601	वार्थरिंग हारनेस
35.	633	37472802	मोटर गाड़ी के पट्टे-कमानी, टेपर्ड पट्टे कमानी छोड़कर

1	2	3	4
36.	634	374729	लगेज कैरियर
37.	636	374742	ब्रेक तथा पैडल पैड्स-आटो
38.	805	389902	चश्मों के कब्जे

विवरण-II

मदों की सूची, जिसके लिए निवेश सीमा को 1.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5.00 करोड़ रु. किया गया है

क्र. सं.	उत्पाद कोड	उत्पाद का नाम
1	2	3
हौजरी मदें-अधिसूचना सं. का.आ. 101(ई) दिनांक 9.10.2001		
1.	260101	बुने हुए सूती कपड़े
2.	260102	बुनी हुई सूती बनियानें
3.	260103	बुने हुए सूती मोजे
4.	260104	बुने हुए सूती अधोवस्त्र
5.	260106	बुनी हुई सूती शाल
6.	260199	बुने हुए अन्य सूती वस्त्र
7.	260201	बुने हुए ऊनी कपड़े
8.	260202	बुनी हुई ऊनी बनियानें
9.	260203	बुने हुए ऊनी मोजे
10.	260204	बुने हुए ऊनी स्कार्फ
11.	260205	बुने हुए ऊनी अधोवस्त्र
12.	260206	बुनी हुई ऊनी टोपियां
13.	260207	बुनी हुई ऊनी शालें
14.	260208	ऊनी दस्ताने
15.	260207	बुने हुए ऊनी मफलर
16.	260299	ऊन के बुने हुए अन्य वस्त्र
		आर्ट सिल्क/मैन में फाइबर हौजरी
17.	260310	1. बुनी हुई सिन्थेटिक, जुराबें और स्टार्किंग्स
18.	260302	2. बुने हुए सिन्थेटिक, अंतर्वस्त्र जैसे-बनियानें, ब्रीफ और ड्राअर
19.	260304	3. बुने हुए सिन्थेटिक, उपरिवस्त्र जैसे-जर्सी, स्लिप ओवर, पुलओवर, कार्डीगन और जैकेट
20.	260308	4. बुने हुए सिन्थेटिक बच्चों के वस्त्र जैसे-बेबी सूट, निकर, फ्राक, अंतर्वस्त्र और उपरिवस्त्र
21.	26030901	5. स्लाइवर निटिंग से बने हाई पाईल फैब्रिक को छोड़कर सिन्थेटिक बुने हुए फैब्रिक
22.	260311	6. बुने हुए सिन्थेटिक तैराकी वस्त्र जैसे-ट्रंक और पोशाक
23.	260312	7. बुने हुए सिन्थेटिक वस्त्र जैसे स्कार्फ, मफलर, शॉल, टोपियां, टाईयां, ब्लाउज और जीन
24.	260313	8. बुनी हुई सिन्थेटिक कमीजें, टी शर्ट, कॉलर शर्ट और स्पोर्ट्स स्कर्टें
25.	260314	9. बुने हुए सिन्थेटिक होज
26.	260315	10. सिंथेटिक निटिड गैस मैंटल फैब्रिक
27.	260316	11. अन्य सिन्थेटिक निट वियर
हैंड टूल अधिसूचना सं. का.आ. 1013(ई) दिनांक 9.10.2001		
28.	343101	लोहा आरी के फ्रेम
29.	343102	प्लायर
30.	343103	स्क्रू ड्राईवर (पेचकस)
31.	343104	स्पैनर (पाने)
32.	343106	हथौड़ा
33.	343108	निहाई
34.	343109	लकड़ी के काम आने वाली आरी
35.	343111	रेंचेज
36.	343112	चाकू और शियरिंग ब्लेड (इनमें हाथ से काम करने के लिए धातु, कागज, बांस और लकड़ी के सभी प्रकार के ब्लेड शामिल हैं।)

1	2	3
37.	343113	कील खींचने वाला
38.	343114	छेनी
39.	343115	संडसी
40.	343116	तार कर्तक
41.	343199	लुहारी, बढ़ईगिरी, हाथ की गढ़ाई-ढलाई आदि के लिए अन्य हाथ के औजार
स्टेशनरी मदें-अधिसूचना सं. का.आ. 655(ई.) दिनांक 5.6.2003		
42.	319911	लेखन स्याही और फाउनटेन पेन स्याही
43.	387101	बाल प्वाइंट पैन
44.	387103	फाउंटेन पैन
45.	387104	पैन की निबें
46.	387105	फाउंटेन पैन तथा बाल पैन के पुर्जे धातु की टिपों को छोड़कर
47.	387201	पेंसिलें
48.	387401	हाथ की स्टेपल मशीन
49.	387501	पेपर पिनें
50.	387601	कार्बन पेपर
51.	38760210	यांत्रिक टाइपराइटर के रिबन
52.	387901	हाथ से नम्बर डालने की मशीन
53.	387903	पेंसिल शार्पनर
54.	387907	पैन होल्डर
ड्रग्स एड फार्मास्युटिकल्स अधिसूचना सं. 655(ई) दिनांक 5.6.2003		
55.	31060101	पैरा अमीनो फिनोल (औद्योगिक ग्रेड)
56.	310628	पाइरजोलोन
57.	310650	बेंजिल बेंजोएट
58.	310658	नियासिनेमाइड
59.	313125	पैरा-सिटेमोल
60.	31315801	पैरा हाइड्रॉक्सी बेंन्जाइक-एसिड से लेकर मेथिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट
61.	31315901	पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजाइक-एसिड से लेकर एथिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट
62.	31319501	पैरा हाइड्रॉक्सी बेन्जाइक-एसिड से लेकर प्रोपिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट
63.	3131960	कैल्शियम ग्लूकोनेट
64.	310126	एल्युमिनियम हाइड्रोक्साईड गेल
खेल-कूद का सामान-दिनांक 13.10.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1109(ई) दिनांक 13.10.2004		
65.	261401	सभी प्रकार के स्पोर्टस नेटस
66.	385101	शॅटल कॉक्स
67.	385104	हाकी स्टिक्स
68.	38510510	पैडस, ग्लोव्स आदि जैसे खेलों के लिए सुरक्षा उपकरण-सॉफ्ट लैदर गुड्स
69.	385106	डम्ब-बैल्ज एवं चेस्ट एक्सपैंडरज
70.	385107	क्रिकेट एवं हॉकी बाल्ज
71.	385108	फुटबाल, वॉलीबाल एवं बास्कट बाल कवरज

[हिन्दी]

लंबित परियोजनाएं

2373. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12, 12ए के संबंध में कोई परियोजना लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(ग) सुदृढ़ीकरण परियोजना आई.आर.क्यू.पी. 156 से 165 कि.मी., आई.आर.क्यू.पी. 166 से 175/4 और 112 से 121 कि.मी. के मंत्रालय के पास लंबित रहने के क्या कारण हैं और इसको कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) वार्षिक योजना 2004-2005 में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12, 12ए के सभी प्राक्कलन स्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ग) ये कार्य नवंबर, 2004 में पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तिरुअनन्तपुरम

2374. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीधे या संपर्क सड़क के माध्यम से तिरुअनन्तपुरम को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तिरुअनन्तपुरम को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के तिरुवनन्तपुरम-कन्याकुमारी खंड को 4 लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण III में शामिल किए जाने हेतु अभिनिर्धारित किया गया है। इससे तिरुवनन्तपुरम उत्तर-दक्षिण महामार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण II) से जुड़ सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III का कार्यान्वयन निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर किया जाना है और यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर है।

1974 नयाचार की समीक्षा

2375. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1974 नयाचार की व्यापक समीक्षा करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जो सिक्ख तीर्थयात्रियों की पाकिस्तान स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा का नियंत्रित करता है ताकि सीमा पार की यह यात्रा सुगम और बेरोकटोक हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) समय-समय पर प्राप्त अनुरोधों के आधार पर सरकार ने 3-4 अगस्त, 2004 तक नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच आयोजित सचिव (संस्कृति) स्तरीय बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया कि धार्मिक स्थलों की यात्राओं से संबद्ध प्रोतोकोल में संशोधन करके इसमें दोनों देशों के और धार्मिक स्थलों को भी शामिल किया जाए और बैशाखी एवं गुरू नानक जन्म दिवस के अवसर पर तीर्थयात्रियों के जत्थे का आकार बढ़ाकर 3000 से 5000 लोगों का; गुरू अर्जन देव की शहीदी दिवस पर 1000 से 2000 और महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर 500 से 1000 का कर दिया जाए। सरकार ने प्रोतोकोल में शामिल किये गये अवसरों पर की गयी यात्राओं के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर भी यात्राओं का सुझाव दिया है।

पाकिस्तान के औपचारिक उत्तर की प्रतीक्षा है।

इस बीच, भारत सरकार पाकिस्तान से आये जत्थों को उन स्थानों की यात्रा की भी सुविधा उपलब्ध करा रही है जो 1974 के प्रोतोकोल में शामिल नहीं है।

अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति

2376. डा. रामेश्वर ठठांव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;,

(ग) क्या सरकार इसी समान केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के सहायकों को उनके अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों का वर्ष 1998 तथा वर्ष 1999 में अगले उच्चतर ग्रेड में स्व-स्थाने उन्नयन (अपग्रेडेशन) किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सीधे भर्ती हुए तथा पदोन्नत हुए अनुभाग अधिकारियों के बीच परस्पर वरिष्ठता के मुद्दे पर चली लम्बी मुकदमेबाजी के कारण अवर सचिव तथा उप सचिव के रूप में नियमित पदोन्नति किए जाने हेतु प्रवर सूची जारी करने में अत्यधिक विलंब हो गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों की स्थिति के विपरीत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों की, अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति के लिए प्रवर सूचियां नियमित रूप से जारी की जाती रही हैं। अत: सहायकों की स्थिति भिन्न है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सचिवालय

सेवा की हाल ही मे पुनर्संरचना की गई है और सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के किसी भी ग्रेड में कोई और स्वस्थाने उन्नयन (अपग्रेडेशन) नहीं किया जाएगा और सभी पदोन्नतियां रिक्ति आधारित होंगी।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में दूरभाष केन्द्र

2377. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में जिलेवार कुल कितने दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सभी दूरभाष केन्द्रों को एस.टी.डी. और आई.एस.डी. सुविधा उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सुविधाओं को कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तरांचल में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	एसटीडी/आईएसडी सुविधा वाले एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	अल्मोड़ा	48	48
2.	बागेश्वर	9	9
3.	चम्पावत	15	15
4.	पिथौरागढ़	34	34
5.	देहरादून	61	61
6.	हरिद्वार	29	29
7.	नैनीताल	37	37
8.	उधम सिंह नगर	38	38
9.	नई टिहरी	45	45
10.	उत्तर काशी	24	24
11.	पौड़ी	53	53
12.	रूद्रप्रयाग	21	21
13.	चमोली	32	32
	कुल	446	446

[अनुवाद]

सड़क निर्माण परियोजनाएं

2378. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकार और केंद्र द्वारा भारतीय या वैश्विक निविदाओं के माध्यम से राजमार्ग निर्माण कार्य का वितरण करने में प्रयुक्त प्रणाली का ब्योरा क्या है;

(ख) भारत में सड़क निर्माण परियोजनाओं में कार्यरत विदेशी कंपनियों का ब्योरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में राज्यवार कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) उक्त निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पांच करोड़ रु. से अधिक की लागत के तथा राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य, निविदादाताओं की पूर्व अर्हता की जांच के पश्चात् राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया द्वारा सौंपे जाते हैं। पांच करोड़ रु. से कम की लागत के कार्यों के लिए पूर्व अर्हता की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कार्यों के लिए वैश्विक निविदाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ठेकेदारों की पूर्व अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् आमंत्रित की जाती हैं। वैश्विक निविदाएं, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऐसे कार्यों के लिए भी आमंत्रित की जाती है जो ऋण करार के अनुसार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की लागत के हैं।

(ख) और (ग) अकेले अथवा संयुक्त उद्यम में एक साझेदार के रूप में विदेशी ठेकेदारों को सौंपे गए सिविल कार्य ठेकों के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं

(घ) कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों में हैं।

विवरण

अकेले अथवा संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में विदेशी ठेकेदारों को सौंपे गए ठेकों के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	अकेले अथवा संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में विदेशी ठेकेदारों को सौंपे गए ठेकों की संख्या (स.उ.)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	ठेकेदार की राष्ट्रीयता
1.	आंध्र प्रदेश	5	1183.79	2-कोरियाई-भारतीय सं.उ. 3-मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
2.	बिहार	2	473.16	1-कोरियाई 1-कोरियाई-भारतीय स.उ.
3.	दिल्ली	1	71.00	कोरियाई-भारतीय सं.उ.
4.	गुजरात	1	275.58	कोरियाई-भारतीय सं.उ.
5.	झारखंड	1	399.74	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
6.	कर्नाटक	6	1361.90	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
7.	महाराष्ट्र	1	97.90	ईरानी-भारतीय सं.उ.
8.	उड़ीसा	3	641.93	1-स्पेनिश-भारतीय सं.उ. 1-इंडोनेशियाई-भारतीय सं.उ. 1-साउथ अरबियन-भारतीय सं.उ.
9.	तमिलनाडु	1	375.00	2-मलेशियाई-भारतीय सं.उ.* 1-थाईलैंड-भारतीय सं.उ. 2-रसियन
10.	उत्तर प्रदेश	5	1798.39	3-मलेशियाई 1-फिलीपींस-अमेरिकन सं.उ. 1-चीनी-भारतीय सं.उ.
11.	पश्चिम बंगाल	5	2089.40	3-मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
	जोड़	31	8768.79	

*एक ठेका उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में है।

[हिन्दी]

फ्रैंकिंग मशीनों को निजी पक्षों को सौंपना

2379. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघरों में इस्तेमाल हो रहे फ्रैंकिंग मशीनों का कार्य निजी फर्मों को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में विभागीय कर्मचारियों के इसमें कार्यरत रहने के बावजूद इसके निजीकरण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी फर्मों द्वारा इन मशीनों के दुरुपयोग और धोखा-धड़ी से संबंधित मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में सरकार कोई जांच करवाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी नहीं, हालांकि, व्यक्तिगत/वाणिज्यिक थोक डाक भेजने वालों को अनुमोदित मेक/मॉडल वाली फ्रैंकिंग मशीनों का उपयोग करने का लाइसेंस है।

(ग) और (घ) जी, हां, लाइसेंसधारी व्यक्तियों/वाणिज्यिक थोक डाक भेजने वालों द्वारा फ्रैंकिंग मशीनों के दुरुपयोग से संबंधित मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	सर्किल	लाइसेंस का ब्यौरा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	असम	1. एलआईसीआई, शाखा सं. 1, जोरहाट
		2. एलआईसीआई, शाखा सं. जोरहाट
		3. द पीयरलेस जनरल फाइनांस इनवेस्टमेंट, जोरहाट
		4. उप महाप्रबंधक, एसबीआई, क्षेत्रीय कार्यालय, जोरहाट
		5. शाखा प्रबंधक, एलआईसीआई, पी एण्ड जीएस यूनिट, राजाबड़ी, जोरहाट
3.	बिहार	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	शून्य
5.	दिल्ली	1. मेसर्स तिरुपति सर्विसेज, ई-414, ग्रेटर कैलाश फेज II, नई दिल्ली-48, लाइसेंस सं. डीएल-4/265/03, डीएल-25/97-98
		2. रूपम मार्किटिंग नेटवर्क प्राइवेट लि., सी-81, साउथ गणेश नगर, दिल्ली-92 लाइसेंस सं. जी3/डीएल-2/0025/04-08, एसएमएस डीएल-1/00/00-01
6.	गुजरात	1. मेसर्स ब्रमविशमा, डाटा एण्ड मेलिंग एजेंट, बडोदरा
		2. मेसर्स ग्रेट मेलिंग सर्विस
		3. मेसर्स विशाल कंसल्टेंसी सर्विस
		4. मैसर्स श्रीजी मेलिंग सर्विस
		5. मैसर्स स्प्रेड मेलिंग सर्विस
		6. विराट मेलिंग सर्विस
		7. मैसर्स मारुति मेलिंग सर्विस
		8. मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइस
		9. मेसर्स पुष्पक मेलिंग सर्विस
		10. मैसर्स पावर मेलिंग सर्विस
		11. मैसर्स बास मेलिंग सर्विस
7.	हरियाणा	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
9.	झारखण्ड	शून्य
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य
11.	कर्नाटक	शून्य
12.	केरल	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	शून्य
14.	महाराष्ट्र	शून्य
15.	उत्तर पूर्व	शून्य
16.	उड़ीसा	शून्य
17.	पंजाब	शून्य
18.	राजस्थान	शून्य
19.	तमिलनाडु	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	1. डीएल-5/99 एसएसपीओ दक्षिण पश्चिम डिवीजन, नई दिल्ली द्वारा जारी

1	2	3
21.	उत्तरांचल	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्रगति

2380. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तथा पत्तनों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार खंड-वार और चरणवार कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) इन सड़कों को परियोजनावार और राज्यवार कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण महामार्गों के निर्माण में हुई उद्यतन प्रगति संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ख) अद्यतन संचयी व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने का समय इस प्रकार है:-

परियोजना	पूरा करने की संभावित तारीख
उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग	दिसंबर, 2007
पत्तन संपर्क	दिसंबर, 2007

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्रगति

परियोजना का नाम	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूरी हुई (कि.मी.)	कार्यान्वयनाधीन (कि.मी.)	कार्य अभी सौंपा जाना है (कि.मी.)
उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग	7300	675	857	5768
पत्तन संपर्क	356	69	243	44

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्रगति

(करोड़ रु.)

खंड	परियोजनाएं	नवंबर, 04 तक संचयी व्यय
(क)	परियोजना पर व्यय	
	(i) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाएं	19488.28
	(ii) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम परियोजनाएं	2242.03
	(iii) पत्तन संपर्क परियोजनाएं	341.00
	(iv) स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम तथा पत्तन संपर्क परियोजनाओं को छोड़कर अन्य परियोजनाएं	1298.36
	(v) परियोजनाओं पर हुआ विविध व्यय और परियोजना कार्यान्वयन इकाई के लिए जारी राशि	828.48
	उप जोड़ (क)=[(i) से (v)]	24198.15
(ख)	भारत सरकार के ऋण/बाजार ऋणों की वापसी और ब्याज	2518.99
(ग)	बाजार ऋण/ऋण=[(क)+(ख)] की अदायगी सहित परियोजनाओं पर कुल व्यय	26717.14
(घ)	राजमार्गों का अनुरक्षण	1085.20
(ङ)	सकल जोड़=[(ग)+(घ)]	27802.34

राष्ट्रीय निवारणात्मक और सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान

2381. श्री सीताराम यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान के समान राष्ट्रीय निवारणात्मक और सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा संस्थान स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में उन स्थलों की पहचान की है जहां ये संस्थान खोले जाने हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) देश में अच्छे जन स्वास्थ्य व्यवसायियों की नीति को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाया जा रहा है कि आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. स्तर के उत्कृष्ट नए जन स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करके और जन स्वास्थ्य में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले मौजूदा संस्थानों को उन्नत करके भारत में किस प्रकार जन स्वास्थ्य के ढांचे को सुदृढ किया जाए। इस संबंध में "इन्स्टीट्यूटस ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया: मूविंग फ्रोम कन्सेप्ट टू रियलिटी" नामक विषय पर 16-17 सितम्बर, 2004 को एक दो दिवसीय विचार-गोष्ठी आयोजित की गई ताकि इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए तौर तरीके तय किए जा सकें। किसी निश्चित कार्य योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

प्राकृतिक चिकित्सा उपचार

2382. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार शुरू में प्रत्येक सरकारी अस्पताल में प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उपचार प्रणाली को मान्यता देने के बाद सरकार द्वारा कोई प्राकृतिक उपचार केन्द्र खोला गया है/स्थापित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संस्था का नाम क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने हेतु अनेक उपाय किए हैं जिसमें, नई दिल्ली में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सी.सी.आर.वाई.एन.) तथा पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एन.आई.एन.) शामिल है। सी.सी.आर.वाई.एन. तथा एन.आई.एन ऐसी स्कीमों को परिचालित करता है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों/केंद्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग द्वारा कार्यान्वित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) स्कीम में प्राकृतिक चिकित्सा सहित विभिन्न पद्धतियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की व्यवस्था है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव मौजूद नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंसानों पर नैदानिक परीक्षण

2383. श्री राम सिंह कस्वां: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंसानों पर नैदानिक परीक्षण की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिना अनुमति और मानदंडों का अनुपालन किए बिना परीक्षण कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नैदानिक परीक्षण परीक्षण हेतु दी गयी अनुमति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियम, 122ई के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिभाषित नई औषधों के मामले में मनुष्य पर नैदानिक परीक्षणों की अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदक को संबंधित संस्था की नीति नियामक समिति (इथिक्स कमेटी) का अनुमोदन प्राप्त करना और अच्छी नैदानिक विधि संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों तथा मनुष्य पर जैव-चिकित्सीय अनुसंधान के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देशों का भी कड़ाई से पालन करना होता है। जैव-प्रौद्योगिकी औषधों के नैदानिक परीक्षण की स्थिति में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवांशिकी इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) का अनुमोदन लेना भी आवश्यक होता है।

(ग) से (ङ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वर्तमान वर्ष में 45 नैदानिक परीक्षणों की अनुमति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में लंबित मामले

2384. श्री संजय धोत्रे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गत पांच वर्षों में न्यायालयों, उपभोक्ता फोरम में टेलीफोन से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान न्यायालयों और उपभोक्ता फोरम में मुकदमों की सुनवाई के पश्चात दिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) न्यायालयों, उपभोक्ता फोरम के निर्णय का क्रियान्वयन नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गयी है तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गत पांच वर्षों में न्यायालयों, उपभोक्ता फोरम में टेलीफोन से संबंधित लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	1999	2000	2001	2002	2003
मामलों की संख्या	3	3	5	2	3

(ख) जी, हां। उपभोक्ता फोरम से संबंधित एक मामले में।

(ग) श्री मदन दामले, अलीबाग द्वारा दर्ज कराया गया मामला सं. सीएफ-44/99। क्रियान्वयन हेतु मामले में कार्रवाई किए जाने के कारण 100/- रु. की लागत का भुगतान करने में विलंब हुआ और उपभोक्ता ने विभाग द्वारा परिकलित छूट पर विवाद उत्पन्न कर दिया। अंतत: इस मामले का निपटान किया गया और दिनांक 18.9.2001 के चेक सं. 602380 के जरिए लागत पर ब्याज का भुगतान करने के बाद आदेश क्रियान्वित कर दिया गया।

(घ) संबंधित कर्मचारियों को उपभोक्ता फोरम द्वारा निर्णीत मामलों के क्रियान्वयन में विलंब से बचने के लिए कड़ी चेतावनी दे दी गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई औषधियों का अनुमोदन

2385. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी नई औषधियों के अनुमोदनार्थ प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी शर्तों में से एक शर्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश कंपनियां इस शर्त का अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ए.डी.आर. रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) औषध और प्रसाधन नियम 122-ए और 122-बी के अंतर्गत सभी नए औषध अनुमोदनों में निम्नलिखित शर्त होती हैं, अर्थात, "लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रोटोकोल एवं विधिवत रूप से अनुमोदित अन्वेषकों के नामों के प्राप्त हो जाने के बाद नए औषध मिश्रणों के विपणन के आरंभिक दो वर्षों के दौरान विपणनोत्तर निगरानी अध्ययन किए जाएंगे।"

भेषजीय फर्म द्वारा किए जाने वाले विपणनोत्तर निगरानी अनुमोदन के बाद दो वर्षों की अवधि के लिए की जानी है। तथापि, विपणनोत्तर अध्ययन रिपोर्ट उत्पाद के देश में वास्तविक रूप से आरंभ होने और बेचे जाने के समय पर निर्भर करती है। जनवरी, 2002 से अनुमोदित उत्पादों के संबंध में जिन उत्पादों ने विपणन के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं, विपणनोत्तर अध्ययन रिपोर्ट अधिकांश फर्मों द्वारा प्रस्तुत कर दी गई हैं।

हज यात्री

2386. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री अतीक अहमद:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष सहित प्रतिवर्ष हज यात्रा के लिए आवेदन करने वाले लोगों की औसतन संख्या कितनी है तथा प्रत्येक राज्य से हज पर जाने की अनुमति प्राप्त लोगों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के लिए हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) 2002, 2003, 2004 और 2005 वर्षों के हज के लिए भारतीय हज समिति में प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या
2002	73954
2003	72634
2004	75100
2005	81155

प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित तीर्थयात्री कोटा के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय हज समिति के माध्यम से हज करने वाले तीर्थयात्रियों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। चूंकि हज 2005 के लिए इस समय कार्य चल रहा है, इसलिए प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कोटा और हज 2005 हेतु तीर्थयात्रियों की संख्या बाद में उपलब्ध होगी।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के हज 2006 के तीर्थयात्री कोटा पर भारतीय जनगणना द्वारा जारी किए गए नवीनतम जनसंख्या आंकड़े के आधार पर फिर से विचार किया जाएगा।

विवरण

2002-2004 के दौरान हज करने वाले तीर्थयात्रियों की राज्यवार संख्या

राज्य	कोटा 2002-2004	2002 जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या	2003 जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या	2004 जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या
1	2	3	4	5
अंडमान निकोबार	60	31	22	37
अरूणाचल प्रदेश	3906	4634	4841	4584
असम	4270	1106	1102	1240
बिहार	8432#	1308	1508	1436
चंडीगढ़	60	10	22	37
छत्तीसगढ़		210	287	310
दादर और नगर हवेली	40	18	5	5
दमन दीव	40	30	27	9
दिल्ली	587	2456	2435	2619
गोवा	60	26	19	20
गुजरात	2378	5993	4351	5168
हरियाणा	504	577	480	515
हिमाचल प्रदेश	50	25	44	51
जम्मू-कश्मीर	2718	6383	7701	8923
झारखंड		692	811	832
कर्नाटक	3451	3900	3608	3653
केरल	4476	6780	7813	7503
लक्षद्वीप	121	156	156	123
मध्य प्रदेश	2165*	3282	2895	2588
महाराष्ट्र	5030	10583	8900	9180
मणिपुर	88	173	132	172
उड़ीसा	381	270	236	284
पांडिचेरी	60	63	43	53
पंजाब	158	180	225	237
राजस्थान	2325	4202	3585	3348
तमिलनाडु	2013	2682	2743	2621
त्रिपुरा	130	47	16	25
उत्तर प्रदेश	15897$	11749	11944	12923
उत्तरांचल			423	596
पश्चिम बंगाल	10600	2278	1972	2336
हज के लिए बढ़ाया गया कोटा 2005				
सरकारी कोटा**	2000	432	1449	279
कुल	72000	70276	69795	71707

*छत्तीसगढ़ के कोटा सहित $ उत्तरांचल के कोटा सहित

**झारखंड के कोटा सहित

***जारी किए गए कोटा में सभी राज्यों के तीर्थयात्री शामिल हैं।

प्रजनन पर मोबाइल फोन का प्रभाव

2387. **श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार मोबाइल फोनों द्वारा छोड़े गये विकिरण से मानव प्रजनन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, जीग्ड विश्वविद्यालय, हंगरी के डा. ईग्रे फीजेस तथा उनके सहयोगियों ने मानव पर मोबाइल फोन के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक अध्ययन किया है। उन्होंने यह अध्ययन 13 महीनों तक 221 लोगों पर किया तथा ऐसे लोगों, जो मोबाइल फोन का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, के शुक्राणुओं की तुलना ऐसे लोगों के शुक्राणुओं से की जिन्होंने मोबाइल फोन उपयोग ही नहीं किया है। उन्होंने पाया कि सेल फोन का लम्बी अवधि तक उपयोग करने से पुरुष प्रजननता एवं स्पर्मैटोजेनेसिस (शुक्राणु उत्पादनों) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, डा. फजेस का मानना है कि किसी पक्के नतीजे तक पहुंचने के लिए इस दिशा में आगे कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि "हाल ही में की गई पुनरीक्षाओं से यह निष्कर्ष नहीं निकला कि मोबाइल फोन से अथवा उनसे संबंधित आधार स्टेशन निकली रेडियो फ्रीक्वेन्सी से स्वास्थ्य खराब होता है" परंतु उसने इस दिशा में और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

(ग) भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के मत से सहमत है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास लंबित मामले

2388. **श्री रघुनाथ झा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न खंडपीठों में कई वर्षों से बहुत बड़ी संख्या में मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक खंडपीठ में लंबित मामलों के निपटान में देरी के कारणों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन खंडपीठों में जहां लंबित मामलों की संख्या विशेष रूप से बहुत ज्यादा है उन्हें प्राथमिकता देने तथा समय-सीमा में मामलों का निपटान करने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाने से अब तक दायर कुल 4,41,444 मामलों की तुलना में 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 24,534 मामले लंबित हैं।

(ख) 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित मामलों की पीठ-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कुल मिलाकर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में बड़ी मात्रा में मामले लंबित नहीं है और वर्ष 2004 में आरंभ किए गए बहुत-से मामलों की भी सुनवाई हो चुकी है तथा उन्हें निपटा दिया गया है। सरकार द्वारा, उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के रिक्त पद भरे जाने हेतु शीघ्रतिशीघ्र तत्परता से प्रयास किए जाते हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष से, मामलों का निपटान शीघ्रतिशीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु कदम उठाने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

विवरण

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 31.10.2004 की स्थिति अनुसार पीठ-वार लंबित मामले

क्र. सं.	पीठ का नाम	न्यायालयों की संख्या	1.1.2004 की स्थिति के अनुसार लंबित कुल मामलों की संख्या	31.10.2004 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	प्रधान पीठ	5	2034	2149
2.	अहमदाबाद	2	820	636
3.	इलाहाबाद	3	3729	3260
4.	लखनऊ	1	2066	1568
5.	बंगलौर	2	702	270
6.	मुंबई	2	1467	1441
7.	कोलकाता	2	5203	4392

1	2	3	4	5
8.	चंडीगढ़	2	1239	1281
9.	कटक	1	2192	1782
10.	गुवाहाटी	1	260	259
11.	हैदराबाद	2	1861	1465
12.	जबलपुर	1	1501	934
13.	जोधपुर	2	377	363
14.	जयपुर	1	704	612
15.	चेन्नई	2	651	649
16.	पटना	2	2754	2403
17.	एर्नाकुलम	2	1008	1070
	कुल	33	28568	24534

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कालोनी, वसंत विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

2389. **श्री पारसनाथ यादव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कालोनी, वसंत विहार में सी.जी.एच.एस. औषधालय के बारे में 4 फरवरी, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3239 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त औषधालय को मंजूरी दे दी गई है जिसके लिए लंबी अवधि के बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से 93,16,300 रुपये का प्रारंभिक प्राक्कलन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्राक्कलन वित्त मंत्रालय से मंजूर हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त कार्य को चालू वर्ष में पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) केन्द्रीय सरकार कालोनियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए संशोधित मानदंड/मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) संसाधनों और जनशक्ति की कमी के कारण इस समय नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

(छ) कर्मचारी निरीक्षण एकक के मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा इस समय कवर किए जा रहे शहर में नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए मानदंड 2000 कार्ड धारक (सेवारत/पेंशनभोगी) हैं जिसमें लगभग 10,000 लाभार्थी होते हैं। किसी नए शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरंभ करने के लिए कम से कम 6000 कार्ड (सेवारत/पेंशनभोगी) होने आवश्यक हैं जिसमें लगभग 30,000 लाभार्थी होते हैं।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

2390. **श्री नारायण चन्द्र वरकटकी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अस्पतालों में रोगियों की संख्या कम करने के लिए सरकार के पास कोई निवारक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पानी से होने वाली बीमारियों पर केंद्रित कार्यक्रम चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) यद्यपि निवारक स्वास्थ्य परिचर्या पर अलग से कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है तथापि प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रोगों की रोकथाम के लिए आवधिक जांच और अन्य उपाय करने तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई एवं जीवन शैली में सुधार लाने के लिए जन-जागरुकता फैलाने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलाप चलाने हेतु कुछ घटक हैं। सुरक्षित पेय जल, समुचित साफ-सफाई आदि सुनिश्चित करके पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। पेय जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

सरकार ने एकीकृत रोग निगरानी परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य विभिन्न संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के प्रकोपों का शुरू में

ही पता लगाता है ताकि शीघ्र ही उपाय किया जा सके तथा विभिन्न रोगों से होने वाली घटना, अपंगता और मृत्यु को कम किया जा सके। इस परियोजना में हैजा एवं टाइफायड सहित अतिसार रोगों जैसे जल जनित रोगों की निगरानी शामिल है।

एड्स के लिए धनराशि का उपयोग

2391. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति द्वारा राज्य सरकारों को आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति (एन.ए.सी.ओ.) को इस संबंध में कोई प्रतिवेदन मिला है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेल एअर अस्पताल, पंचगनी (महाराष्ट्र) ने एड्स रोगियों के उपचार के लिए अस्पताल हेतु बकाया केन्द्रीय धनराशि रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) बेल-एयर अस्पताल को निधियां जारी नहीं करने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनको महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को भेज दिया गया था। उनके अनुसार दिनांक 12-11-2003 को बेल एयर अस्पताल के किए गए लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं जिनके बारे में उनको बता दिया गया था। इसी बीच भर्ती किए गए रोगियों की मानवतावादी पहलू को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने वर्ष 2004-05 के लिए 50 प्रतिशत अनुदान जारी कर दिया। लंबित अंतिम लेखा परीक्षण किए जा रहे हैं। अंतिम अनुदान को लेखा परीक्षण के आधार पर संवितरित किया जाएगा।

एक्सेस डेफिसिट चार्जेज से संग्रहण

2392. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने एक्सेस डेफिसिट चार्जेज के नाम पर कुल कितनी धनराशि का संग्रहण किया;

(ख) कुल संग्रहण में से ग्रामीण फोन नेटवर्क को और विस्तारित करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में व्यक्तिगत फोन लाइन के रख-रखाव के लिए औसतन कितनी राजसहायता अपेक्षित है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशन

2393. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल में हल्दिया में सबमेरिन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार के दूरसंचार प्रचालक, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा प्रस्ताव की जांच कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं (आई.एल.डी.) की शुरुआत करते समय, बी.एस.एन.एल. समुद्री केबल के लिए लैंडिंग प्वाइंट स्थापित करने के विकल्पों में से एक विकल्प हल्दिया पर विचार करेगा।

टेलीफोन बिलों के लिए चैक

2394. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.टी.एन.एल., दिल्ली जोरबाग दूरसंचार केन्द्र को उपभोक्ताओं से प्रभार वापसी, बैंक चैक, पुन: कनेक्शन प्रभार तथा छूट के संबंध में जनवरी, 2004 से जुलाई, 2004 तक उपभोक्ताओं से टेलीफोन बिलों के लिए पोस्ट डेटिड चैक स्वीकार करने के बाद कितनी शिकायतें मिलीं;

(ख) क्या एम.टी.एन.एल., दिल्ली उपभोक्ताओं से टेलीफोन बिलों के लिए पोस्ट डेटिड चैक स्वीकार करता है;

(ग) यदि हां, तो एम.टी.एन.एल. की ओर से गलती के कारण अस्वीकृत पोस्ट डेटिड चैक के लिए उपभोक्ताओं पर दंड लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए दोषी प्राधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) एक ही उपभोक्ता से दो शिकायतें मिली थीं।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने भुगतान काउंटरों पर उत्तर दिनांकित (पोस्ट डेटिड) चेक स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

(ग) कई बार गलती से भुगतान काउंटरों पर उत्तर दिनांकित चेक स्वीकार कर लिए जाते हैं ऐसे चेक बाद में अनादृत हो जाते हैं और इसलिए उन पर दंड की उगाही की जाती है।

(घ) संबंधित कर्मचारियों को उत्तर दिनांकित चेकों को स्वीकार नहीं करने के संबंध में आवश्यक अनुदेशों को दोहराया गया है। उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मामले के संबंध में टेलीफोन नं. 24693360 का कनेक्शन काटने के लिए प्रभारित 100/- रुपए के शुल्क को दिनांक 11.8.2004 के बिल में जमा (क्रेडिट) कर दिया गया है। इस चूक के लिए लेखा अधिकारी (टी.आर.), जोरबाग को चेतावनी दे दी गई है और उन्हें सावधानीपूर्वक कार्य करने की सलाह दी गई है।

धनादेशों के मामले में घोटाला

2395. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के डाकघरों में धनादेशों के मामले में जालसाजी एवं घोटाला हो रहा है जैसा कि दिनांक 27 सितम्बर, 2004 के 'नवभारत टाइम्स' हिन्दी दैनिक में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जैसाकि उपर्युक्त समाचार पत्र में रिपोर्ट किया गया है, दिल्ली में कुछ फर्जी मनीआर्डरों के मामले पकड़े गए हैं।

(ख) नवंबर, 1999 से अब तक कुल 200 फर्जी मनीआर्डर के मामले पकड़े गए हैं जिनमें से 9.37 लाख रुपए मूल्य वाले 190 फर्जी मनीआर्डरों का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) इन मामलों में की गई विभागीय जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ऐसे मनीआर्डरों को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आजमगढ़ डाकघरों, झारखंड में कानके डाकघर (रांची) और राजस्थान में घण्टाघर डाकघर (कोटा) से जान बूझकर जारी किया गया था।

(ङ) सभी मामले पुलिस में रिपोर्ट किए गए और पुलिस ने इन मामलों में शामिल चार गैर-सरकारी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गलती करने वाले डाक कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी ओर से की गई चूक के लिए विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

नई औषधियां विकसित करना

2396. **श्री बालेश्वर यादव:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माशेलकर समिति के सुझाव कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है जिसमें सरकार को औषधियों के विकास के लिए निधि का सृजन करने की अनुशंसा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए भारतीय वैज्ञानिक औषधियों के विकास में लगे हुए हैं;

(घ) वर्तमान में ऐसी औषधियों का परीक्षण किस स्तर पर चल रहा है; और

(ङ) इनके प्रारंभिक लक्षणों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) भेषज अनुसंधान तथा विकास सहायता निधि (पी.आर.डी.एस.एफ.) का सृजन जनवरी, 2004 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के प्रशासकीय नियंत्रण में किया गया। चूंकि, माशेलकर समिति द्वारा विक्रय किये गये सभी निरूपणों (फार्म्युलेशनों) के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 1% अधिभार लगाने की सिफारिश की गई है अत: सरकार ने इस निधि को निर्धारित धनराशि (कार्पस) के रूप में 150 करोड़ रुपए का बजटीय योगदान देने का निर्णय लिया है। इस कार्पस पर उपार्जित ब्याज का उपयोग उद्योग/शैक्षणिक संस्थानों/प्रयोगशालाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित आधुनिक एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को सहायता करने तथा आधुनिक सुविधाओं का सृजन करने में किया जाएगा।

(ग) भारतीय वैज्ञानिक विभिन्न बीमारियों जैसे--मलेरिया, फाइलेरिया, कैंसर, अल्सर, तपेदिक (टीबी), लेशमेनिया, श्वेत कुष्ठ (ल्यूकोडर्मा), संधिवात (रयूमेटिज्म), रयूमेटाइड आर्थराइटिस, डायरियां, पैनक्रियाटायटिस, गैस्ट्रिटाइटिस, हृदय रोग, अति तनाव, मधुमेह, एड्स के लिए औषधियां तथा रोटावाइरस, कोलरा, रैबीज, तपेदिक (टीबी),

टायफायड, एच.आई.वी., मलेरिया आदि के लिए टीके तैयार कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) नए रसायनों, पौधों से प्राप्त अर्क, पारंपरिक दवाओं, माइक्रोब्स तथा फंगल के स्रोतों संबंधी जांच से प्राप्त नमूने (लीड्स) अभी खोज के विभिन्न चरणों जैसे निदान पूर्व तथा नैदानिक परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं। तपेदिक (टीबी) और कोलोरेक्टल कैंसर के लिए औषधियां विकास के अग्रिम चरण में हैं।

दसवीं योजना में स्वास्थ्य लक्ष्य

2397. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दसवीं योजना के दौरान गर्भ निरोधक तथा मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए सभी पूरी नहीं हुई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.), क्रूड जन्म दर (सी.बी.आर.) तथा मातृत्व मृत्यु दर में अत्यधिक कमी हासिल करने की बहस चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 1971 से 2001 में उड़ीसा में उच्च क्रूड जन्म दर रही;

(घ) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) दसवीं योजना के दौरान लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उड़ीसा की अशोधित जन्म दर 1971 में 34.6 थी जो 2001 में कम होकर 23.5 हो गई जबकि 1971 और 2001 के अखिल भारतीय आकड़े क्रमश: 36.9 से कम होकर 25.4 हैं। राज्यवार तुलनात्मक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ङ) सरकार 10वीं योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने के साथ-साथ गर्भनिरोधन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विषयों पर कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ करने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है जिसमें गहन एकीकृत स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए अंतर एवं अंत: क्षेत्रीय सम्मिलन के माध्यम से कमजोर जनांकिकी सूचकों वाले 17 राज्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1971	1981	1991	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	34.8	31.7	26.0	21.0	20.7
2.	असम	38.5	33.0	30.9	27.0	26.6
3.	बिहार	32.8	39.1	30.7	31.2	30.9
4.	छत्तीसगढ़				26.5	25.0
5.	गुजरात	40.0	34.5	27.5	25.0	24.7
6.	हरियाणा	42.1	36.5	33.1	26.8	26.6
7.	झारखण्ड				26.2	26.4
8.	कर्नाटक	31.7	28.3	26.9	22.2	22.1
9.	केरल	31.1	25.6	18.3	17.3	16.9
10.	मध्य प्रदेश	39.1	37.6	35.8	31.0	30.4

1	2	3	4	5	6	7
11.	महाराष्ट्र	32.2	28.5	26.2	20.7	20.3
12.	उड़ीसा	34.6	33.1	28.8	23.5	23.2
13.	पंजाब	34.2	30.3	27.7	21.2	20.8
14.	राजस्थान	42.4	37.1	35.0	31.1	30.6
15.	तमिलनाडु	31.4	28.0	20.8	19.1	18.5
16.	उत्तर प्रदेश	44.9	39.6	35.7	32.1	31.6
17.	पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	33.2	27.0	20.6	20.5
18.	अरुणाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	30.9	22.2	20.2
19.	दिल्ली	अनुपलब्ध	26.9	27.4	18.9	17.2
20.	गोवा	अनुपलब्ध	15.5	16.8	14.2	14.0
21.	हिमाचल प्रदेश	37.3	31.5	28.5	21.2	20.7
22.	जम्मू-कश्मीर	32.9	31.6	अनुपलब्ध	20.2	19.2
23.	मणिपुर	अनुपलब्ध	26.6	20.1	18.3	16.8
24.	मेघालय	अनुपलब्ध	32.6	32.4	28.3	25.8
25.	मिजोरम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	15.7	16.9
26.	नागालैंड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	15.8	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	सिक्किम	अनुपलब्ध	31.0	22.5	21.6	21.9
28.	त्रिपुरा	अनुपलब्ध	26.4	24.4	16.1	14.9
29.	उत्तरांचल				18.5	17.0
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	अनुपलब्ध	34.0	20.0	16.8	16.8
31.	चंडीगढ़	अनुपलब्ध	24.6	13.9	16.3	14.6
32.	दादर व नगर हवेली	अनुपलब्ध	36.8	31.1	29.5	30.4
33.	दमन व दीव	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	27.9	22.3	22.4
34.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	27.1	20.4	19.3
35.	पांडिचेरी	अनुपलब्ध	21.7	19.2	17.9	17.9
	अखिल भारत	36.9	33.9	29.5	25.4	25.0

स्त्रोत: नमूना पंजीयन प्रणाली

*अनन्तिम

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 का परिवर्तन

2398. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग -52 को 10,000 किलोमीटर गैर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम तथा राज्य राजधानी जुड़ाव कार्यक्रम तहत बाईहाटा चैरियाली से बांदेरदेवा तक चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित परियोजना की लागत कितनी है; और

(ग) इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के एक भाग के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के बाईहाटा चैरियाली-बांदेरदेवा खंड को राज्य की राजधानी ईटानगर को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के पूर्व-पश्चिम महामार्ग से जोड़ने के लिए बी.ओ.टी. आधार पर उन्नयन करके चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) फिलहाल, लागत प्राक्कलन और समय सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की परियोजना

2399. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में "इन्टरवेन्शन इन सैक्स इंडस्ट्री" नामक परियोजना शुरू की गई थी जैसा कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के प्रकाशन देश परिदृश्य 1998-99 में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) इस परियोजना में वर्ष-वार-कितना निवेश किया गया;

(ङ) क्या परियोजना अभी भी चल रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 1992 में किए गए मूल्यांकन के आधार पर देह-व्यापार में लगे लोगों के लिए लक्षित कार्यनीति संबंधी परियोजनाएं चलाई गईं थीं। ये परियोजनाएं 1992 में चन्नई, मुंबई में कमाठीपुरा और खेतवाड़ी परियोजना, कोलकाता में सोनागाछी परियोजना के रूप में शुरू की गई थीं।

(ख) इन कार्यनीतियों के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. यौन कर्ताओं और उनके ग्राहकों के यौन व्यवहार में परिवर्तन लाने संबंधी सहायता करना ताकि यौनाचार को सुरक्षित बनाया जा सके।
2. यौनकर्ताओं द्वारा परिवर्तित यौन संबंधी व्यवहार को बरकरार रखने हेतु उन्हें सक्षम बनाना।
3. कार्यकलाप संबंधी कार्यक्रम के लिए प्रभावी कार्यनीति एवं मार्गनिर्देश तैयार करना जिन्हें अन्य क्षेत्रों में लागू किया जा सके।

(ग) इस कार्यनीति ने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता की है जिसके द्वारा सुरक्षित यौनाचार को बढ़ावा मिला और यौन संचारित रोगों में कमी आई है। इन परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर देश के अन्य भागों में कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

(घ) शुरू में इस परियोजना को द्विपक्षीय अभिकरणों द्वारा सहायता दी गई थी। इस परियोजना में संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कमाठीपुरा और खेतवाड़ी परियोजना, मुंबई

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रुपए में)
1.	1999-2000	772317.00
2.	2000-2001	957941.35
3.	2001-2002	913758.09
4.	2002-2003	1099575.00
5.	2003-3004	2100074.00
6.	2004-2005 (सितम्बर, 04 तक)	1258350.00

सोनागाछी परियोजना, पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रुपए में)
1.	2001-2002	11396256/-
2.	2002-2003	13962493/-
3.	2003-2004	14151077/-
4.	2004-2005	13935220/-

(ङ) और (च) क्योंकि इन कार्यकलापों में लक्षित जनसंख्या काफी अधिक है और सीमान्त लोगों (समुदाय) के व्यवहार में परिवर्तन संबंधी संप्रेषण और सशक्तिकरण हेतु लगातार सहायता की आवश्यकता है इसलिए ये परियोजनाएं तब तक चलेंगी जब तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर लिया जाता।

2400. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जामनगर जिले में गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम में कोई कृषि उत्पाद परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे कब तक कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं। गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लि. ने, जामनगर में संयुक्त उपक्रम में कोई कृषि उत्पाद परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) उपरोक्त उत्तर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नौकरशाहों हेतु पारितोषिक एवं दंड प्रणाली

2401. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कार्य-निष्पादन से संबंधित पारितोषिक एवं दंड प्रणाली लागू कर नौकरशाहों में उत्तरदायित्व की भावना भरने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास अक्षमता एवं प्रशासनिक/वित्तीय कदाचार के कारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कर्मचारियों सहित अपने किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का परमाधिकार अथवा शक्ति है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस शक्ति का पहले कभी प्रयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) उच्चाधिकारियों के कार्य-निष्पादन को वार्षिक आधार पर, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के माध्यम से रेकार्ड किया जाता है तथा इसे अधिकारियों के करिअर में उन्नति के क्रम में ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, कुछ मंत्रालयों/विभागों ने कार्य-निष्पादन संबंधी पुरस्कारों/योजनाओं को आरंभ किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) सूचना केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं की जाती।

[हिन्दी]

सड़कों का निर्माण

2402. **श्री के.एस. राव:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण में प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोरियाई प्रौद्योगिकी आधार पर बनी सड़कों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दिल्ली सरकार ने हाल ही में दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके स्टेशन रोड टी जंक्शन से धौला कुंआ फ्लाईओवर स्ट्रेट ब्रिज तक 660 मीटर लंबा परीक्षण ट्रैक लगाया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एंथ्रेक्स के नए मामले

2403. **श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांस विक्रेताओं द्वारा अपप्रमाणीकृत मांस बेचने के कारण कुछ दक्षिण राज्यों में एंथ्रेक्स के नए मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के विजाग जिले में सितम्बर, 2004 में पुष्ट कूटेनियस एंथ्रेक्स के पांच मामलों की पुष्टि हुई है। ये मामले एंथ्रेक्स से पीड़ित संदिग्ध पशुओं के मांस और पशु उत्पादों से संबंधित कार्य करने (हैंडलिंग) के कारण हुए। यह विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले अप्रमाणित मांस के उपयोग के कारण नहीं हुआ था।

राज्य सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त किए गए और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और किसी नए मामले की सूचना नहीं दी गई है।

किसी अन्य दक्षिणी राज्य द्वारा किसी नए मामले की सूचना नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत उड़ीसा के लिए धनराशि

2404. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के अन्य भागों की तुलना में के.बी.के. जिलों में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत ऐसे जिलों के लिए सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत उड़ीसा को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का क्षेत्र-वार अनुमान नहीं लगाता है। तथापि, उड़ीसा सरकार द्वारा गठित गरीबी कार्यबल (पी.टी.एफ.) के अनुमान के अनुसार वर्ष 2003 के संबंध में उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता समग्र राज्य हेतु 50.09 की तुलना में 65.42 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार को राष्ट्रीय सम विकास योजना के दो घटकों जैसे उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना एवं पिछड़े जिले पहल के अंतर्गत शत प्रतिशत अनुदान आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की जा रही है। चालू वर्ष में विशेष योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। पिछड़े जिले पहल के अंतर्गत स्कीम में कवर किए गए उड़ीसा के पांच जिलों नामत: गंजाम, गजपति, मयूरभंज, कियोंझर एवं सुन्दरगढ़ के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

2405. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के अंतर्गत सीधे अपने पैसे जमा कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों को हतोत्साहित किया जा रहा है और डाककर्मी एजेंटों का पक्ष ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से स्व-रोजगार

2406. श्रीमती मेनका गांधी: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। देश में ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) एवं राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन करती रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी उद्यमी 25 लाख रु. की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता एवं सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर ग्रामोद्योग की स्थापना कर सकता है। स्वीकार्य मार्जिन मनी सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता

क्र.सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25%
2.	अनुसूचित जाति/अ.ज. जाति/महिला/पूर्व सैनिक/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30%
3.	सामान्य	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	2.5 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%
4.	अनुसूचित जाति/अ.ज. जाति/महिला/पूर्व सैनिक पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक	3 लाख रुपये और शेष परियोजना लागत का 10%

सरकार ने 2004-05 के दौरान आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत 5.25 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

2004-05 के दौरान आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए राज्यवार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य (संख्या व्यक्तियों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	24884
२.	अरुणाचल प्रदेश	1417
3.	असम	28717
4.	बिहार	25567
5.	गोवा	9030
6.	गुजरात	13754
7.	हरियाणा	14017
8.	हिमाचल प्रदेश	12285
9.	जम्मू-कश्मीर	12915
10.	कर्नाटक	25567
11.	केरल	23677
12.	मध्य प्रदेश	21577
13.	महाराष्ट्र	40319
14.	मणिपुर	2535
15.	मेघालय	7980
16.	मिजोरम	2467
17.	नागालैंड	4935
18.	उड़ीसा	19057
19.	पंजाब	26197
20.	राजस्थान	43627
21.	सिक्किम	1732
22.	तमिलनाडु	23309
23.	त्रिपुरा	5407
24.	उत्तर प्रदेश	43679
25.	पश्चिम बंगाल	50084
26.	अंडमान एवं निकोबार	1607
27.	चंडीगढ़	53
28.	दादर नगर हवेली	221
29.	दिल्ली	735
30.	लक्षद्वीप	52
31.	पांडिचेरी	210
32.	छत्तीसगढ़	10447
33.	झारखंड	13965
34.	उत्तरांचल	13125
	योग	525150

सरकारी अस्पतालों में आई.सी.यू. की स्थिति

2407. श्री सुकदेव पासवान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और 'एम्स' नई दिल्ली के आई.सी.यू. की स्थिति खराब है;

(ख) क्या अस्पताल के प्राधिकारी आई.सी.यू. का सही ढंग से रख-रखाव करने में असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास आर.एम.एल., सफदरजंग अस्पताल और 'एम्स' के आई.सी.यू. का उचित रख-रखाव रखने की जांच करने वाली कोई एजेंसी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गहन परिचर्या एककों (आई.सी.यू.) का समुचित रख-रखाव अपेक्षित उपकरणों के साथ किया जाता है और उनकी गहन मानीटरिंग संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा की जाती है।

व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कानून

2408. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा संबंधी एक औपचारिक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। स्वास्थ्य विज्ञान में उच्चतर व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में केन्द्रीय विधान बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव एक सुझाव की प्रकृति का है और कोई ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का कार्य-निष्पादन

2409. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.आई.आर. द्वारा पच्चीस वर्ष पहले स्थापित की गई क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुवनंतपुरम, क्षेत्र के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान देने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खनिज, कृषि, वन तथा समुद्री संसाधनों के मूल्य संवर्धन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय संसाधनों के उपयोग तथा क्षेत्रीय पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु समर्पित अनुसंधान तथा विकास कार्य निम्न-स्तरीय है और उन्हें बंद किया जा रहा है;

(घ) क्या आर.आर.एल.टी. में नियुक्त निदेशक शैक्षिक पृष्ठभूमि के हैं और उन्हें तकनीकी विकास अथवा प्रबंधन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आर.आर.एल.टी. के कार्यकलापों की जांच करने तथा प्रयोगशाला के काम को पूरा करने हेतु प्रयोगशाला को पुन: चालू करने हेतु कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी नहीं। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुवनंतपुरम (आर.आर.एल.-तिरु.) ने गत वर्षों में निम्नवत् क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान दिया है: कृषि प्रक्रमण; कार्बनिक रसायन विज्ञान; बहुलक; मृत्तिका एवं मृत्तिका सामग्री; सिरामिक्स, मिश्र धातुएं एवं सम्मिश्र; खनिज प्रक्रमण; और अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकी। आर.आर.एल. द्वारा विकसित और सफलतापूर्वक वाणिज्यिकृत कुछ प्रौद्योगिकियों में निम्नवत् शामिल है: ताड़ तेल प्रक्रमण; सुवासयुक्त ताजा मसाला तेल और ओलिओरेसिन; ताजे नारियल का समेकित प्रक्रमण; और जैव निस्यंदकों के माध्यम से गंध नियंत्रण। ऐसी अनेक चालू परियोजनाएं हैं जो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए सघन कार्य कर रही हैं। इस प्रयोगशाला को इसके महत्वपूर्ण योगदानों-प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण हेतु दो बार एन.आर.डी.सी. पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। प्रक्रमण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुवास, ओलिओरेसिन और सक्रिय यौगिकों के लिए ताजे/शुष्क/मसालों के प्रक्रमण हेतु 'स्विंग टेक्नोलॉजी' के विकासार्थ सी.एस.आई.आर. प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2004 प्रदान किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) आर.आर.एल.-तिरुवनंतपुरम के नियुक्त निदेशकों के उत्कृष्ट शैक्षिक प्रत्ययपत्र थे, उनमें से कुछ के पास प्रौद्योगिकी विकास का अनुभव भी था। इसके वर्तमान निदेशक, प्रो. टी.के. चन्द्रशेखर आर.आर.एल.-तिरुवनंतपुरम में कार्यग्रहण करने से पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में प्रोफेसर थे। उनके उत्कृष्ट योगदानों के लिए उन्हें वर्ष 2001 में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

(ङ) और (च) जी नहीं।

[हिन्दी]

अंगदान हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने वाले स्वैच्छिक संगठन

2410. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने स्वैच्छिक संगठन लोगों को अंगदान हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को प्रदान किए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लोगों को स्वैच्छिक रूप से अंगदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए और स्वैच्छिक संगठनों की सहायता लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमेरिकी रक्षा सचिव का दौरा

2411. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव के भारत दौरे का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दौरे के दौरान जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच सहयोग हेतु जिन क्षेत्रों पर सहमति हुई उसका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) संयुक्त राज्य रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने 8-9 दिसम्बर, 2004 के बीच भारत की यात्रा की। उन्होंने 9 दिसम्बर, 2004 को प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।

(ख) इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(ग) चर्चाओं के दौरान हमारे मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। इस संबंध में तेजी से आ रही प्रगाढ़ता पर संतोष व्यक्त किया गया जिसमें वार्ता प्रणाली, पारस्परिक सैन्य संपर्क, अभ्यासों, यात्राओं, शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रभावी कार्य रूप देना शामिल है। रक्षा में हमारे सहयोग की परिधि को बढ़ाने में रूचि स्पष्ट थी। इन बैठकों के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चाएं हुईं।

नई औषधियों के विनिर्माण हेतु अनुमति

2412. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में कितनी औषधियों के विनिर्माण हेतु अनुमति दी गई है;

(ख) किन-किन कंपनियों तथा किन-किन औषधियों के विनिर्माण की अनुमति दी गई है;

(ग) आज की तारीख तक कितने आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या इन आवेदनों को स्वीकृति देने में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान देश में 23 नए औषध अणुओं को अनुमोदित किया गया है। एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें कम्पनियों के नाम और विनिर्माण/विपणन किए जाने वाली औषधों के नाम शामिल हैं।

(ग) से (ङ) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत अनुसूची-वाई के अनुसार नए औषध संबंधी आवेदनों का मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है और यह अणु/औषध के स्वरूप, प्रकाशित डाटा और आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। अत: आवेदन के स्वरूप पर निर्भर रहते हुए इसमें किसी भी आवेदक को जांच संबंधी नई औषध (अर्थात ऐसा औषध अणु जिसका विश्व में किसी भी स्थान में मानव पर परीक्षण नहीं किया गया) के अनुमोदनार्थ अपेक्षित परीक्षणों के सभी चरणों को पूरा करने हेतु औसतन 3 से 5 वर्ष; कहीं भी पहले से अनुमोदित लेकिन पुष्टिकारक क्लीनिकल परीक्षण की अपेक्षा रखने वाली औषध के पहली बार अनुमोदन के लिए लगभग 1-3 वर्ष और पहले से अनुमोदित औषधों के लिए उत्तरवर्ती आवेदनों के लिए लगभग 2-3 महीनों का समय लग सकता है। तथापि, यह औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची-वाई के उपबंधों के अनुसार सभी अपेक्षित डाटा को प्रस्तुत करने के अध्यधीन होता है।

चालू वर्ष के दौरान मानदण्डों के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर नए औषध उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में 600 से अधिक आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। लगभग 900 आवेदन मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में है। ऐसे आवेदनों को स्वीकृति देने में होने वाले किसी भी विलंब से बचने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

चालू वर्ष, 2004 के दौरान अनुमोदित (पहली बार अनुमोदन) नई औषधें

1.	डयूटास्टेराइड	मैसर्स डा. रेड्डीज लैब
2.	जेफीटीनिब	मैसर्स एस्टाजीनिका
3.	इमीडाप्रिल	मैसर्स एल्डर फार्मा
4.	एडीफोविर	मैसर्स सिपला
5.	इटोरीकोक्सिब	मैमर्स कैडिला हैल्थकेयर, ग्लेनमार्ग एंड हैट्रो
6.	डाइसीरिन	मैसर्स एल्डर फार्मा
7.	नाइटाजोक्सानाइड	मैसर्स इंड-स्वीफ्ट लि.
8.	ट्रोलामाइन	मैसर्स एफ.डी.सी. लि.
9.	नियोटेम	मैसर्स न्यूट्रा स्वीट कं. (इंडिया)
10.	एल्फ्यूजोसिन	मैसर्स रैनबेक्सी लैब्स लि.
11.	टियागेबाइन एच.सी.एल.	मैसर्स सन फार्मा
12.	इबांड्रोनिक एसिड	मैसर्स रोचे साइंटिफिक कं. (इंडिया) प्रा. लि.
13.	मेमान्टाइन एच.सी.एल.	मैसर्स सन फार्मा
14.	पाइमेक्रोलिमस	मैसर्स नोवार्टिस इंडिया लि.
15.	रिबेमीपाइड	मैसर्स मैक्लीयोड्स लि.
16.	मिग्लीटोल	मैसर्स ग्लेनमार्क
17.	सिटीकोलाइन	मैसर्स सन फार्मा एंड मैसर्स एल्डर फार्मा
18.	इविरोलाइमस	मैसर्स नोवार्टिस इंडिया लि.
19.	वोरिकोनापोल	मैसर्स फार्माशिया
20.	आर्लिस्टेट	मैसर्स इंटास फार्मा
21.	डेफ्लाजाकोर्ट	मैसर्स मैक्लीयोड्स
22.	डयूलोक्सेटाइन	मैसर्स टोरेन्ट फार्मा
23.	एटोमोक्सेटाइन	मैसर्स टोरेन्ट फार्मा

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा गांवों का विकास

2413. श्री सज्जन कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कुछ गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों ने सरकार को ग्रामीण विकास हेतु प्रत्येक गांव के चयन के बारे में विचार करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

धनादेश पर कमीशन में कटौती

2414. श्री एम. अप्पादुरई: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का धनादेश पर कमीशन राशि को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी हेतु दस सूत्रीय कार्यक्रम

2415. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु दस सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य से अपने स्वयं की इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना के माध्यम से अपना ब्राडबैंड नेटवर्क स्थापित करने की आशा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ केरल को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित क्षेत्रों को चहुंमुखी आर्थिक विकास लाने के लिए भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में घोषित किया है:

(i) प्रौद्योगिकियों का समाहार

(ii) ई-शासन

(iii) ब्रॉड बैण्ड सम्पर्क

(iv) अगली पीढ़ी की मोबाइल बेतार प्रौद्योगिकियां

(v) राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज तथा भारतीय डोमेन नाम

(v) नए इंटरनेट प्रोटोकॉल आई.वी.पी.-6 में परिवर्तन

(vii) सुरक्षा एवं अंकीय हस्ताक्षर

(viii) मीडिया लैब एशिया

(ix) भाषा अभिकलन

(x) कुशल जनशक्ति की आउटसोर्सिंग तथा अनुसंधान एवं विकास पर जोर

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में नीतिगत दिशानिर्देश घोषित किए हैं जिनका उद्देश्य राज्य सरकारों को राज्य मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक कम से कम 2 एम.बी.पी.एस. बैण्डविड्थ क्षमता से राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) स्थापित करने में सहायता करना है। इन नेटवर्कों को समुचित इंटरफेसों के माध्यम से निकनेट के साथ जोड़ा जाएगा। नीतिगत दिशानिर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत वित्तपोषण के मुख्य मापदण्ड नीचे दिए गए हैं:

(i) नीति के अंतर्गत वित्तपोषण के पात्र होने के लिए राज्य के लिए यह आवश्यक है कि उसने ऐसी तीन प्रमुख राज्यव्यापी ई-शासन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है, जिनमें इस प्रकार के सम्पर्क की आवश्यकता है। इनमें से कम से कम एक परियोजना पूरी तरह समूचे राज्य में चलाई गई होनी चाहिए।

(ii) नीति के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पांच वर्षों तक नेटवर्क की पूंजीगत तथा प्रचालन संबंधी लागत का वहन करेगा। संबंधित राज्यों द्वारा नेटवर्क के लिए आवश्यक बैण्डविड्थ/ट्रांसपोंडर अभिगम की लागत, वास्तविक स्थापना स्थल तथा सभी संबंधित अन्य आवर्ती व्यय का वहन करना होगा।

(iii) स्वान के कार्यान्वयन के लिए राज्य या तो राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र या फिर राज्य द्वारा चुनी गई किसी अन्य एजेंसी का विकल्प दे सकता है।

(iv) राज्य सरकार को सुरक्षा, मानकीकरण, अंतर-प्रचालन तथा निकनेट एवं स्वान के बीच अंतर-सम्पर्क की आवश्यकताओं के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

(ङ) और (च) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में केरल राज्य में राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क स्थापित करने के लिए 78.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्राप्त किया है।

विवरण

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

ई-शासन के लिए राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क मूलसंरचना की स्थापना

ई-शासन: सरकार की एक उच्च प्राथमिकता

संयुक्त प्रगतिशील गठबंध (यूपीए) सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में ई-शासन के बृहत स्तर पर संवर्धन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। श्री दयानिधि मारन, केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए एक दस सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। ई-शासन का संवर्धन और कार्यान्वयन इस कार्यसूची का एक मुख्य तत्व है।

राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.) नागरिकों को सेवाओं की प्रदायगी पर केन्द्रित

मोटे तौर पर, राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.), जिसे तैयार किया जा रहा है, के दो आयाम हैं। पहला मिशन मोड परियोजनाओं (एम.एम.पी.) का एक समूह है जिसका उद्देश्य नागरिकों एवं व्यवसाय को सेवाओं की प्रदायगी में सुधार करना है। ये सुधार विभिन्न किस्म की सरकारी सेवाओं की प्रदायगी में गति, विश्वसनीयता, अभिगम्यता से संबंधित है। ये परियोजनाएं केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार के स्तर तक फैली हुई है। ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फैली हुई हैं। विभिन्न मंत्रालय, विभाग एवं संगठन इन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं। दूसरे आयाम में कुछ सहायक घटक शामिल हैं जो इन परियोजनाओं को समर्थ बनाने और सुकर बनाने के लिए आवश्यक हैं। एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक मुख्य नेटवर्क मूलसंरचना की स्थापना करना है जिसमें सरकार के भीतर सुरक्षित व्यापक क्षेत्र नेटवर्कों की स्थापना करना शामिल है। इन नेटवर्कों का इस्तेमाल अन्य विकासात्मक कार्यकलापों और कार्यक्रमों जैसेकि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए भी किया जा सकता है।

उच्च गति (2 मेगा बाइट प्रति सेकण्ड), विश्वसनीय संचार नेटवर्क : ई-शासन का एक मुख्य समर्थनकारी

नेटवर्क सम्पर्क किसी भी आधुनिक, कुशल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण समर्थनकारी साधन है। हमारे देश में विकास खण्ड विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी प्रशासन के प्राथमिक स्तर हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय नेटवर्क सम्पर्क का प्रावधान अनिवार्य है। अत: यह निर्णय किया गया है कि सरकार से सरकार तक संव्यवहार के लिए उच्च गति, उच्च क्षमता (न्यूनतम 2 एम.बी.पी.एस.), विश्वसनीय नेटवर्क सम्पर्क ब्लॉक स्तर तक राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्कों तथा/अथवा निकनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। निकनेट का संचालन इस समय राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र अर्थात एन.आई.सी. द्वारा किया जा रहा है जो मुख्यत: जिला स्तर तक एक वी-सैट आधारित नेटवर्क है।

विभिन्न ई-शासन परियोजनाएं, जिनका कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों द्वारा चरणबद्ध रूप से अगले 4-5 वर्षों में किया जाएगा, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्कों (स्वान) तथा निकनेट का प्रयोग करके अविच्छिन्न सम्पर्क का लाभ उठा सकती हैं। इस नेटवर्क सम्पर्क का प्रयोग क्रमश: ग्रामीण स्तर पर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसके लिए इनका अभिगम अंतिम छोर तक बेतार तथा अन्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किया जा सकता है। हाल ही में घोषित ब्रॉड बैण्ड नीति इस संदर्भ के संगत होगी।

राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क के निर्माण के लिए भारत सरकार की बृहत सहायता के लिए जारी दिशानिर्देश

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एन.ई.जी.ए.पी. में चुनी गई इस साझाकृत बैकबोन मूलसंरचना की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्कों (स्वान) की स्थापना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली तकनीकी एवं वित्तीय सहायता की कार्य प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इनमें तकनीकी एवं प्रशासनिक मानदण्ड शामिल हैं जिनका अनुपालन राज्यों द्वारा स्वान की स्थापना के लिए प्रत्येक राज्यों द्वारा अपनाए गए कार्यान्वयन के विकल्प के आधार पर किया जाएगा।

ब्लॉक स्तर तक राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्कों का विस्तार

अंतर-राज्य नेटवर्क की स्थापना की जाएगी जिसके जरिए राज्य के मुख्यालय को ब्लॉक मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय (यदि ब्लॉक मुख्यालय से भिन्न हो तो) के साथ जिला मुख्यालय तथा उप मंडल मुख्यालय (यदि लागू हो तो) के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इन नेटवर्कों को गेटवे के रूप में समुचित इंटरफेसों के माध्यम से निकनेट के साथ जोड़ा जाएगा। इसके परिणास्वरूप, अंतर-राज्य सम्पर्क की सुविधा प्राप्त होगी। भारत सरकार के विभाग/संगठन तथा राज्य सरकार विभिन्न स्थानीय कार्यालयों को अंतिम छोर तक सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक मुख्यालय तथा सभी अन्य उच्चतर प्रशासनिक स्तरों पर डॉयल-अप, लीण्ड लाइन, रेडियो आवृत्ति (आर.एफ.) तथा बेतार सम्पर्क का प्रयोग कर सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी तथा अन्य सेवाओं के लिए स्वान का प्रयोग

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस समय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे देश में साझा सेवा केन्द्रों (सी.एस.सी.) की स्थापना में सुविधा

प्रदान करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। एन.ई.जी.ए.पी. के अन्तर्गत यह एक मिशन मोड परियोजना है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पर सौंपी गई है। इस संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है जिसमें राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं की सक्रिय सहभागिता से साझा सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता की प्रकृति एवं मात्रा का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सरकारी तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले ग्रामीण स्तर के सेवा केन्द्रों अथवा कियॉस्कों को सम्पर्क प्रदान करने के लिए बेतार तथा अन्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से स्वान का अधिक से अधिक प्रयोग करने से संबंधित मुद्दे भी शामिल होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के उदाहरण

इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: भूमि तथा सम्पत्ति के अभिलेख एवं लेन-देन, कृषि संबंधी सूचना तथा ऋण संबंधी सेवाएं, विद्युत, जल तथा टेलीफोन प्रभार का भुगतान, जन्म, मृत्यु, जाति, आय, विद्यालय आदि जैसे विभिन्न प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना, विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, पेंशन, शिकायत, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आवेदन जमा करना। इन प्रदायगी प्रणालियों का लाभ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सा सेवाएं भी उठा सकती हैं। आयकर तथा वाणिज्यिक कर के प्रयोजनों से कोई भी व्यक्ति अथवा व्यावसायिक संगठन भी इस मोड का प्रयोग विभिन्न फार्म तथा प्रतिवेदन जमा करने के लिए कर सकते हैं और साथ ही व्यापार, परिवहन तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस तथा परमिट भी जारी किए जा सकते हैं।

स्वान नीतिगत दिशानिर्देशों की मुख्य बातें

स्वान नीतिगत दिशानिर्देशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

- स्वान की स्थापना के लिए राज्यों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास मांग में संभावित वृद्धि तथा उदीयमान प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए स्वान के लिए ब्लॉक स्तर तक 2 एम.बी.पी.एस. का एक निश्चित न्यूनतम बैण्डविड्थ है।
- इस मानक को हासिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 5 वर्षों की अवधि तक नेटवर्क के पूंजीगत तथा प्रचालन संबंधी सम्पूर्ण लागत का वहन करेगा, जबकि बैण्डविड्थ की लागत का वहन राज्यों द्वारा किया जाएगा।
- स्वान का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से अथवा इसके द्वारा चुनी गई किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से किया जा सकेगा।
- बी.एस.एन.एल. ने स्वान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एक विशेष टैरिफ पैकेज का प्रस्ताव किया है जिसमें 90 प्रतिशत की छूट दी गई है।
- बी.एस.एन.एल तथा इस पैकेज का लाभ उठाने के इच्छुक राज्यों के बीच समझौते के निष्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सहायता करेगा।
- वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होने के लिए राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि उसने कम से कम 3 ऐसी प्रमुख राज्यव्यापी ई-शासन परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनमें इस प्रकार के सम्पर्क की आवश्यकता है। इनमें से कम से कम एक परियोजना समूचे राज्य में चलाई जाने वाली होनी चाहिए।
- सेवाओं की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता का सुनिश्चय करने के लिए सेवा स्तर के समझौते करने पड़ेंगे।
- सुरक्षा, मानकीकरण, अंतर-प्रचालनीयता तथा अंतर-सम्पर्क से संबंधित दिशानिर्देश एन.आई.सी. द्वारा जारी किए जाएंगे।

निकनेट की अभिवृद्धि

स्वान की स्थापना के समय निकनेट की अभिवृद्धि भी एक बैकबोन के रूप में की जाएगी जिससे अंतर-राज्य तथा केन्द्र-राज्य सम्पर्क में वृद्धि की जा सके। यह कार्य जहां भी संभव हो, पट्टाकृत ओ.एफ.सी. का प्रयोग करके अथवा जहां भी समुचित हो, अद्यतन तकनीकी जानकारी की वी-सैट आधारित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके और राज्य तथा जिला मुख्यालयों में स्थित टर्मिनल उपस्कर का दर्जा बढ़ाकर किया जाएगा।

लागत तथा परिव्यय

यह अनुमान लगाया गया है कि सभी राज्यों को इसके अंतर्गत लाने के लिए इस प्रयोजन से 5 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लगभग 1000 करोड़ रुपये के आबंटन की आवश्यकता होगी। इसी अवधि में छूट से पूर्व बैण्डविड्थ की लागत इतनी ही होने का अनुमान है। छूट के बाद बैण्डविड्थ की शुद्ध लागत का वहन राज्यों द्वारा किया जाएगा।

सारांश

व्यापक एरिया नेटवर्क ई-शासन के लिए मुख्य, साझाकृत मूलसंरचना है। यह आशा की जाती है कि उक्त योजना ब्लॉक स्तर तक सरकार से सरकार के बीच संव्यवहार के लिए उच्च गति, उच्च क्षमता (न्यूनतम 2 एम.बी.पी.एस.), विश्वसनीय नेटवर्क सम्पर्क का तेजी से विस्तार करने में सहायता करेगी। यह नागरिकों तथा व्यवसायों को तेज गति से एवं अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-शासन को तेजी से अपनाने में राज्यों को प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह भी आशा की जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में सरकारी सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी में शहरी, अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कियॉस्कों तथा सेवा केन्द्रों को विश्वसनीय ब्रॉड बैण्ड सम्पर्क उपलब्ध कराने में यह विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर बाइपास

2416. श्री राकेश सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में कटनी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर बाइपास बनाने की स्वीकृति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर कटनी बाइपास के निर्माण कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति नहीं दी गई थी। इसे बी.ओ.टी. आधार पर शुरू किया गया है।

(ख) कार्य की वर्तमान निष्पादन प्रगति लगभग 10% है।

[अनुवाद]

गैर-योजनागत व्यय को सीमित रखने का अभियान

2417. श्री निखिल कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने गैर-विकास व्यय को सीमित रखने हेतु एक मितव्ययता अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गैर-योजनागत व्यय दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग और स्वशासी निकाय इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों को लागू करने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गैर-योजनागत व्यय पर काबू पाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) सरकार का गैर-योजना, गैर-विकासात्मक व्यय को सीमित रखने का निरन्तर प्रयास रहता है। अन्य उपायों के साथ-साथ वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को बेकार के व्यय रोकने के लिए अनुदेश जारी किए जाते रहते हैं। वित्त मंत्रालय ने व्यय-प्रबंधन-राजकोषीय दूरदर्शिता एवं मितव्ययिता पर 24 सितम्बर, 2004 को नए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पदों के सृजन पर रोक, संस्वीकृत पदों की संख्या में कमी, रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध, कार्यालय व्यय में कटौती, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा तथा मनोरंजन/आतिथ्य व्यय पर प्रतिबंध, स्वायत्तशासी संस्थानों जिनेक पास उपयोग न की गई पर्याप्त राशि शेष है तथा जिसे बैंकों में रखा गया है, उन्हें निधियों जारी करने पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा समीक्षा, स्वायत्तशासी संस्थानों को ग्रेडिड तरीके से घाटा अनुदान जारी करने में कटौती शामिल है।

(ग) और (घ) अनिवार्य/प्रतिबद्धित व्यय जैसे ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, सब्सिडीज, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण, पेंशन, आंतरिक सुरक्षा पर हुए व्यय के अतिरिक्त अन्य गैर-योजना व्यय में सामान्य विकास के कारण मार्जिनल वृद्धि हुई है।

(ङ) सरकार गैर-योजना और गैर-विकासात्मक व्यय को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिल्ली के संक्रामक रोग अस्पताल में उपकरण की कमी

2418. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहर के किंग्सवे कैंप स्थित संक्रामक रोग अस्पताल, जो संचारी रोगों से पीड़ित रोगियों का उपचार करने वाला नोडल अस्पताल है वर्षों से आपरेशन थियेटर के बिना काम कर रहा है और उपकरण की अनुपलब्धता के कारण कई बच्चे जिन्हें माइनर सर्जरी की आवश्यकता थी, मर गए;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उपकरण की अनुपलब्धता के कारण कितने बच्चे मर गए;

(ग) उक्त अस्पताल में समुचति आपरेशन थियेटर उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अस्पताल में इस भारी कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि संक्रमणीय रोगों के अस्पताल का आपरेशन थिएटर (शल्य कक्ष) 21-8-2004 से संचालन योग्य हो गया है। छोटे शल्यकार्य के लिए आवश्यक उपकरण अस्पताल में उपलब्ध हैं। आपरेशन थिएटर जब संचालनीय नहीं था तब रोगियों को निकट के हिन्दू राव अस्पताल में भेजा जाता था जो उपकरण से सुसज्जित तृतीयक परिचर्या अस्पताल है।

'निस्केयर' की डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना

2419. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.आई.आर. के 'निस्केयर' प्रतिष्ठान में एक राष्ट्रीय साइंस डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो आज तक संबद्ध स्टाफ, कुल राशि, प्रयुक्त राशि, वित्त पोषण का स्रोत, परियोजना अवधि का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजना के लिए आई.सी.आई.सी.आई. इन्फोटेक को एक सलाहकार नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, उसकी नियुक्ति की तारीख स्वीकृत की गई कुल राशि, प्रदान की गई राशि तथा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना में निजी सलाहकार की सेवा लेने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या 'निस्केयर' ने परियोजना पर काम शुरू करते हुए सक्षम प्राधिकारी को यह सूचित किया था कि उसके पास परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु पर्याप्त विशेषज्ञता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना से जुड़े स्टाफ में 4 वरिष्ठ वैज्ञानिक और 1 सहायक सम्मिलित हैं। इस परियोजना के लिए कुल निधि 44.23 करोड़ रुपये है जिसमें से अब तक पूंजीगत एवं आवर्ती व्यय के लिए क्रमश: 3.25 लाख रुपये तथा 0.50 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इस परियोजना की अवधि 3 वर्ष (2004 से 2007) है तथा इसके लिए निधियां सी.एस.आई.आर. की बजटीय सहायता से आएंगी।

(ग) जी हां।

(घ) परामर्शदाता को दिनांक 22-4-2004 को नियुक्त किया गया था। इस परामर्शदाता के लिए 6.5 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गई थी जिसमें से 3.25 लाख रुपये उन्हें पहले ही दिए जा चुके हैं। सौंपे गए कार्य के उद्देश्य के अनुसार सभी रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(ङ) गैर-सरकारी परामर्शदाता की नियुक्ति इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान जोखिम को न्यूनतम करने हेतु व्यावसायिक योगदान और अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने के लिए की गई थी।

(च) जी हां।

(छ) राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल लायब्रेरी परियोजना के लिए लायब्रेरी और सूचना विज्ञान क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षमता की आवश्यकता थी जो निस्केयर की मुख्य क्षमता वाले क्षेत्रों में एक है।

प्रतिलभ्य उपग्रहों का छोड़ा जाना

2420. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास प्रतिलभ्य उपग्रह छोड़ने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) सरकार ने 46.20 करोड़ रुपये की कुल लागत पर अन्तरिक्ष कैप्सूल पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एस.आई.ई.) परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। एस.आई.ई. मॉडयूल प्राप्ति के भाग के रूप में, एस.आर.ई. मॉडयूल उपप्रणालियों, तापीय सुरक्षा प्रणाली, पैराशूट प्रणाली इत्यादि का परीक्षण प्रगति में है। इस परीक्षण के भाग के रूप में, अगस्त, 2004 के दौरान श्रीहरिकोटा से पुनर्प्राप्ति प्रणाली का हेलीकॉप्टर से पतन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। एस.आर.ई. के वास्तविक प्रमोचन एवं पुनर्प्राप्ति के वर्ष 2005-06 में आयोजित करने की योजना है।

माइका भण्डार में कमी

2421. श्री रामदास आठवले: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषतौर पर महाराष्ट्र में माइका भण्डार कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) माइका आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार, 1-4-2000 को देश में अभ्रक स्व-स्थाने भण्डार 59064 टन होने का अनुमान है। 1-4-95 की स्थिति के अनुसार अभ्रक के 64202 टन भण्डार होने का अनुमान था। आई.बी.एम. के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में अभ्रक के किसी आर्थिक रूप से व्यवहार्य भण्डार का पता नहीं लगा है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार, अभ्रक सहित खनिजों के गवेषण/विदोहन को निजी उद्यमियों के लिए खोल दिया गया है। तथापि, अभ्रक का गवेषण और अभ्रक-आधारित उद्योगों की स्थापना इस खनिज की उपलब्धता और ऐसी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेंगे।

कन्डोम की बिक्री

2422. श्री जोवाकिम बखला:
श्री रबेन बर्मन:
श्री सुब्रत बोस:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जून 2003 से मई 2004 के बीच कन्डोमों की बिक्री में 40 मिलियन की कमी आई है जैसा कि 26 अगस्त, 2004 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में बताया गया

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बिक्री के रूझान को ऊपर ले जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) 1 जून, 2004 से 31 अक्तूबर, 2004 के बीच कन्डोमों की कुल कितनी बिक्री हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: (क) सरकार निरोधों की बिक्री सोसल मार्केटिंग प्रोग्राम के माध्यम से करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जून, 2002 से मई, 2003 तक 513.17 मिलियन निरोधों की बिक्री हुई जो जून, 2003 और मई, 2004 के बीच बढ़कर 629.18 मिलियन निरोध हो गई। इस प्रकार निरोध की बिक्री में 116.01 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार के उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त, विनिर्माता फर्में भी अपने निजी चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे निरोध बेचने में लगी हुई हैं। देश में निरोध का कुल विक्रय वाणिज्यिक बिक्री की मात्रा पर भी निर्भर करता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सोसल मार्केटिंग प्रोग्राम के तहत 1 जून, 2004 से 31 अक्तूबर, 2004 के बीच 179.41 मिलियन निरोध की बिक्री हुई।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में डाक्टरों के रिक्त पद

2423. श्री एम. जगन्नाथ:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली के सी.जी.एच.एस. औषधालयों में एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपेथिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में प्रत्येक में डाक्टरों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) डाक्टरों के सभी रिक्त पद तब तक भर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) मिन्टो रोड सी.जी.एच.एस. औषधालय में कार्डधारकों की संख्या कितनी है तथा डाक्टरों की निर्धारित संख्या कितनी है और इसके लिए इस समय कितने डाक्टर हैं;

(घ) मिन्टो रोड सी.जी.एच.एस. औषधालय में इस क्षेत्र के लाभार्थियों की बड़ी संख्या को लाभ पहुंचाने के लिए अधिक डाक्टरों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) दिल्ली के सरकारी फ्लैटों में चल रहे सी.जी.एच.एस. औषधालयों का ब्यौरा क्या है;

(च) इसके क्या कारण हैं; और

(छ) औषधालयों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सी.जी.एच.एस., दिल्ली में डाक्टरों के रिक्तियों की स्थिति इस प्रकार है:-

एलोपैथिक	99
आयुर्वेदिक	7
होमियोपैथिक	1
यूनानी	शून्य

(ख) सी.जी.एच.एस., दिल्ली में चिकित्सा अधिकारियों के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, इसलिए ये पद स्क्रीनिंग समिति की क्लियरेंस के बाद ही भरे जा सकते हैं।

(ग) और (घ) सी.जी.एच.एस. औषधालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली से सम्बद्ध 4690 सी.जी.एच.एस. कार्डधारी हैं। वर्तमान में, इस औषधालय में प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी सहित सात डाक्टर हैं।

सी.जी.एच.एस. एलोपैथिक औषधालयों के लिए मानकों के सम्बन्ध में कर्मचारी निरीक्षण यूनिट (एस.आई.यू.) की सिफारिशों (1999) के अनुसार, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, सी.जी.एच.एस. औषधालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली में आठ डाक्टरों की आवश्यकता है। इस औषधालय में रिक्त पद को तभी भरा जा सकता है जब एस.आई.यू. रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को सी.जी.एच.एस. द्वारा पूरी तरह कार्यान्वित किया जाए।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के सेवार्थ सी.जी.एच.एस. औषधालय समय-समय पर सरकारी फ्लैटों में खोले गए थे।

(छ) सी.जी.एच.एस. औषधालयों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण भूमि, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता और संगतपूर्ण प्रशासनिक औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर है।

विवरण

विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए

भवनों में कार्यरत सी.जी.एच.एस. औषधालयों की सूची

क्र.सं.	औषधालयों की सूची
1	2
1.	पंडारा रोड
2.	मिन्टो रोड
3.	पहाड़ गंज
4.	लोधी रोड II
5.	किदवई नगर आयुर्वेदिक एंड पी.एस.वाई. केन्द्र
6.	सरोजनी नगर II

1	2
7.	देव नगर
8.	चाणक्यपुरी
9.	राष्ट्रपति एस्टेट
10.	नौरोजी नगर
11.	नार्थ एवेन्यू
12.	साउथ एवेन्यू
13.	कन्स्टीट्यूशन हाउस
14.	टेलीग्राफ लेन
15.	सरोजिनी नगर मार्किट
16.	एंड्रयूज गंज
17.	आर.के. पुरम I
18.	इन्द्रपुरी
19.	राजपुर रोड
20.	किंग्जवे कैम्प
21.	गाजियाबाद
22.	आर.के. पुरम VI
23.	फरीदाबाद
24.	मुनीरका
25.	कस्तूरबा नगर नगर II
26.	पीतमपुरा
27.	सरोजिनी नगर (यूनानी)
28.	पश्चिम विहार
29.	कालकाजी II
30.	प्रगति विहार
31.	जंगपुरा
32.	मालवीय नगर
33.	मयूर विहार

पंचायत संचार सेवा योजना

2424. श्री बी. विनोद कुमार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायत संचार सेवा योजना (पी.एस.एस.वाई.) 1995 में शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक देश में चल रहे पी.एस.एस.वाई. केन्द्रों के निष्पादन के मूल्यांकन सहित इन केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जिन्होंने उनके संबद्ध क्षेत्रों में उक्त योजना शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पी.एस.एस.वाई. केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) देश में इस समय 7375 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी.एस.एस.के.) कार्यरत हैं, जो डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री तथा पत्रों के पंजीकरण का कार्य करते हैं। कुछ मामलों में ये साधारण पत्रों का वितरण भी करते हैं। पिछले वर्ष पंचायत संचार सेवा केन्द्रों के कार्य निष्पादन की समीक्षा में पाया गया कि इन केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे उत्पादों तथा सेवाओं के दायरे में संशोधन, इनके पर्यवेक्षण तथा मॉनीटरिंग और डाक नेटवर्क से इनकी कनेक्टिविटी में सुधार लाने की आवश्यकता है। इस स्कीम का संशोधन करना विचाराधीन है।

(ग) आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के 36 ग्राम पंचायत गांवों ने अपने क्षेत्र में पंचायत संचार सेवा केन्द्र शुरू करने की इच्छा जताई है, पर केवल 22 गांवों ने इस संबंध में आवेदन किया है।

(घ) प्राप्त हुए 22 आवेदन पत्रों में से 19 औचित्यसम्मत पाए गए हैं। इन्हें शुरू करने पर विचार इस स्कीम के पुनर्गठन के बारे मे अंतिम निर्णय लेने के उपरांत ही किया जा सकता है।

सरकारी अस्पतालों द्वारा मानकों का उल्लंघन किया जाना

2425. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अगस्त, 2004 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार 'गवर्नमेन्ट हास्पिटल्स फेस एक्शन फार फलाऊटिंग नोर्म्स' की ओर आकर्षित किया गया हैं;

(ख) यदि हां, इसमें दिए गए मामले के तथ्य क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन अस्पतालों द्वारा जैव रासायनिक कचरा का उपयुक्त निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.पी.) ने सूचित किया है कि 2003-04 में तीन

अस्पतालों अर्थात दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल में डी.पी.सी.सी. के अधिकारियों के साथ पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकारी द्वारा उनके निरीक्षण कराए गए।

सफदरजंग अस्पताल का निरीक्षण दिनांक 17-5-2004 को किया गया और यह पाया गया कि पृथक्करण कलर कोडेड थैलियों में नियमानुसार किया गया, इनसिनरेटर कार्य कर रहा था और निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर रहा था।

श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल ने डी.पी.सी.सी. द्वारा अपनी पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में बतलाई गई कमियों में सुधार किया है और जब डी.पी.सी.सी. द्वारा दिनांक 8-12-2004 को अस्पताल का पुन: निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि इनसिनरेटर कार्य कर रहा था और निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर रहा था तथा कलर कोडेड थैलियों में पृथक्करण शल्यक वार्डों-I और II, रक्त बैंक, इमरजेंसी, इनसिनरेटर स्थल इत्यादि में समुचित रूप से किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के मामले में डी.पी.सी.सी. के अधिकारियों ने दिनांक 3-2-2004 को अपने अंतिम निरीक्षण में पाया कि कलर-कोडेड थैलियों में पृथक्करण समुचित रूप से किया जा रहा था किन्तु शार्प प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता थी।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आबंटन

2426. श्री सीताराम सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए आबंटन को बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत राज्य-वार किए गए व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता मांगने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पेटेन्ट हेतु वर्ष-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अहमदाबाद-बड़ोदरा राजमार्ग का उपयोग न होना

2427. श्री वी.के. थुम्मर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस राजमार्ग का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नसार्पुर-उंगूल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाना

2428. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछलीपट्नम से जा रही नर्सापुर और उंगूल को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस कार्य के कब तक शुरू और पूरे होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। ओंगोल से नुरसापुर बरास्ता मछलीपट्टनम तथा लगभग 255 किलोमीटर लंबी सड़क को फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214ए घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-214ए सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और किए जाने वाले कार्य संसाधनों की समग्र उपलब्धता और अन्य कार्यों की परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करते हैं। विकास के लिए निधियों को राष्ट्रीय राजमार्ग वार निर्धारित न करके राज्यवार निर्धारित किया जाता है।

गुजरात में मेडिकल कालेज

2429. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में चल रहे सरकारी तथा निजी मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है;

(ख) इन मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. तथा स्नातकोत्तर सीटें कितनी हैं;

(ग) 2003-04 के दौरान राज्य में कितने नए मेडिकल कालेजों को मान्यता प्रदान की गई;

(घ) क्या गुजरात में सरकारी तथा निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) गुजरात राज्य में कुल 13 मेडिकल कालेज चलाए जा रहे हैं। इनमें से 8 मेडिकल कालेज सरकारी क्षेत्र के और 5 निजी क्षेत्र के हैं।

(ख) इन मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के 1625 स्थान और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के 212 स्थान उपलब्ध हैं।

(ग) शून्य।

(घ) से (च) राजकोट, भावनगर और सूरत स्थित सरकारी मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के स्थान बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद को भेज दिया गया है। इन कालेजों में स्थान बढ़ाने की अनुमति दिया जाना वहां अवसंरचनात्मक एवं शिक्षण संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता और भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

अम्बाला-चंडीगढ़ तथा लुधियाना सड़कों को चार लेन का बनाया जाना

2430. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अम्बाला-चंडीगढ़ तथा चंडीगढ़-लुधियाना सड़कों को चार लेन का बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी समय अवधि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इन सड़कों पर महत्वपूर्ण तथा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर फ्लाई-ओवर बनाने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन दो सड़कों पर ट्रैफिक की सालाना संख्या कितनी है और इस मामले पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी नहीं। तथापि, रा.रा. 22 के अम्बाला-जिरकपुर (चंडीगढ़ के निकट) खंड और रा.रा. 21 के चंडीगढ़-खरार खंड को प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत विकास के लिए अभिनिर्धारित किया गया है लेकिन अभी यह मामला प्रस्ताव के स्तर पर है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक केन्द्र हेतु प्रस्ताव

2431. श्री सुरेश चन्देल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कांगड़ा जिला के पपरोला में 8.40 करोड़ रु. की राशि से स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय को एक आदर्श विशेषज्ञता युक्त आयुर्वेद महाविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र में बदलने और शिमला में 66.39 लाख रु. की लागत से क्षेत्रीय आयुर्वेद केन्द्रों में अल्कली संपाक केन्द्र की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो क्रमश: 27 फरवरी, 2003 और 17 अगस्त, 2002 को आयुर्वेद निदेशालय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और अब तक इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें—पहला दिनांक 11 फरवरी, 2003 का 8.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पपरोला, जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद में उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने तथा दूसरा दिनांक 28-8-2003 का 66.39 लाख रुपये की लागत से क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, शिमला में क्षार-सूत्र केन्द्र स्थापित करने हेतु है। जबकि, सरकार ने हिमाचल सरकार के आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पपरोला को आयुर्वेद के एक "आदर्श संस्थान" के रूप में उन्नयन को पहले ही अनुमोदित कर 1.65 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, शिमला में क्षार-सूत्र केन्द्र स्थापित करने संबंधी दूसरे प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

तूतीकोरिन तथा कोलम्बो के बीच पोत परिवहन सेवाएं

2432. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तूतीकोरिन और कोलम्बो के बीच पोत परिवहन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

2433. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले सामने आए हैं और 2210.01.110.19 तथा 2210.06.107 शीर्षों के अंतर्गत क्रमश: सफदरजंग अस्पताल तथा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में अंतिम जमाराशि पुनर्विनियोजित राशि से अधिक पाई गई है जैसाकि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 तथा 2003 की अपनी रिपोर्ट सं. 1 में बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डाकघरों द्वारा अधिक धनराशि जुटाना

2434. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री डी. नरबुला:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघरों ने धनराशि जुटाने में सुधार किया है जोकि वर्ष 1992-93 से 27,292 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 के अंत तक 1,45,550 करोड़ रुपये हो गई हैं;

(ख) क्या एक अध्ययन के अनुसार उक्त अवधि के दौरान पूरे देश में 1.4 लाख डाकघरों में 23% तक की वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में डाकघरों में कम्प्यूटर प्रदान करने का प्रावधान पर बड़ी राशि खर्च करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो देश के सभी डाकघरों में कम्प्यूटर प्रदान करने के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) सभी डाकघरों में कम्प्यूटरीकरण से उनके कार्यों में किस सीमा तक सुधार हुआ है;

(च) क्या सरकार देश के दूर-दराज के गांवों में और अधिक डाकघर खोलने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। भारत में डाकघरों ने लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जुटाई गई धनराशि में 1992-93 के 17,952.89 करोड़ रु. से व्यापक वृद्धि करते हुए 2003-04 के अंत तक इसे 1,35,965.90 करोड़ रु. तक पहुंचा दिया है।

(ख) 1992-93 से 2003-04 तक की अवधि के दौरान देश भर में डाकघरों के नेटवर्क में लगभग 2.4% की वृद्धि हुई है।

(ग) 10वीं योजना में 7706 बड़े डाकघरों और 267 प्रमुख प्रशासनिक एवं लेखा कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग पर 836.27 करोड़ रु. खर्च करने का प्रस्ताव है।

(घ) 10वीं योजना के अंतर्गत 2287 डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण के लिए आज तक 111.42 करोड़ रु. के व्यय की मंजूरी प्रदान की गई है।

(ङ) डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण से कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार आएगा, ग्राहकों को बेहतर सेवा मुहैया होगी, प्रचालन लागत में कमी आएगी और विभिन्न ई-आधारित सेवाएं शुरू करने में मदद मिलेगी।

(च) और (छ) दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी निर्धारित मानदंडों के पूरा होने के आधार पर डाकघर खोले जाएंगे जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अत: इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:

1.1 जनसंख्या:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 33 1/3 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/- रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/- रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा उपचार सुविधाएं

2435. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के तटीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा उपचार सुविधाएं गंभीर रूप से अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तटीय क्षेत्रों में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सरकार को तटीय क्षेत्रों सहित देश में भौतिक अवसंरचना तथा कार्मिक शक्ति के क्षेत्र में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में विद्यमान कमियों की जानकारी है। चूंकि स्वास्थ्य मुख्यत: राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा कमियों को पूरा करने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है।

(ख) और (ग) तटीय क्षेत्रों सहित देश में संक्रामक रोगों के फैलाव की रोकथाम, निगरानी तथा तत्काल नियंत्रण उपायों तथा अनेक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण तथा उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अतिसार का नियंत्रण और वैक्सीन निवार्य रोगों के लिए व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के जरिए की जाती है।

अतिरिक्त ईंधन उपकर का आबंटन

2436. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने देश की सड़कों के विकास हेतु 1 अप्रैल, 2003 से पेट्रोल तथा डीजल पर 0.50 पैसे प्रति लीटर उपकर उगाया तथा एकत्रित अतिरिक्त ईंधन उपकर के आबंटन हेतु फार्मूला तैयार करने के लिए मंत्री समूह स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पैनल के गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि धनराशि के बंटवारे के पैटर्न पर सड़क परिवहन और राजमार्गों, रेल मंत्रालय तथा राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या पैनल की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विद्यमान सेन्ट्रल रोड फंड एक्ट, 2000 में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसमें 2 जून, 1998 से 1 मार्च, 1999 तक पेट्रोल तथा डीजल पर 1 रु. प्रति लीटर एकत्रित उपकर का आबंटन पैटर्न है; और

(घ) यदि हां, तो इस अधिनियम में सरकार कब तक संशोधन करेगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां।

(ख) निधियों के संवितरण की पद्धति पर इस मंत्रालय, रेल मंत्रालय और राज्यों के बीच कोई मतभेद नहीं हैं।

(ग) और (घ) इस मामले में कुछ भी करना अभी संभव नहीं है।

रिप्रोडक्टिव मदर एण्ड चाइल्ड स्कीम

2437. श्री विक्रम केशरी देव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्यमान रिप्रोडक्टिव मदर एण्ड चाइल्ड स्कीम को उड़ीसा में भी लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का उड़ीसा, जहां स्कीम जारी है, में नवीनतम प्रसव पूर्व नैदानिक केन्द्र उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उड़ीसा में में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अन्य सुविधाएं कौन सी हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य योजना (आर.सी.एच.) उड़ीसा सहित पूरे देश में वर्ष 1997 से संचालित है। इस योजना में अन्य के साथ-साथ शिशु मृत्यु-दर (आई.एम.आर.) में, मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) और कुल प्रजनन अनुपात (टी.एफ.आर.) में कमी लाने जैसे घटक शामिल हैं।

(घ) इस योजना में प्रसव-पूर्व निदान केन्द्रों का प्रावधान नहीं है।

(ङ) चालू आर.सी.एच. योजना के अनेक घटकों का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) जिसमें छह वैक्सीन निवार्य रोगों से बचाव के लिए बच्चों का प्रतिरक्षण किया जाता है;
- घातक श्वसन संक्रमण (ए.आर.आई.) के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण;
- अतिसार सम्बन्धी रोगों पर नियंत्रण;
- प्रसवकालीन समस्या के निदान के लिए आवश्यक नवजात परिचर्या का प्रावधान;
- विटामिन-ए और आयरन जैसे दो पोषक तत्वों की कमी को रोकथाम और उपचार के लिए रोग निरोधी कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त, उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 2001 में आई.एम.आर. मिशन भी शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

हज के कार्य पर सरकारी कर्मचारी

2438. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को हज यात्रा की सेवा हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनके चयन के लिए क्या नीति/नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों की सूची क्या है;

(घ) क्या सरकार का चुने गए उम्मीदवारों की सूची को रिसेप्शन काउंटर तथा इंटरनेट पर प्रदर्शित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) अर्हता के मापदंड विवरण-I में प्रस्तुत है।

(ग) इसकी सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) चयनित उम्मीदवारों को उनके चयन के बारे में प्रत्यक्षत: और उनके मूल विभाग के माध्यम से सूचित किया जाता है।

विवरण-I

भारत के कौंसुलावास, जेद्दाह साऊदी अरब में अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मापदंड

प्रशासनिक कार्मिक

क. पात्रता की शर्तें:

- सिर्फ केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी पात्र हैं। निजी क्षेत्र के उद्यमों/निगमों, स्वायत्त निकायों, अधीनस्थ कार्यालयों, कालेजों/विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा)/ सहायता प्राप्त स्कूलों आदि में कार्य करने वाले व्यक्ति पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- सहायक हज अधिकारी के लिए आवेदक को 6,500-200-10,500 के वेतनमान में केन्द्र सरकार या समकक्ष में अनुभाग अधिकार के ग्रेड में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। अवर सचिव और उच्च श्रेणी के अधिकारी सहायक हज अधिकारी के रूप चयन किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं।
- हज सहायक के लिए आवेदक को 5,500-175-9,000 रु. के वेतनमान पर अराजपत्रित पद पर कार्यरत होना चाहिए और 4000-100-6000 रु. के वेतमान पर केन्द्र सरकार या समकक्ष में अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए।
- आवेदन को पहली जनवरी को 35 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को चिकित्सीय आधार पर स्वस्थ होना चाहिए और इस संबंध में उसे सरकारी अस्पताल से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक अपने ग्रेड में स्थाई पद धारक हों।
- ऐसे आवेदक जिन्होंने पहले ही तीन या अधिक बार हज ड्यूटी कर ली है, वे पात्र नहीं हैं।

- निर्धारित से उच्च श्रेणी वाले अधिकारियों के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ख. वांछित योग्यताएं:

- क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा।
- जन संबंध और लेखा का अनुभव रखने वाले आवेदकों को महत्व दिया जाएगा।
- डाटा एन्ट्री और कम्प्यूटर प्रोग्रोमिंग का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चिकित्सा और पाराचिकित्सा कार्मिक

क. पात्रता की शर्तें:

- डॉक्टर के लिए: आवेदक को वर्तमान समय में केन्द्र/राज्य सरकार के अस्पताल या डिस्पेंसरी में कार्यरत होना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी के रूप में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी। वरिष्ठ पद धारक अथवा प्रोफेसर/रीडर, चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक आदि आवेदन न करें।
- सिर्फ एलोपेथी के डॉक्टर (साधारण प्रैक्टीशनर)/स्त्री रोग विशेषज्ञ, ई.एन.टी., नेत्र विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और हृदय रोग विशेषज्ञ ही आवेदन करें। शल्यचिकित्सक आवेदन न करें।
- पाराचिकित्सकों के लिए: आवेदन को नर्सिंग/ई.सी.जी./लैब तकनीशियन में डिग्री/डिप्लोमा धारक होना चाहिए। न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा की आवश्यकता है। सहायक नर्स/दाई आवेदन न करें।
- फार्मिस्ट को बी. फार्मा डिग्री/डिप्लोमा धारक होना चाहिए।
- आवेदक को 1 जनवरी को 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तथापि महिला डॉक्टर के लिए आयु सीमा 50 वर्ष है।
- आवेदन को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसे सऊदी अरब में कटु जलवायु और वहां रहने की स्थिति और ड्यूटी के लम्बे घंटों को झेलने में सक्षम होना चाहिए।
- आवेदक को अपने संवर्ग में स्थाई पद धारक होना चाहिए।
- ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में दो या अधिक बार प्रतिनियुक्त किया गया है, वे पात्र नहीं हैं।

यह शर्त महिला डॉक्टरों पर लागू नहीं होता।

ख. वांछित योग्यता:

- क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा।
- हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ई.एन.टी. विशेषज्ञ और चिकित्सकों को भी महत्व दिया जाएगा। तथापि, प्रोफेसर, अस्पताल के निदेशक और वरिष्ठ पद धारक आवेदन न करें। पैथॉलॉजिस्ट, अनीसथिटिस्ट, मनोचिकित्सक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आवेदन न करें।

नोट : सभी आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाएंगे। प्रत्यक्ष भेजे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

विवरण-II

हज 2002, हज 2003 और हज 2004 के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सूची

हज 2002 प्रशासनिक कर्मचारी	हज 2003 प्रशासनिक कर्मचारी	हज 2004 प्रशासनिक कर्मचारी
1	2	3
सहा. हज अधिकारी सर्वश्री	**सहा. हज अधिकारी सर्वश्री**	**सहा. हज अधिकारी सर्वश्री**
1. मो. सलीम सिद्दकी	1. अतीक अहमद अंसारी	1. मो. रफीक खान
2. मोहम्मद अफरोज आलम	2. आतुर रहमन	2. आतुर रहमन
3. मसूद जावेद	3. कमाल अहमद	3. एम. मुश्ताक अहमद
4. मोहम्मद हामीद हुसैन	4. जावेद अहमद शाह	4. रईस अहद शेख
5. एम. कोया	5. अब्दुल तवाव अंसारी	5. मोहम्मद जावेद
6. नारूल होडा	6. मो. सिराज अहमद	6. शबी उदीन खान
7. अहमद अली	7. मंसूरल हक	7. मो. कमाल अहमद

1	2	3
8. शाकील अहमद	8. मोहम्मद रियास	8. मुश्ताक अहमद खान
9. जामील अहमद	9. मोहम्मद असलम	9. सलीम खान
10. मो. नाजीब अंसारी	10. नौशाद आलम	10. अल्ताफ अली
11. मो. कमाल	11. जी.एच. मुहीयुद्दीन मीर	11. मोहम्मद तारिक
12. सैय्यद सागिर हसन	12. मुनीर अहमद मीर	12. शमसुद्दीन खान
13. मो. जावेद खान	13. मोहम्मद अब्दुल मानन	13. मो. सदुल्ला जाविद
14. अख्तुरल हनीफ	14. सैय्यद फरीद अहमद	14. मोहम्मद मजहारुद्दीन
15. ए. सैय्यद अमनुल्ला	15. शाकील अहमद	15. शेख अश्फाक अहमद
16. मो. बासीन गोरिया	16. सत्तर अली चिश्ती	16. सैय्यद मसीयूद्दीन
17. सैय्यद अल्ताफ अली	17. काजी मोहम्मद शफी	17. हमीद पटेल
18. निसार अहमद भट्ट	18. सैय्यद असुदुल्ला	18. काजीम हुसैन खैराज
19. मुज्फ्फर अहमद बेग	19. पूकोनीकोया आलियाथापुरा बीताथपुर	19. तसदाक हुसैन
20. शेख अनीस इकबाल इस्माईल	20. इल्यास अहमद कुरैशी	20. इल्यास अहमद एम. कुरैशी
21. कासीम एल. शेख	21. इतुसारुल हक सिद्दकी	21. मसूद अहमद
22. गुमाम मुहीयूद्दीन	22. हुसैनी मोहम्मद सलीम	22. अब्दुल रसाक ए.एस.
23. एमली अहमद बेदी	23. शेख अनीस इकबाल इस्माइल	23. एस.वी. चेरिया कोया थंगल
24. एम.ए.मो. जमालुददीन	24. मोहम्मद अब्दुल रहमान	24. पुकनहिकोया
25. एम.अब्दुल रहमान	25. नौशाद अहमद अंसारी	25. अब्दुल खदर कोया के.
26. सैय्यद बाबुल अली	26. गुलास जिलानी गनी	26. एम. महमूद दावला
27. मोहम्मद शमीम अहमद अंसारी	27. एम. मोहम्मद रफीक	27. सैय्यद असददुल्ला
28. एम.ए. सत्तर खान	28. मोहम्मद मोजाहिद	28. मुनीर अहमद
29. एस. रफीक अहमद	29. सैय्यद अशमअली काजी	29. अकबर खान एम. पठान
30. ए. फारूक जोहन	30. सैय्यद मुस्तफा कमाल	30. एम.एन. अथानी
31. पी.के. हमीद	31. मजहर महमूद	31. सैय्यद मुस्तफा कमाल
32. सैय्यद इम्तयाज हुसैन	32. अब्दुल कादर कोया	32. अब्दुल सलाम मीर
33. मसूद अहमद	33. आकिल अहमद	33. निसार अहमद बानी
34. मोइज अख्तर सिद्दकी	34. सैय्यद अजीज अहमद	34. शोकत ए. मातू
35. रेजुअल करीम पूरनवी		35. बशीर अहमद शाह
36. एस. जहांगीर		36. गुलाम अब्बास जाट
37. मो. रफीक खान		
हज सहायक	**हज सहायक**	**हज सहायक**
1. सैय्यद मो. नजीम नकवी	1. मोहम्मद सैय्यद	1. मोम्मद शाकील अख्तर
2. मो. शाकील अख्तर	2. सिराज सुलेमान भाई मालवत	2. सैय्यद मो. रफीक

1	2	3
3. जाकीर हुसैन मंसूरी	3. अनवर हुसैन एल.	3. डा. शाहिद अहमद
4. मो. रफीक मंसूरी	4. मोहम्मद हुसैन	4. इहशम हक
5. मो. अय्याज खान	5. सैय्यद नाजर अब्बास	5. मंसूर अली
6. पी. हुसैन कुरेशी	6. शेख अहमद बाशा	6. रज्जाक अली खान
7. मो. इरशाद	7. कमाल मोहम्मद हियात महेदेवी	7. शाकील अहमद
8. इफ्तखार ए. चौधरी	8. मोहम्मद शमीम अंसारी	8. सैय्यर आबिर अली
9. मो. मीराजोद्दीन	9. मो. मुजफ्फुरुद्दीन	9. मो. मुकीद खान
10. एफ. जी. मो.	10. जाकिर हुसैन मंसूरी	10. महमूद अख्तर
11. मो. शरुफुद्दीन	11. मोहम्मद रफीक मंसूरी	11. एस. राजी नकवी
12. अमनुल्ला	12. नौशात अली	12. मोहम्मद साद करीमी
13. शेख मुजाहिद	13. अतीकुर रहमान मंसूरी	13. सिराजुद्दीन
14. आई.सी. पुकाइया	14. अहमद जान	14. मो. मुश्तकिम अंसारी
15. अयूब अली	15. सैय्यद मोहम्मद रफीक	15. मोहम्मद मुसाब
16. एम. मुल्लाकोया	16. रजाक अली खान	16. मिस्टर इसार अहमद
17. मो. सिद्दीक	17. एस. जाहिद अली अघाई	17. मो. वसीम खान
18. इरशाद अहमद	18. शब्बुद्दीन खान	18. मो. शारीफ शेख
19. अजीज मो. खान	19. टी.एम. इस्माइल	19. कामरुल हसन सिद्दकी
20. मिर्जा मुर्जाफर बेग	20. मो. युसूफ हबीब सब प्यारे	20. जाकिर अली
21. अनवर इमाम	21. शेख इशताक अहमद	21. अली अहमद खान
22. मो. शमस राजा	22. अफताब आलम	22. अजीज अहमद खान
23. अजीम बेग	23. एस.के. रब्बानी	23. गोहर हुसैन एम.डी.
24. मो. करीमुद्दीन	24. इंतसार अनीस सिद्दकी	24. अब्दुल वाहिद
25. अबीदुल्ला	25. ए. अब्दुल रहीम	25. सैय्यद मुमताज हुसैन
26. रशीदुद्दीन	26. मो. असलम	26. अली अख्तर
27. मो. ए. सिद्दकी	27. मो. इकबाल	27. अब्दुल सादिक खान
28. जोनेद रफ	28. मो. अमजद	28. मोहम्मद फारूक
29. मो. नसीर मोहम्मद सफी	29. हबीब खान	29. असमत अली
30. असीफ मो. खान	30. नायर आलम फौजी	30. एहतुशम अहमद
31. महबूब आलम खान	31. मोहम्मद एयाज खान	31. अतीकर रहमान
32. मोहम्मद सुलेह	32. शाहजद	32. मो. गोहर हुसैन
33. अजीमुद्दीन सिद्दकी	33. आर. जावेद बाशा	33. नियाज अहमद
34. नफीज अहमद	34. शाहिद अहमद	34. हसीनुद्दीन खान
35. जमालुद्दीन के.एम.	35. रियाज अहमद खान	35. मोहम्मद जिया

1	2	3
36. कादिर हुसैन	36. एन.ए. कुरैशी	36. मो. निय्याम
37. सैय्यद नइमूल हसन	37. मोहम्मद कमालुद्दीन	37. अखलाक अहमद
38. सैय्यद एन.एन. हुसैन	38. इकबाल मो. खान	38. बदरूल अफाक
39. निजामुद्दीन	39. सरफराज अहमद	39. शाकिल अहमद खान
40. मो. नासिर मोहम्मद जामील	40. आतुर रहमान	40. रेजुद्दीन सिद्दकी
41. मो. अशरफ	41. शाहिदअली सिद्दकी	41. एम.ए. अंसारी
42. मो. फैजुर रहमान	42. मुश्ताक अहमद खान	42. सैय्यद मेहदी राजी रिजवी
43. सैय्यद हिदायुतुल्ला	43. मोहम्मद फरीद खान	43. मो. हनीफ खान
44. शेख मो. ताजुद्दीन आरेफ	44. शेख निसार अहमद	44. इमाम मेहदी हुसैन
45. जामिल अहमद मुगल	45. मो. जाहिद अली	45. आई.ए. रिजवी
46. एम. मुश्ताक अहमद	46. तारिक अली कुरैशी	46. मो. ताहिर खान
47. मो. आय्युब	47. अय्याज अहमद	47. अखलाक अहमद
48. इल्यास हुसैन	48. जफर इकबाल मीर	48. मो. विखार अहमद सिद्दर्क
49. जामिल अहमद	49. सैय्यद मो. नजीम नकवी	49. शेख हमीद
50. गुलाम मोहिद्दीन	50. आसिफ मो. खान	50. गोस मोइयुद्दीन
51. मो. जाविद इकबाल	51. जामिल अहमद मुगल	51. नैय्याम हसल अंसारी
52. साजिद जाहिर	52. अब्दुल हमीद	52. कमाल महम्मद हियात महेदेव
53. मरगूब आलम	53. मोहम्मद युनुस शेख	53. शेख अशफाक हुसैन
54. डी. मो. रफीक	54. अब्दुल मानन	54. सैय्यद इरफानुद्दीन बदरुद्दीन
55. एम.जे. रहमान	55. मोहम्मद युनुस शेख	55. हुडेवाले ताजुद्दीन इब्राहिम
56. सैय्यद रियाज अहमद	56. परवेज अहमद	56. पगडीवाले सुलेमान
57. परवेज अहमद	57. शेख मुहम्मद तजुद्दीन आरिफ	57. रशीद मुस्तफा
58. फिरोज उद्दीन	58. सैय्यद हिदयातुल्ला	58. जकी हैदर खान
59. मो. अब्दुल के. चिश्ती	59. गयासुद्दीन खान	59. बुखारी शाहिद अहमद
60. अतीकर रहमान	60. शहनवाज खान	60. मोहम्मद हिफाजत खान
61. सैय्यद जे. रसुलमियां	61. सैय्यद खुदराहुल्ला	61. बब्बुद्दीन
62. मजहर खान	62. तगजीबुद्दीन	62. अहमद
63. एस.एल. रियाज अहमद	63. मो. अजाज खान	63. परवेज मुजाबे सिद्दकी
64. सिद्दीक पाशा	64. मो. नसीम	64. नासिर मकवाना
65. मो. नसीर अहमद	65. कमारूद्दीन अंसारी	65. युनुस आदम पटेल
66. अफजल नाहु अंदुल शेख	66. अब्दुल अफीज	66. सैय्यद मुजाहुसैन शराफत हुसैन
67. वी.पी. अहमद अशरफ	67. सलीम अहमद	67. एम.ए. शेख
68. ई.पी. जैनुद्दीन	68. फिरोज अहमद	68. शोखत हुसैन काजी

	1	2	3
69.	नौजात अली	फारुक अहमद शाह	मंसूरी वलीभाई
70.	हुसैन वाजुद्दीन शेख	मिनहाज अहमद खान	आकिल अहमद खान
71.	तनजीब अहमद	लियाकत मकसूद मुल्तानी	इब्राहिम अब्दुलातिफ बब्बुदी
72.	किफायत उल्ला	शब्बीरल हुसैन	जुम्मा परमार
73.	इकबाल अहमद	सैय्यद इरफानुद्दीन बदरुद्दीन	नूर हैदर
74.	नूरूद्दीन	के.एम नजरुद्दीन	के.एम. नजरुद्दीन
75.	मुन्नावर पाशा	टी.एफ. हुसैन	नूर अहमद एम.पी.
76.	इरफान अहमद खान	मजहर खान	हनीफा सुबेर
77.	मो. शमीम अहमद	मुन्नावर पाशा	सैय्यद अहमद
78.	एन बी नाजीर बाशा	सैय्यद सादिकुल्ला एम.	कोया मारकरकम निजार अहमद
79.	एम. हसीनार	अली अहमद खान	सी. हैदर अली
80.	मो. असद असफी	इजाज अहमद खान	मुहम्मद अली के.पी.
81.	कादरी रशीद अली	सैय्यद इसानुल हक	जमालुद्दीन के.एम.
82.	जेहरुद्दीन सैय्यद	नूर बाशाह नजीर बाशाह	यू. अब्दुल्ला उम्मारोदा
83.	मो. सलीम अकबरसाब पी.	पी. हसन खतीर साजीमून	शफुद्दीन खान
84.	सिकंदर अब्दुलसाब जमादार	खालिद अब्दुला सैय्यद	शफी अहमद
85.	शब्बीर खान	एस.एम. हुसैनी जहांगीर दार	मोहम्मद कासिम एन.पी.
86.	अनवर खान	सिराज हुसैन	पी.पी. कुन्ही
87.	मो. इदरस अंसारी	मोहम्मद असलम	एम. मोहम्मद मिरान
88.	अब्दुल रहीम अमजद	सैय्यद मकबूल अहमद	सैय्यद हिदयातुल्ला
89.	अखलाक अहमद	गूस महीनुद्दीन	शेख मोहम्मद शरीफ
90.	आयमुद्दीन	अरीफी शरीकुद्दीन अहमद	मोहम्मद घोष
91.	मोहम्मद अली पी.सी.	जुम्मा नूर मो. परमार	शेख अहमद बाशाह
92.	अमरुद्दीन पटेल	अब्दुल वाहिद अब्दुल माजिद टेलर	यूनस सलीम
93.	सैय्यद हसन सैय्यद गुसाई एस.	सी. हैदर अली	आर. जावेद बाशाह
94.	रियाज मोहम्मद	सैय्यद अजमाथुल्ला	शेख निसार अहमद
95.	इमतयाज अहमद	आर. अजीजउल्ला	सिराज हुसैन
96.	रजाक अली खान	मुसा हुसैन	पठान महबूब खान
97.	महबूब शरीफ	जफर तारिक	आई. अहमद बाशाह
98.	एस. बूरनिया बुखारी	एस.एस. आजाद	सैय्यद अजमातुल्ला
99.	अब्दुल हमीद धोबी	महमूद सरानी	मो. करीम अहमद
100.	मोहम्मद मुख्तार भट्ट	मलिक इकबाल हुसैन	बी. अल्ताफ अहमद
101.	मोहम्मद युसूफ दार	एजाज हुसैन कुरैशी पीर	सैय्यद शफुल्ला शाह

1	2	3
102. मोहम्मद अमीन भट्ट	102. अब्दुल माजिद दार	102. मुन्नावर बाशाह
103. हवाजा एम. चिश्ती	103. मो. अली के.पी.	103. मो. अब्दुल वाहिद
104. जफर अहमद	104. मो. वसीम	104. फैज अली बेग
105. मो. सदरुद्दीन खान	105. नसीम अहमद बख्शी	105. पी. नजीरुद्दीन
106. मो. अब्दुल हड़ी	106. अब्दुल हमीद धोबी	106. सी.एस. मोहम्मद सदातुल्ल
107. मो. शहबाज अहमद	107. इफ्तकार आलम नसूरुल्ला	107. मजहर खान
108. अमनुल्ला खान	108. मो. आसिफ मो. इकबाल	108. सैय्यद हसम काजी
109. मो. सलीम खान	109. नजीर अहमद भट्ट	109. मोहम्मद मिरजुद्दीन अंसारी
110. अमीर हुसैन	110. मो. रफीक जुलाहा	110. इफ्तकार अहमद चौधरी
111. फारुक अहमद	111. हाजी गुलाम कादिर शाह	111. मो. शमशुल हक सरदार
112. बशीर अहमद रेशी	112. मो. शमशूल हक सरदार	112. मो. सफीउल्ला मुख्ती
113. मसूद अहमद घुंडरू	113. मो. अब्दुल रहीम अमजद	113. शमशुल हक लश्कर
114. अब्दुल रशीद राथर	114. शब्बीर खान	114. मो. इब्राहिम अली
115. मोहम्मद रफीक	115. मो. मुख्यार भट्ट	115. सरोश खान
116. मो. अहमद	116. अब्बु बेकर के.	116. ए. अब्दुल रहीम
117. के.एस. जमाल मियां	117. आयनुद्दीन वजीर पटेल	117. शब्बीर खान
118. मो. युसूफ हबाबसाब प्यारे	118. मो. अली पी.सी.	118. शकील अहमद
119. मो. अब्दुस सलाम	119. मोहम्मद शकील खान	119. मंसूर अली
120. शारीक सईद	120. जावेद तनवीर रहमान	120. खालिद शमशाद
121. मो. रमजान बाबा	121. मोहम्मद अब्दुल माजिद	121. खुर्शीद अली
122. शौकत हुसैन	122. नेमातुल्ला	122. अब्दुल वहाब
123. सुलेमान खान	123. मिर्जा मिश्रत अली बेग	123. अतीकर रहमान
124. फिरोज आलम	124. मो. फारुक भट्ट	124. फारुक अहमद ख्वाजा
125. मो. अरशाद	125. जहीर अहमद	125. मुश्ताक अहमद वागवे
126. अब्दुल सलीम	126. मोहम्मद शकील अख्तर	126. अनवर हुसैन
127. शमशाद खान	127. जमील अहमद	127. अब्दुल हमीद धोबी
128. फतेह मोहम्मद		128. मो. मुख्तार
129. अफसर अली		129. आरिफ अहमद वानी
130. मो. रफीक खान		130. मुसाफिरुद्दीन
131. सैय्यद अली		131. मो. असगर सुलेमानी
		132. जमाल अहमद खान
		133. खालिद हुसैन
		134. सैयाब अहमद

1	2	3
चिकित्सा एवं अर्द्धचिकित्सा संबंधी कर्मचारी	**चिकित्सा एवं अर्द्धचिकित्सा संबंधी कर्मचारी**	**चिकित्सा एवं अर्द्धचिकित्सा संबंधी कर्मचारी**
चिकित्सक	**चिकित्सक**	**चिकित्सक**
1. डा. एस. महबूब	1. डा. नसरीन किशवर	1. डा. मो. जेयुद्दीन जावेद
2. डा. मो. अब्दुल कदास	2. डा. युसूफ बेगम	2. डा. सदका यसमीन
3. डा. मो. दाऊद सुलेमान	3. डा. एस.ए. मोकीत	3. डा. रकिया हसंनत
4. डा. खदेर शारिफ	4. डा. खदीजा सफुद्दीन	4. डा. फारुक अहमद रथार
5. डा. एस. मुनेरुद्दीन अहमद	5. डा. कोसर असरा	5. डा. फकरुल हसल गौरी
6. डा. इफत उनीसा	6. डा. मो. डी. सुलेमान	6. डा. मो. रफीक
7. डा. अलिया जिशान	7. डा. मिर्जा मो. एम. बेग	7. डा. सैय्यद अब्दुल जबार
8. डा. शाकीला श्रीकुमार	8. डा. मो. मोईद अफजल	8. डा. जहांगीर हुसैन
9. डा. नसरीन किशवर	9. डा. खादिर शरीफ	9. डा. नयीम अख्तार
10. डा. वहीदा बेगम	10. डा. एस. मुनीरुद्दीन अहमद	10. डा. अब्दुल रईस
11. डा. फरीसा कासिम	11. डा. मनोवारा उसमानी	11. डा. मोहम्मद सिराज
12. डा. मो. जाहिद हुसैनुल्ला	12. डा. मीर इमाम हुसैन	12. डा. नसरीन बानु
13. डा. हसमत अली	13. डा. आर. हुसैन	13. डा. नेमा मेनन
14. डा. अब्दुल हुसैन भरभूइया	14. डा. अब्दुल मुकीत तपदर	14. डा. सबिया अहाद
15. डा. मो. नजीमुद्दीन सिद्दकी	15. डा. मो. खलील	15. डा. फेजमीदा बानू
16. डा. अब्दुल क्याम	16. डा. मो. युनूस	16. डा. मो. अशरफ अली
17. डा. केसर परवेज	17. डा. शेरभानू ए. पठान	17. डा. सैय्यद अहमद
18. डा. मो. तनवीरुद्दीन	18. डा. के. मो. इकबाल	18. डा. मो. कालिम अकमाल
19. डा. मो. अयूब	19. डा. आबिद हुसैन ए. मंसूरी	19. डा. गयासुद्दीन खान
20. डा. सदका यासमीन	20. डा. इम्तयाज अहमद जी. वोहरा	20. डा. अलाऊद्दीन सैफी
21. डा. आबिद हुसैन अहमद	21. डा. मेमन रहीम भाई	21. डा. शकील अहमद
22. डा. अब्बुमिया मस्कपुतरा	22. डा. शहनाज नबी	22. डा. फराह अश्कर
23. डा. शेरबानु पठान	23. डा. जोजी बशीर अशवारी	23. डा. नहीदा के. सिद्दकी
24. डा. वसीम कुरैशी	24. डा. शामीना गुल	24. डा. अजरा खान
25. डा. अशक कुरैशी	25. डा. अशक हुसैन मीर	25. डा. अमजद सत्तर खान
26. डा. रमजान अली	26. डा. गुल जावेद	26. डा. तबींदा ख्वाजा
27. डा. एम. याकूब	27. डा. सैय्यद खालिद लतीफ	27. डा. एयेशा अहमद
28. डा. सैय्यद खालीद लतीफ	28. डा. मुनीर ए. मसौदी	28. डा. इनियातुल्ला खान
29. डा. एम. यसीन खान	29. डा. मो. अनवर	29. डा. शमीम अहमद
30. डा. अब्दुल ज्ञानी	30. डा. मिया सुहेल सुल्तान	30. डा. अब्दुल्ला ए. सिद्दकी

1	2	3
31. डा. नसीर अहमद लोन	31. डा. मो. खलील	31. डा. मुंशी खान
32. डा. इश्फाक अहमद दार	32. डा. तसनीम सैय्यदा	32. डा. मुहमेदहान दाऊद खत्री
33. डा. तब्बुसम जबीन	33. डा.अस्मा तब्बसुम	33. डा. कुरैशी खालिद अमीन
34. डा. रुखसाना	34. डा. इम्तियाज अहमद खान	34. डा. खत्री जेनुलुबद्दीन
35. डा. मोहम्मद बदरूदूजा	35. डा. हुसैन साहिब एम. खान	35. डा. अब्दुल सैय्यद अंसारी
36. डा. एम.ए. जाबर	36. एम.के.एस. नसीर	36. डा. सामा महामासिद्दिकी
37. डा. पालवा मो. मोहिद्दीन	37. डा. केसर परवेज एच.	37. डा. इल्यास इब्राहिम कुरैशी
38. डा. बच्चा सलीम अहमद	38. डा. मो. जमील	38. डा. निजामुद्दीन खान
39. डा. मो. युनूस सलीम	39. डा. रियाज बाशाह	39. डा. तारिक यसीन ब्लाक
40. डा. अब्दुल राहूफ	40. डा. समीरा ए	40. डा. हिंगोरा हुसैन
41. डा. तुसनीम सैयदा	41. डा. के. शकीना	41. डा. मेमन रहीम भाई इब्राहिम
42. डा. नैयमा बानु एम. .	42. डा. ए.एम. मोहम्मद	42. डा. पठान शेरबानु आजमखा
43. डा. सी. मुनासिरा सुल्तान	43. डा. के अब्दुल माजिद	43. डा. शेखर बालन मेहताब
44. डा. एन. राफिया बेगम	44. डा. महीन एन. ए.	44. डा. मिर्जा साजिद बेग
45. डा. निशात सुल्तान ख्याम	45. डा. के.पी. मथुबी	45. डा. शेख अरशद राज मो.
46. डा. असगरी बानू	46. डा. इब्राहिम बी.बी.	46. डा. मुकरम खान
47. डा. के. अलीकुट्टी	47. डा. अमरीन मुंशी	47. डा. शेख बाबु गुलाब
48. डा. सिद्दिकी सहन	48. डा. इजहार मो. मुंशी	48. डा. मिस पटेल यसमीन
49. डा. के. अब्दुल माजिद	49. डा. निशार खान	49. डा. मिस नौशीन बारी
50. डा. सकीना के. जाफर	50. डा. शकील अहमद	50. डा. शमीम अख्तर
51. डा. एम.सी. मोहम्मद	51. डा. सैय्यद मो. असलम	51. डा. मिस अलमस गुलाम
52. डा. पी. सैय्यद कोया	52. डा. रसीद अहमद खान	52. डा. कासिम वाई सुल्तान
53. डा. एफ. मुबारक बुकाई	53. डा. अंजुम एम. कुरैशी	53. डा. मोहम्मद सलीम
54. डा. इजहार मो. मुंशी	54. डा. अल्पास जी.जी. खान	54. डा. रियाज अहमद वार
55. डा. अमरीन मुंशी	55. डा. मो. जफर इकबाल	55. डा. वसीम अहमद गंगू
56. डा. मो. नुशरत	56. डा. सैय्यद टी अहमद	56. डा. अब्दुल घानी अहनगारी
57. डा. सैय्यद तारिक अहमद	57. डा. मोमीन एम.ए. मलिक	57. डा. बिलाल अहमद राजा
58. डा. मो. शारीफ खान पठान	58. डा. शेख बाबू	58. डा. अब्दुल रशीद नाजर
59. डा. हशीम सैय्यद रहीस	59. डा. शेख बी. महताब	59. डा. एजाज अहमद रठैर
60. डा. शेख रहमुद्दीन रसुलसाब	60. डा. शबनम टी. लश्कर	60. डा. रूमेसा सावल
61. डा. सैय्यद मुशर्रफ अली हशमी	61. डा. अशंरूल खान	61. डा. शहनाज बानू
62. डा. मोमीन अशद मलिक	62. डा. मो. नरूल हसन	62. डा. मोहम्मद आजम
63. डा. नसीम अख्तर	63. डा. नसरीन बानु	63. डा. सी. जमाल बाशाह

1	2	3
64. डा. अनुजम फतिमा सैय्यद अब्दुल्ला कादरी	64. डा. नजीना आर.वी.	64. डा. शमीम शुगरा सिद्दकी
65. डा. शबनम तहेरा लश्कर	65. डा. शाहीना हुसैन	65. डा. वहीदा बेगम
66. डा. मो. नरूल हसन	66. डा. घोष मो. चौहान	66. डा. कुदेसा फातिमा
67. डा. मो. अबरार पंवार	67. डा. मो. इकबाल	67. डा. साबिया सुल्तान
68. डा. महबूब रशीद चिप्पा	68. डा. सैय्यद एच. अहमद	68. डा. सैय्यद अमतुल मुखीत
69. डा. अनवर अली ताक	69. डा. आसिफ खिलजी	69. डा. सैय्यद अमीरुनिसा बेगम
70. डा. आसिफ खिलजी	70. डा. मो. युसूफ	70. डा. अंसर अहमद एम.
71. डा. घौस मो. चौहान	71. डा. चिरागुद्दीन कुरैशी	71. डा. हुसैनसाब खिलजी
72. डा. मो. अकरम खान	72. डा. मो. अबरार पनवार	72. डा. मो. खाजा शमसुद्दीन
73. डा. याकूब अहमद	73. डा. अनीष अहमद	73. डा. मो. अब्दूर कादिर
74. डा. चिरागुद्दीन कुरैशी	74. डा. सैय्यद अब्दुल जब्बार	74. डा. हबीब ओस्मान
75. डा. सैय्यद अब्दुल जाबर	75. डा. जाकिर हुसैन	75. डा. अयुब अली खान जै
76. डा. जाकिर हुसैन	76. डा. वसीम अहमद	76. डा. मुबारक
77. डा. एम.ए. शकील अहमद	77. डा. इसमाइल खान	77. डा. जवाद अहमद एन. ए.
78. डा. ए.आर. अली सुल्तान	78. डा. सलीमुद्दीन कुरैशी	78. डा. मोहम्मद जमील
79. डा. के. अशक हुसैन	79. डा. मो. अनीष मंसूरी	79. डा. मोहम्मद शकील
80. डा. ए. मोहम्मद जुबेर	80. डा. मो. इशाक	80. डा. इमत्याज मो. खानी
81. डा. मोहम्मद हनीफा	81. डा. एम. वजिहा नचियर	81. डा. मो. हुसैन के.जी.
82. डा. शकीला अख्तर	82. डा. के.जे. रजिया बेगम	82. डा. तसनीम सैय्यदा
83. डा. सैय्यद मुबाशीर युनूस	83. डा. एम.ए. असिया बेगम	83. डा. खालीदा निसार
84. डा. फरहान किरमानी	84. डा. एम.ए. शकील अहमद	84. डा. एम. अब्दुल सत्तार सेत
85. डा. महबूब हसन	85. डा. के. असक हुसैन	85. डा. महीन एन.ए.
86. डा. मो. कमरान खान	86. डा. कानी एस. मोहम्मद	86. डा. पी.के. उस्मान
87. डा. मो. फक्हर-उल-हुडा	87. डा. अस्मा सैय्यद	87. डा. के. अली कुट्टी
88. डा. सैय्यद अमजद अली	88. डा. शबीना अशरफ	88. डा. एम.ए. साहिल
89. डा. मो. हनीफ बेग	89. डा. शारिक अकील	89. डा. सदरूद्दीन अहमद मायम
90. डा. मो. असगर अली खान	90. डा. मो. नाजमुल एच. खान	90. डा. के. सकीना
91. डा. अरशद जमाल	91. डा. राजी अहमद	91. डा. सी.के. जमीला
92. डा. मो. फारुक	92. डा. नहीदा के. सिद्दकी	92. डा. सम्मीरा ए.
93. डा. मो. अथर	93. डा. परवीन बानु	93. डा. एम.पी. बशीर
94. डा. मो. शाहिद जमान	94. डा. सैय्यद मो. नसीर	94. डा. सैय्यद मो. नसीर
95. डा. सैय्यद अहमद		95. डा. रफिकुल हुसैन
96. डा. मो. अनीस अंसारी		96. डा. काफुजु हुसैन

1	2	3
97. डा. फराह अशहर		97. डा. नरूल इस्लाम
98. डा. फरीदा अहमद		98. डा. शबनम तहीरा लश्कर
99. डा. नूर अफशान सब्जपोश		99. डा. मो. नरूल हसन
100. डा. अस्मा सैय्यद		100. डा. मलिक मो. आबिद
101. डा. शगूफता मोईन		101. डा. के.जे. रजिया बेगम
102. डा. शगूफता मिर्जा		
103. डा. तवीना ख्वाजा		
104. डा. मो. अब्दुल रशीक		
105. डा. शेख अली इमाम		
106. डा. मो. क्यूम गोल्डर		
107. डा. मफजर रहमान खंडेकर		
अर्द्धचिकित्सा संबंधी स्टाफ	**अर्द्धचिकित्सा संबंधी स्टाफ**	**अर्द्धचिकित्सा संबंधी स्टाफ**
1. कु. सयैदा खतुनी	1. कु. अहीषा सिद्दकी	1. गुहर इकबाल
2. कु. समीना नाजी	2. कु. सहीदा ब्यूटी दीवान	2. अब्दुल समीर अंसारी
3. कु. अमीना सिद्दकी	3. कु. फिरोजा बेगम	3. सैय्यद मो. कासिर
4. कु. डेनिश फातिमा	4. कु. डेनिश फतिमा	4. मो. बदरे आलम
5. कु. नजेसा खतून	5. कु. नजशता खातून	5. हस्मुद्दीन
6. कु. जरीना	6. कु. शाहीदा खातून	6. मो. अशरफ
7. कु. फिरोजा बेगम	7. कु. मेहर फतिमा	7. इरफान अहमंद
8. राणा अब्दुल अजीज इब्राहिम	8. कु. सलेम शेख	8. नजीब अहमद
9. कु. फरीदा बानो आमिर खान	9. कु. जुबैदा	9. मो. आलम
10. कु. मेहरूसा आमिर खान	10. के.पी. मुमताल	10. फारूक आलम
11. कु. नसीमा बानो आमिर खान	11. कु. के नसीरा	11. असलम खान अंसारी
12. फयाज अहमद	12. कु. फरीदा युसूफ खान	12. सलीन
13. कु. हलीमा बानो	13. कु. जुबैदा बेगम	13. युसुफ भाई मंसूरी
14. एम.ए. रशीद	14. कु. रेहना बेगम	14. मसीफा भाई मंसूरी
15. कु. अफरोज बेगम	15. कु. रेहना बेगम	15. मंसूरी रियाज अहमद
16. कु. शहीन सुल्ताना	16. कु. जीनत खान	16. सरताजी सुल्ताना मिर्जा
17. कु. फिरदोस फतिमा	17. कु. समीना वसीम	17. राजपुरा फातिमा बहन भाई
18. अब्दुल नसीर ई.	18. इकबाल हुसैन नैयरिया	18. लियाकत खान
19. कु. नजीरा के.	19. अब्दुल सलाम शेख	19. मो. कमेरुद्दीन
20. कु. के. कुल्सुसम बीवी	20. अब्दुल सलाम	20. शेख जमील
21. कु. पी. सेफुनिसा	21. अब्दुल शकुर	21. आयुब खान

	1		2		3
22.	रज्जाक हफीजसाब मिन्यार	22.	मो. शफी रंगरेज	22.	सैय्यद मो. शरीफ अब्बुल
23.	कु. मल्लिका बेगम अब्दुलबारी	23.	मो. युसूफ	23.	अशफाक कुरैशी
24.	कु. रविया रहीम खान पठान	24.	इकबाल हुसैन	24.	गुलजार अहमद नजर
25.	कु. रविया शरीफ पटेल	25.	मो. शकील फारुकी	25.	गुलाम हसन चौपन
26.	कु. सरला जेनुद्दीन पटेल	26.	मंसूर ए. गौरी	26.	बाजुलल करीम
27.	कु. शेख रूबीना अब्दुलग़ानी	27.	मो. रिजवान कुरैशी	27.	अहमद अब्दुल हकीम
28.	इकबाल हुसैन नियारी	28.	ए. नज़्हमा बेगम	28.	जमीर अहमद खान
29.	मो. फारूक पटेल	29.	कु. इस्मेल बधुरनिसा	29.	बशीर अहमद खान
30.	मो. शाकील फारूकी	30.	कु. शाहाना परवीन	30.	सैय्यद समद
31.	इकबाल मो. शेख	31.	कु. रिजवाना	31.	कलीम अहमद
32.	अब्दुल सलम शेख	32.	नायर फातिमा	32.	मो. बशेरुन्निशा बेगम
33.	फरीदुद्दीन मंसूरी	33.	ए. शाहनवाज	33.	नैययर फतिमा
34.	मोइनीद्दीन	34.	जमीर अहमद खान	34.	रशीदा बेगम
35.	कयूमुद्दीन खान	35.	बशीर अहमद खान	35.	सैय्यद गुलाम जिलानी
36.	अब्दुल शकुर	36.	मो. अब्बु शहीद	36.	खडेर अली खान
37.	जीनत खान	37.	मो. तेनोज अहमद	37.	मो. शेख अहमद .
38.	रेहाना बेगम	38.	मो. जहरूद्दीन	38.	सी.एस. मो. खालिद
39.	रेहाना बेगम	39.	मो. शाकील ए खान	39.	सीमा तलख
40.	जरीना बानो	40.	राजा फार्मेसिस्ट	40.	अजीजूनिसा
41.	सलमा खान	41.	नजीम सिद्दकी	41.	सबीरा बेगम
42.	जुबैदा बेगम	42.	साईद अहमद अंदरवी	42.	बशीर अहमद के.एन.पी.
43.	आई बाथुनिसा	43.	मुश्ताक अहमद वानी	43.	सी.पी. सेदुती
44.	सुहरामोल टी.आई.	44.	नीर मंजूर अहमद	44.	हैदर अली थटाइल
45.	ए.एच. नजीमा बेगम	45.	बशीर अहमद मलिक	45.	के. मो. कुट्टी
46.	फरहा सुल्ताना	46.	परवेज अहमद पंडित	46.	के. कुन्नी मोहम्मद
47.	अंजुम आरा	47.	शेख युसुफ	47.	अविथा बेगम के.एम.
48.	अनवर जहां	48.	मुश्ताक अहमद शाह	48.	सहोरा मोहम्मद अशरफ
49.	मोमना खातुन	49.	सीमा बलक	49.	के.के. जलालुद्दीन
50.	मनीजा खातुन	50.	सैय्यद जियुल हसन	50.	रफीकुलहक
51.	सैय्यद राजा इरशद	51.	सैय्यद गुलाम जिलानी	51.	मो. इश्ताक हुसैन लश्कर
52.	सैय्यद मो. कासिर	52.	शेख युसूफ	52.	महबुर रहमान
53.	मो. नयामुद्दीन	53.	मो. खलीद	53.	ताजुद्दीन अहमद
54.	इरफान उर रहमान खान	54.	के. साहिदा	54.	करीमा बेगम चौधरी
55.	वासीक अहमद खान	55.	अब्दुल हकीम पी.वी.	55.	ए.बी. शमीम बानो

1	2	3
56. नूर मो.	56. हुसैन टी.पी.	56. ए. जहोरा
57. जाकिर सरूर	57. कुनहाली वी.पी.	57. सैय्यद खातुन
58. मो. रुकनुद्दीन	58. हैदर अली टटाइल	58. अमीना सिद्दकी
59. असीम मसुद	59. एम. सलीम	59. सीमा अंसारी
60. फहीम हैदर	60. इरफान उर रहमान खान	60. शाबाना
61. इरफान अहमद	61. लेक अहमद कुरैशी	61. यस्मीन
62. इनियात हुसैन अंसारी	62. निशाद कुशल	62. फरहद जमाल
63. अब्दुल मलिक	63. मो. एस. शेख	63. अहमद सैय्यद
64. अब्बदुल बफा सिद्दकी	64. सलीमुद्दीन जफर	64. मोहिदित्त रिजवान कुरैशी
65. अफसर हुसैन	65. लेकुद्दीन शेख	65. मो. हनीफ
66. शफीकूर रहमान	66. खान के. अहमद	66. मो. शकील फारूकी
67. महिनाज	67. शेख आयुब	67. गुलफान अली गोर
68. मो. जहरूद्दीन	68. सैय्यद अजहर अली	68. अनवर हुसैन दायर
69. शेख कामरअली शरीफ भाई	69. एजाज मो.	69. खुर्शीद अहमद
70. भट्ट सबीर अली युसुफ भाई	70. सलीम	70. हफीजुद्दीन
71. मो. फिरोज अब्दुल गानी शेख	71. ए.बी. शमीम बानो	71. बहोल मुश्तफा शेख
72. मंसूरी रियाज अहमद	72. एम. रुएथा बेगम	72. मंजूर आलम
73. मेमन फजल मो.	73. जहारा सलीम	73. मो. रफीक शेख
74. मिर्जा सरताज सुल्ताना	74. ए. जहुरा	74. इकबाल हुसैन नियारिया
75. शेख जमील	75. महनाज	75. खदीजा पठान
76. मो. अब्दुल सामी	76. मो. इकरम खर्शीद	76. नसीम बेगम
77. काजी शमीम अहमद	77. मो. बदरे	77. रेहाना बेगम
78. मुजावर त्रिपाशा	78. रफद शामसी	78. मोमिन खान
79. नसीमुद्दीन अहमुद्दीन शेख	79. मो. अशरफ	79. यासमीन बी. खान
80. शेख रहीम	80. रौनक खान	80. जाकिया उस्मानी
81. शेख अब्दुल कादिर	81. अब्दुल सलीम मलिक	81. दिनशाका खातुन
82. मो. जहीर	82. अरशद अहमद	82. आजरा हसन
83. मो. अमीन राठर	83. मो. रफीक	83. मुमताल बानो उजाला
84. मंजूर अहमद करपाल	84. मो. कुनही	84. शबनम के. सांधी
85. अल्ताफ हुसैन तांतरे	85. शौकत अली	85. फैज अहमद भट्ट
86. मो. इकबाल जरगर	86. शाहबुद्दीन विश्वास	86. शेख शमशद बेगम
87. फैज अहमद दार	87. शामसुद्दीन	87. ताहिरा आर. हुनडेरकर
88. गुलाम हुसैन मीर	88. अजरा महसूद	88. सेफनिसा फुथीदर
89. जुहर अहमद	89. सोफिया बेगम	89. खेरूनिसा पी.
90. ए. शहनवाज	90. एस. सलमा	90. के.पी. मुमताज

1	2	3
91. जमीर अहमद खान	91. जी. मो. ईशाक	91. सफिया बेगम
92. अब्दुल सत्तर	92. जुल्फीकर अली मंसूरी	92. मुमताल कुयम शेख
93. सैय्यद गुलाम जिलानी		93. शहाबुद्दीन विश्वास
94. सैय्यद जियाऊल हसन		94. शौकत अली
95. उब्बेदुल्ला		95. शेयरबेन गुलाम नबी
96. पी.वी. अब्दुल हकीम		96. मो. शुजाऊद्दीन फरूकी
97. अब्दुल वहाक एम.पी.		97. बदरूजामा खानम
98. एन.के. उमेर		98. मो. कोनही एम.
99. हुसैन टी.पी.		99. अब्दुल करीम युरम
100. के. शहीद		100. मुजामिन परवीन
101. शहीदा के.		101. गुलाम मो. वानी
102. एच. बी. इब्राहिम		102. आजरा मसूद
103. टी.के. अमीना बाई		103. के.एन. नजीरूनिसा
104. एस. मो. जाफर		104. जेबुनिशा इब्राहिम भाई दूध
105. ए. अजीज सैय्यद अब्दुल		105. शेख बानो अंसारी
106. ए.बी. शमीम बानो		106. शेख इब्राहिम
107. मो. मुमोन अहमद चौधरी		107. मो. नजरूल इस्लाम
108. दिलवर हुसैन हुसैन		108. जुल्फीकर अली मंसूरी
109. एस.एम. सत्तर		109. गुलाम मोहम्मद इजाक
110. रईस अहमदी		
111. मो. शरफी चौहान		
112. मो. अशगार शेख		
113. अतीक मो. चौहान		
114. असीम रियाज नामानी		
115. मो. सबीर-II		
116. फतेह मो. मेमन		
117. फरीद		
118. शेख इब्राहिम		
119. जहुर अहमदी		
120. अनवर बाशाह		
121. शेख उमुर अली		
122. आरिफ जान		
123. हैदर अली के.		
124. पी. मोहम्मद		
125. शब्बी अहमद		

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वचालित पहचान तंत्र की स्थापना

2439. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय समुद्र तट के साथ मैरीन विजुअल एड प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय समुद्र के लिए राष्ट्रीय स्वचालित पहचान तंत्र की स्थान करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सुविधाओं/प्रणालियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा भारतीय-तटों पर इन प्रणालियों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) इस समय, भारत सरकार द्वारा भारतीय तट रेखा के साथ कायम रखे जा रहे 167 दीप-घर हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुद्री राज्यों द्वारा कायम रखे जा रहे 106 दीप-घर हैं। इस समय, पाल्क-खाड़ी में 04 दीप-घरें की शृंखला, निर्माणाधीन है। वकलपुड़ी (काकीनाडा) में एक दीप-घर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाने की अंतिम अवस्था में चल रहा है। इसकापालेम, रावा-पत्तन (आंध्र प्रदेश-तट), कूंडापुर, होनावार, ताडरी (काकीनाड़ा-तट), मिनीकॉय दीपघर (लक्षद्वीप), चिल्का और देवी पॉइंट, (उड़ीसा-तट) पर प्रकाश-संकेत तथा अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में 06 प्रकाश-संकेत स्थापित किए जाने की योजना कार्यान्वित करने की दृष्टि से यथोचित कार्रवाई किए जाने हेतु उसकी जांच पड़ताल कर ली गई है।

(ग) जी, अभी तक नहीं। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय नौवहन के संस्पर्श में बने हुए और पारस्परिक बात-चीत कायम रख रहे पत्तन विशेष, पोतों और पत्तन-सुविधाओं की सुरक्षा के बारे में अंतरराष्ट्रीय संहिता के दायरे में आते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे पोतों के पत्तन विशेष पर पहुंचने पर, उनकी स्वत: नियत पहचान किए जाने की प्रणाली की सुविधा मुहैया करवाएं, जिससे कि किसी पत्तन विशेष में प्रवेश करने का इरादा रखने वाले जलयान पहचाने जा सकें।

(घ) भविष्य में, तट के साथ, स्वत: नियत पहचान-प्रणाली पर आधारित और सेटेलाइट के माध्यम से, पहले से ही मौजूद दीप-घरों से सहसम्बद्ध किए जाने अपेक्षित लगभग 70 केन्द्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

(ङ) एक बार ऐसे केन्द्र स्थापित कर दिए जाने के बाद, पोत की पहचान, कार्गों की किस्म, गति, समय और गंतव्य से संबंधित जानकारी जैसी जानकारी, तट पर सबसे निकट स्थित उस स्वत: नियत पहचान-प्रणाली केन्द्र को संप्रेषित कर दी जाएगी, जहां कोई जलयान भारतीय जल-सीमा-क्षेत्र में प्रवेश करने वाला हो और उसके बाद उपर्युक्त केन्द्र, उपर्युक्त जानकारी वास्तविक प्रयोक्ता को संप्रेषित कर देगा। नौचालन की दृष्टि से आवश्यक सहायता-साधनों, तलाश और बचाव से संबंधित जानकारी, समुद्री सुरक्षा से संबंधित जानकारी इत्यादि, सुचारू नौचालन की दृष्टि से, तट से, पोत को संप्रेषित कर दी जाएगी। उपर्युक्त योजना को अंतिम दे दिए जाने के बाद उसे कार्यान्वित करने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

सी.जी.एच.एस. की कार्यप्रणाली में सुधार

2440. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सी.जी.एच.एस. की कार्यप्रणालियों में सुधार संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उनका क्या परिणाम निकला?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण, निरीक्षणों तथा मार्गदर्शन के जरिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कार्यकरण में सुधार एक चलते रहने वाली प्रक्रिया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत औषधालयों के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए आठ विशेष दल भी गठित किए गए हैं।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के वितरण काउंटर पर औषधों की उपलब्धता में विशिष्ट सुधार हुआ है। विनिर्माताओं के जरिए अनेक स्वामित्व वाली औषधों तथा जेनरिक औषधों का प्रापण किया गया है।

पूर्व में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त प्राय: केवल सीमित संख्या में निजी अस्पताल थे। तथापि, सितम्बर, 2001 के बाद स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लगभग 700 निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को नए सिरे से मान्यता देने से संबंधित अनेक कार्यालय ज्ञापन

जारी किए हैं। इन कार्यालय ज्ञापनों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पहले ही परिचालित किया जा चुका है। उक्त कार्यालय ज्ञापन, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा निजी अस्पतालों/ नैदानिक केन्द्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जारी किए गए, जो उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से विभिन्न चिकित्सा क्रियाविधियों/परीक्षणों/जांचों के लिए सरकार द्वारा नियत अधिकतम दरों से अधिक शुल्क न लेने के लिए बाध्य करते हैं। समझौता ज्ञापन में उन पेंशनर कार्डधारकों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों में क्रेडिट सुविधा की व्यवस्था की गई है, जिन्होंने औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है।

उपर्युक्त उपायों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के संतोष के स्तर में सुधार होने में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों संबंधी समिति

2441. श्रीमती करुणा शुक्ला: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्री एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में अनिवासी भारतीयों के लिए एक समिति गठन की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तावित सिफारिशों का क्या ब्यौरा है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) जी हां।

(ग) डा. एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा अगस्त 2000 में भारतीय डायस्पोरा पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने जनवरी 2002 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) सरकार द्वारा स्वीकृत एवं कार्यान्वित किए जाने वाले भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशों में प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाना, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की स्थापना, पी.आई.ओ. कार्ड योजना का संशोधन, प्रवासी भारतीय भवन की स्थापना, भारत वंशी विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करना, भारतीय डायस्पोरा के ज्ञान और अन्य संसाधनों का लाभ लेना, भारत के साथ उनके सम्पर्क को और बढ़ाने के लिए उनको संस्कृति, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परोपकार इत्यादि क्षेत्रों से जोड़ना शामिल है।

[अनुवाद]

समुद्रीय सर्वेक्षकों की कमी

2442. श्री भर्तृहरि महताब: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में समुद्रीय सर्वेक्षकों की कमी के कारण भारतीय पोत परिवहन और समुद्री प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) कालान्तर में, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के 28 समझौतों/प्रोटोकॉलों का अनुसमर्थन कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, नौवहन-महानिदेशालय, मुंबई के कार्य-भार और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों में कई गुनी बढ़ोतरी हो गई है, किन्तु उपर्युक्त महानिदेशालय का तद्नुरूपी विस्तार नहीं किया गया है। अत: इससे, भारतीय समुद्री प्रशासन की पुनर्संरचना किया जाना आवश्यक हो गया है। उपर्युक्त पुनर्संरचना किए जाने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

भूकंप संबंधी सर्वेक्षण

2443. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए देश में कोई भूकंप संबंधी सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण तथा भूकंप प्रवण क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के लोगों के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। बड़ी संख्या में एजेंसियों से प्राप्त विभिन्न वैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों नामत: क्षेत्र-I, II, III, IV और V में विभाजित किया गया है। इनमें से क्षेत्र-V भूकंपीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है जबकि, क्षेत्र-II सबसे कम। मोटे तौर पर, क्षेत्र-V में संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात में कच्छ का रन, उत्तरी बिहार के कुछ भाग और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह शामिल

हैं। क्षेत्र-IV में जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी तट के निकट के महाराष्ट्र के कुछ छोटे भाग और राजस्थान शामिल हैं। क्षेत्र-III में केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के शेष भाग, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के शेष भाग शामिल हैं। क्षेत्र-II में देश के शेष सभी भाग शामिल हैं।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के देश के विभिन्न भागों में कार्यशालाओं एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के रूप में भूकंप जागरूकता कार्यक्रम के समय-समय पर आयोजनों को सहयोग प्रदान करता है। भूकंप विज्ञान पर मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत स्कूली छात्रों एवं आम जनता को भूकंप संबंधी शिक्षण तथा इससे जुड़ी रोचक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में विद्यालय भूकंप वेधशाला कार्यक्रम की भी शुरूआत की गई है। आम लोगों के बीच जागरूकता सृजित करने हेतु अंग्रेजी तथा हिन्दी, दोनों भाषाओं में वीडियो फिल्में बनाई गई हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय स्तर पर भूकंप शिक्षण एवं जागरूकता से संबंधित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

2444. प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर अब तक वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) राजस्थान में इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई तथा कितनी परियोजनाएं तैयार की गईं;

(ग) क्या किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेनों वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर व्यय की गई धनराशि के वर्ष वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु.)
2002-03	91.20
2003-04	46.44

(ख) इस पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक 162.18 करोड़ रु. की 70 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधाएं

2445. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री के.सी. पलनिसामी:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गईं;

(ग) 2004-05 के दौरान राज्य-वार कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश के सभी ग्राम पंचायतों को कब तक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 23,987 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई थीं। सर्किलवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान 1,151 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। सर्किलवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निविदा तथा यू.एस.ओ. निधि के प्रशासक के कार्यालय और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित करार के निबंधन और शर्तों में निर्धारित किए गए अनुसार उसमें उल्लिखित कवर न की गई ग्राम पंचायतों को नवम्बर, 2007 तक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दिए जाने की योजना बनाई गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए गए पंचायती गांवों की संख्या तथा वर्ष 2004-05 के दौरान सुविधाएं प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए पंचायत टेलीफोनों की संख्या	वर्ष 2004-05 के दौरान कवर की जाने वाली प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0
3.	असम	628	179
4.	बिहार	593	0
5.	छत्तीसगढ़	3829	0
6.	गुजरात	0	0
7.	हरियाणा	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	435	0
9.	जम्मू-कश्मीर	21	141
10.	झारखंड	1753	0
11.	कर्नाटक	2	0
12.	केरल	0	0
13.	मध्य प्रदेश	164	440
14.	महाराष्ट्र	0	0
15.	पूर्वोत्तर-I	660	0
16.	पूर्वोत्तर-II	1189	341
17.	उड़ीसा	111	0
18.	पंजाब	0	0
19.	राजस्थान	0	0
20.	तमिलनाडु	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	12181	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	997	0
23.	उत्तरांचल	1424	50
24.	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल	23987	1151

एरनेट से जुड़े संस्थान

2446. श्री मनोरंजन भक्त: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मूल आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कितने कॉलेज और अनुसंधान संस्थान एरनेट से जुड़े हुए हैं;

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इससे होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने द्वीपसमूह में सभी कॉलेजों की एरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचनाऊ प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतर्गत अनुसंधान संस्थानों को जोड़ने की अर्नेट इंडिया की एक योजना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक भाग के रूप में अंडमान एवं निकोबार स्थित केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक ऐसा संस्थान है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के "जवाहर नवोदय विद्यालय" नामक एक विद्यालय को शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) के माध्यम से जोड़ा गया है। अर्नेट बैकबोन के जरिए सम्पर्क से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए सहायता मिलेगी:

- इंटरनेट अभिगम
- वीडियो प्रसारण
- व्याख्यानों का प्रसारण
- कृषि विपणन, मण्डी सूचना, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी कार्य, रोजगार के अवसर, मौसम का पूर्वानुमान, आदि जैसी नागरिक-केन्द्रित सूचना
- डिजिटल लाइब्रेरी
- ई-अधिगम

[हिन्दी]

हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या

2447. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने लोगों की हृदय रोग के कारण मृत्यु हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस रोग से निपटने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार की जिला मुख्यालयों में हृदय रोग के उपचार के लिए अस्पताल खोलने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार, हृदय रोग विशेषकर कोरोनरी हृदय रोग में वृद्धि हो रही है और यह युवा लोगों (40 वर्ष की आयु से कम) में भी हो रहा है। इस वृद्धि के जीवन शैली में परिवर्तन जैसे कि कम शारीरिक गतिविधियों, बदलती हुई आहार पद्धतियों, वसा तथा शर्करा के उपभोग में वृद्धि, तंतु (फाइबर) तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों (फोलिक एसिड, प्रतिउपचायकों) इत्यादि के कम सेवन से जुड़े होने का संकेत मिलता है। हृदय रोग से मरे रोगियों की सही राज्यवार संख्या केन्द्रीय आधार पर नहीं रखी जाती है।

(घ) से (छ) कार्डियो वास्कुलर रोगों का प्रबंधन देश के सार्वजनकि तथा निजी क्षेत्रों, दोनों में शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं तथा ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। अनेक जिला स्तरीय अस्पतालों, जो द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्चा सुविधाएं प्रदान करते हैं, के अलावा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ जैसे प्रमुख सरकारी अस्पतालों तथा स्वायत्त संस्थाएं इस क्षेत्र में विशिष्ट तृतीयक परिचर्या सुविधाएं प्रदान करती हैं। चूंकि हृदय रोग जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, इसलिए सरकार भी हृदय रोगों तथा स्वस्थ जीवन पद्धतियों के बारे में जनस्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य संदेशों का प्रसार कर रही है।

[अनुवाद]

आयातित दवाओं के लिए पंजीकरण प्रणाली

2448. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित औषधियों के लिए पंजीकरण प्रणाली आरंभ की गई थी जिससे कि देश में घटिया दवाइयों की आवक को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण के लिए आगे आई कंपनियों तथा औषधि और प्रसारण सामग्री अधिनियम के अनुसार परिसर का निरीक्षण किए बिना पंजीकृत कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करेगी कि ये कंपनियां विश्व स्वास्थ्य संगठन जी.एम.पी. का पालन करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। देश में औषध आयात हेतु पंजीकरण की नयी प्रणाली, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 24-08-2001 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 604 (ई) के माध्यम से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी है, के तहत कोई भी औषध विनिर्माण स्थल के पंजीकरण और औषध तथा प्रसाधन सामग्री नियमावली के फार्म 10 में आयात लाइसेंस के बिना आयात नहीं की जा सकती है।

(ख) से (घ) विनिर्माण स्थल के पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ 31 अक्तूबर, 2004 तक पंजीकृत औषध और विनिर्माण स्थल से सम्बन्धित ब्यौरा विभाग की वेबसाइट डब्लू.डब्लू.डब्लू. सी.डी.एस.सी.ओ.एन.आई.सी.आई.एन. पर उपलब्ध है, जिसे समय-समय पर संशोधित/अद्यतन भी किया जाता है।

औषधों के आयात हेतु पंजीकरण के लिए विदेश स्थित विनिर्माण स्थलों का निरीक्षण अनिवार्य मानदण्ड नहीं है। वर्तमान में, ऐसी औषधें, जिनका देश में लम्बी अवधि से प्रयोग होता रहा है और जो विधिवत अनुमोदित हैं, पंजीकृत हैं बशर्ते कि औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची 'घ' (I) और 'घ' (II) में निर्धारित औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया हो। आवेदक को औषध की विनियामक स्थिति, डब्लू.एच.ओ. प्रारूप में नि:शुल्क विक्रय प्रमाण पत्र और जी.एम.पी. प्रमाण-पत्र अथवा मूल देश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी फार्मास्यूटिकल उत्पाद (सी.पी.पी.) का प्रमाण-पत्र तथा दूसरे प्रमुख देशों के विनियामक प्राधिकरणो द्वारा जारी नि:शुल्क विक्रय सम्बन्धी अनुमोदन प्रस्तुत करना होता है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का निजीकरण

2449. श्री कैलाश मेघवाल: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना में कार्य कर रहे हजारों कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्य योजना तैयार की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) सरकार ने दिसम्बर, 2001 में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच.सी.एल.) की अपनी समस्त होल्डिंग्स का विनिवेश किसी रणनीतिक (स्ट्रेटेजिक) क्रेता के पक्ष में करने का निर्णय लिया था। इसके बाद, सरकार ने जुलाई, 2003 में यह निर्णय

लिया कि आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा जून, 2002 में यथा-अनुमोदित मौजूदा पुनर्संरचना पैकेज के आधार पर क्वालीफाइड इंट्रस्टिड पार्टियों (क्यू.आई.पी.) से अंतिम और बंधनकारी मूल्य बोलियां आमंत्रित की जाएं। तदनुसार, क्वालीफाइड इंट्रस्टिड पार्टियों से अक्तूबर, 2003 तक मूल्य बोलियां आमंत्रित की गईं। तथापि, एच.पी.सी.एल./ बी.पी.सी.एल. मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा एच.सी.एल. के विनिवेश के विरुद्ध न्यायालयों में दाखिल और लम्बित विभिन्न याचिकाओं के मद्देनजर विनिवेश विभाग द्वारा इस मुद्दे को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) उपरोक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

तटीय क्षेत्रों का विकास

2450. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडमः क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में तटीय क्षेत्रों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है; और

(ख) इसके विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) गुजरात की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 1600 कि.मी. है।

(ख) गुजरात सरकार ने उद्योगों, बंदरगाह और पर्यटन के विकास के लिए नीतियां अधिनियमित की है और तटीय क्षेत्रों के लिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।

गुजरात की औद्योगिक नीति और बंदरगाह नीति में एक एकीकृत बंदरगाह विकास कार्य नीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें बंदरगाह सुविधाओं का सृजन, उद्योगीकरण और मूलभूत सुविधाओं का विकास शामिल है। पर्यटन नीति में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गुजरात में विभिन्न समुद्र तटों की पहचान करने और इन समुद्र तटों के विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव है।

कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान

2451. श्री रघुनाथ झाः क्या प्रधानमंत्री दिनांक 01 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-रोजगार प्रमाण-पत्र प्राप्त न करने के क्या कारण हैं तथा कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(ख) न्यायालयों के आदेशों का ब्यौरा क्या है, जिनके आधार पर भुगतान किया गया;

(ग) सेवा से व्यक्ति (व्यक्तियों) को बर्खास्त करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या न्यायालय में इस मामले का एक पक्षीय निपटारा हुआ था;

(ङ) यदि हां, तो न्यायालय में मामले में बचाव न करने के क्या कारण हैं?

(च) न्यायालय के मामले से अलग होने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है;

(छ) क्या न्यायालय ने बर्खास्तगी को नामंजूर कर दिया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) बर्खास्तगी की अवधि के दौरान अर्जित राशि को समायोजित किए बिना बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) श्री वी.के. गुप्ता, पदच्युत भण्डार लिपिक ने, श्रम न्यायालय से, सेवा में निरंतरता और पिछले पूरे वेतन सहित सेवा में अपनी बहाली का निर्णय प्राप्त किया। श्रम आयुक्त, दिल्ली ने 176571/-रुपये की वसूली का प्रमाण-पत्र जारी किया। बहाली के आदेश के विरुद्ध, उच्च-न्यायालय में की गई अपील खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय ने निरपेक्ष आदेश दिया और निर्देश दिए कि संग्राहक, अक्तूबर, 1990 तक उपर्युक्त धनराशि प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई करेगा। तद्नुसार, धनराशि का भुगतान कर दिया गया। इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय भण्डार द्वारा इस मामले में दायर विशेष रिट याचिका/अन्य याचिकाओं को खारिज किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय भण्डर ने 53,890/-रुपये की और बकाया राशि का भुगतान कर दिया।

(ग) उपर्युक्त कर्मचारी को कदाचार, सामान में कमी इत्यादि के कारण पदच्युत किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, हां।

(ज) न्यायालयों के आदेशों का ब्यौरा भाग (क) और (ख) के उत्तर में दर्शाया गया है।

(झ) उपर्युक्त (क) से (ज) तक के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रमुख कंटेनर पत्तनों पर प्री-स्क्रीनिंग उपकरण

2452. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के प्रमुख कंटेनर पत्तनों पर उच्च प्रौद्योगिकी वाली प्री-स्क्रीनिंग उपकरणों को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या उपकरणों हेतु योजना बनाने एवं उनको क्रियान्वित करने के लिए सहायता ली जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत के किन पत्तनों पर इन उच्च प्रौद्योगिकी वाले प्री-स्क्रीनिंग उपकरणों को स्थापित किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जवाहर लाल नेहरू पत्तन-न्यास, मुंबई पर एक मोबाइल गामा रे कंटेनर स्केनर लगवा दिया गया है और उसके 29-03-2004 से कार्य करना आरंभ कर दिए जाने से उपर्युक्त पत्तन पर एक पाइलट परियोजना चलाई जानी आरंभ कर दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। परमाणु ऊर्जा-विभाग के विशेषज्ञों से तकनीकी सहायता मांगी गई है।

(घ) भारत में उन पत्तनों की सूची निम्नानुसार है, जिन पर पहले चरण में ये ट्रक (कंटेनर) स्केनिंग प्रणालियां लगाई जानी संभावनीय है:-

(i) जवाहर लाल नेहरू पत्तन-न्यास, न्हावा शेवा, मुंबई;

(ii) कोलकाता-पत्तन-न्यास;

(iii) दिल्ली अंतर्देशीय कंटेनर डिपो;

(iv) मुम्बई-पत्तन-न्यास; और

(v) चेन्नई-पत्तन-न्यास।

कंटेनर सेक्यूरिटी इनिशिएटिव

2453. श्री सुकदेव पासवान:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका के नेतृत्व वाले "कंटेनर सेक्यूरिटी इनिशिएटिव" कार्यक्रम में शामिल होने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत अमरीका के सीमा शुल्क तथा सीमा सुरक्षा अधिकारियों को भारतीय पत्तनों पर तैनात किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जवाहरलाल नेहरू पत्तन-न्यास, न्हावा शेवा पर सरकार का एक पाइलट परियोजना के रूप में कंटेनर सुरक्षा पहल आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त कार्यक्रम का विवरण, विदेश-मंत्रालय के नेतृत्व में, केन्द्रीय सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड और अन्य से युक्त एक दल द्वारा तैयार किया जाना है। उपर्युक्त दल, उपर्युक्त कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका से समझौता-परक बातचीत करेगा।

(ङ) उपर्युक्त कार्यक्रम से आयात और निर्यात के लिए कंटेनर-सुरक्षा की दृष्टि से चल रहे सर्वोत्तम चलनों को आत्मसात करने के लाभ मिलेंगे। उपर्युक्त कार्यक्रम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से संतुलित व्यापार संबंध कायम करने की दृष्टि से अनुकूल वातावरण बनाया जा सकेगा और उपर्युक्त कार्यक्रम हमारे निर्यात-व्यापार के प्रति सहायक सिद्ध होगा।

एक स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना

2454. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रुटिपूर्ण फोन सेवाओं की बढ़ती शिकायतों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन करने का है, जैसा कि दिनांक 11 अगस्त, 2004 को "द हिंदू" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सेवा प्रदाता, आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या फोन सेवा क्षेत्र ने इस कदम का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने वर्तमान कानून में संशोधन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) ट्राई से लोकपाल के कार्यालय की स्थापना हेतु सिफारिश प्राप्त हुई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) ट्राई की सिफारिशों के अनुसार सेवा प्रदाता लोकपाल जैसी किसी अन्य संस्था की स्थापना के लिए कोई बहुत अधिक उत्सुक नहीं हैं। उन्हें लगता है कि प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में उन पर सेवा की गुणवत्ता और अधिक उपभोक्ता संतुष्टि प्रदान करने का अपेक्षित दबाव बना रहता है। बाजार तंत्र ही यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं का समुचित ध्यान रखें।

(ङ) उपर्युक्त भाग 'ग' और 'घ' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक स्टेशनरी की अनुपलब्धता

2455. श्री पी.के. वासुदेवन नायर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि केरल के डाकघरों में आर.डी. पास-बुक, एस.बी. पासबुक, एजेंट प्राप्ति पुस्तिकाएं, चैक जैसी पर्याप्त डाक स्टेशनरी उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि इस स्थिति से लघु बचत जमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी नागरिकों द्वारा सेल्यूलर सेवाओं का उपयोग

2456. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना एजेंसी ने ऐसे प्रमाणों का खुलासा किया है कि विदेशी नागरिक सरकार को स्थानीय संपर्क का ब्यौरा तथा विदेशी पहचान प्रमाण प्रस्तुत किए बिना ही देश में एयरटेल सेल्यूलर सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) आसूचना एजेंसी 30 सितंबर, 2004 को दूरसंचार विभाग को ऐसे पांच मामलों की सूचना दी जिनमें विदेशी नागरिकों ने विदेश के पतों/अधूरे या अस्पष्ट स्थानीय पतों पर मै. भारती सेल्युलर लिमिटेड से कोलकाता में मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त किया है।

(ग) आसूचना एजेंसी से इस आशय का पत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता मै. भारतीय सेल्युलर लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा गया। सेवा प्रदाता ने अपने उत्तर में कहा है कि उन्होंने विदेशी नागरिकों को मोबाइल फोन प्रदान करने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया का अनुपालन करने में विफल रहे डीलरों का डीलरशिप निरस्त कर दिया है। सेवा प्रदाता ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने डीलरों को सत्यापन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए चेतावनी दी है और सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त कदम भी उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त आसूचना एजेंसी से पत्र प्राप्त होने पर विभाग ने उपभोक्ताओं की पहचान सत्यापित करने संबंधी अनुदेशों को दोहराते हुए सभी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) की व्यवस्था को अपना चुके सेवा प्रदाताओं सहित) को 15 अक्तूबर, 2004 को पत्र सं. 800-4/2002-वी.ए.एस./135 जारी किया है। इस पत्र में यह स्पष्टत: उल्लेख किया गया है कि यदि भविष्य में उपभोक्ताओं की पहचान सत्यापित न किए जाने का कोई मामला प्रकाश में आता है तो उसे लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

सी.बी.आई. द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त करना

2457. श्री ब्रजेश पाठक: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की बात पर असंतोष जाहिर किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई कार्रवाई करने का है ताकि सरकारी अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पूर्व अनुमति प्राप्त करने की जरूरत न पड़े;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2458. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उन्नयन हेतु वर्ष 2002-03 और 2003-04 की वार्षिक योजना में कितना बजटीय उपबंध किया गया है;

(ख) क्या उक्त वर्षों में स्वीकृत निधियां विकास और उन्नयन हेतु अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस धनराशि को बढ़ाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पश्चिम बंगाल में 2002-03 और 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के लिए क्रमश: 82.00 करोड़ रु. और 73.00 करोड़ रु. बजट प्रावधान था।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों हेतु चिकित्सा सुविधाएं

2459. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेषकर सेवानिवृत्त/कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए मुहैय्या करायी गयी चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में सी.जी.एच.एस. द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों के नाम और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जिसके लाभार्थी हकदार हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों ने सरकारी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस संबंध में नीति क्या है; और

(च) इस स्वीकृति के कब तक दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) संक्षेप में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं:-

(1) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/एककों के माध्यम से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा योगा में बहिरंग रोगी परिचर्या।

(2) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों तथा सरकारी अस्पतालों, दोनों में विशेषज्ञ परामर्श।

(3) एलोपैथिक औषध पद्धति में आपातिक सेवाएं।

(4) ओ.पी.डी. औषधों की आपूर्ति।

(5) प्रयोगशाला तथा विकिरण विज्ञान संबंधी जांच-पड़तालें।

(6) गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों द्वारा घरों के दौरे।

(7) सरकार की यथोचित अनुमति प्राप्त करने के बाद लाभार्थी की पसंद के अनुसार सरकारी तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों में उपचार।

(8) परिवार कल्याण सेवाएं।

(9) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आपातकाल के दौरान लिए गए उपचार के लिए क्रेडिट सुविधा।

(10) पेंशनरों जिन्होंने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्रप्त निजी अस्पतालों नैदानिक केन्द्रों में उपचार/जांच कराने के लिए पूर्व-अनुमति प्राप्त कर ली हो, के लिए क्रेडिट सुविधा।

(11) श्रवण सहायता, सी.पी.ए.पी. मिशन, आक्सीजन, कन्सेन्ट्रेटर इत्यादि जैसे उपकरणों की लागत की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रतिपूर्ति।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने मार्च-अप्रैल, 2004 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को नई मान्यता देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। निविदाओं में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थी अस्पताल नैदानिक केन्द्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने के लिए मेरिट के आधार पर विचार किए जाने के पात्र होंगे।

(च) चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता देने की प्रक्रिया समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें अभ्यर्थी अस्पतालों का निरीक्षण तथा तत्पश्चात् आवश्यक प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुदान प्राप्त किया जाना इत्यादि शामिल होते हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों की नई सूची निकालने के लिए इस समय कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर का नाम: दिल्ली, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं

क्रमांक	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त अस्पताल/नैदानिक केन्द्र का नाम	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन निम्नलिखित के लिए मान्यता प्राप्त
1	2	3
1.	सर गंगाराम अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल रोड, नई दिल्ली-60	कार्डियोलोजी, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक प्रक्रियाएं, रीनल प्रक्रिया, रीनल ट्रांसप्लान्टेशन, गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी प्रक्रियाएं, लीवर, ट्रांसप्लान्टेशन और जेनेटिक लैब प्रक्रियाएं
2.	सुंदर लाल जैन अस्पताल, अशोक विहार फेज-III, नई दिल्ली	सामान्य, विशिष्ट प्रयोजन (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर) और नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	तीरथ राम शाह अस्पताल, तीस हजारी के निकट, बौटरी लेन, दिल्ली	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
4.	संत परमानन्द अस्पताल, 18, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर नैदानिक
5.	जीवन माला अस्पताल, 67/1, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर नैदानिक
6.	मोहन नेत्र संस्थान, 11-बी, गंगा राम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन-आप्थेलमोलॉजी
7.	केसर अस्पताल, ए.एच.-11, शालीमार बाग, दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन मिनिमम इनवेसिव सर्जरी (लेप्रोस्कोपिक)
8.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल, ब्लाक डी, अशोक विहार, फेस-I, दिल्ली-52	भौतिक-चिकित्सा, परम्परागत विकिरण विज्ञान एवं लैब
9.	जीवन नर्सिंग होम और अस्पताल, 2-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	केवल प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा सामान्य सर्जरी
10.	न्यू दिल्ली स्कैन इंस्टीट्यूट, (सर गंगा राम अस्पताल) राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	सी.टी.
11.	नार्थ एम.आर. स्कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर गंगाराम अस्पताल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	एम.आर.आई.
12.	महाजन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड बोन डेन्सिटोमेट्रो सेंटर, सर गंगाराम अस्पताल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	न्यूक्लियर चिकित्सा एवं बोन डेंसिटोमेट्री
13.	सी.डी. डायग्नोस्टिक (सुंदर लाल जैन अस्पताल), अशोक विहार, फेज-III, दिल्ली	सी.टी.
14.	मेट्रो हैल्थ केयर सेंटर (तीरथ राम शाह अस्पताल) तीस हजारी के नजदीक, बैटरी लेन, नई दिल्ली	सी.टी.
15.	सिद्धार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, सिद्धार्थ कैट स्कैन स्पेसिलिटी, 2169, शादी खामपुर, मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	यू.एस.जी., सी.टी. और प्रयोगशाला
16.	शालीमार डायग्नोस्टिक सेंटर, ए.डी.-130ए, शालीमार बाग, दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान और प्रयोगशाला
17.	डा. एस.एस. डोडा अल्ट्रासाउंड सेंटर, 23-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, यू.एस.जी. और मैम्मोग्राफी
18.	जी.एम.आर. इंस्टीट्यूट आफी इमेजिंग एंड रिसर्च सेंटर, 35-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	सी.टी. और एम.आर.आई.
19.	नार्थ दिल्ली पैथ क्लिनिक, 56-ए, कमला नगर, दिल्ली	प्रयोगशाला

1	2	3
20.	डा. लाल पैथ लैब (प्रा.) लिमिटेड, एस्की होम, 54, हनुमान रोड, नई दिल्ली	लैब
21.	दीवानचंद सत्यपाल अग्रवाल इमेजिंग रिसर्च सेंटर, 10-बी, कस्तूरबा, गांधी मार्ग, नई दिल्ली	सभी रेडियोलोजिकल जांचें और न्यूक्लियर मेडिसिन
22.	सरल एडवांस्ड डायग्नोस्टिक (पी.) लिमिटेड, ई-1073, सरस्वती विहार, पीतमपुरा एंड 2, शक्ति विहार, पीतमपुरा, दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, यू.एस.जी., सी.टी., एम.आर.आई. और प्रयोगशाला
23.	डा. सूरी लैब प्राइवेट लिमिटेड, 23-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
24.	डा. हांडा इमेजिंग सेंटर, 34-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	एक्सरे, ओ.पी.जी., यू.एस.जी., कलर डोप्लर, मेमोग्राफी
25.	मैक्स मेडसेन्टर-नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक, ए-2, 3 एंड 4, नेताजी सुभाष प्लेस वजीरपुर, जिला केन्द्र, दिल्ली-32	नैदानिक प्रयोजन
26.	एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली-25	कार्डियो वास्कुलर शल्य चिकित्सा, इन्वेसिव एवं नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी और पैडिट्रिक कार्डियोलॉजी
27.	इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली-44	सभी विकिरण विज्ञानी जांचें और न्यूक्लियर चिकित्साएं, लैप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा, डायलिसिस, मूत्र विज्ञान, अंग प्रतिरोपण (रीनल, जिगर) लिथोट्रिप्सी, ज्वायंट प्रतिस्थापन, रेडियेशन थिरेपी, कार्डियोलाजी, कार्डियक शल्य चिकित्सा, कार्डियो थोरेसिक, वास्कुलर शल्य चिकित्सा
28.	बत्रा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, 1, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-62	कार्डियक प्रक्रियाएं जैसे सी.ए.जी., सी.ए.बी.जी., पी.टी.सी.ए. ई.पी. स्टडी, कार्डियो वास्कुलर प्रक्रियाएं, एम.आर.आई., सी.टी., इमेजिंग, केमोथिरेपी और कैंसर रेडिएशन थिरेपी
29.	इंडियन स्पाइनल इन्ज्यूरी केन्द्र, 50-सी, बसंत कुंज, नई दिल्ली	विशिष्ट तथा नैदानिक (स्पाइनल इंजुरी, स्पाइन्स और फिजियोथिरेपी से संबद्ध रोग)
30.	पुष्पावती सिंघानियां रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रैस इन्क्लेव मार्ग, शेख सराय, नई दिल्ली-17	लीवर, रेनल और डायजेस्टिव रोग के लिए विशिष्ट प्रयोजन
31.	मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, 14, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन-कार्डियोलॉजी, कार्डियक एंड वास्कूलर सर्जरी और संबद्ध डायग्नोस्टिक
32.	द हार्ट सेंटर, 2, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली	नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया
33.	सेंटर फार साइट, ए-23, ग्रीन पार्क, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-16	आप्थलमोलोजी
34.	मजिदा अस्पताल, जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर,	डायग्नोस्टिक प्रयोजन
35.	जी.एम. मोदी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर फार मेडिकल साइंसेज, मंदिर मार्ग, प्रेस इन्कलेव के पास, साकेत, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया
36.	आर्थोनोवा हास्टिपल, सी-5/29, एस.डी.ए. के पीछे, मेन आई.टी.आई. गेट, नई दिल्ली-16	आर्थोपैडिक, ट्रामा एवं क्रिटीकल केयर
37.	वेनू आई इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, 1/31, शेख सराय इंस्टीट्यूटशनल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली	नेत्र संबंधी प्रयोजन
38.	प्रेसिजन डेन्टल केयर, सी-159, सरिता विहार, नई दिल्ली	कोस्मैटिक दंत चिकित्सा परिचर्या को छोड़कर, डे-केयर दंत चिकित्सा उपचार

1	2	3
39.	मैक्स मेडिकल सेंटर, एन-110, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-17	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी.टी., एम.आर.आई., मैमोग्राफी, यू.एस.जी., इको, होल्टर, पी.एफ.टी., आडियोमिट्री और स्पीच थेरेपी
40.	जी.एम.आर. इंस्टीट्यूट एंड एम.आर.आई. स्कैन सेंटर, ए-13, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	एम.आर.आई.
41.	ओरगन इमेजिंग रिसर्च सेंटर, ए-22, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली	सी.टी. और एम.आर.आई.
42.	डा. पी. भसीन पैथ लैब, एस.-13, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली	लैब
43.	एन.एम.सी. इमेजिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर (विमहांस कैम्पस), 1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नेहरू नगर, नई दिल्ली	सी.टी., एम.आर.आई., कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू.एस.जी. और लैब
44.	कर्नल पंत इमेजिंग सेंटर, ए-22, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	यू.एस.जी., मैमोग्राफी
45.	दिल्ली एम.आर. और सीटी स्कैन सेंटर, (एसलोक हास्पिटल), 25-ए/ए.बी., एस.जे. एन्क्लेव, नई दिल्ली	एम.आर.आई., सी.टी. और यू.एस.जी.
46.	बसंत विजन एक्स-रे और यू.एस.जी. क्लीनिक, टी-9/4, बसंत विहार, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू.एस.जी.
47.	स्पेशिलिटी रेनबेक्सी लिमिटेड, सी/ओ, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेन्टर, सेक्टर-सी., बसंत कुंज, नई दिल्ली	लैब
48.	कोहली इमेजिंग और डायग्नोस्टिक, 70, माउंट कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डोप्लर
49.	सांघी मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एस-51, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
50.	फोकस इमेजिंग और रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 47/1-2, मेन यूसूफ सराय मार्किट, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली	एम.आर.आई.
51.	डा. एम.एल. अग्रवाल एक्स-रे क्लीनिक, ए/1/150, सफदरजंग इन्कलेव नई दिल्ली	एक्सरे एवं यू.एस.जी.
52.	साऊथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे क्लीनिक, ए-44, हौज खास, नई दिल्ली	एक्सरे, ओ.पी.जी.यू.एस.जी., कलर डाप्लर, मैमोग्राफी।
53.	दी क्लीनिकल लैबोरेटरी, ई-13/9, वसंत विहार, नई दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
54.	आनन्द अस्पताल, 21, कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली	विकिरण चिकित्सा एवं हीमो-डायलिसिस
55.	धर्मशिला कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, धर्मशिला मार्ग, वसुंधरा इन्क्लेव, दिल्ली	कैंसर निदान, केमोथिरेपी, रेडियेशन, पैलिएटिव प्रक्रिया, पुनर्वास और सामान्य नैदानिक प्रयोजन
56.	गामी डायग्नोस्टिक सेंटर, गुजरात विहार, विकास मार्ग, दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
57.	डा. सविता जैन अरूण इमेजिंग सेंटर, डी-29, विवेक विहार, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू.एस.जी. और मेमोग्राफी, कलर डोप्लर और इको
	[redacted] दिल्ली	
59.	माता चानन देवी अस्पताल, सी-1, जनकपुरी, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन, विशिष्ट प्रयोजन और डायलिसिस, नान-इनवैसिव कार्डियक प्रोसिजर, डाग्नोस्टिक (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर)

1	2	3
60.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल, रोड सं. 35, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन डायलिसिस, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नान-इन्वेसिव कार्डियक प्रोसिजर आदि, डायग्नोस्टिक (# कार्डियक इनवेसिव प्रक्रिया और कार्डियक सर्जरी # 20 मार्च, 2004 से प्रभावी)
61.	राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली	कैंसर डायग्नोसिस, कैंसर केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी
62.	जयपुर गोल्डन हास्पिटल, 2, इंस्टीट्यूटशनल एरिया, रोहिणी, नई दिल्ली	सामान्य/विशेषज्ञ प्रयोजन (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर सी.ए.बी.जी., एंजीयोग्राफी तथा कार्डियो थोरेसिस सर्जरी सहित) और नैदानिक (सी.टी. छोड़कर)
63.	ब्रह्म शक्ति अस्पताल और रिसर्च सेंटर, यू-1/78, बुद्ध विहार, दिल्ली	सामान्य प्रयोजन उपचार
64.	नासा स्कैन सेन्टर, 38, पॉकेट-सी-9, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली	लेब, एक्सरे, यू.एस.जी., कलर डोप्लर, एम.आर.आई. को छोड़कर सी.टी.
65.	गणेश डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सेंटर, 109, पॉकेट-ए-1, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली	एक्सरे, यू.एस.जी. सी.टी., एम.आर.आई.
66.	सचदेवा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ई-991, सरस्वती विहार, दिल्ली	विशेष जांच सहित एक्सरे, यू.एस.जी., कलर डोप्लर, बोन डेन्सीटोमेटरी
67.	जनता एक्स-रे क्लीनिक, 4बी/5, तिलक नगर, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, सी.टी., एम.आर.आई., मैम्मोग्राफी, यू.एस.जी. और कलर डाप्लर, प्रयोगशाला एवं बोन डेन्सीटोमेट्री
68.	नेशनल सीटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, 17, एन.डब्ल्यू.ए. क्लब रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, सी.टी., प्रयोगशाला और कलर डोप्लर एवं इको
69.	सिटी एक्सरे एंड स्कैन सेंटर, 4बी/5, तिलक नगर, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, सीटी, मैम्मोग्राफी, यू.एस.जी. और कलर डोप्लर एवं प्रयोगशाला।
70.	कल्याणी अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड, 354/2, मेहरौली रोड, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
71.	डा. तनेजा अस्पताल एवं हार्ट सेंटर, 113-ए, न्यू कालोनी, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
72.	शीतला अस्पताल और आई इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, डी.एस.टी. कालेज के पास, नई रेलवे रोड, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन
73.	उमकल हास्पिटल एण्ड एम.पी. हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए-520, सुशान्त लोक-1, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया
74.	माडर्न डायग्नोस्टिक और रिसर्च सेंटर, 363/4, न्यू रेलवे रोड, गुड़गांव (जवाहर नगर)	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी.टी. और लैब
75.	उमा संजीवनी हेल्थ सेन्टर, 1, दक्षिण मार्ग, डी.एल.एफ. सिटी फेज-II, गुड़गांव	नैदानिक प्रयोगशाला (लैब)
76.	नरेन्द्र मोहन अस्पताल, मोहन नगर, गाजियाबाद	सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन जिनमें नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया कार्डियक सर्जरी शामिल है और नैदानिक
77.	संतोष मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अस्पताल, 1, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
78.	यू.पी. स्टोन एंड यूरोलॉजी सेंटर, II-ए/40, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001	लिथोट्रिप्सी

1	2	3
79.	मेट्रो अस्पताल एवं हार्ट इस्टीट्यूट, X-1, सेक्टर-12, सी-94, सेक्टर-11, नोएडा	सामान्य और विशिष्ट प्रयोजन-कार्डियोलोजी, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक प्रक्रियाएं
80.	कैलाश अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक, नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया (# कार्डियक इनवेसिव प्रक्रिया और कार्डियक सर्जरी # 20 मार्च, 2004 से प्रभावी)
81.	सत्या मेडिकल सेंटर, ए-98/ए, सेक्टर-34, नोएडा	केवल सामान्य प्रयोजन
82.	प्रकाश अस्पताल, डी-12, 21ए, 12बी., सेक्टर-33, नोएडा	सामान्य प्रयोजन
83.	नोएडा डायग्नोस्टिक सेंटर, डी-4, सेक्टर नं. 20, नोएडा	कन्वेंशनल रेडियोलोजी एंड लैब
84.	एस्कोर्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर लि. नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद	सामान्य/विशेषज्ञ प्रयोजन तथा नैदानिक प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर
85.	फरीदाबाद सी.टी. स्कैन सेंटर, नीलम चौक, फरीदाबाद	सी.टी.

उपरोक्त शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची जहां पर के.स.स्वा.यो. निदेशालय के आदेशों के अनुसार के.स.स्वा.यो. लाभार्थियों का रैफर करना बंद कर दिया गया है

1.	नार्थ प्वाइंट अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड, एस. 357, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	लिथोट्रिप्सी
2.	नोएडा मेडिकेयर सेंटर, 16-सी, ब्लाक-ई, सेक्टर-30, नोएडा	सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन और नैदानिक, नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया
3.	श्री राम सिंह अस्पताल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, बी-25-26-26ए, ईस्ट कृष्णा नगर, दिल्ली	केवल सामान्य प्रयोजन के लिए
4.	आर.बी. सेठ जेसा राम और ब्रादर्स चैरिटेबल अस्पताल, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन
5.	मिलेनियम अस्पताल, बी-1/1, पूसा रोड, नई दिल्ली	सामान्य तथा नैदानिक प्रयोजन
6.	आर.जी. स्टोन यूरोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफ-7, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	लिथोट्रिप्सी, इण्डो-यूरोलाजी सर्जरी, होलमियम लेजर सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी
7.	सरोज अस्पताल, मधुबन चौक, रोहिणी, दिल्ली-85	सामान्य प्रयोजन, नैदानिक और नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया
8.	मिलेनियम बोन डेन्सिटोमेट्री एंड ओस्टियोपोरोसिस रिसर्च सेंटर, 47, पूसा रोड, नई दिल्ली	बोन डेनसिटोमिट्री
9.	डा. चोपड़ा बोन डेनसिटोमेट्रो सेंटर और लैब, 2, राजौरी पैलेस, जे1/162, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली	बोन डेनसिटोमेट्री

सी.जी.एच.एस. डाक्टरों की सेवाओं को सुधारना

2460. श्री एम. अप्पादुरई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.जी.एच.एस. औषधालयों में मरीजों के उपचार हेतु डाक्टरों की सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) आधुनिक और अद्यतन उपकरणों के उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रयोगशाला तकनीशियनों की कमी है तथा ऐसी प्रयोगशालाओं में उपकरणों का समुचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण, निरीक्षणों और मार्ग निर्देशन के माध्यम से डाक्टरों की सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) औषधालय स्तर पर अपेक्षित उपकरण पहले से ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पोलिक्लिनिकों, सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों में सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में प्रयोगशाला तकनीशियनों की कोई गंभीर कमी नहीं है और इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रयोगशालाओं में उपकरणों के उचित रख-रखाव में कोई प्रमुख बाधा नहीं है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

पेशेवर रक्तदान कर्ता

2461. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पेशेवर रक्तदान कर्त्ताओं से रक्त खरीदने पर रोक लगाए जाने के बावजूद दिल्ली के अधिकांश अस्पतालों में पेशेवर रक्तदानकर्त्ता गैंग अस्पताल कर्मियों, स्थानीय पुलिस और निकटवर्ती प्रयोगशालाओं के साथ मिलीभगत करके सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अस्पतालों में प्रत्येक समूह के रक्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) दिल्ली में रक्त की प्रतिदिन खपत कितनी है तथा रक्तदान कर्त्ताओं से प्रतिदिन कितनी मात्रा में रक्त एकत्रित किया जाता है;

(ङ) शेष रक्त के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गयी है;

(च) दिल्ली में चल रहे रक्त कोषों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उनके विरुद्ध प्राय: प्राप्त होने वाली शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) दिल्ली के कुछ रक्त बैंकों में व्यावसायिक रक्तदाताओं के अब भी सक्रिय होने की मीडिया की खबर है। ऐसी घटनाओं के संज्ञान में आते ही स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के औषध नियंत्रक द्वारा छानबीन भी की गयी है। साक्ष्य के अभाव में इन खबरों को निराधार पाया गया।

(ग) दिल्ली में दिल्ली के रोगियों के रक्त संचयन और निर्गमन के लिए आठ क्षेत्रीय रक्त केन्द्र हैं। दिल्ली सरकार ने सभी धर्मार्थ अस्पतालों और पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा संचालित रक्त बैंकों को स्वैच्छिक रक्त कैम्प लगाने और स्वेच्छा से रक्तदान में वृद्धि करने हेतु अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली में प्रतिवर्ष लगभग 3.25 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता है। वर्ष 2003 में 3,26,861 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ था। कुछ दुर्लभ रक्त समूह के रक्त को छोड़कर रक्त की कोई कमी नहीं है।

(च) दिल्ली में लाइसेंस प्राप्त कुल 45 रक्त बैंक हैं, जिनमें से 8 केन्द्र सरकार, 7 दिल्ली सरकार, 3 दिल्ली नगर निगम, 18 प्राइवेट कारपोरेट/ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों के अधीन और 7 निराश्रय रक्त-बैंक हैं। 45 रक्त-बैंकों में से 8 रक्त-बैंक क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं। 28 रक्त-बैंकों में तत्व पृथक्करण की सुविधा है।

(छ) कुछ मीडिया खबरों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु लक्ष्य

2462. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 हेतु देश में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जेटियों और जहाज-घाटों का निर्माण

2463. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पश्चिम बंगाल में किसी जेटी और जहाज-घाटों का निर्माण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में निर्मित अथवा निर्माणाधीन ऐसे जहाज-घाटों के स्थान और उन पर आयी लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार नदियों के किनारे ऐसे विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो अंतर्देशीय जल यातायात हेतु ऐसे विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अंतर्देशीय जल-मार्ग-प्राधिकरण ने हावड़ा पर लगभग 21 लाख रु. की लागत पर एक तैरती जेटी का निर्माण करवाया है। कोलकाता में गार्डन रीच (बी.आई.एस.एन.) पर लगभग 60 लाख रु. की लागत पर एक अन्य तैरती जेटी निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, हल्दिया पर एक और तैरता टर्मिनल मौजूद है, जिसका रख-रखाव, भारतीय अंतर्देशीय जल-मार्ग-प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय जलमार्गों पर बुनियादी सुविधाओं के ढांचे का विकास, भारतीय अंतर्देशीय जल-मार्ग-प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ऐसे विकास-कार्य के संबंध में केन्द्र-सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को सहायता मुहैया करवाई जाती है। इस क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जाना भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अभिघात केन्द्रों की स्थापना

2464. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों का उपचार करने हेतु अभिघात केन्द्र स्थापित करने की एक योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने भी इस संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह योजना कब से सरकार के पास विचाराधीन है;

(च) इस योजना को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा; और

(छ) विलम्ब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में व्यापक अभिघात परिचर्या केन्द्र स्थापित कर रही है। इसके अलावा, दिल्ली में अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अभिघात रोगियों का उपचार करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत (i) सुश्रुत अभिघात केन्द्र और (ii) आपात अनुभाग, लोकनायक अस्पताल के आपाती और अभिघात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता मांगने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सरकार ने प्रस्ताव की जांच की है और इसका वित्तपोषण, निधियों की उपलब्धता और तकनीकी मूल्यांकन के अध्यधीन है।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर उद्योग को प्रोत्साहन

2465. श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री अनन्त नायक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को चीन और अन्य देशों के तीव्र गति से विकास कर रहे सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु बुनियादी ढांचा विकसित करते समय, केन्द्र सरकार इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय आबंटन में सॉफ्टवेयर निर्यात को ध्यान में नहीं रख रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने तथा इसे अन्य देशों के समकक्ष लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सॉफ्टवेयर विकास तथा सेवा के क्षेत्र में अग्रणी वर्चस्व प्राप्त है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आई.टी.ई.एस.)/व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) शामिल हैं। इसे इस समय चीन तथा तेजी से विकसित हो रहे अन्य केन्द्रों से किसी प्रकार की कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किंतु, भविष्य में ऐसे देशों से प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है जिसके प्रति सरकार तथा उद्योग दोनों ही सतर्क हैं ताकि आवश्यकतानुसार समुचित उपाय किए जा सकें।

(ग) और (घ) ऐसा कोई मुद्दा इस विभाग की जानकारी में नहीं आया है। सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने तथा इसे अन्य देशों के समतुल्य स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने तथा अन्य देशों के समतुल्य स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/किए गए उपाय

1. व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।
2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20% पर बनी हुई है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफरलों पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, माइक्रोप्रोसेसरों, डेटा

प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक पुर्जों पर 0% जारी है। कम्प्यूटरों के पुर्जों तथा स्विच मोड विद्युत आपूर्ति (एस.एम.पी.एस.) को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आई.टी.ए.-1) में शामिल वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्रतिबद्धता के अनुसार है। आसबाब के रूप में लाए गए लैपटॉप को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क को 8% से घटाकर 0% कर दिया गया है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

3. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ई.पी.सी.जी.) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है।

4. निर्यात उन्मुखी इकाई (ई.ओ.यू.)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.)/विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) योजनाओं के अन्तर्गत सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

6. निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

7. समर्थनकारी सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को धारा एच.एच.ई. के लाभ प्राप्त हैं।

8. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सी.आई.एस./उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आई.एस.ओ. 9000 (शृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में निर्यात गृहङ का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ई.ई.एफ.सी.) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

9. किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजी निवेश से उद्यम पूंजी कम्पनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

10. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

11. विदेशी बाजारों का अधिक लाभ प्राप्त करने तथा भारतीय उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे व्यापारिक प्रतिबंधों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता (जी.टी.ई.एस.) के अनुसार बातचीत के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं।

टॉक्सिन प्रभावित बच्चे

2466. श्री के.एस. राव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फैक्ट फाइन्डिंग मिशन, भोपाल द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि टॉक्सिन पीड़ित लोगों के प्रभाव स्तनपान के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंच गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण में पाए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों के एक लाख से अधिक बच्चों को अभी भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-अफ्रीकी उपग्रह-नेटवर्क

2467. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अफ्रीकी देशों को टेली-एजुकेशन, टेली-मेडीसिन और ई-सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से सीमलेस और इंटीग्रेटेड सेटेलाइट फाइबर आप्टिक्स प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने सितम्बर, 2004 में दक्षिण अफ्रीका में अपने दौरे/के दौरान घोषणा की कि भारत सरकार ने दूर शिक्षण, दूर औषधि तथा ई-सेवाओं के लिए 53 अफ्रीकी देशों को जोड़ने के लिए सीवनहीन तथा एकीकृत उपग्रह, तंतु प्रकाशिक और बेतार नेटवर्क उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। अगले तीन वर्षों के भीतर नेटवर्क के स्थापित होने की उम्मीद है तथा इस नेटवर्क में भाग लेने वाले सभी अफ्रीकी राष्ट्र पूर्ण लाभ उठा पाएंगे।

साझी सुरक्षा चुनौतियों पर सेमिनार

2468. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2004 में दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित हुआ था जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने साझी सुरक्षा चुनौतियों और जवाबी कार्रवाईयों पर विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो वह क्या संयुक्त सेमिनार भारत और अमरीका ने आयोजित किया था;

(ग) क्या हां, तो इस सेमिनार में किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गयी थी;

(घ) क्या इसमें कोई ठोस निर्णय लिए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये सुरक्षा से संबंधित आकस्मिक स्थितियों से निपटने में किस हद तक भारत के लिए मददगार साबित होंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी हां। भारतीय सेना और यू.एस. आर्मी पैसिफिक कमाण्ड ने संयुक्त रूप से 6-10 सितम्बर, 2004 के बीच प्रशांत सेना प्रबंधन विचारगोठी XXVIII का सह आयोजन किया।

(ग) जबकि विचारगोष्ठी का मुख्य विषय बदलते हुए परिवेश में क्षेत्रीय सहयोग था, तथापि निम्नलिखित विषयों पर भी चर्चा हुई:-

(i) आगामी दशक में सुरक्षा परिवेश का निर्धारण।

(ii) सेना पर विषम और गैरपरम्परागत खतरों के प्रभाव की पहचान।

(iii) समान सुरक्षा चुनौतियों के निवारण हेतु सहयोग प्रदान करना।

(iv) भावी सुरक्षा चुनौतियों के लिए सहयोगात्मक प्रतिक्रिया विकल्पों की पहचान।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह विचारगोष्ठी समान सुरक्षा चुनौतियों को समझने और उनके मूल्यांकन में सुधार लाने तथा उनके लिए उपक्रम करने में सहायक हुई।

ओक्सीटोसीन का निर्माण

2469. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओक्सीटोसीन का दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ पशु से उसके बच्चे का स्तनपान छुड़ाने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है जो प्रतिबंधित ओक्सीटोसीन का निर्माण कर रही है?

स्वास्थ्य और परिधार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) ओक्सीटोसीन इंजेक्शन जो प्रसव को प्रेरित करने और प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन (यूट्रीन कंट्रेक्शन) को उद्दीपित करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, का पशुओं से दूध निकालने के लिए दुरुपयोग किए जाने की सूचना मिली है। प्राधिकृत पाठों के अनुसार, ओक्सीटोसीन को मेटाबोलाइज किया जाता है और शरीर के अंदर तोड़ दिया जाता है और सक्रिय औषध दूध के जरिए स्रावित नहीं होता है और इसलिए यह भ्रूण अथवा बछड़ा/बछड़ी में नहीं जा सकता।

(ख) और (ग) पशु चिकित्सा व्यावसायों में ओक्सीटोसीन के दुरुपयोग/बिक्री को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:-

1. सभी राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को बल्क ओक्सीटोसीन इंजेक्शन के विनिर्माताओं को कच्ची सामग्री केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं को बेचने और संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को ऐसी बिक्री की आवधिक रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश देने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।
2. सभी राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सभी ओक्सीटोसीन विनिर्माताओं को उत्पादन और वितरण की त्रैमासिक रिपोर्टें संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों/भारत के औषध महानियंत्रक को सौंपने के निर्देश देने की सलाह दी गई है।

3. सभी राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि ओक्सीटोसीन इंजेक्शन की बिक्री पशुचिकित्सा उपयोग के लिए खुदरा दुकानों के माध्यम से पंजीकृत पशुचिकित्सा प्रेक्टिशनरों के नुक्शे पर ही की जानी चाहिए।

4. ओक्सीटोसीन इंजेक्शन की पूर्व निर्धारित बड़ी पैकिंग जिसमें 50-100 एम्पुल होते हैं जिनका दुधारू पशुओं में दुरुपयोग होता है, की बजाए एकल ब्लिस्टर पैक में ओक्सीटोसीन इंजेक्शन के पैक साइज को सम्मिलित करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली को संशोधित किया गया है।

औषध नियंत्रक, चंडीगढ़, प्रशासन (यू.टी.) से उपलब्ध सूचना के अनुसार, दो फर्मों नामत: मैसर्ज बी.एम. फार्मास्यूटिकल्स और मैसर्ज संसार, फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में ओक्सीटोसीन इंजेक्शन (वेटेरनरी) के विनिर्माण की अनुमति रद्द कर दी गई है।

पाकिस्तान के साथ नए प्रवेश मार्ग

2470. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ नए प्रवेश मार्गों को खोलने से संबंधित मामले पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभाव का भी आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए किन-किन मार्गों को चिन्हित किया गया है तथा पाकिस्तान के साथ हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ङ) दोनों देशों के बीच संपर्क संवर्द्धित करने तथा व्यापार और पारगमन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने सुरक्षा पहलु सहित अन्य पहलुओं पर यथोचित विचार करने के पश्चात् व्यापार और पारगमन के लिए नये मार्ग खोलने का प्रस्ताव रखा है जिनमें शामिल है: पाकिस्तान के समक्ष मुन्नाबाओ (राजस्थान) और खोकरापार (सिंध) के बीच रेल/सड़क संपर्क, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा और अटारी-वाघा भू-मार्ग खोला जाना।

मुन्नाबाओ और कोकराझार के बीच बस सेवा आरंभ करने के लिए 9-10 मार्च, 2004 तक इस्लामाबाद में तकनीकी स्तर की बैठक हुई। चर्चा जारी रखने के लिए दोनों पक्ष पुन: मिलने पर सहमत हुए। जून 2004 में हुई विदेश सचिव स्तरीय बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने सुझाव दिया कि इन स्थानों के बीच रेल संपर्क आरंभ करना उनके लिए आसान होगा। इस मसले पर चर्चा करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों के बीच तकनीकी स्तर की बैठक 2-3 दिसम्बर तक इस्लामाबाद में हुई। इस बैठक के दौरान भारत ने अक्तूबर, 2005 तक मुन्नाबाओ और कोकराझार के बीच रेल सेवा आरंभ करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक इस समय-सीमा को स्वीकार नहीं किया है। बैठक के बाद 3 दिसम्बर, 2004 को जारी किये गये एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने प्रस्तावित रेल संपर्क को शीघ्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच दोनों पक्षों द्वारा रेल संपर्क को प्रचालित करने के लिए रेल ट्रैक और अन्य संबंधित अवसंरचना का निर्माण करने सहित अन्य विशेष प्रकार के कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच प्रस्तावित बस सेवा आरंभ किये जाने से जुड़े सभी मसलों पर चर्चा करने के लिए बैठक 7-8 दिसम्बर, 2004 तक आयोजित की गयी। दोनों पक्षों ने प्रस्तावित संपर्क शीघ्र स्थापित किये जाने की दिशा में अपनी वचनबद्धता दोहरायी और इसके प्रचालन से जुड़े सभी पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया। अगली बैठक, जो आपस में सहमत तारीखों पर होगी, में चर्चा को जारी रखने पर सहमति हुई। इस मार्ग में यात्रा के लिए उपयोग में लाये जाने वाले दस्तावेजों के मसले सहित अन्य मसलों पर अभी भी मतभेद हैं।

जम्मू-सियालकोट मार्ग को खोलने के संबंध में तकनीकी स्तर की चर्चा की अभी तक सहमति नहीं हुई है।

पाकिस्तान ने अभी-तक व्यापार और पारगमन के लिए अटारी-वाघा भू-मार्ग खोलने के प्रस्ताव पर सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों में रोजगार हेतु कार्य योजना

2471. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि और ग्रामीण उद्योगों में रोजगार सृजित करने हेतु एक कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस कार्य योजना को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) कृषि तथा ग्रामोद्योगों में अधिक रोजगार के सृजन के लिए, केंद्र सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत दसवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन का

लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्यक्रम के तहत, एक उद्यमी अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहयोग और किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करके कृषि तथा ग्रामोद्योग स्थापित कर सकता है। मार्जिन मनी सहयोग निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

आर.ई.जी.पी. के तहत मार्जिन मनी सहयोग

क्रम संख्या	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहयोग
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
2.	अनु.जा./अनु. जनजा./ महिलाएं/पूर्व-सेवाकर्मी/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत
3.	सामान्य	10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	2.5 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत
4.	अनु.जा./अनु. जनजा./ महिलाएं/पूर्व-सेवाकर्मी/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	3 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत

दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में आर.ई.जी.पी. के तहत 8.32 लाख रोजगार अवसर सृजित किए जा चुके हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2004-05 के लिए 5.25 लाख रोजगारों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केंद्रों (डी.आई.सी.) और बैंकों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत, योग्य शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार उपक्रम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। पी.एम.आर.वाई. के तहत, केंद्र सरकार हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सौंपे गए रोजगार अवसरों के सृजन के लक्ष्यों के आधार पर सब्सिडी, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (ई.एफ.पी.), आकस्मिकताओं आदि के लिए फंड आबंटित करती है। सब्सिडी के लिए केंद्रीय फंड भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं जो बदले में उन्हें कार्यान्वयक बैंकों को जारी करता है ताकि प्रत्येक लाभार्थी के ऋण खाते में राशि को क्रेडिट किया जा सके। इस योजना के तहत, व्यवसाय क्षेत्र में 1 लाख रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाएं और अन्य क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाएं सहयोग की हकदार हैं। सब्सिडी राशि परियोजना लागत का 15 प्रतिशत और अधिकतम 7,500 रुपये तक है। हकदार व्यक्ति एक पार्टनरशिप में साथ मिलकर 10 लाख रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी का मार्जिन मनी सहयोग परियोजना लागत का 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत है, ताकि सरकारी सब्सिडी और मार्जिन मनी में लाभार्थी का अपना योगदान मिलकर परियोजना लागत का 20 प्रतिशत के बराबर हो।

देश में दसवीं योजना अवधि के लिए पी.एम.आर.वाई. के तहत 16.5 लाख रोजगारों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दसवीं योजना के पहले दो वर्षों, यानी 2002-03 और 2003-04 में, 5.44 लाख रोजगार अवसर पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। 2004-05 के लिए 3.75 लाख रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मीडिया लैब एशिया

2472. श्री पवन कुमार बंसल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीडिया लैब एशिया को ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को ले जाने के लिए पिछली सरकार का मुख्य महत्वाकांक्षी कार्यक्रम माना गया था;

(ख) क्या बाद में इसे छोड़ दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर कुल कितनी लागत आयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत सरकार द्वारा मीडिया लैब एशिया की स्थापना साधारण जनता के लिए उपयोगी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं उद्भवन करने और उद्भवनों तथा उत्पादों का प्रदर्शन परीक्षण/क्षेत्र में प्रायोगिक नियोजन द्वारा करने के लिए की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मीडिया लैब एशिया के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक 65.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

अनिवासी भारतीय हेतु 23-सूत्री कार्यक्रम

2473. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों हेतु एक व्यापक एकल खिड़की सुविधा, विशेष न्यायालय तथा एक 23-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है जो अनिवासी भारतीयों से संबंधित आवश्यक मुद्दों को निपटाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार अनिवासी भारतीयों को और अधिक व्यवस्थित रूप में सहायता देने में किस हद तक सफल रही है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार, प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की स्थापना, विदेशी भारतीय नागरिकता की घोषणा, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवासी भारतीय बीमा योजना के कार्यान्वयन, भारत के साथ सम्पर्कों को और बढ़ाने के लिए अप्रवासी भारतीयों को संस्कृति, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोकोपकार आदि के क्षेत्रों में शामिल करने अप्रवासी भारतीयों की सहायता करने के लिए कार्रवाई कर रही है।

[हिन्दी]

सिम कार्डों की कालाबाजारी

2474. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बी.एस.एन.एल. कार्डों की कमी के कारण सिम कार्डों की कालाबाजारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के संबंध में ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभाग के कर्मचारी ऐसी कालाबाजारी में संलिप्त हैं; और

(च) यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश (पूर्व), बिहार, झारखंड इत्यादि राज्यों से सिम कार्डों की कालाबाजारी संबंधी कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी, हां। बी.एस.एन.एल. उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल में ऐसी शिकायतें ध्यान में आई हैं।

(घ) गोंडा जिले में दो (2) तथा लखीमपुर, गोरखपुर, हरदोई, लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, हमीरपुर तथा आजमगढ़ जिलों में प्रत्येक में एक-एक (1) मामले का पता चला है।

(ङ) बी.एस.एन.एल. के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

2475. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची में से लक्ष्यों के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी टेलीफोन एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) बी.एस.एन.एल. में एक्सचेंज-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान 30.11.2004 तक बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में 2874 कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 30.11.2004 की स्थिति के अनुसार इन जिलों की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या 5146 है।

(ख) लागू नहीं होता। तथापि एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) (i) लंबित प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए बारामूला, बांदीपुरा, गुलमर्ग, कुपवाड़ा और सोपोर में डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलेस इन लोकल लूप) उपस्कर संस्थापित किया गया है। स्थिर वायरलेस टर्मिनलों (एफ.डब्ल्यू.टी.) के आदेश दिए गए हैं।

(ii) प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित स्थानों पर डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलेस इन लोकल लूप) उपस्कर संस्थापित करने की योजना बनाई गई है:-

1. पाट्टन, 2. सिंगपोरा, 3. वागूरा, 4. बोमाई, 5. कंजेर, 6. सुम्बल, 7. रोहामा, 8. गड़खुद, 9. उड़ी, 10. क्रालपोरा, 11. सोगाम।

इन स्थानों के लिए उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण

बारामूला और कुपवाड़ा में एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज	जिला	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	बांदीपुर	बारामूला	375
2.	बारामूला	बारामूला	257

1	2	3	4
3.	बाटिंगो	बारामूला	173
4.	बोमाई	बारामूला	236
5.	बोनियार	बारामूला	71
6.	फतेहगढ़	बारामूला	118
7.	गड़खुद	बारामूला	284
8.	गोशबुग	बारामूला	181
9.	गुलमर्ग	बारामूला	45
10.	गुरेज	बारामूला	55
11.	हाजिन	बारामूला	267
12.	कुंजेर	बारामूला	239
13.	पाट्टन	बारामूला	156
14.	रोहामा	बारामूला	297
15.	सिंघपोरा	बारामूला	231
16.	सोगाम	बारामूला	88
17.	सोपोर	बारामूला	777
18.	सुम्बल	बारामूला	92
19.	उड़ी	बारामूला	123
20.	हंडवाड़ा	कुपवाड़ा	107
21.	क्रालपोरा	कुपवाड़ा	300
22.	कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	73
23.	तंगधर	कुपवाड़ा	146
24.	त्रेहगाम	कुपवाड़ा	168
25.	वागूरा	बारामूला	168
26.	वतरीगाम	बारामूला	119
		कुल	5146

[हिन्दी]

औषधियों के आयात हेतु अनुमति

2476. श्री सीताराम सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा मानवों पर परीक्षण करने के लिए औषधियों के आयात के मामले में केन्द्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) परीक्षण, जांच अथवा विश्लेषण के लिए औषधों के आयात से संबंधित औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 33 के अधीन परीक्षण, जांच अथवा विश्लेषण के प्रयोजन के लिए उन औषधों, जिनका आयात अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अन्यथा प्रतिबंधित है, का आयात थोड़ी मात्रा में किया जा सकता है। आवेदक को क्लिनिकल परीक्षण के प्रयोजन के लिए थोड़ी मात्रा में औषधों/दवाओं के आयात के लिए निर्धारित फीस के साथ फार्म-12 में आवेदन करना अपेक्षित है। ऐसे प्रयोजन के लिए औषधों का आयात उन्हें औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अन्तर्गत फार्म 11 में लाइसेंस जारी करने के बाद ही किया जा सकता है।

बिहार और झारखंड में मोबाइल कनेक्शन

2477. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू वर्ष में सेलवन और अन्य कंपनियों द्वारा प्रत्येक राज्य में विशेषकर झारखंड और बिहार में कितने मोबाइल कनेक्शन प्रदान कराए गए हैं;

(ख) क्या मोबाइल सेवाओं की मांग और आपूर्ति में असमानता है और मोबाइल कनेक्शन की अनुपलब्धता के कारण सिम कार्डों की कालाबाजारी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार बिहार दूरसंचार सेवा क्षेत्र के (झारखंड राज्य सहित) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल कनेक्शनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) देश के कुछ भागों में बी.एस.एन.एल. के प्री-पेड मोबाइल कनेक्शनों की मांग और आपूर्ति में अंतर है। इस अंतर को पूरा करने की दृष्टि से बी.एस.एन.एल. ने बिहार के लिए 4.55 लाख लाइनों सहित 12 मिलियन सेल्युलर लाइनो का और झारखंड के लिए 2.5 लाख लाइनों का क्रय आदेश दे दिया है। उसके बाद मांग पर मोबाइल कनेक्शन प्रदान करना संभव हो जाएगा। किसी प्रकार की शिकायत से बचने के लिए बी.एस.एन.एल. ने कुछ सेवा क्षेत्रों में सूची रखना शुरू कर दिया है। अन्य लाइसेंसधारकों की ओर से मांग और आपूर्ति में असमानता होने की सूचना नहीं मिली है।

विवरण

बिहार (झारखंड सहित) सेवा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) प्रचालकों द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल सेवा की स्थिति नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	लाइसेंस प्रदान करने की तारीख	सेवा शुरू करने की तारीख	31.03.02 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या	31.03.03 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या	31.03.04 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या	31.10.04 स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या
1.	मै. रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लिमिटेड	12.12.1995	20.11.1997	1,15,059	1,84,212	2,57,912	3,08,918
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	21.03.2003	26.01.2002	8,056	76,325	2,57,653	3,73,823

बिहार (झारखंड सहित) दूरसंचार सेवा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) प्रचालकों द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल सेवा की स्थिति नीचे दी गई है:-

(i) मैसर्स रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड ने एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) के तहत बिहार दूरसंचार सर्किल में वर्ष 2003 में मोबाइल सेवा शुरू की थी। 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार मै. रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड के मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 1,65,077 है।

(ii) मैसर्स डिशनेट डी.एस.एल. लिमिटेड ने बिहार में अभी तक मोबाइल सेवा की शुरूआत नहीं की है।

(iii) मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में बिहार में जमशेदपुर में 27.11.2004 को सेवाएं शुरू की हैं और 30.11.2004 की स्थिति के अनुसार उनके उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1000 है।

(iv) मैसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड ने बिहार में अभी तक मोबाइल सेवा की शुरूआत नहीं की है।

[अनुवाद]

मान्यताप्राप्त सी.जी.एच.एस. अस्पतालों की संख्या

2478. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री के.सी. पलनिसामी:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत वर्तमान में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों और डायगोनोस्टिक केन्द्रों के क्या नाम हैं;

(ख) सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं के स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों की बढ़ती आवश्यकताओं से विशेषकर फरीदाबाद में इससे कितनी मदद मिलेगी;

(घ) क्या गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सरकार द्वारा सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए सी.जी.एच.एस. के अधीन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की संख्या बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में सरकार के कर्मचारियों के लाभ हेतु ऐसे और अधिक अस्पतालों को मान्यता देने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों में प्रयोगशाला, रेडियोलोजिकल और अन्य संबंधित नैदानिक प्रक्रियाओं सहित विशेषज्ञ परामर्श, बहिरंग रोगी विभाग सेवाएं और अंतरंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अंतरंग उपचार/नैदानिक

प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए अनुमति प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर किए गए शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लगभग 700 निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किए हैं। ये कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं।

यद्यपि फरीदाबाद सटेलाइट नगर में केवल एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र है, फिर भी इस क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी किसी भी सरकारी अस्पताल अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र से अंतरंग उपचार/नैदानिक प्रक्रियाओं के लिए सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) गुजरात में अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और तमिलनाडु में चैन्नई शहर, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए उक्त प्रत्येक शहर में केन्द्रीय सरकार स्थास्थ्य योजना मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्र पर्याप्त संख्या में सुलभ हैं जो नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों का नाम	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों की संख्या	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मान्यताप्राप्त नैदानिक केन्द्रों की संख्या
अहमदाबाद	5	1
कोलकाता	15	16
चैन्नई	35	6

(च) से (ज) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने मार्च-अप्रैल, 2004 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को नई मान्यता देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। निविदाओं में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थी अस्पताल नैदानिक केन्द्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने के लिए मेरिट के आधार पर विचार किए जाने के पात्र होंगे।

चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता देने की प्रक्रिया समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें अभ्यर्थी अस्पतालों का निरीक्षण तथा तत्पश्चात् आवश्यक प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुदान प्राप्त किया जाना इत्यादि शामिल होते हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों की नई सूची निकालने के लिए इस समय कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर का नाम: दिल्ली, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं

क्रमांक	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त अस्पताल/नैदानिक केन्द्र का नाम	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन निम्नलिखित के लिए मान्यता प्राप्त
1	2	3
1.	सर गंगाराम अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल रोड, नई दिल्ली-60	कार्डियोलोजी, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक प्रक्रियाएं, रीनल प्रक्रिया, रीनल ट्रांसप्लान्टेशन, गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी प्रक्रियाएं, लीवर, ट्रांसप्लान्टेशन और जेनेटिक लैब प्रक्रियाएं
2.	सुंदर लाल जैन अस्पताल, अशोक विहार फेज-III, नई दिल्ली	सामान्य, विशिष्ट प्रयोजन (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर) और नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	तीरथ राम शाह अस्पताल, तीस हजारी के निकट, बौटरी लेन, दिल्ली	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
4.	संत परमानन्द अस्पताल, 18, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर नैदानिक
5.	जीवन माला अस्पताल, 67/1, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर नैदानिक
6.	मोहन नेत्र संस्थान, 11-बी, गंगा राम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन-आप्थेलमोलॉजी

1	2	3
7.	केसर अस्पताल, ए.एच.-11, शालीमार बाग, दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन मिनिमम इनवेसिव सर्जरी (लेप्रोस्कोपिक)
8.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल, ब्लाक डी, अशोक विहार, फेस-I, दिल्ली-52	भौतिक-चिकित्सा, पराम्परागत विकिरण विज्ञान एवं लेब
9.	जीवन नर्सिंग होम और अस्पताल, 2-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	केवल प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा सामान्य सर्जरी
10.	न्यू दिल्ली स्कैन इंस्टीट्यूट. (सर गंगाराम अस्पताल) राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	सी.टी.
11.	नार्थ एम.आर. स्कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर गंगाराम अस्पताल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	एम.आर.आई.
12.	महाजन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड बोन डेन्सिटोमेट्रो सेंटर, सर गंगाराम अस्पताल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	न्यूक्लियर चिकित्सा एवं बोन डेंसिटोमेट्री
13.	सी.डी. डायग्नोस्टिक (सुंदर लाल जैन अस्पताल), अशोक विहार, फेज-III, दिल्ली	सी.टी.
14.	मेट्रो हैल्थ केयर सेंटर (तीरथ राम शाह अस्पताल) तीस हजारी के नजदीक, बैटरी लेन, नई दिल्ली	सी.टी.
15.	सिद्धार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, सिद्धार्थ कैट स्कैन स्पेसिलिटी, 2169, शादी खामपुर, मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	यू.एस.जी., सी.टी. और प्रयोगशाला
16.	शालीमार डायग्नोस्टिक सेंटर, ए.डी.-130ए, शालीमार बाग, दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान और प्रयोगशाला
17.	डा. एस.एस. डोडा अल्ट्रासाउंड सेंटर, 23-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, यू.एस.जी. और मैम्मोग्राफी
18.	जी.एम.आर. इंस्टीट्यूट आफी इमेजिंग एंड रिसर्च सेंटर, 35-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	सी.टी. और एम.आर.आई.
19.	नार्थ दिल्ली पैथ क्लिनिक, 56-ए, कमला नगर, दिल्ली	प्रयोगशाला
20.	डा. लाल पैथ लैब (प्रा.) लिमिटेड, एस्की होम, 54, हनुमान रोड, नई दिल्ली	लैब
21.	दीवानचंद सत्यपाल अग्रवाल इमेजिंग रिसर्च सेंटर, 10-बी, कस्तूरबा, गांधी मार्ग, नई दिल्ली	सभी रेडियोलोजिकल जांचें और न्यूक्लियर मेडिसिन
22.	सरल एडवांस्ड डायग्नोस्टिक (पी.) लिमिटेड, ई-1073, सरस्वती विहार, पीतमपुरा एंड 2, शक्ति विहार, पीतमपुरा, दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, यू.एस.जी., सी.टी., एम.आर.आई. और प्रयोगशाला
23.	डा. सूरी लैब प्राइवेट लिमिटेड, 23-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
24.	डा. हांडा इमेजिंग सेंटर, 34-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	एक्सरे, ओ.पी.जी., यू.एस.जी., कलर डोप्लर, मेमोग्राफी
25.	मैक्स मेडसेन्टर-नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक, ए-2, 3 एंड 4, नेताजी सुभाष प्लेस वजीरपुर, जिला केन्द्र, दिल्ली-32	नैदानिक प्रयोजन
26.	एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली-25	कार्डियो वास्कुलर शल्य चिकित्सा, इन्वेसिव एवं नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी और पैडिट्रिक कार्डियोलाजी
27.	इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली-44	सभी विकिरण विज्ञानी जांचें और न्यूक्लियर चिकित्साएं, लैप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा, डायलिसिस, मूत्र विज्ञान, अंग प्रतिरोपण (रीनल, जिगर) लिथोट्रिप्सी, ज्वायंट प्रतिस्थापन, रेडियेशन थिरेपी, कार्डियोलाजी, कार्डियक शल्य चिकित्सा, कार्डियो थोरेसिक, वास्कुलर शल्य चिकित्सा

1	2	3
28.	बत्रा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, 1, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-62	कार्डियक प्रक्रियाएं जैसे सी.ए.जी., सी.ए.बी.जी., पी.टी.सी.ए. ई.पी. स्टडी, कार्डियो वास्कुलर प्रक्रियाएं, एम.आर.आई., सी.टी., इमेजिंग, केमोथिरेपी और कैंसर रेडिएशन थिरेपी
29.	इंडियन स्पाइनल इन्ज्यूरी केन्द्र, 50-सी, बसंत कुंज, नई दिल्ली	विशिष्ट तथा नैदानिक (स्पाइनल इंजुरी, स्पाइन्स और फिजियोथिरेपी से संबद्ध रोग)
30.	पुष्पावती सिंघानियां रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रैस इन्क्लेव मार्ग, शेख सराय, नई दिल्ली-17	लीवर, रेनल और डायजेस्टिव रोग के लिए विशिष्ट प्रयोजन
31.	मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, 14, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन-कार्डियोलॉजी, कार्डियक एंड वास्कूलर सर्जरी और संबद्ध डायग्नोस्टिक
32.	द हार्ट सेंटर, 2, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली	नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया
33.	सेंटर फार साइट, ए-23, ग्रीन पार्क, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-16	आप्थलमोलोजी
34.	मजिदा अस्पताल, जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर,	डायग्नोस्टिक प्रयोजन
35.	जी.एम. मोदी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर फार मेडिकल साइंसेज, मंदिर मार्ग, प्रेस इन्कलेव के पास, साकेत, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया
36.	आर्थोनोवा हास्टिपल, सी-5/29, एस.डी.ए. के पीछे, मेन आई.टी.आई. गेट, नई दिल्ली-16	आर्थोपैडिक, ट्रामा एवं क्रिटीकल केयर
37.	वेनू आई इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, 1/31, शेख सराय इंस्टीट्यूटशनल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली	नेत्र संबंधी प्रयोजन
38.	प्रेसिजन डेन्टल केयर, सी-159, सरिता विहार, नई दिल्ली	कोस्मैटिक दंत चिकित्सा परिचर्या को छोड़कर, डे-केयर दंत चिकित्सा उपचार
39.	मैक्स मेडिकल सेंटर, एन-110, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-17	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी.टी., एम.आर.आई., मैमोग्राफी, यू.एस.जी., इको, होल्टर, पी.एफ.टी., आडियोमिट्री और स्पीच थेरेपी
40.	जी.एम.आर. इंस्टीट्यूट एंड एम.आर.आई. स्कैन सेंटर, ए-13, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	एम.आर.आई.
41.	ओरगन इमेजिंग रिसर्च सेंटर, ए-22, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली	सी.टी. और एम.आर.आई.
42.	डा. पी. भसीन पैथ लैब, एस-13, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली	लैब
43.	एन.एम.सी. इमेजिंग और डायग्नोटिक सेंटर (विमहांस कैम्पस), 1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नेहरू नगर, नई दिल्ली	सी.टी., एम.आर.आई., कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू.एस.जी. और लैब
44.	कर्नल पंत इमेजिंग सेंटर, ए-22, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	यू.एस.जी., मैमोग्राफी
45.	दिल्ली एम.आर. और सीटी स्कैन सेंटर, (एसलोक हास्पिटल), 25-ए/ए.बी., एस.जे. एन्क्लेव, नई दिल्ली	एम.आर.आई., सी.टी, और यू.एस.जी.
46.	बसंत विजन एक्स-रे और यू.एस.जी. क्लीनिक, टी-9/4, बसंत विहार, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू.एस.जी.
47.	स्पेशिलिटी रेनबेक्शी लिमिटेड, सी/ओ, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेन्टर, सेक्टर-सी, बसंत कुंज, नई दिल्ली	लैब

1	2	3
48.	कोहली इमेजिंग और डायग्नोस्टिक, 70, माउंट कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डोप्लर
49.	सांघी मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एस-51, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
50.	फोकस इमेजिंग और रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 47/1-2, मेन यूसूफ सराय मार्किट, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली	एम.आर.आई.
51.	डा. एम.एल. अग्रवाल एक्स-रे क्लीनिक, ए/1/150, सफदरजंग इन्कलेव नई दिल्ली	एक्सरे एवं यू.एस.जी.
52.	साऊथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे क्लीनिक, ए-44, हौज खास, नई दिल्ली	एक्सरे, ओ.पी.जी.यू.एस.जी., कलर डाप्लर, मैमोग्राफी।
53.	दी क्लीनिकल लैबोरेटरी, ई-13/9, वसंत विहार, नई दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
54.	आनन्द अस्पताल, 21, कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली	विकिरण चिकित्सा एवं हीमो-डायलिसिस
55.	धर्मशिला कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, धर्मशिला मार्ग, वसुंधरा इन्क्लेव, दिल्ली	कैंसर निदा, केमोथिरेपी, रेडियेशन, पैलिएटिव प्रक्रिया, पुनर्वास और सामान्य नैदानिक प्रयोजन
56.	गामी डायग्नोस्टिक सेंटर, गुजरात विहार, विकास मार्ग, दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
57.	डा. सविता जैन अरुण इमेजिंग सेंटर, डी-29, विवेक विहार, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू.एस.जी. और मेमोग्राफी, कलर डोप्लर और इको
58.	डा. आनंद इमेजिंग और न्यूरोलोजिकल सेंटर, एफ-24 प्रीत विहार, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी.टी. और एम.आर.आई.
59.	माता चानन देवी अस्पताल, सी-1, जनकपुरी, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन, विशिष्ट प्रयोजन और डायलिसिस, नान-इनवैसिव कार्डियक प्रोसिजर, डाग्नोस्टिक (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर)
60.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल, रोड सं. 35, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन डायलिसिस, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नान-इन्वेसिव कार्डियक प्रोसिजर आदि, डायग्नोस्टिक (# कार्डियक इनवेसिव प्रक्रिया और कार्डियक सर्जरी # 20 मार्च, 2004 से प्रभावी)
61.	राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली	कैंसर डायग्नोसिस, कैंसर केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी
62.	जयपुर गोल्डन हास्पिटल, 2, इंस्टीट्यूटशनल एरिया, रोहिणी, नई दिल्ली	सामान्य/विशेषज्ञ प्रयोजन (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर सी.ए.बी.जी., एंजीयोग्राफी तथा कार्डियो थोरेसिस सर्जरी सहित) और नैदानिक (सी.टी. छोड़कर)
63.	ब्रह्म शक्ति अस्पताल और रिसर्च सेंटर, यू-1/78, बुद्ध विहार, दिल्ली	सामान्य प्रयोजन उपचार
64.	नासा स्कैन सेन्टर, 38, पॉकेट-सी-9, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली	लेब, एक्सरे, यू.एस.जी., कलर डोप्लर, एम.आर.आई. को छोड़कर सीटी
65.	गणेश डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सेंटर, 109, पॉकेट-ए-1, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली	एक्सरे, यू.एस.जी. सी.टी., एम.आर.आई.
66.	सचदेवा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ई-991, सरस्वती विहार, दिल्ली	विशेष जांच सहित एक्सरे, यू.एस.जी., कलर डोप्लर, बोन डेन्सीटोमेटरी

1	2	3
67.	जनता एक्स-रे क्लीनिक, 4बी/5, तिलक नगर, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, सीटी, एम.आर.आई., मैम्मोग्राफी. यू.एस.जी. और कलर डाप्लर, प्रयोगशाला एवं बोन डेन्सीटोमेट्री
68.	नेशनल सीटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, 17, एन.डब्ल्यू.ए. क्लब रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, सीटी, प्रयोगशाला और कलर डोप्लर एवं इको
69.	सिटी एक्सरे एंड स्कैन सेंटर, 4बी/5, तिलक नगर, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, सीटी, मैम्मोग्राफी, यू.एस.जी. और कलर डोप्लर एवं प्रयोगशाला।
70.	कल्याणी अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड, 354/2, मेहरौली रोड, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
71.	डा. तनेजा अस्पताल एवं हार्ट सेंटर, 113-ए, न्यू कालोनी, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
72.	शीतला अस्पताल और आई इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, डी.एस.टी. कालेज के पास, नई रेलवे रोड, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन
73.	उमकल हास्पिटल एण्ड एम.पी. हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए-520, सुशान्त लोक-1, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया
74.	माडर्न डायग्नोस्टिक और रिसर्च सेंटर, 363/4, न्यू रेलवे रोड, गुड़गांव (जवाहर नगर)	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी.टी. और लैब
75.	उमा संजीवनी हेल्थ सेन्टर, 1, दक्षिण मार्ग, डी.एल.एफ. सिटी फेज-II, गुड़गांव	नैदानिक प्रयोगशाला (लैब)
76.	नरेन्द्र मोहन अस्पताल, मोहन नगर, गाजियाबाद	सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन जिनमें नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया कार्डियक सर्जरी शामिल है और नैदानिक
77.	संतोष मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अस्पताल, 1, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
78.	यू.पी. स्टोन एंड यूरोलॉजी सेंटर, II-ए/40, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001	लिथोट्रिप्सी
79.	मेट्रो अस्पताल एवं हार्ट इस्टीट्यूट, X-1, सेक्टर-12, सी-94, सेक्टर-11, नोएडा	सामान्य और विशिष्ट प्रयोजन-कार्डियोलोजी, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक प्रक्रियाएं
80.	कैलाश अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक, नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया (# कार्डियक इनवेसिव प्रक्रिया और कार्डियक सर्जरी # 20 मार्च, 2004 से प्रभावी)
81.	सत्या मेडिकल सेंटर, ए-98/ए, सेक्टर-34, नोएडा	केवल सामान्य प्रयोजन
82.	प्रकाश अस्पताल, डी-12, 21ए, 12बी, सेक्टर-33, नोएडा	सामान्य प्रयोजन
83.	नोएडा डायग्नोस्टिक सेंटर, डी-4, सेक्टर नं. 20, नोएडा	कन्वेंशनल रेडियोलोजी एंड लैब
84.	एस्कोर्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर लि. नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद	सामान्य/विशेषज्ञ प्रयोजन तथा नैदानिक प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर
85.	फरीदाबाद सी.टी. स्कैन सेंटर, नीलम चौक, फरीदाबाद	सी.टी.

उपरोक्त शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची जहां पर के.स.स्वा.यो. निदेशालय के आदेशों के अनुसार के.स.स्वा.यो. लाभार्थियों का रैफर करना बंद कर दिया गया है

1	2	3
1.	नार्थ प्वाइंट अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड, एस 357, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	लिथोट्रिप्सी

1	2	3
	2. नोएडा मेडिकेयर सेंटर, 16-सी, ब्लाक-ई, सेक्टर-30, नोएडा	सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन और नैदानिक, नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया
	3. श्री राम सिंह अस्पताल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, बी-25-26-26ए, ईस्ट कृष्णा नगर, दिल्ली	केवल सामान्य प्रयोजन के लिए
	4. आर.बी. सेठ जेसा राम और ब्रादर्स चैरिटेबल अस्पताल, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन
	5. मिलेनियम अस्पताल, बी-1/1, पूसा रोड, नई दिल्ली	सामान्य तथा नैदानिक प्रयोजन
	6. आर.जी. स्टोन यूरोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफ-7, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	लिथोट्रिप्सी, इण्डो-यूरोलाजी सर्जरी, होलमियम लेजर सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी
	7. सरोज अस्पताल, मधुबन चौक, रोहिणी, दिल्ली-85	सामान्य प्रयोजन, नैदानिक और नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया
	8. मिलेनियम बोन डेन्सिटोमेट्री एंड ओस्टियोपोरोसिस रिसर्च सेंटर, 47, पूसा रोड, नई दिल्ली	बोन डेनसिटोमिट्री
	9. डा. चोपड़ा बोन डेनसिटोमेट्री सेंटर और लैब, 2, राजौरी पैलेस, जे/162, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली	बोन डेनसिटोमेट्री

कर्नाटक को धनराशि आबंटन

2479. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या राज्य द्वारा इस उद्देश्य हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग विकास की अन्य योजनाओं में किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के वास्ते आबंटित/जारी धन राशि और किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) कर्नाटक राज्य से सूचना एकत्रित की जा रही है।

विवरण

कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित/निर्मुक्त धनराशि और किया गया व्यय

(रुपए लाख में)

स्कीम/कार्यक्रम	2001-02		2002-03		2003-04	
	आबंटन/निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन/निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन/निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
मलेरिया	307.58	386.48	176.28	227.36	297.75	264.87
क्षय रोग	632.73	529.45	534.01	455.28	497.42	636.25
कुष्ठ	196.05	345.53	122.66	134.72	70.46	135.21

1	2	3	4	5	6	7
दृष्टिहीनता	454.43	495.46	368.30	273.36	651.75	532.06
एड्स	893.15	783.35	1025.00	916.51	1100.00	1316.67
परिवार कल्याण कार्यक्रम	18747.65	19542.13	18713.31	18243.51	14214.52	14154.99

* अनंतिम

नोट : कुछ मामलों में पिछले वर्ष के बकाए आगे ले जाने से व्यय, आबंटन/निर्मुक्ति से ज्यादा है।

[हिन्दी]

जी.टी. रोड को चार लेन का बनाना

2480. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड के धनबाद से बिहार के गया तक जी.टी. रोड को चार लेन का बनाने संबंधी एल. एंड टी., एच.सी.सी. और अन्य कंपनियों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सड़क के निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा सड़क निर्माण क्षेत्र की समीक्षा की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी समय-अंतराल का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो पर्यवेक्षण परामर्शदाता द्वारा ठेका करार के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है/की जा रही है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा सड़क क्षेत्र की समीक्षा पंचवर्षीय योजनाएं बनाते समय और मध्यावधि मूल्यांकन के समय की जाती है।

अस्पतालों में अपर्याप्त एंबुलेंस सेवाएं

2481. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न बड़े अस्पतालों में एंबुलेंस सुविधाओं की कमी के कारण रोगियों के परिवार वालों को निजी एंबुलेंसों/वाहनों को वाहन मालिकों की मनमानी दरों पर किराए पर लेना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी एंबुलेंसों की दरों को नियत करने संबंधी कोई कार्यवाही करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए यह संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलैंसों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राज्यमार्गों पर स्थित नगरों/शहरों के राज्य अस्पतालों की आपात कालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से—"क्षमता सृजन हेतु सहायता" स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस खरीदना इस स्कीम का एक घटक है।

जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है, एम्बुलेंस सेवाओं की अपर्याप्तता की कोई सूचना नहीं दी गई है।

इसरो, अहमदाबाद का विस्तार

2482. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरो, अहमदाबाद के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उपग्रह नीतभार विकास तथा अन्तरिक्ष उपयोग कार्यक्रमों से संबंधित चल रहे क्रियाकलापों की जरूरतों को अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा अपनी विद्यमान सुविधाओं के उपयोग से समुचित रूप में पूरा किया जा रहा है।

बी.एस.एन.एल. की निविदाएं

2483. **श्री सुकदेव पासवान:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न परिमंडलों में कितनी टेलीफोन एक्सचेंज हैं और वर्ष 2001 से आज की तारीख तक बी.एस.एन.एल. के सिविल स्कंध द्वारा कितनी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ख) कितनी निविदाओं का निपटान किया गया और जिन ठेकेदारों/फर्मों को ठेके दिए गए हैं; उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इन निविदाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मध्य प्रदेश में 2788 टेलीफोन एक्सचेंज हैं तथा वर्ष 2001 से आज की तारीख तक मध्य प्रदेश के विभिन्न सिविल सर्किलों के तहत टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माण से संबंधित 149 निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ख) इन 149 निविदाओं में से, 142 निविदाओं का निपटान किया गया तथा जिन ठेकेदारों/फर्मों को ये निविदाएं दी गई थी उनके ब्योरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनके ब्योरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

जिन ठेकेदारों तथा फर्मों को निविदाएं दी गई उनके ब्यौरे

क्र.सं. क	कार्य का नाम ख	एजेन्सी का नाम और पता ग
1	2	3
1.	गोरझामर (जिला सागर) में क्यू-रेक्स का निर्माण	श्री जे.के. बड़कुल, नानक वार्ड खुरई, जिला सागर
2.	एस.बी.एम. टेली.एक्स., मुल्ताई का निर्माण	मैसर्स करोलिया कन्सट्रक्सन्स, ई-2/242, अरेरा कालोनी भोपाल
3.	शाहपुरा, भोपाल में टेली. एक्स. भवन का निर्माण (दूसरा कॉल)	श्री मनीष सक्सेना, 4/12, श्री राम कॉम्पलैक्स कोहीफिजा, भोपाल
4.	चनातोरिया (जिला सागर) में क्यू रेक्स तथा एक टाईप-II क्वार्टर का निर्माण	श्री मुकेश कुमार जैन, बाहुबली कालोनी, नजदीक जैन मंदिर, सागर
5.	कोटरी (जिला सिहोर) के टेली.एक्स. के.एच./ई का निर्माण	श्री मुकेश शर्मा, ई-2/298 अरेरा कालोनी भोपाल
6.	श्यामपुर (जिला सिहोर) में बी.टी.एस. हट का निर्माण	मैसर्स मुंशीराम शर्मा, ई-7/23 अरेरा कालोनी, भोपाल
7.	खजूरी सड़क (जिला भोपाल) में बी.टी.एस. हट का निर्माण	मैसर्स मुंशीराम शर्मा, ई-7/23 अरेरा कालोनी, भोपाल
8.	केस्ला (जिला होशंगाबाद) में बी.टी.एस. हट का निर्माण	मैसर्स सतपुड़ा कन्सट्रक्सन्स, 100 प्रियदर्शिनी नगर, इटारसी
9.	खोटी बाजार, बेतूल क्यू रेक्स तथा में एक टाइप-II क्वार्टर का निर्माण	श्री एम.के. खंडेलवाल, नेहकुंज विकास नगर, बेतूल
10.	छोला रोड, भोपाल में टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री अशोक कुमार हिम्ठानी, न्यू ए-19/194, बेरागढ़ भोपाल
11.	खुरई (जिला सागर) में एस.बी.एम. टेली. एक्स. भवन का निमांण (दूसरा कॉल)	श्री रामदास ठाकुर, गांधी वार्ड सागर नाका, खुरई जिला (सागर)
12.	मागर्धा (जिला हरदा) में बी.टी.एस. कक्ष का निर्माण	मैसर्स सतपुड़ा कन्सट्रक्सन्स, 100 प्रियदर्शिनी नगर, इटारसी
13.	देवरी (जिला सागर) में एस.बी.एम. टेली. एक्स. भवन का निर्माण	मैसर्स वर्समा इंजी. ग्रुप, 22/614, स्नेह नगर, जबलपुर
14.	बोरदेही (जिला बेतूल) में टेली. एक्स. भवन का निर्माण (दूसरा कॉल)	श्री सुनील कुमार बानखेड़े, नजदीक पेट्रोल पम्प बोडखी, (आमला) (जिला बेतूल)।
15.	तिमारनी (जिला हरदा) में एस.बी.एम. टेली. एक्स. भवन का निर्माण	मैसर्स सतपुड़ा कन्सट्रक्सन्स, 100 प्रियदर्शिनी नगर, इटारसी
16.	तिमरानी (जिला हरदा) में बी.टी.एस. कक्ष का निर्माण	श्री वेद प्रकाश शर्मा, एस-5, एल.आई.जी. 36, यूनिक अपार्टमेंट कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल।

1	2	3
	भोपाल सिविल डिवीजन संख्या-II	
17.	करहाल (जिला शिवपुर कलां) में परिसर चाहरदीवारी तथा सेवाओं सहित टाईप-I स्टाफ क्वार्टर और क्यू रेक्स एक्सचेंज का निर्माण	श्री अशोक कुमार हिम्ठानी, न्यू ए-19/194, बेरागढ़ भोपाल
18.	अरेरा एक्सचेंज भोपाल में द्वितीय तल (तकनीकी ब्लॉक) के निर्माण के लिए ऊर्ध्व विस्तार	मैसर्स संचिता कन्सट्रक्सशन्स, ए-74, मान सरोवर कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल
19.	कुरावार (जिला राजगढ़) में सेवा सहित-2 टाइप-III स्टाफ क्वार्टर तथा एम.बी.एम. एक्सचेंज से विस्तार योग्य एस.बी. एम. टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मैसर्स, एम.डी.एस. बिल्डर्स, प्लॉट नं. 48, बल्लभ नगर, निकट लाल घाटी, भोपाल
20.	तलेन (जिला राजगढ़) में सेवाएं सहित 2 के सी-डॉट एस.बी. एम. एक्सचेंज भवन से विस्तार योग्य मोड्यूलर टाइप टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मैसर्स, एम.डी.एस. बिल्डर्स, प्लॉट नं. 48, बल्लभ नगर, निकट लाल घाटी, भोपाल
21.	साबलगढ़ (जिला मुरैना) में सेवाओं सहित एस.बी.एम. टेली. एक्स. भवन से ऊर्ध्व विस्तार का निर्माण	श्री राम दयाल सिंह, गोविन्दपुर, घास मंडी, ग्वालियर
22.	सुभाषपुरा (जिला शिवपुरी) में सेवाओं सहित टेली.एक्स. भवन के लिए एक टाईप-II स्टाफ क्वार्टर तथा क्यू रेक्स एक्सचेंज का निर्माण	श्री राम दयाल सिंह, गोविन्दपुर, घास मंडी, ग्वालियर
23.	विक्की फैक्टरी, ग्वालियर के नजदीक टेली.एक्स. (आर.सी.सी. नींव और स्तंभ कार्य को छोड़कर) का निर्माण	मैसर्स मोती लाल शर्मा और सी.ओ. शंकर बाबा का पाडव सुबत रोड, मुरैना
24.	विक्की फैक्टरी ग्वालियर के निकट टेली.एक्स. भवन (दूसरा चरण का निर्माण)	मैसर्स मोती लाल शर्मा और सी.ओ. शंकर बाबा का पाडव सुबत रोड, मुरैना
25.	जाज्जी, गुना में अन्य सेवाओं तथा परिसर चाहरदीवारी सहित आर.एल.यू. भवन का निर्माण	श्री राम दयाल सिंह, गोविन्दपुर, घास मंडी, ग्वालियर
26.	सिंधी कोलोनी, ग्वालियर में टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री जे.पी. शर्मा, म.न. 553-बी सुरेश नगर, थातीपुर, ग्वालियर
27.	बीरपुर में सेवाओं सहित एस.आर.ई.एक्स. टेली.एक्स. भवन का निर्माण (जिला शिवपुरकलां)	मैसर्स मोती लाल शर्मा और सी.ओ. शंकर बाबा का पाडव सुबत रोड, मुरैना
28.	पौड़ी (जिला शिवपुरी) में एस.बी.एम. टेली.एक्स. भवन (डिजाइन VI) (पहला चरण)(भूतल) का निर्माण	श्री राम दयाल सिंह, गोविन्दपुर घास मंडी, ग्वालियर
29.	मौजूदा दो मंजिली टेली.एक्स. भवन को तोड़ना और रेलवे स्टेशन विदिशा के समीप टेली.एक्स. भवन का पुनर्निर्माण।	श्री संजय जैन, जी 102, श्वेता कम्पलैक्स, भारत नगर, भोपाल
30.	मिहोना (जिला भिंड) में सेवाओं और परिसर दीवार सहित एस. आर.ई.एक्स टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. डी.के.एस. तोमर, गोवर्धन कालोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर।
	ई.ई. सिविल इंदौर	
31.	जवाहर टेकरी जिला इंदौर में सेवाओं सहित क्यू.आर.ई.एक्स.-ई. टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. गोकुल कंस्ट्रक्शन्स 12, रेस कोर्स रोड, इंदौर
32.	पोलोग्राउंड जिला इंदौर में टेली.एक्स. भवन सी.एस.सी. और 3 टी-III एस/क्यू का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), 129, कंचन बाग, इंदौर

1	2	3
33.	तिलकपथ में टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23-एफ.जी. विध्या पैलेस, विजय नगर, इंदौर
34.	इंदौर में टेली.एक्स. भवन (पी.एच.-I) खंड सं. 78 का निर्माण (ए) दूसरा कॉल	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23-एफ.जी. विध्या पैलेस, विजय नगर, इंदौर
35.	कड़ी जिला बारवानी में एस.बी.एम. टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. आर.एस. जैन एंड सन्स, 3352 सिमरोल रोड, म्हाऊ
36.	झुलवानिया जिला बारवानी में टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), 129, कंचन बाग, इंदौर
37.	भिकनगांव जिला खरगोन में एम.बी.एम. टेली.एक्स. भवन में परिवर्तनीय एस.बी.एम. टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), 129, कंचन बाग, इंदौर
38.	पुनासा जिला खारगोन में क्यू.आर.ई.एक्स.-ए टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. फेरो कंक्रीट कंपनी इंडस्ट्रीज प्रा. लि. 3, 5, 7-बी भागीरथपुरा, इंदौर
39.	खंडवा में टेली.एक्स. भवन (तीसरा तल) के ऊर्ध्व विस्तार संबंधी निर्माण	मै. धरमदास तिरथदास कं. प्रा.लि., 1-2, गुलमोहर कालोनी समीप साकेत नगर, इंदौर
40.	सेंधवा जिला बारवानी में टेली.एक्स. भवन (दूसरा तल) के ऊर्ध्व विस्तार संबंधी निर्माण	श्री जी.के. भाटिया, 25 एम.आई.जी., हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, सेंधवा
41.	खकनार जिला खारगोन में सेवाओं सहित क्यू.आर.ई.एक्स.-ए टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), 129, कंचन बाग, इंदौर
42.	खलवा जिला खारगोन में सेवाओं सहित क्यू.आर.ई.एक्स.-ए टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री शरद पटोदी, 178, विश्वकर्मा नगर, इंदौर
43.	कंटाफोड जिला देवास में संशोधित क्यू.आर.ई.एक्स.-सी टेली. एक्स. भवन का निर्माण	मै. आर.एस. जैन एंड सन्स 3352 सिमरोल रोड, म्हाऊ
44.	टोंक खुर्द जिला देवास में संशोधित क्यू.आर.ई.एक्स.-सी टेली. एक्स. भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23-एफ.जी. विध्या पैलेस, विजय नगर, इंदौर
45.	फावडा जिला देवास में 40 मी. टॉवर की फाऊंडेशन और एक्स. आर.ए.एक्स.-I (पी.एच.-I) टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23-एफ.जी. विध्या पैलेस, विजय नगर, इंदौर
46.	चपडा जिला देवास में परिसर दीवार सहित एस.आर.ए.एक्स.-I (पी.एच.-I) टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. आर.एस. जैन एंड सन्स 3352 सिमरोल रोड, म्हाऊ
47.	हटपिपलिया जिला देवास में परिसर दीवार सहित एस.आर.ए. एक्स-II, टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23-एफ.जी. विध्या पैलेस, विजय नगर
48.	खेतिया जिला बारवानी में टेली.एक्स. भवन का निर्माण (ए) दूसरा कॉल	मै. जी.के. कंस्ट्रक्शन्स 54/5 बी.के. सिंधी कालोनी, इंदौर
49.	महेश्वर जिला खारगोन में 80 मी. टॉवर की फाउंडेशन और टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23-एफ.जी. विध्या पैलेस, विजय नगर, इंदौर
50.	कोटरी (जिला सेहोर) में टेली.एक्स. भवन के समस्तर विस्तार संबंधी निर्माण	श्री मुकेश शर्मा, ई-2298, अरेरा कालोनी, भोपाल
51.	भीमपुर (जिला-बेतुल) में टेली.एक्स. और सेवाओं सहित 1 सं. टी.-III, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	श्री सुनील कुमार वानखेडे, समीप पैट्रोल पम्प, बोडखी, (आमला) (जिला बेतुल)

1	2	3
52.	दुनावा (जिला-बेतुल) में टेली.एक्स. और सेवाओं सहित 1 सं. टी.-III, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (जिला बेतुल)	श्री मनोज कुमार खंडेलवाल, विकास नगर, जिला-बेतुल
53.	प्रभातपुर (जिला-बेतुल) में टेली.एक्स. और सेवाओं सहित 1 सं. टी.-III, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (जिला बेतुल)	श्री मनोज कुमार खंडेलवाल, विकास नगर, जिला-बेतुल
	ई.ई. सिविल मंडसौर	
54.	जैथल में एम./डब्ल्यू. स्टेशन भवन का एक तल बढ़ाकर ऊर्ध्व विस्तार संबंधी निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), 129, कैचन बाग, इंदौर
55.	कंजर्दा जिला नीमच में सेवाओं सहित टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जोधराम जगन्नाथ ढाका, नीमच
56.	तराना जिला उज्जैन में क्यू.आर.ई.एक्स."बी", टेली.एक्स. भवन का ऊर्ध्व विस्तार और 1 सं. टी. I-II और 1 सं. टी. I-III स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	श्री आर.के. पटीदार, इंदौर
57.	पिपलोडा बागला जिला उज्जैन में ग्रामीण टेली.एक्स. का निर्माण	श्री जी.पी. मंगुले, देवास
58.	नालखेडा जिला शाजापुर में सेवाओं सहित क्यू.आर.ई.एक्स. टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. शर्मा कंट्रैक्टर, नालखेडा
59.	जावद जिला नीमच में मौजूदा एस.बी.एम. टेली.एक्स. भवन का ऊर्ध्व विस्तार संबंधी निर्माण	मै. रजत कंस्ट्रक्शन्स एंड सप्लायर्स, नीमच
60.	पिपलिया मंडी जिला मंडसौर में एस.बी.एम. टेली.एक्स. भवन के समस्तर और ऊर्ध्व विस्तार संबंधी निर्माण	श्री मंगेश वी. संगाई, मनासा
61.	सीतामाऊ जिला मंडसौर में मौजूदा एस.बी.एस. टेली.एक्स. भवन का समस्तर और ऊर्ध्व विस्तार संबंधी निर्माण	श्री मनीष जैन, भोपाल
62.	सरवानिया महाराज, जिला नीमच में सेवाओं सहित आर.ए.एक्स. टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जुपीटर इंटरनैशनल (सेल्स), इंदौर
63.	कारजू, जिला मंडसौर में सेवाओं सहित आर.ए.एक्स. टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जुपीटर इंटरनैशनल (सेल्स), इंदौर
64.	बेच्छा जिला उज्जैन में ग्रामीण टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जी.पी. मंगुले, देवास
65.	यांत्रिका नानाखेड़ा जिला उज्जैन में ग्रामीण टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जुपीटर इंटरनैशनल (सेल्स), इंदौर
66.	मल्हारगढ़ जिला मंडसौर में सेवाओं सहित आर.ए.एक्स. टेली. एक्स. भवन का निर्माण	मै. जुपीटर इंटरनैशनल (सेल्स), इंदौर
67.	म्हाऊ जिला मंडसौर में सेवाओं सहित आर.ए.एक्स. टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जुपीटर इंटरनैशनल (सेल्स), इंदौर
68.	भानपुरा जिला मंडसौर में एम.बी.एम. (छोटा) टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री राजेंद्र पतीदार, इंदौर
69.	दिकेन में सेवाओं सहित आर.ए.एक्स. टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री मंगेश वी. संगाई, मनासा
70.	शामगढ़, जिला मंडसौर में मौजूदा एस.बी.एम. टेली.एक्स. भवन के समस्तर और ऊर्ध्व विस्तार संबंधी निर्माण	श्री लाजपतराय, इंदौर
71.	अंतरी जिला नीमच में सेवाओं सहित एस.आर.ए.एक्स.-I (फेज-I) टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जुपीटर इंटरनैशनल (सेल्स), इंदौर

1	2	3
72.	उमर जिला नीमच में सेवाओं सहित एस.आर.ए.एक्स.-I (फेज-I) टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री राजेंद्र पतीदार, इंदौर
73.	मानसा जिला नीमच में एस.बी.एम. (छोटा) टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री मंगेश वी. संगाई, मनासा
74.	जनकपुर जिला नीमच में एस.आर.ए.एक्स.-I (फेज-I) टेली. एक्स. भवन का निर्माण	मै. जुपीटर इंटरनैशनल (सेल्स), इंदौर
75.	चीताखेड़ा जिला नीमच में एस.आर.ए.एक्स.-I (फेज-II) टेली. एक्स. भवन और 40 मी. टॉवर की फाउंडेशन का निर्माण	मै. जुपीटर इंटरनैशनल (सेल्स), इंदौर
76.	मलियाखेड़ी, जिला मंडसौर में सेवाओं सहित एस.आर.ए.एक्स.-I टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. जुपीटर इंटरनैशनल (सेल्स), इंदौर
77.	इंदोक जिला उज्जैन में ग्रामीण टेली.एक्स. भवन और 40 मी. टॉवर की फाउंडेशन (नैरो बेस) का निर्माण	श्री मंगेश वी. संगाई, मनासा
78.	बालागुड्डा जिला मंडसौर में एस.आर.ए.एक्स.-I, टेली.एक्स. भवन का निर्माण	मै. रजत कंस्ट्रक्शन्स एंड सप्लायर्स, नीमच
79.	पलसोडा जिला नीमच में एस.आर.ए.एक्स.-II, टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री राजेंद्र पतीदार, इंदौर
80.	रिंडा, जिला मंडसौर में एस.आर.ए.एक्स.-II, टेली.एक्स. भवन का निर्माण	श्री लाजपत राय, इंदौर
81.	सावन, जिला नीमच में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री मंगेश वी. संगाई मनासा
82.	देगांव माली जिला मंदसौर में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री ओंकारलाल पंचाल
83.	जमुनिया कला, जिला नीमच में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	मै. ए.ए. कान्ट्रेक्टर
84.	भावगढ़, जिला मंदसौर में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री प्रदीप मदान, इंदौर
85.	इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री अमर सिंह अम्ब, नीमच
86.	नाहरगढ़ जिला मंदसौर में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स) इंदौर
87.	बुद्धा जिला मंदसौर में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री मंगेश वी. संगाई, मनासा
88.	टिगड़िया, अभिनन्दन कॉलोनी मंदसौर में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स) इंदौर
89.	इंदिरा नगर, नीमच में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	मै. रजत कन्सट्रक्शन एंड सप्लायर्स, नीमच
90.	कचनारा में एस.आर.ए.एक्स. (चरण-I), दूरभाष केन्द्र भवन एवं 40 मी. ऊंचे टावर फाऊन्डेशन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स) इंदौर

1	2	3
91.	कडवासा में एस.आर.ए.एक्स. (चरण-I), दूरभाष केन्द्र भवन एंड 40 मी. ऊंचे टावर फाऊन्डेशन का निर्माण	श्री आर.के. पाटीदर, इंदौर
	ई.ई. सिविल रतलाम	
92.	बमनिया, जिला झाबुआ में क्यू.आर.ई.एक्स.-बी. दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	श्री कांतिलाल फतेहचंग वगरेचा, खजासा (झाबुआ)
93.	बाकानेर, जिला धार में क्यू.आर.ई.एक्स.-सी. दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), फ्लैट नं. 101, रॉयल रेजीडेंसी, 129, कंचन बाग, इंदौर
94.	सरांगी, जिला, झबुआ क्यू.आर.ई.एक्स.-बी. दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री सुनील कुमार गांधी, राम कृष्ण नगर, झबुआ
95.	राजगढ़, जिला:धार क्यू.आर.ई.एक्स.-सी. दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23 एफ.जी. विद्या पैलेस, विजय नगर इंदौर
96.	रायपुरियां, जिला:झबुआ क्यू.आर.ई.एक्स.-ए. दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री देवेन्द्र आर. शर्मा, 54, चाणक्यपुरी, ताशकंद मार्ग, रतलाम
97.	शिमलावदा, जिला:रतलाम में एस.आर.ए.एक्स.-I, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), फ्लैट नं. 101, रॉयल रेजीडेन्सी, 129, कंचन बाग, इंदौर
98.	दात्तीगांव, जिला:रतलाम में एस.आर.ए.एक्स.-I, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), फ्लैट नं. 101, रॉयल रेजीडेन्सी, 129, कंचन बाग, इंदौर
99.	बांदेडी, जिला:धार में एस.आर.ए.एक्स.-I, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23 एफ.जी., विद्या पैलेस, विजय नगर, इंदौर
100.	नानपुर, जिला: झबुआ में क्यू.आर.ए.एक्स.-बी. दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री गोपाल दास पाटीदर, देवास, जिला:धार
101.	नागदा, जिला:धार में एस.आर.ए.एक्स.-I, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), फ्लैट नं. 101, रॉयल रेजीडेन्सी, 129, कंचन बाग, इंदौर
102.	धारड, जिला:रतलाम में एस.आर.ए.एक्स.-I, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), फ्लैट नं. 101, रॉयल रेजीडेन्सी, 129, कंचन बाग, इंदौर
103.	रियावां, जिला:रतलाम में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23 एफ.जी. विद्या पैलेस, विजय नगर, इंदौर
104.	सार्शी, जिला:रतलाम में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23 एफ.जी., विद्या पैलेस, विजय नगर, इंदौर
105.	सुखेड़ा, जिला:रतलाम में एस.आर.ए.एक्स.-II, दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	मै. जूपीटर इंटरनेशनल (सेल्स), फ्लैट नं. 101, रॉयल रेजीडेन्सी, 129, कंचन बाग, इंदौर
106.	मांडू, जिला धार में दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण	श्री दिनेश कुमार शर्मा एंड कंपनी, 23 एफ.जी., विद्या पैलेस, विजय नगर, इंदौर
107.	पेटलावाड, जिला:झबुआ में वी./ई. से एस.बी.एम. दूरभाष केन्द्र भवन तक का निर्माण	श्री देवेन्द्र शर्मा, 54, चाणक्यपुरी ताशकंद मार्ग, रतलाम
108.	राजगढ़ जिला धार में दूरभाष केंद्र भवन तथा सी.एस.सी. का निर्माण	श्री मनोज कुमार अग्रवाल, 50 एम.एक्स. विष्णुपुरी, इंदौर

1	2	3
	ई.ई. सिविल डिवीजन-II जबलपुर	
109.	ताओंथर जिला रेवा में एम.बी.एम. एक्सचेंज भवन में विस्तार योग्य दूरभाष केंद्र भवन डी-VI का निर्माण	श्री प्रदीप कुमार सिंह नेहरू नगर कॉलोनी जबलपुर
110.	पानागर जिला जबलपुर में एम.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन में विस्तार योग्य एस.बी.एम. (डी-VI) तथा सेवाओं सहित 1 नं. टी-II क्वाट्र्स का निर्माण	श्री विनोद कुमार जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर
111.	मौजूदा दूरभाष केन्द्र शाहदौल के लिए उर्ध्वाधर विस्तार का निर्माण	श्री एम.पी. अग्रवाल नजदीक सी.बी.आई. बैंक शाहदौल
112.	मालदेवगढ़ में एस.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	श्री मनोज कुमार शर्मा जैटेरा जिला छतरपुर
113.	दूरभाष केंद्र उमरिया के लिए उर्ध्वाधर विस्तार का निर्माण	श्री एम.पी. अग्रवाल नजदीक एस.बी.आई. बैंक शाहदौल
114.	एम.बी.एम. दूरभाष केंद्र रायनगर जिला छतरपुर में विस्तार योग्य एस.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	श्री धरमदास त्रिपाठी मानस नगर रेवा
115.	चांदला जिला छतरपुर में एम.बी.एम. दूरभाष केंद्र तक विस्तार योग्य दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	श्री एस.सी. गुप्ता ग्वालियर
116.	खन्नोढी में एस.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन तक विस्तार योग्य दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	श्री एम.पी. त्रिपाठी शहदौल
117.	दामोह में कोएक्सिएल भवन के लिए ड्डर्ध्वाधर विस्तार का निर्माण	श्री अविनाश कुमार पांडेय
118.	चाका जिला कटनी में एस.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	मै. राधे बिल्डर्स नेपियर टाऊन जबलपुर
119.	सिद्धी में सेवाओं सहित दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	मै. अनिल ग्रोवर सिविल लाइंस जबलपुर
120.	सिंहपुर जिला शहदौल में एस.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन में विस्तार योग्य दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	श्री एम.पी. अग्रवाल नजदीक एस.बी.आई. बैंक शहदौल
121.	चुर्हठ जिला सिद्धी में एस.बी.एम. सी-डॉट एम.बी.एम. एक्सचेंज भवन में विस्तार योग्य दूरभाष केंद्र भवन (डी-VI) का निर्माण	श्री राजकुमार सिंह
122.	कोटला जिला शहदौल में समस्तर/उर्ध्वाधर सी-डॉट एस.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	मै. सुभाष कन्सट्रक्शन मनेन्द्रागढ़ जिला कौड़िया
123.	गडीमालाहरा में एस.बी.एम. सी-डॉट एम.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन में विस्तार योग्य दूरभाष केंद्र भवन (4 बेज) का निर्माण	श्री मनोज कुमार शर्मा जैटारा जिला छतरपुर
124.	बडर्नालाहरा में एस.बी.एम. एक्सचेंज भवन एवं सेवाओं में विस्तार योग्य दूरभाष केंद्र भवन (4 बेज) का निर्माण	श्री अख्तार यार खान नजीराबाद सतना
125.	बार्गी जिला जबलपुर में एस.ई.आर.एक्स. दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	श्री राकेश दीक्षित साकेत नगर जबलपुर
126.	बर्ही जिला कटनी में एस.ई.आर.एक्स. दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	श्री मनोज कन्हियारसागर यादव कॉलोनी जबलपुर
127.	कटंगी जिला जबलपुर में सेवाओं सहित एस.ई.आर.एक्स. दूरभाष केंद्र भवन का निर्माण	श्री मिर्जा अमीर बेग नया मोहल्ला जबलपुर
128.	कुंडम जिला मांडला में एम.बी.एम. एक्सचेंज में विस्तार योग्य एस.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन (डी-VI) का निर्माण	श्री विकास रंजन दूबे जबलपुर
129.	कान्हा किसली में बी.टी.एस. हट एवं 40 मीटर नेरो बेस टॉवर का निर्माण	मै. वाई.एन.आर. कंसट्रक्शन जबलपुर

1	2	3
	ई.ई. सिविल डिवीजन सं. II जबलपुर	
130.	भुआ बिच्छिया जिला मांडला में सी-डॉट एम.बी.एम. एक्सचेंज भवन में विस्तार योग्य एस.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन (डी-VI) का निर्माण	दिलीप मोदी सियोनी मार्फत एस.के. गौड़, 450 अशोक नगर सी.वी. रमन वार्ड, सिओनी
131.	बागहट जिला सियोनी में आंतरिक एवं बाह्य सेवाओं कम्पाऊन्ड वॉल सहित सी-डॉट एम.बी.एम. एक्सचेंज भवन में विस्तार योग्य एस.बी.एम. दूरभाष केंद्र भवन (डी-VI) तथा 80 मीटर टॉवर फाऊन्डेशन का निर्माण	दिलीप मोदी सिओनी मार्फत एस.के. गौड़, 450 अशोक नगर सी.वी. रमन वार्ड, सिओनी
132.	घनसोर जिला-सिओनी में 80 मीटर टॉवर की स्थापना और आंतरिक और बाह्य सेवा कंपाउंड वॉल सहित सी-डॉट एम.बी.एम. एक्सचेंज भवन तक विस्तार योग्य एस.बी.एम. टेलीफोन एक्सचेंज भवन (डी-VI) का निर्माण	दिलीप मोदी सिओनी मार्फत एस.के. गौर, 450 अशोक नगर, सी.वी. रमन वार्ड, सिओनी
133.	निवास जिला-मण्डला में आंतरिक और बाह्य सेवा कंपाउंड वॉल सहित एम.बी.एम. एक्सचेंज भवन तक विस्तार योग्य एस.बी.एम. टेलीफोन एक्सचेंज भवन (डी-VI) का निर्माण	वर्समा इंजीनियरिंग समूह, 22/614 स्नेह नगर, जबलपुर
134.	पल्लारी जिला-सिओनी में आंतरिक और बाह्य सेवा सहित सी-डॉट एम.बी.एम. एक्सचेंज भवन तक विस्तार योग्य एस.बी.एम. टेलीफोन एक्सचेंज भवन (डी-VI) का निर्माण	मिर्जा अमीर बेग, 425, निकट बंगाली मस्जिद, नया मोहल्ला, जबलपुर
135.	बड़ीचीचोली जिला छिंदवाड़ा में एस.बी.एम./सी.-डॉट एम.बी.एम. एक्सचेंज भवन 1 टी.-II, स्टाफ क्वाटर्स कंपाउंड वाल तक विस्तार योग्य टेलीफोन एक्सचेंज भवन (डी-VI) चार खण्ड का निर्माण	एस.एल. गोयल, 545, गरहा जबलपुर
136.	हर्राय जिला छिंदवाड़ा में आंतरिक और बाह्य सेवा सहित एस. बी.एम./सी.-डॉट एम.बी.एम. एक्सचेंज भवन 1 टी-II स्टाफ क्वाटर्स तक विस्तार योग्य टेलीफोन एक्सचेंज भवन (डी-VI) चार खण्ड का निर्माण	के.के. चन्द्राकर, 181, केकाबाड़ी, दुर्ग
137.	सिओनी में आंतरिक और बाह्य सेवा सहित 6 टी-III, स्टाफ क्वाटर्स और एम.बी.एस. एक्सचेंज भवन, 1 टी-V और 5टी-IV तक विस्तार योग्य एस.बी.एम. टेलीफोन एक्सचेंज भवन (डी-VI) का निर्माण	कैलाश दुबे, 521, स्टेट बैंक कालोनी, बलदेव बाग, जबलपुर
138.	शाहपुराय, जिला-जबलपुर में आंतरिक और बाह्य सेवा सहित एस.आर.ई. एक्स. टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण	श्री अवदेश कुमार गौतम, 595, बेओहर बाग, जबलपुर
139.	भेराघाट, जिला-जबलपुर में आंतरिक और बाह्य सेवा सहित एस.आर.ई. एक्स. टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण	श्री विकास रंजन दुबे, 1605, निकट मेडिकल, 1 टाईप क्वाटर्स, पूर्वा ग्रह, जबलपुर
140.	राहनकला जिला-जबलपुर में आंतरिक और बाह्य सेवा सहित एस.आर.ई. एक्स. टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण	श्री सीता राम साहू, कुंदीपुरा, निकट पुराना पावर हाऊस, छिंदवाड़ा
141.	मझोली जिला-जबलपुर में आंतरिक और बाह्य सेवा सहित एस.आर.ई. एक्स. टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण	श्री अरविंद कुमार, ग्रह रोड, 763/3, अग्रवाल कालोनी, जबलपुर
142.	तिकुरी, कटनी में 40 मीटर नैरो बेस लाइट वेट टावर की स्थापना और बी.टी.एस. हट का निर्माण	मिर्जा अमीर बेग, 425, निकट बंगाली मस्जिद, नया मोहल्ला, जबलपुर

विवरण-II

शिकायत का ब्योरा

क्र. सं.	कार्य का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का ब्योरा	मामले में की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ङ
1	2	3	4	5
1.	(i) बुद्धा जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स.-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (ii) टिगरिया अभिनंदन कालोनी जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स.-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (iii) औद्योगिक क्षेत्र जिला नीमच में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (iv) भावगर जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (v) मेलखेड़ा जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (vi) इंदिरा नगर जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण	दिनांक 20-3-03 के पत्र के तहत माननीय संसद सदस्य श्री लक्ष्मण गिलुआ	निविदा (बिड) खोले बिना ही कार्य शुरू हो गए थे।	मामले की जांच की गई थी और शिकायत को सही नहीं पाया गया क्योंकि आरोप, तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं थे। कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया कि बोली खोले बिना ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू किया गया हो।
2.	(i) बुद्धा जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स.-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (ii) टिगरिया अभिनंदन कालोनी जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स.-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (iii) औद्योगिक क्षेत्र जिला नीमच में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (iv) भावगर जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (v) मेलखेड़ा जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (vi) इंदिरा नगर जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण	दिनांक 03-04-03 के पत्र के तहत पूर्व संसद सदस्य टी.ए.सी. श्री कुशल टाटेड	(1) बोली को खोले बिना ही कार्य शुरू हो गए थे। (2) नए ठेकेदारों को निविदाएं जारी नहीं की गई थीं।	(1) मामले की जांच की गई थी और शिकायत को सही नहीं पाया गया क्योंकि आरोप, तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं थे। कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया कि बोली खोले बिना ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू किया गया हो। (2) श्री रामजस मदनलाल को छोड़कर सभी आवेदकों को निविदाएं जारी कर दी गई थीं। श्री रामजस के मामले में कुछ असंगतियां देखी गईं जिसके कारण निविदा जारी नहीं की गई। इन असंगतियों को उक्त ठेकेदार ने, ई.ई. (सिविल) मंदसोर द्वारा उसको पत्र जारी होने के पश्चात् भी स्पष्ट नहीं किया।
3.	(i) बुद्धा जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स.-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (ii) टिगरिया अभिनंदन कालोनी जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स.-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (iii) औद्योगिक क्षेत्र जिला नीमच में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (iv) भावगर जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (v) मेलखेड़ा जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण (vi) इंदिरा नगर जिला मंदसोर में एस.आर.ए. एक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण	दिनांक 10-07-03 को संचार मंत्री द्वारा प्राप्त पत्र के तहत माननीय संसद सदस्य श्री बहादुर सिंह कोली	(1) ई.ई. (सिविल) के कार्यालय द्वारा ठेकेदारों को निविदाएं जारी की गई थी। (2) निविदा आमंत्रित करने से पहले ही ठेकेदारों ने कार्य शुरू कर दिया।	(1) अग्रणी समाचार-पत्रों और एम.पी. दूरसंचार वेब साईट के माध्यम से निविदाओं का उचित प्रचार किया गया है। बिना किसी पक्षपात के सभी पात्र निविदाकर्ताओं को निविदा जारी की गई थीं और सभी ने इसका उत्तर दिया है। (2) मामले की जांच की गई थी और शिकायत को सही नहीं पाया गया क्योंकि आरोप, तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं थे। कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया कि बोली खोले बिना ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू किया गया हो।

कानूनी कार्यवाही के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अनुमति

2484. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक कितने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) कितने मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को केन्द्र सरकार को कोई उत्तर अथवा अनुमति नहीं मिली है और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम-2003, सितम्बर, 2003 से अधिनियमित हो जाने के पश्चात् सरकार ने संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ किए जाने के 28 मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपेक्षित अनुमति प्रदान कर दी है।

(ख) जांच-पड़ताल के इस स्तर पर ऐसे मामलों का ब्यौरा देना, जांच-पड़ताल की प्रक्रिया के हित में नहीं होगा, जिन मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अनुमति मांगी है, क्योंकि इससे जांच-पड़ताल प्रभावित होगी।

[अनुवाद]

रोगियों और नर्सों का अनुपात

2485. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी अस्पतालों में विशेषकर दिल्ली में रोगियों नर्सों का अनुपात कितना है;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी के कारण रोगियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार भारत और विदेशों में नर्सों की बढ़ती मांग को देखते हुए नए नर्सिंग कॉलेजों को शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सरकारी अस्पतालों में रोगी नर्स का अनुपात मामला-दर-मामला भिन्न है जो रोग की किस्म, विशिष्टता के स्वरूप, अपेक्षित रोगी परिचर्या की किस्म अर्थात् अन्तरंग/बहिरंग जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

तथापि, केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 16-5-2001 के का.ज्ञा. सं. 2/8/2001-पी.आई.सी. के तहत दिए गए अनुदेशों, जिनमें, यह सीमा निर्धारित की गई थी, कि किसी वर्ष में होने वाली रिक्तियों की केवल एक तिहाई रिक्तियों पर सीधी भर्ती बहाल की जा सकती है जो आगे कुल स्वीकृत क्षमता के एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होंगी, के कारण यह विभाग विभिन्न सरकारी अस्पतालों में नर्सों के पदों सहित चिकित्सीय और गैर चिकित्सीय श्रेणी के सभी पदों को भरने की स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को पहले ही उच्चतम स्तर पर उठाया है जिसमें इन अनुदेशों के क्षेत्राधिकार से तकनीकी/वैज्ञानिक पदों को छूट देने की मांग की गई है। तथापि, नर्सों की उचित तैनाती के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है। तथापि, नर्सों की उचित तैनाती के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में रोगी परिचर्या सेवाएं प्रभावित न हों।

फिलहाल, देश में 747 नर्सिंग डिप्लोमा स्कूल और 254 नर्सिंग कालेज कार्यरत हैं। अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 40,000 नर्सें अर्हता प्राप्त करती हैं।

केन्द्रीय सरकार नौवीं योजना के दौरान राज्यों में नर्सिंग स्कूल की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान कर रही थी। दसवीं योजना में विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन नर्सिंग स्कूलों का उन्नयन कालेजों के रूप में करने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

एच.आई.वी./एड्स हेतु धनराशि

2486. श्री रघुनाथ झा:
श्री राजेन गोहेन:
श्री लोनाप्पन नम्बाडन:
श्री के.एस. राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान यू.एन. एड्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एच.आई.वी./एड्स के संबंध में एड्स महामारी की अद्यतन जानकारी देने वाली 2002 और 2003 की वार्षिक रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एड्स फैलने के संबंध में उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिपोर्टों में किस प्रकार के निवारक उपायों का सुझाव दिया गया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यूरोपियन सरकारों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य एजेन्सियों ने एड्स के उपचार हेतु धनराशि प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/गैर-सरकारी संगठनों की कितनी धनराशि जारी की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। सरकार को एच.आई.वी./एड्स महामारी अद्यतन (अपडेट) 2002 और 2003 संबंधी यू.एन.ए.आई.डी.एस. और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी है। वर्ष 2003 में जारी रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि भारत में एच.आई.वी./एड्स अति संवेदनशील समूहों अथवा शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु यह ग्रामीण क्षेत्रों और वृहत्तर जनसंख्या में धीरे-धीरे फैल रहा है। यह सूचना दौर-2002 के एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी डाटा के विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के इन्पुटों पर आधारित है।

भारत में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव के निवारण और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है, जो इस समय सम्पूर्ण भारत में निम्नलिखित घटकों के साथ केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयनाधीन है:-

* उच्च जोखिम वाली जनसंख्या के लिए हम उम्र परामर्श और व्यवहार में बदलाव लाने वाले संप्रेषण सहित एक बहुमुखी कार्ययोजना को अपनाते हुए लक्षित कार्यकलापों के जरिए निवारक कार्यकलाप।
* सामान्य जनसंख्या के लिए रक्त निरापदता, स्वैच्छिक परामर्श और जांच सेवाओं, माता-पिता से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम (पी.पी.टी.सी.टी.), सूचना शिक्षा और सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) हेतु कार्यक्रमों के जरिए निवारक कार्यकलाप और किशोर-किशोरियों के बीच जागरूकता पैदा करना।
* सामुदायिक परिचर्या सेवाओं, एड्स रोगियों को लग जाने वाले संक्रमणों के उपचार और व्यावसायिक अरक्षितता के निवारण की व्यवस्था द्वारा कम लागत की परिचर्या और सहायक सेवाओं का प्रावधान।
* कार्यस्थल कार्यकलापों और सरकारी-निजी सहभागिता सहित अन्त:-क्षेत्रीय कार्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सहयोगात्मक प्रयत्न।
* निगरानी, प्रशिक्षण, अनुवीक्षण और मूल्यांकन, तकनीकी संसाधन समूहों, ऑपरेशनल अनुसंधान और कार्यक्रम प्रबन्धन के जरिए कार्यक्रम कार्यन्वयन हेतु तकनीकी और प्रबन्धकीय क्षमताओं का सृजन करना।

(घ) और (ङ) पंचवर्षीय अवधि के लिए सहमत 100.08 मिलियन यू.एस. डालर में से एच.आई.वी., क्षय रोग और मलेरिया संबंधी वैश्विक निधि ने "एच.आई.वी./एड्स की माता-पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम" हेतु मई, 2004 में 2.859 मिलियन यू.एस. डालर उपलब्ध कराए हैं। अभी तक प्राप्त निधियों में से अब तक तीन गैर-सरकारी संगठनों अर्थात् ए.आर.सी.ओ.एन. (आर्कन) मुम्बई, फ्रीडम फाउन्डेशन, बेंगलौर और वाई.आर.जी. केयर चैन्नई को 430 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

वैश्विक निधि ने 5 वर्षों की अवधि के लिए एच.आई.वी. क्षयरोग सह-संक्रमण (को-इन्फैक्शन) परियोजना के लिए 14.8 मिलियन यू.एस. डालर और एण्टी रिट्रोवायरल उपचार परियोजना के लिए 140.878 मिलियन यू.एस. डालर की सहायता प्रदान करने की सहमति भी दे दी है और अब तक इनके लिए निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

वर्ष 2004-2005 के लिए प्रशिक्षण देने, कार्यशालाओं का आयोजन करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कन्ट्री बजट 1,00,000 यू.एस. डालर है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-2005 के लिए, 7,00,000 यू.एस. डालर का विश्व स्वास्थ्य संगठन अतिरिक्त कन्ट्री बजट एण्टी-रिट्रोवाइरल उपचार हेतु आबंटित किया गया है।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत स्टेशनों द्वारा रेडियोधर्मी कणों का उत्सर्जन

2487. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन परमाणु विद्युत स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनके निकट भविष्य में अपनी आयु पूरी करने की संभावना है;

(ख) इन विद्युत स्टेशनों से रेडियोधर्मी कणों के उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन परमाणु विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनमें से रेडियोधर्मी तत्वों का उत्सर्जन हुआ है;

(घ) क्या इन संयंत्रों के आस-पास रहने वाले परिवारों पर इसके प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) शून्य। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, परमाणु बिजलीघरों का आर्थिक जीवन 30-40 वर्ष होता है। व्यवस्थित जीवन-काल के मूल्यांकन संबंधी अध्ययनों और जीवन-काल बढ़ाने के उपायों के आधार पर, परमाणु विद्युत संयंत्रों को और 20-25 वर्षों के लिए सुरक्षित रूप से परिचालित किया जा सकता है। भारत में भी, हमारा अनुभव ऐसा ही रहा है। सभी संयंत्रों का परिचालन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) द्वारा लाइसेंस दिए जाने और समय-समय पर परिचालन की पुनरीक्षा किए जाने पर निर्भर करता है। वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सामने, जीवन-काल बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह लागू नहीं होता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, किसी भी संयंत्र से हुआ उत्सर्जन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं हुआ है।

(घ) परमाणु विद्युत संयंत्रों के निकट रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों पर विकिरण के पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाने के लिए, भारत के एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र द्वारा जानपदिक-रोगवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि परमाणु विद्युत संयंत्रों के परिचालन से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

(च) ऊपर (ङ) के मद्देनजर यह लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

आरक्षण प्रावधानों को लागू करना

2488. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 21 जनवरी, 2002 और 26 अगस्त, 2004 के पत्रों के माध्यम से सभी मंत्रालयों और विभागों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने हेतु निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि कई राज्यों विशेषत: दिल्ली में इसे लागू नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) संसद द्वारा संविधान का अनुच्छेद 16(4क) संशोधित कर दिए जाने के उपरांत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो अधिकारी/कर्मचारी पहले आरक्षण रोस्टर के नियम द्वारा पदोन्नत किए गए थे उन्हें, परिणामी वरिष्ठता का लाभ बहाल करने की दृष्टि से, दिनांक 21 जनवरी, 2002 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। दिनांक 26 अगस्त, 2004 का कार्यालय ज्ञापन बकाया चली आ रहीं आरक्षित पदोन्नति की रिक्तियां भरे जाने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के लिए अभिप्रेत है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा उक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना अपेक्षित है। विशेष भर्ती अभियान के संबंध में, 31-12-2004 तक स्थितिपरक रिपोर्ट मांगी गई है।

(ग) से (ङ) अनुच्छेद 16(4क) समर्थकारी प्रावधान होने के नाते, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दो कार्यालय ज्ञापन, राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संबंध में प्रत्यक्षत: लागू नहीं है। संबंधित राज्य सरकारों को, इस विषय में अपना निर्णय स्वयं लेना है। फिर भी, दिल्ली के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

डाक विभाग में हड़ताल

2489. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण डाक सेवक आल इण्डिया पोस्टल एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट इम्प्लाइज यूनियन के बैनर तले 14 सितम्बर, 2004 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.ए.एस. अधिकारियों के त्याग-पत्र

2490. श्री विजय कृष्ण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान समय पूर्व सेवानिवृत्ति, वी.आर.एस. आदि जैसे विभिन्न कारणों से त्यागपत्र देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों का क्या ब्यौरा है जिनके विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की गई है तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) संगत नियमों के अंतर्गत, त्याग-पत्र, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति तथा समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं हैं। इस विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की संख्या जिन्होंने सेवा से त्याग-पत्र दिया, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ली तथा जिन्हें समय से पूर्व सेवा-निवृत्त किया गया, निम्नानुसार रही:

त्याग-पत्र	—	4
स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति	—	21
समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति	—	शून्य

उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत कारणों से सेवा से त्याग-पत्र दिया गया/स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ली गई।

(ख) इस विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के अंतर्गत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों को, अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु, आरोप पत्र दिए गए हैं।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय के मुख्यालय भवन का निर्माण

2491. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश मंत्रालय को नई दिल्ली में अपने मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए लगभग बारह वर्ष पूर्व मौलाना आजाद रोड पर 7.7 एकड़ मुख्य भूमि आबंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो भवन के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) भवन का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) जी हां, विदेश मंत्रालय को 1994 में अपने मुख्यालय का निर्माण करने के लिए जनपथ और मौलाना आजाद मार्ग के जंक्शन पर 7.78 एकड़ का एक भू-खंड आबंटित किया गया था।

(ख) यद्यपि यह भू-खंड 1994 में आबंटित किया गया था, परन्तु इस भू-खंड पर अवैध अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका था। लम्बी अवधि तक मुकदमा चलने के पश्चात् 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् मंत्रालय को खाली भूखंड का स्वामित्व दे दिया गया। वर्ष 2000 में एक सीमित वास्तु डिजाइन प्रतियोगिता हुई थी, जिसे समाप्त करना पड़ा था, क्योंकि कोई भी प्रविष्टि संतोषजनक नहीं थी। नवम्बर, 2003 में, यह निर्णय लिया गया कि यह परियोजना डिजाइन तथा निष्पादन के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दी जाएगी।

(ग) के.लो.नि.वि. ने एक परिकल्पना डिजाइन तैयार किया था, जिसे सिद्धांत रूप में तथा अन्य प्रमुख इमारतों के साथ वास्तु परिदृश्य सामंजस्य में स्वीकार कर लिया गया है। यह डिजाइन अनुमोदन के लिए संबंधित स्थानीय निकायों को प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ सक्षम प्राधिकारियों से वित्तीय अनुमोदन भी लिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने को उच्च प्राथमिकता देता है। के.लो.नि.वि. ने यह बताया है कि सभी अनुमोदनों की प्राप्ति के चालीस माह के पश्चात् इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मंत्रालय का प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बार आवश्यक अनुमोदन मिलने के पश्चात् के.लो.नि.वि. द्वारा यह परियोजना समय पर पूरी कर दी जाए।

भारतीय औषध नियंत्रक द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राधिकार

2492. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अधीनस्थ होने के कारण भारतीय औषध नियंत्रक को कार्यात्मक स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो औषध नियंत्रक द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राधिकार का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा औषध नियंत्रक के पद को स्वतंत्र बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, जिसके अध्यक्ष औषध नियंत्रक (भारत) होते हैं, जिन्हें औषध महानियंत्रक (भारत) के रूप में पुन: पदनामित किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) के कार्य विधि स्वरूप के हैं जिनके अन्तर्गत औषध नियंत्रक (भारत) निम्नलिखित के संबंध में अपने प्राधिकार का प्रयोग करता है:-

क. विपणन प्राधिकार/नई औषधों के आयात तथा नैदानिक परीक्षणों का अनुमोदन।

ख. केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में औषधों की कुछ श्रेणियों अर्थात् रक्त बैंकों तथा रक्त उत्पादों, अत्यधिक मात्रा में पैरेन्टेरल, सीरा तथा वैक्सीन तथा आर.डी.एन.ए. आधारित उत्पादों (बायोटेक औषधें) का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस अनुमोदित करना।

ग. विदेशी विनिर्माताओं तथा उनके उत्पादों (बल्क तथा फार्मूलेशन दोनों) के पंजीकरण का अनुमोदन।

इसके अतिरिक्त, औषध नियंत्रक (भारत) की अध्यक्षता में सी.डी.एस.सी.ओ. द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य इस प्रकार हैं:-

(i) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन ऐसी औषधों जो हानिकारक अथवा असंगत स्वरूप की है, की प्रतिबंध लगाने के लिए स्क्रीनिंग।

(ii) औषध तकनीकी सलाहकारी बोर्ड तथा औषध परामर्शदायी समिति से संबंधित कार्य।

(iii) केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशालाओं के कार्यकरण का पर्यवेक्षण।

(iv) भारतीय भेषज कोश का प्रकाशन।

(v) राष्ट्रीय औषध निगरानी (फार्मा कोविजिलेंस) कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(vi) फार्मास्युटिकल उद्योग तथा अन्य स्टेक होल्डरों का मार्गदर्शन।

(vii) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमावली तथा नीतिगत मार्गदर्शन का एक समान संचालन हासिल करने के लिए राज्य औषध नियंत्रण संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय।

(viii) डब्ल्यू.एच.ओ.जी.एम.पी. प्रमाणीकरण योजना में भागीदारी।

(ix) औषध निरीक्षकों तथा सरकारी विश्लेषकों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

(x) औषधीय उत्पादों के लिए स्वापक औषध कोटे का वितरण।

(xi) गैर अनुमोदित/प्रतिबंधित औषध के निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदनों का मूल्यांकन/स्क्रीनिंग।

(xii) विविध।

इस समय, औषध नियंत्रक के पद को स्वतंत्र पद बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में विदेशी स्वास्थ्य देखभाल

2493. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी नियम बनाने की पहल शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में विदेशी स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं का स्तर बढ़ाने एवं उन्हें सुचारू बनाने हेतु कार्य करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजधानी से प्रतिनिधियों के एक समूह ने रोगियों को दिए जा रहे स्वास्थ्य देखभाल पैकेज में खामियों को समझने के लिए अक्तूबर, 2004 माह में बैंकाक का दौरा किया था;

(च) यदि हां, तो क्या राजधानी निजी अस्पतालों की जांच के बाद यूनाइटेड किंगडम और अमरीका से आने वाले पूर्व के दल ने उन्हें मान्यता देने से इन्कार कर दिया था क्योंकि वे आवश्यक मानदंड पूरा नहीं करते हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत को एक स्वास्थ्य स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कार्यबल गठित किया गया है। इस कार्यबल को अतिविशिष्टता वाली चिकित्सा परिचर्या, चिकित्सा सेवाओं की आऊटसोर्सिंग, उपलब्ध परम्परागत औषध विशेषज्ञता इत्यादि सहित विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। मानक स्तर की सुविधाओं वाले अस्पतालों/संस्थाओं की सूची की पहचान करने का भी कार्य इस कार्यबल को सौंपा गया है।

(ङ) भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या संघ के साथ अक्तूबर, 2004 में हास्पिटल मैनेजमेंट एशिया, थाइलैण्ड में भाग लेने के लिए एक शिष्टमण्डल का प्रतिनिधित्व किया। इस शिष्टमण्डल ने विदेशी रोगियों को आकर्षित करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों की जानकारी लेने के वास्ते बमरुगराइड अस्पताल का भी दौरा किया।

(च) कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

एच.आई.वी./एड्स के विभिन्न मुद्दों पर विधान

2494. श्री के.एस. राव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एच.आई.वी./एड्स से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे भेद-भाव, ब्लड बैंकों में गैर कानूनी आचरण आदि से निपटने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। एच.आई.वी./एड्स संबंधी लायर्स कालेक्टिव द्वारा एच.आई.वी./एड्स पर एक प्रारूप विधान तैयार किया गया है। उस पर एच.आई.वी./एड्स संबंधी प्रारूप विधान के लिए परामर्शदायी कार्य समूह की बैठक में शीघ्र ही चर्चा की जाएगी और उसके बाद उसे सदन के पटल पर रखने से पूर्व राज्यों और विधि एवं न्याय मंत्रालय को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा।

[हिन्दी]

खादी और कालीन उद्योग में संकट

2495. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के खादी तथा कालीन उद्योग में संकट के बारे में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों के विपणन, पुनर्निर्माण विकास, श्रमिकों के बीमें एवं कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के उन जिलों की संख्या कितनी है जहां कालीन उद्योग चल रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) कालीन उद्योग में गम्भीर संकट की सूचना नहीं मिली है। जबकि खादी उद्योग में भी ऐसे गम्भीर संकट नहीं हैं, खादी उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री तथा खादी क्षेत्र में रोजगार अवसरों का सृजन पिछले कुछ समय में लगभग स्थिर रहा है।

(ख) सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अक्तूबर, 2004 में विघटन कर दिया है और एक विशेषज्ञ समिति की हाल ही में नियुक्ति की है, जिसके विचारार्थ विषयों में एक तरफ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957, आदि तथा दूसरी तरफ के वी.आई.सी. की स्थापना से लेकर इसके क्रियाकलाप/योजनाएं शामिल हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय सृजन को बढ़ाकर विद्यमान अथवा नए के.वी.आई. कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए के.वी.आई.सी. को अधिक व्यावसायिक एवं प्रभावी निकाय बनाने की दृष्टि से सुधार के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना तथा खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादनों के लिए बाजारों का विस्तार करना है।

(ग) उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग अधिकांश तौर पर मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, सोनभद्र, शाहजहानपुर एवं आगरा जिले में संकेन्द्रित है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फ्यूजन इमेज कैमरे

2496. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाभिकीय औषधि विभाग में फ्यूजन इमेज कैमरा लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) उक्त कैमरे लगाने वाली कम्पनी का नाम क्या है तथा इनकी लागत क्या है; और

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उक्त उपकरण प्रचालित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में नाभिकीय चिकित्सा विभाग में फ्यूजन इमेज कैमरे लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

2497. श्री सीताराम सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यात्रियों के यातायात तथा कार्गो सेवा के अतिरिक्त साधन के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कौन-सी योजनाएं बनाई जा रही हैं;

(ग) देश में राज्य-वार अंतर्देशीय जलमार्गों का ब्यौरा क्या है जहां कार्गो सुविधा उपलब्ध है;

(घ) कार्गो ढुलाई में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कौन-सी परियोजनाएं बनाई गई हैं तथा इस पर निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय जल-परिवहन को विकसित किए जाने के बारे में राज्यों से प्रस्ताव मिल गए हैं। वर्ष, 2003-2004 में सरकार द्वारा 6 राज्यों की 50.18 करोड़ रु. की लागत पर 15 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। उपर्युक्त परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। इस वर्ष पांच राज्यों से ग्यारह प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) कार्गो परिवहन की सुविधा, तीन जलमार्गों पर सुलभ है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और केरल-राज्यों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इन तीन राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से भी कार्गो का परिवहन होता है।

(घ) और (ङ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र की प्रतिभागिता प्रोत्साहित करने के लिए ग्यारह परियोजनाएं तैयार की गई हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा, संलग्न विवरण-III में है। इन परियोजनाओं में से पांच परियोजनाओं के संबंध में, समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवा कर बोलियां आमंत्रित की जा चुकी हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

बजट अनुमान 2003-04 प्रावधान - 2.00 करोड़ रु.
संशोधित अनुमान 2003-04 प्रावधान - 10.00 करोड़ रु.
वास्तविक व्यय-2003-04 -9.8539 करोड़ रु.
बजट अनुमान-2004-05 प्रावधान-20.00 करोड़ रु.

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	अनुमानित लागत	2003-04 के दौरान दे दी गई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	त्रिवेणी तथा फरक्का के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 1 में गैंगवे पन्टून टाइप फ्लोटिंग जे.टी. (53) तथा एल.सी.टी. (4) के लिए आर.सी.सी. स्लिप वे जेटी टाइप का निर्माण (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/3/2003-आई.डब्ल्यू.टी.)	पश्चिम बंगाल	2261.50	452.00
2.	उड़ीसा राज्य में जलमार्ग विकास पर डी.पी.आर. की तैयारी तथा आई.डब्ल्यू.टी. क्षेत्र का भावी विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/6/2003-आई.डब्ल्यू.टी.)	उड़ीसा	10.30	2.06
3.	विद्यमान सुविधाओं के उन्नयन के लिए उड़ीसा राज्य में आई.डब्ल्यू.टी. क्षेत्र का भावी विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/10/2003-आई.डब्ल्यू.टी.)	उड़ीसा	204.40	40.80
4.	पटना में नदी के सामने विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना जिसका उद्देश्य आई.डब्ल्यू.टी. आधारित पर्यटन है। (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/10/2003-आई.डब्ल्यू.टी.)	बिहार	25.00	5.00
5.	हाइड्रोमारफोलोजीकल आंकड़ों का संकलन तथा गन्डक नदी में आई.डब्ल्यू.टी. सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/11/2003-आई.डब्ल्यू.टी.)	बिहार	30.00	5.00
6.	हाइड्रोमारफोलोजीकल आंकड़ों का संकलन तथा कोसी नदी में आई.डब्ल्यू.टी. सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/12/2003-आई.डब्ल्यू.टी.)	बिहार	30.00	6.00
7.	हाइड्रोमारफोलोजीकल आंकड़ों का संकलन तथा सोन नदी में आई.डब्ल्यू.टी. सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/13/2003-आई.डब्ल्यू.टी.)	बिहार	30.00	5.00
8.	कर्नाटक में आई.डब्ल्यू.टी. के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/12/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	कर्नाटक	56.70	11.34
9.	गोदावरी नदी, विष्णुपुरी के समीप, महाराष्ट्र में आई.डब्ल्यू.टी. का विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/9/2002-आई.डब्ल्यू.टी.)	महाराष्ट्र	272.21	48.99
10.	महाराष्ट्र में दक्षिणी मुम्बई से मान्डवा तक (अम्बा नदी/धर्मतर क्रीक) तथा उसके विलोमत आई.डब्ल्यू.टी. का विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/1/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	महाराष्ट्र	410.95	82.00

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र में दक्षिणी मुम्बई से करन्जा तक (अम्बा नदी/धर्मतर क्रीक) तथा उसके विपरीत आई.डब्ल्यू.टी. का विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/2/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	महाराष्ट्र	481.54	96.00
12.	महाराष्ट्र में राजपुरी पर माशला/मन्डाड नदी (राजपुरी क्रीक) में आई.डब्ल्यू-टी. का विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/3/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	महाराष्ट्र	469.45	93.00
13.	महाराष्ट्र में झंजीरा किला के समीप माशला/मन्डाड नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/7/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	महाराष्ट्र	124.60	16.20
14.	ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर टर्मिनल-सुविधा (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/8/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	असम	260.40	52.00
15.	ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर टर्मिनल-सुविधा (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/9/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	असम	351.68	70.00
	जोड़		5018.73	985.39

विवरण-II

वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मिले प्रस्ताव

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	पश्चिमी तट नहर के वेली कोवलम खंड (प्रवाथी पुथनार नहर) का पुनरूद्धार (फा. सं. आई.डब्ल्यू-4013/6/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	केरल	364.22	परियोजना में पर्याप्त निकर्षण संघटक के मद्देनजर राज्य सरकार से परियोजना के निष्पादन के तौर तरीकों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
2.	महाराष्ट्र में दक्षिण मुम्बई में अम्बा नदी/रीवास पर धर्मतार क्रीक तक तथा उसके विलोमत अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/6/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	महाराष्ट्र	296.50	जांचाधीन
3.	झगरडान्डा में माशला/मन्डाड नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/5/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	महाराष्ट्र	335.34	जांचाधीन
4.	दिग्ही में माशला/मन्डाड नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/4/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	महाराष्ट्र	499.39	जांचाधीन
5.	मालापुरम से सदरास, बैक वॉटर तक (एल.एस. 54500 मी. से 66500 मी. तक) नौचालन के लिए साउथ बकिंगघम के सुधार के लिए प्रस्ताव (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/20/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	तमिलनाडु	500.00	परियोजना में पर्याप्त निकर्षण संघटक हैं तथा यातायात-संभावनाओं के ब्यौरे की भी कमी है, इसलिए निरस्त की गई।

1	2	3	4	5
6.	उदीयुर से मारकनाम बैक वाटर (एल.एस. 93000 मी. से 103000 मी. तक) नौचालन के लिए साउथ वकिंगघम के सुधार के लिए प्रस्ताव (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/21/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	तमिलनाडु	500.00	-वही-
7.	चेन्नई महानगर क्षेत्र में पेरियार पुल से कॉलेज रोड पुल तक (एल.एस. 1590 मी. से 6720 मी. तक) अंतर्देशीय जलमार्ग में क्यूम नदी सुधार के लिए प्रस्ताव (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/18/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	तमिलनाडु	500.00	-वही-
8.	इन्नौर क्रीक से कालान्ची गांव तक (एल.एस. 16800 मी. से 30000 मी. तक) नौचालन के लिए उत्तरी वकिंगघम नहर के सुधार का प्रस्ताव। (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/19/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	तमिलनाडु	500.00	-वही-
9.	पश्चिमी बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन तथा संबंधित पहलुओं का सर्वेक्षण/अध्ययन (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/12/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	पश्चिम बंगाल	99.21	परियोजना में आवश्यक रूप से अध्ययन के लिए लगाए जाने वाले तकनीकी कर्मियों का वेतन/उनकी मजदूरी शामिल है।
10.	हल्दिया तथा त्रिवेणी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर 4 गैंग वे पन्टून टाइप जेटियां तथा एक आर.सी.सी. जेटी का निर्माण (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14023/12/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	पश्चिम बंगाल	372.82	जांचाधीन।
11.	मापूसा, चपोरा तथा साल नदियों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए परियोजना प्रस्ताव। (फा. सं. आई.डब्ल्यू-14013/24/2004-आई.डब्ल्यू.टी.)	गोवा	109.08	जांचाधीन।

विवरण-III

उन परियोजनाओं की सूची जिनका निजीकरण करके उन्हें निजी क्षेत्र के लिए चुना गया है:

1. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में जेवी आधार पर कोलकाता से मोगंला (बंग्लादेश) तक कार्गो ढुलाई के लिए 1000 डी.डब्ल्यू.टी. की नौकाओं की खरीद तथा चालन।
2. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में जेवी आधार पर धुबरी से कोलकाता तक कार्गो ढुलाई के लिए 1000 डी.डब्ल्यू.टी. की नौकाओं की खरीद तथा उनका चालन।
3. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में जेवी आधार पर जोगीघोपा से कोलकाता तक कार्गो ढुलाई के लिए 1000 डी.डब्ल्यू.टी. की नौकाओं की खरीद तथा चालन।
4. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में जेवी आधार पर पाण्डु से कोलकाता तक कार्गो ढुलाई के लिए 1000 डी.डब्ल्यू.टी. की नौकाओं की खरीद तथा चालन।
5. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में जेवी आधार पर डिब्रूगढ़ से कोलकाता तक कार्गो ढुलाई के लिए 600 डी.डब्ल्यू.टी. की नौकाओं की खरीद तथा चालन।
6. राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में जेवी आधार पर कोचीन से आस-पास के क्षेत्र कार्गो ढुलाई के लिए 200 डी.डब्ल्यू.टी. की नौकाओं की खरीद तथा चालन।
7. हल्दिया में लॉजिस्टिक पार्क सहित जेटी।
8. बन्डेल तापीय विद्युत स्टेशन के समीप बन्डेल (जिला हुगली) में टोकरी (हॉपर) सुविधाओं सहित फ्लोटिंग जेटी।
9. हावड़ा की ओर हुगली नदी पर शालीमार में जेटी।
10. कोलकाता के समीप बज-बज पर फ्लाई ऐश जेटी, और
11. कोलाघाट (जिला मिदनापुर) में फ्लाई ऐश जेटी।

विवरण-IV

उन परियोजनाओं की सूची जिनके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं:

1. हल्दिया में लॉजिस्टिक पार्क सहित जेटी

2. बन्डेल तापीय विद्युत स्टेशन के समीप बन्डेल जिला (हुगली) पर टोकरी (हॉपर) सुविधाओं के साथ-साथ फ्लोटिंग जेटी।

3. हावड़ा की ओर हुगली नदी पर शालीमार में जेटी।

4. कोलकाता के समीप बज-बज पर फ्लाई ऐश जेटी।

5. कोलाघाट (जिला मिदनापुर) में फ्लाई ऐश जेटी।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग

2498. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जहां पर वर्ष 2002 से आज तक उन्हें चौड़ा करने, उनका विस्तार करने और उनका अनुरक्षण करने का कार्य आरंभ किया गया है;

(ख) इस पर कितना खर्च हुआ है और कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) निकट भविष्य में आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जम्मू और कश्मीर में रा.रा. 1ए, रा.रा. 1बी और रा.रा. 1सी. के विभिन्न खंडों को चौड़ा करने, विस्तार और अनुरक्षण का कार्य 2002 से प्रारंभ हो गया है।

(ख) किया गया व्यय और किया जाने वाला अनुमानित व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रु.)

रा.रा. सं.	किया गया व्यय	चालू कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाने वाला अनुमानित व्यय
रा.रा. 1ए	87.34	346.00
रा.रा. 1बी	25.00	240.00
रा.रा. 1सी	—	31.00

(ग) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं के ब्योरे इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	रा.रा. सं.	परियोजना का विवरण
1	2	3
1.	रा.रा. 1ए	80.00 से 97.00 कि.मी. को छोड़कर पठानकोट-जम्मू खंड को चार लेन का बनाना।
2.	रा.रा. 1ए	जम्मू-उधमपुर खंड तथा नगरौता और उधमपुर बाइपास को चार लेन का बनाना।
3.	रा.रा. 1ए	उधमपुर-बनिहाल खंड को चार लेन का बनाना।
4.	रा.रा. 1ए	बनिहाल-खन्नाबल खंड को चार लेन का बनाना।

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

2499. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर गुजरात राज्य सरकार की अनेक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की लागत क्या है;

(घ) परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंथेटिक दूध

2500. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिंथेटिक दूध की तथाकथित व्यापक बिक्री संबंधी हाल की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके घटक कौन से हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी बिक्री रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत "सिंथेटिक दूध" की कोई परिभाषा नहीं है। "सिंथेटिक दूध" का आशय सामान्यत: भौतिक, रासायनिक और पौष्टिक गुण से युक्त "प्राकृतिक दूध" से है। "सिंथेटिक दूध" का नाम प्रेस (मीडिया) द्वारा शुद्ध दूध और वेजीटेबल फैट, सुगर और रसायनों अर्थात् लिक्विड डिटर्जेन्ट, कास्टिक सोडा, यूरिया, कैस्टर आयल, हाइड्रोज पेराआक्साइड, सोडियम सल्फेट जैसे तत्वों के मिश्रणों से बनने वाले पदार्थ को दिया गया बनावटी नाम है, जिनका प्रयोग उत्तरी राज्यों के कुछ संदिग्ध व्यापारियों/व्यावसायियों द्वारा दूध में फैट (वसा) बढ़ाने के लिए किया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के प्रावधान के अनुसार पोषण तत्वरहित दूध और दूध से बने पदार्थ की बिक्री पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के प्रावधान के तहत पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। किसी भी ''मिलावटी'' और ''गलतब्रान्ड'' की खाद्य सामग्री की बिक्री दण्डनीय अपराध है जिसके लिए न्यूनतम 6 माह का कारावास और न्यूनतम 1000/- रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी मिलावटी खाद्य पदार्थ के कारण मौत होती है या गहरा आघात पहुंचता है, तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा और न्यूनतम 5000/- रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

राज्यों/संघ शासित राज्यों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों से समय-समय पर विक्रय किए जाने वाले दूध की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने का अनुरोध किया जाता रहा है। क्योंकि वे ही खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण नियमावली, 1955 को अधिनियमित और क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. पूल के क्वार्टर

2501. श्री कैलाश मेघवाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पदा निदेशालय द्वारा सी.जी.एच.एस. कर्मचारियों को सामान्य पूल के आवास देने की पेशकश के बावजूद उनके द्वारा सी.जी.एच.एस. पूल के क्वार्टरों में ही कब्जा बनाए रखने के उदाहरण सरकार की नजर में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन कर्मचारियों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने अभी तक सी.जी.एच.एस. पूल के क्वार्टरों को खाली नहीं किया है;

(ग) ऐसे अधिभोगियों के नाम, पदनाम और प्राथमिकता की तिथि क्या है जिनके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्रवाई/क्वार्टर से निकाले जाने की कार्रवाई शुरू की गई थी; और

(घ) सरकार का विचार उनसे इस पूल के क्वार्टरों को कब तक खाली करवाने तथा उन्हें पात्र कर्मचारियों को आबंटित करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) सरकार के ध्यान में जो मामले आए हैं वे इस प्रकार हैं:-

(i) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन श्री राम प्रसाद, चालक, जिसका अग्रता तारीख 25-10-1982 है, क्वार्टर संख्या 2, टाइप-II में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पूल आवास में रह रहा है, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, सेक्टर-2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली से संबद्ध है।

(ii) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन श्रीमती कांति देवी, महिला अटेंडेण्ट, जिसकी अग्रता तारीख 7-1-1988 है, क्वार्टर संख्या 732, सेक्टर-8, आर.के.पुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पूल आवास में रह रही है।

संपदा निदेशालय द्वारा सामान्य पूल आवास की पेशकश करने के पश्चात् भी उपर्युक्त दोनों प्राधिकारियों ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पूल आवास खाली नहीं किए हैं।

(घ) दोनों प्राधिकारियों को संपदा निदेशालय से सामान्य पूल आवास की अगली पेशकश को स्वीकार करने और अपने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पूल आवास को खाली करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं ताकि इन्हें पात्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों को आबंटित किया जा सके।

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर

2502. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में कोई नया इस्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल फोनों की मांग

2503. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री एम. अप्पादुरई:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री कुलदीप विश्नोई:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार क्षेत्र की एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल फोन सेवाओं की अत्यधिक मांग है किन्तु वे मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं और आवेदक निजी सेवादाताओं से सेवा लेने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) मांग पर आधारित मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों नामत: भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल फोन सेवाओं की भारी मांग है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड केवल दिल्ली और मुम्बई में मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रहा है और इस समय इसके उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 0.6 मिलियन है। भारत संचार निगम लिमिटेड, दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर समूचे देश में मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार इसके उपभोक्ताओं की संख्या 8 मिलियन से अधिक है। इस समय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मांग पर प्री-पेड सेल्युलर मोबाइल और वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) मोबाइल कनेक्शन प्रदान कर रहा है परंतु पोस्ट पेड सेल्युलर मोबाइल कनेक्शनों की मांग अस्थायी रूप से पूरी नहीं कर पा रहा है; जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड मांग पर पोस्ट-पेड सेल्युलर कनेक्शन प्रदान कर रहा है और कुछ क्षमता संबंधी दबावों के कारण प्री-पेड सेल्युलर कनेक्शन देने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई हुई है।

(ग) दिल्ली और मुम्बई में मांग पूरी और सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली सेवा क्षेत्र में 400 हजार लाइन क्षमता का नेटवर्क स्थापित कर चुका है और मुम्बई सेवा क्षेत्र में 400 हजार लाइन क्षमता के नेटवर्क को चालू करने का कार्य भी प्रगति पर है। इसी प्रकार भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश के शेष भाग में मांग पर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने तथा सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए, वर्ष 2005 में मौजूदा मोबाइल नेटवर्क का 12 मिलियन लाइनों द्वारा विस्तार करने की व्यापक योजना तैयार की है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1107/2004]

(ख) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद सं. (1) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1108/2004]

(3) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा लघु उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौते। ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1109/2004]

(4) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्माल इंडस्ट्रीज, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्माल इंडस्ट्रीज, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1110/2004]

(5) (एक) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट संटर, आगरा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1111/2004]

(6) (एक) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोमेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1112/2004]

(7) (एक) फ्रैग्रेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्रैग्रेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1113/2004]

(8) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1114/2004]

(9) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैन्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैन्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1115/2004]

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2002-2003 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1116/2004]

(ख) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1117/2004]

(ग) (एक) कांडला पत्तन न्यस, गांधीधाम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1118/2004]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा०का०नि० 539(अ) जो 24 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 707(अ) जो 28 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 708(अ) जो 28 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 737(अ) जो 5 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगाव पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1119/2004]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1120/2004]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1121/2004]

(2) (एक) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1122/2004]

(3) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1123/2004]

(4) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1124/2004]

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमैगनेटिज्म, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमैगनेटिज्म, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1125/2004]

(6) (एक) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1126/2004]

(7) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1127/2004]

(8) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1128/2004]

(9) (एक) आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1129/2004]

(10) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1130/2004]

(11) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1131/2004]

(12) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1132/2004]

(13) (एक) इंडियन एकेडमी आफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी आफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1133/2004]

(14) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1134/2004]

(15) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रौपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रौपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1135/2004]

(16) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फार रिसर्च इन पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटिरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फार रिसर्च इन पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटिरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1136/2004]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन अवकाश) संशोधन विनियम, 2004 जो 23 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 366 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2004 जो 30 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1137/2004]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत जारी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें 13 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 422* को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1138/2004]

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1139/2004]

(4) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1140/2004]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 15 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 451(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1141/2004]

(2) (एक) कैंसर इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1142/2004]

(3) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1143/2004]

(4) (एक) लाला राम सरूप इंस्टीट्यूट आफ ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम सरूप इंस्टीट्यूट आफ ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1144/2004]

(5) (एक) डेंटल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेंटल काठंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1145/2004]

(7) (एक) इंदिरा गांधी रीजनल कैंसर सेंटर, रायपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी रीजनल कैंसर सेंटर, रायपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1146/2004]

* अधिसूचना 1 दिसंबर, 2004 को सभा पटल पर रखी गई थी।

(8) (एक) पं. बी.डी. शर्मा पोस्टग्रेज्युएट् इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पं. बी.डी. शर्मा पोस्टग्रेज्युएट् इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1147/2004]

(10) (एक) पं. बी.डी. शर्मा पोस्टग्रेज्युएट् इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पं. बी.डी. शर्मा पोस्टग्रेज्युएट् इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1148/2004]

(12) (एक) पं. बी.डी. शर्मा पोस्टग्रेज्युएट् इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पं. बी.डी. शर्मा पोस्टग्रेज्युएट् इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1149/2004]

(13) (एक) रीजनल कैंसर सेंटर, मिजोरम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर, मिजोरम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1150/2004]

(15) (एक) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड कस्तूरबा हास्पिटल, सेवाग्राम, वर्धा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड कस्तूरबा हास्पिटल, सेवाग्राम, वर्धा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1151/2004]

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1152/2004]

(ख) (एक) हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) उपर्युक्त मद सं. (16) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1153/2004]

(18) निम्नलिखित केन्द्रों के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1154/2004]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ौदा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1155/2004]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1156/2004]

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1157/2004]

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1158/2004]

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1159/2004]

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1160/2004]

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1161/2004]

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1162/2004]

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1163/2004]

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1164/2004]

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1165/2004]

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, सागर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1166/2004]

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1167/2004]

(पंद्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरूवनंतपुरम।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1168/2004]

(सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापट्टनम।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1169/2004]

(सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1170/2004]

(अठारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1171/2004]

(19) उपर्युक्त केन्द्रों के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1172/2004]

(20) हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1173/2004]

(21) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत नए मेडिकल कालेज की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम का आरंभ किया जाना और मेडिकल कालेज द्वारा दाखिला क्षमता में वृद्धि विनियम, 2003 जो 16 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3-.14.2004-नॉर्म्स में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1174/2004]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. नारायण राव): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1175/2004]

अध्यक्ष महोदय: कृपया काना-फूसी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया ऐसा मत कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लेखा पृथक्करण संबंधी रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2004 जो 23 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 414-7/99-एफए (संख्या 37) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लेखा पृथक्करण संबंधी रिपोर्टिंग प्रणाली (पहला संशोधन) विनियम, 2004 जो 25 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 414-7/99-एफए (संख्या 97) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लेखा पृथक्करण संबंधी रिपोर्टिंग प्रणाली (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004 जो 11 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 414-7/99-एफए (संख्या 169) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद सं. (1) के (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1176/2004]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पात्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1177/2004]

(4) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी (सुरक्षा प्रक्रिया) नियम, 2004 जो 5 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 735(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग) नियम, 2004 जो 10 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 582(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी) (संशोधन) नियम, 2004 जो 21 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य मानक) नियम, 2003 जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 904(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी) (संशोधन) नियम, 2003 जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 902(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सूचना प्रौद्योगिकी (न्याय निर्णायक अधिकारियों की अर्हता और अनुभव तथा जांच करने की रीति) नियम, 2003 जो 17 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) साईबर विनियम अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता की जांच प्रक्रिया) नियम, 2003 जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा.का.नि. 799(अ) जो 9 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) सा.का.नि. 181(अ) जो 3 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत वेबसाइट को रोके जाने की प्रक्रिया विहित की गई है।

(दस) सा.का.नि. 240(अ) जो 25 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सूचना सचिवों की न्यायनिर्णायक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 285(अ) जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

17 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 789(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर अपील अधिकरण में निहित सिविल न्यायालय की अन्य शक्तियां) नियम, 2003 जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1178/2004]

(5) (एक) सोसायटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1178-क/2004]

(6) (एक) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1178-ख/2004]

(7) (एक) साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1178-ग/2004]

(8) (एक) ई.आर.एन.ई.टी. इंडिया के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ई.आर.एन.ई.टी. इंडिया के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1178-घ/2004]

(9) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डेक) के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डेक) के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1178-ङ/2004]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2004 जो 20 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686(अ) में प्रकाशित हुए तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 23 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 761(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1179/2004]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1180/2004]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1141(अ) जो 15 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के करूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 पर एक उपरि रेल पुल के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1039(अ) जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके

द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर बाईपासों को चौड़ा करने और उनके निर्माण हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय, कलक्टरेट, जिला थुथूकुडी को अधिकृत किया गया है।

(तीन) का.आ. 1140(अ) जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग संख्या-7 (सलेम-करूर खंड) पर बाईपासों को चौड़ा करने और उनके निर्माण हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए अधिसूचना में उल्लिखित अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

(चार) का.आ. 1042(अ) जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरूनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) को चार लेन वाला बनाने हेतु अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1055(अ) जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 1107(अ) जो 12 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित अधिकारियों को मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 1111(अ) और का.आ. 1112(अ) जो 13 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (किशन गिरि-रानीपेट खंड) के विभिन्न खंडों को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1113(अ) जो 13 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1202(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर एक्सेस कंट्रोल्ड चितौड़गढ़ बाईपास को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1110(अ) जो 13 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 955(अ) जो 27 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 956(अ) जो 27 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 219(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ. 966(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर-मंगलवार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन या प्रचालन (चार लेन बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 967(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 156(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पन्द्रह) का.आ. 968(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1107(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ. 969(अ) जो 31 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (इछापुरम से विशाखापत्तनम के गंजम तक-भुवनेश्वर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 993(अ) जो 9 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन या प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 992(अ) जो 8 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लूपुरम-त्रिची खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1041(अ) जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1043(अ) जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में कठुआ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1129(अ) जो 15 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर दूसरे विवेकानन्द पुल के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1137(अ) जो 15 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित अधिकारियों को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तेईस) का.आ. 1138(अ) जो 15 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष डिप्टी कलेक्टर त्रिसूर, केरल को केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नूथी-अलुवा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 1144(अ) जो 18 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1269(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ. 1002(अ) जो 15 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क (किशनगढ़ से नसीराबाद तक) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़) पर ट्रम्पेट इंटरचेंज के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1003(अ) जो 15 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर ट्रम्पेट इंटरचेंज के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1004(अ) जो 15 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1047(अ) जो 27 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के जंक्शन प्वाइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 और 76 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1048(अ) जो 27 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकत्तीस) का.आ. 1054(अ) जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के बासन जिले में राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 76 के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1056(अ) जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 1115(अ) जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1117(अ) जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में पोरबंदर से राजकोट जिले की सीमा तक के खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बाईपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1130(अ) जो 15 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 595 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 1136(अ) जो 15 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू अर्जन) जिला बर्दवान को पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (रानीगंज-पानागढ़ खंड) पर स्लिप-मार्ग और टौल प्लाजा के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(सैंतीस) का.आ. 989(अ) जो 8 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के कोटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 990(अ) और का.आ. 991 (अ) जो 8 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के विभिन्न खंडों को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 1044(अ) जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के निर्माण, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 1049(अ) जो 27 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 1053(अ) जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1116(अ) का.आ. 1118(अ) और का.आ. 1119(अ) जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इन अधिसूचनाओं में उल्लिखित अधिकारियों को बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर से पूर्णिया खंड तक) के विभिन्न खंडों को चौड़ा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ. 1167(अ) जो 20 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर कटराज बाईपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 1215(अ) जो 4 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 596(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का.आ. 579(अ) जो 17 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष भू अर्जन अधिकारी, ठाणे को महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वाडापे-गोंडे खंड) पर भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(छियालीस) का.आ. 811(अ) जो 14 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 912(अ) जो 11 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टू-टिंडीवनम खंड) के निर्माण, (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 934(अ) जो 19 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा विशेष भू अर्जन अधिकारी, नागपुर को महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(उनचास) का.आ. 935(अ) जो 19 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित अधिकारियों को मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर बाईपासों को बनाने (चौड़ा करने) और निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पचास) का.आ. 938(अ) जो 20 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर दीसा-राधनपुर खंड (पाटन जिला सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 862(अ) से का.आ. 868(अ) जो 29 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28(लखनऊ-उ.प्र./बिहार सीमा) के विभिन्न खंडों को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।

(बावन) का.आ. 885(अ) जो 4 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (त्रिची-विरालिमलिया-मदुरै खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(4) उपर्युक्त मद संख्या (3) के (पैंतालीस से बावन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1181/2004]

(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1036(अ) जो 23 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई.-1 के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ. 1267(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख के त्रिची-मेलूर-मदुरै खंड को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तीन) का.आ. 1268(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1182/2004]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन).: मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंस्टीट्यूट आफ इकानोमिक ग्रोथ, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंस्टीट्यूट आफ इकानोमिक ग्रोथ, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1183/2004]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 जो 11 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 303(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1184/2004]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1185/2004]

(3) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1186/2004]

(4) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1187/2004]

(5) (एक) नेशनल एम.एस.टी. राडार फैसिलिटी, गदांकी के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एम.एस.टी. राडार फैसिलिटी, गदांकी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1188/2004]

(6) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस अप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस अप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1189/2004]

अपराह्न 12.02 बजे

विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियां—एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं निम्नलिखित की हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) "विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (2003)-एक समीक्षा"; और

(2) "विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (2004)-एक समीक्षा"।

अपराह्न 12.02½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

लोक लेखा समिति

चौथे से छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2004-2005) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (1999-2005) से अधिक व्यय" के बारे में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) के तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।

(2) "मांगों का न्यायनिर्णयन न होना और पुष्ट मांगों की वसूली में अत्यधिक विलम्ब" के बारे में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) के उनतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) का पांचवां प्रतिवेदन।

(3) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2000-2001) से अधिक व्यय" के बारे में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) के चालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) का छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं "देना बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके रोजगार एवं बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं" के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वित्त मंत्रालय के बारे में समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): ''महिलाओं को आर्थिक शक्तियां प्रदान करने हेतु स्व-सहायता समूहों का कार्यकरण'' विषय के बारे में समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2004-2005) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03¾ बजे

राज्य सभा से संदेश

तथा

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:-

''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के प्रावधानों के अनुसरण में, प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2004 जिसे राज्य सभा ने 14 दिसम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया है, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

महोदय, मैं 14 दिसम्बर, 2004 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2004 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में जालंधर-पठानकोट खंड पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, दो रेलगाड़ियों का कल बड़ा भारी एक्सीडेंट पंजाब में मुकैरियां के निकट हुआ जिसमें 50 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग जायल हैं। रेल मंत्री आज सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्हें आज सदन में उपस्थित होना चाहिए था और इस बारे में बयान देना चाहिए था। जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तब दुर्घटना के तुरन्त बाद वे सदन में उपस्थित हुए और बयान दिया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने सरकार को पहले ही कह दिया है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, सरकार द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य कहां है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने कल भी इसका उल्लेख किया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। अब हम आज की कार्यसूची में दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, रेल मन्त्री जी यहां आकर बयान दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अटल बिहारी वाजपेयी कुछ कहना चाहते हैं। कृपया मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि अगर देश में कोई दुर्घटना हो जाए तो दूसरे दिन सदन में मंत्री जी आकर उसके बारे में बताते हैं। इतनी भयंकर रेल दुर्घटना हुई है, ऐसी रेल दुर्घटना शायद हाल के कुछ वर्षों में नहीं हुई। बहुत से लोग मारे गए हैं और दो गाड़ियों की सीधी टक्कर हुई है। रेल मंत्री जी कहां हैं?...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): उन्होंने कल बयान दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, कौन बयान देगा रेल मंत्री जी यहां बयान देने के लिए आएं, अन्य कोई मंत्री यह काम नहीं कर सकता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कल इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था और स्वयं माननीय रेल मंत्री ने मुझे बताया था कि वह दुर्घटनास्थल का दौरा करने जा रहे हैं। आज सुबह मैंने सरकार को पहले ही निर्देश दे दिया है कि वह वक्तव्य दें। मेरे विचार से वक्तव्य दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री महोदय ने कहा था कि वे घटनास्थल जाएंगे और वापस आकर वक्तव्य देंगे। रेल मंत्री कहां हैं...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री वक्तव्य देंगे। यदि ये उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो वे किस प्रकार वक्तव्य देंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी तो पहला घन्टा ही बीता है वह वक्तव्य देना चाहते हैं लेकिन आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इतनी भीषण रेल दुर्घटना हुई है और आप इन्हें बोलने के लिए कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं। श्री वाजपेयी भी चाहते हैं कि वक्तव्य दिया जाए। अब हम मंत्री जी की बात सुनते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सब क्या है?

श्री विजय हान्डिक: महोदय, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री वेलु रेल मंत्रालय के मंत्रियों में से एक मंत्री हैं। आप किस प्रकार से किसी को बाध्य कर सकते हैं? यह ठीक नहीं है। यह रेल मंत्रियों में से एक मंत्री हैं। यदि आप उनका वक्तव्य सुनने को तैयार नहीं हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वह वक्तव्य सभा पटल पर रख दें।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम उनसे वक्तव्य नहीं चाहते हैं। रेल मंत्री कहां हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उनका वक्तव्य सुनने को तैयार हैं या नहीं? अन्यथा मैं उनसे कहूंगा कि वह इसे सभा पटल पर रख दें। आपको उनकी बात सुननी चाहिए; वह रेल मंत्रियों में से एक हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): माननीय अध्यक्ष, महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं तो मैं उनसे वक्तव्य सभा पटल पर रखने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अत: वक्तव्य को सभा पटल पर रखा जाए। मंत्री महोदय, आप वक्तव्य सभा पटल पर रख दीजिए अब हम मद संख्या 17 पर चर्चा करेंगे जो श्री गुरुदास दासगुप्त के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, ये जवाब सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं, हम क्या करें। आप क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, यह दुर्घटना का मामला है और बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। सदन में मंत्री महोदय को आकर वक्तव्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)* मंत्री जी कहां हैं, क्या वे दुर्घटना के स्थल पर हैं या बिहार चले गए?...*(व्यवधान)* अगर वे सदन में आकर अपना वक्तव्य नहीं देते तो सदन संतुष्ट नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप पहले उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर त्रिपाठी (पुरी): श्री वेलु ने घटनास्थल का दौरा नहीं किया है। वह इस बारे में वक्तव्य कैसे दे सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): श्री लालू प्रसाद ने घटनास्थल का दौरा किया था। हम केबिनेट मंत्री से वक्तव्य चाहते हैं। यह सज्जन दुर्घटनास्थल पर नहीं गए थे। 50 लोग मर गए जब दो गाड़ियां आपस में भिड़ीं। रेल मंत्री कहां हैं?

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): हमें केबिनेट मंत्री जी का वक्तव्य चाहिए, लालू जी यहां आकर जवाब दें।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: लालू जी यहां आकर जवाब दें।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ये इतनी बड़ी दुर्घटना को हल्के में ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): जब वे जवाब देते हैं तो आप उनका बायकाट करते हैं और कहते हैं कि वे जवाब न दें और अभी कहते हैं कि लालू जी जवाब दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, एक मिनट, यह सब क्या हो रहा है? आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही सरकार से वक्तव्य देने के लिए कह दिया है। मैं उससे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता और आप सभी को इसके बारे में भला-भांति मालूम है।

आप बैठिए।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको उत्तर देने के लिए यहां नहीं हूं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब मैं बोल रहा हूं तो आपको अवश्य बैठ जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुनिए। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कल लालूजी ने सभा में वायदा किया था कि वे सदन में आएंगे और वक्तव्य देंगे। अभी वह कहां हैं?

[हिन्दी]

बिहार में क्या कर रहे हैं? उनके लिए बिहार में रैली करना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, यह संवेदनहीनता है। क्या यू.पी.ए. सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि वे यहां पर बैठकर बयान देने के लिए तैयार नहीं हैं?

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इन मंत्री जी ने घटनास्थल का दौरा नहीं किया है। वे यहां किस प्रकार जबाव देंगे?

अध्यक्ष महोदय: वाजपेयी जी आपके वक्तव्य रिकार्ड कर लिए गए हैं। अब मंत्री जी या सरकार की बारी है कि वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करे जहां तक वक्तव्य का संबंध है मैंने सरकार से वक्तव्य देने के लिए कहा है। रेल मंत्रालय से सम्बद्ध माननीय मंत्री जी वक्तव्य देने को तैयार हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: लेकिन उन्होंने स्थल का दौरा नहीं किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिए।

[अनुवाद]

यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्या आप मुझ पर अपनी बातें थोंपना चाहते हैं? मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि मैं आपको एक दो प्रश्न भी पूछने दूंगा यद्यपि हमारे नियमों में इसकी अनुमति नहीं है।

श्री हरिन पाठक: रेल मंत्री कहां है? हम चाहते हैं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, देश को ही देखने दो कि यहां क्या हो रहा है। जब तक मैं अनुमति नहीं दूं कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह सदन आपका भी उतना ही है जितना किसी अन्य व्यक्ति का है। यदि आप नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही चले तो यह नहीं चलेगी लेकिन इसे स्थगित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं आपको अपनी बात कहने की अनुमति दी है। आइए माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए। आप उस पर अपने विचार रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुनिए।

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप माननीय मंत्री का वक्तव्य सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदय, संसद की गरिमा को बचाइए, संसद की परम्परा को बचाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या संसद की गरिमा के लिए ही चल रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अपनी बात कहने की अनुमति दी है। मैं और क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: क्या आज आपको कोई मुद्दा नहीं मिला? मैंने परसों ही कहा था कि मुद्दे ढूंढकर आइए। क्यों ख्वाहमखाह पार्लियामैंट का वक्त जाया करते हैं? सोचिए, मीटिंग कीजिए, उसमें मुद्दे ढूंढिए और फिर पार्लियामैंट में आइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अनुसार ''मंत्री'' की व्याख्या इस प्रकार है:-

''मंत्री'' का तात्पर्य मंत्रि परिषद के किसी सदस्य, जिसमें मंत्रिमंडल का कोई सदस्य भी शामिल है, राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव से है।

अध्यक्ष महोदय: उसमें प्रत्येक का उल्लेख किया गया है...*(व्यवधान)* मैंने वह कहा है।

...(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुलाम नबी आजाद: आपके पास मुद्दों की कमी है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। यहां एक मंत्री हैं। जब माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यहां थे तो आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने उनका बहिष्कार किया और जब वे यहां नहीं हैं तो आप यहां उनकी उपस्थिति चाहते हैं। आप दोहरे मानदण्ड नहीं अपना सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं पुन: आपसे अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद: राज्य मंत्री भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि कैबिनेट रेल मंत्री। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। श्री वाजपेयी जी सभा में है। आप सभी बहुत सम्मानीय संसद सदस्य है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। अंतत: सभा को ज्ञात होना चाहिए और सभा के माध्यम से देश को ज्ञात होना चाहिए...

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मुझे व्यवस्था बनाए रखने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप आज इस दुर्घटना के बारे में जानना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को वक्तव्य क्यों नहीं देने दे रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: देश को रेल मंत्री जी से ब्यौरे जानने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.18 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में जालंधर-पठानकोट खंड पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

दिनांक 14.12.04 को लगभग 12.00 बजे। जे.एम.पी.डी.एम.यू. (डीजल मल्टीपल यूनिट) यात्री रेल गाड़ी जो कि जालंधर से पठानकोट जा रही थी, रेलगाड़ी संख्या 9112 जम्मू तवी-अहमदाबाद एक्सप्रैस से टकरा गई थी। जालंधर-पठानकोट यात्री गाड़ी के दो डिब्बे पलट गए तथा जम्मू तवी एक्सप्रैस के दो डिब्बे पटरी से उतर गए थे। यह दुर्घटना उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के जालंधर-पठानकोट खण्ड पर स्थित भंगला और मीरथल स्टेशनों के बीच हुई थी। यह स्थल पंजाब के होशियारपुर जिले में है।

संसद में वक्तव्य देने के पश्चात् रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और उन अस्पतालों का दौरा किया जहां घायल व्यक्ति भर्ती थे। अस्पताल प्राधिकारियों को वरीयता के आधार पर आवश्यक चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने का परामर्श दिया गया था।

दुर्घटना का प्रथम-दृष्टया कारण मानवीय त्रुटी था और रेल सुरक्षा आयुक्त, उत्तर रेलवे, दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।

मृतकों की संख्या :: 37

घायलों की संख्या :: 53

जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है :: 13

अस्पताल में भर्ती घायल :: 40

(मुकेरियां, दसुआ, जालंधर और लुधियाना)

माननीय रेल मंत्री जी ने निम्नलिखित अनुग्रह राशि की घोषणा की है:-

मृतकों के मामले में :: 1,00,000 रुपये प्रत्येक

गंभीर रूप से घायल :: 15,000 रुपये प्रत्येक

साधारण रूप से घायल :: 5,000 रुपये प्रत्येक

मृतकों और विकलांगों के आश्रितों को रेलवे में रोजगार प्रदान किया जाएगा।

भंगला और मीरथल रेलवे स्टेशनों के सहायक स्टेशन मास्टरों को निलंबित कर दिया गया है। यह लाइन आज सुबह 2.30 बजे खोल दी गई है तथा इस पर से पहली रेल 4.10 बजे गुजरी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

(इस समय श्री श्रीचंद कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19½ बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सरकार की बैंकिंग नीति में परिवर्तनन संबंधी सरकार की पहल से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम यह संख्या 17 लेंगे—श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान तात्कालीन लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा उनसे इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं:-

"बैंकिंग नीति में परिवर्तन, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी में कमी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मिलाकर विशाल बैंकों का गठन करने और गैर-सरकारी बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाने, जिससे आम आदमी के हितों को नुकसान पहुंचेगा, संबंधी सरकार की पहल से उत्पन्न स्थिति।"

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, विधायी परिवर्तन मूल रूप से गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की समस्या से निपटने और बैंकों द्वारा ऋण के मूल्यांकन की गुणवत्ता की समस्या से निपटने हेतु किए गए हैं। इनमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन सम्मिलित था, जिसमें माननीय उचतम न्यायालय के चूककर्ता ऋणी व्यक्तियों को अपने मामले को समुचित रूप से प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करने व इसके साथ-साथ उन्हें अपने ऋण का पुनर्भुगतान विलंबित करने हेतु विलम्बकारी जोड़-तोड़ का उपयोग करने से रोकने हेतु, निर्णय के अनुपालन में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा, ऋण संबंधी सूचना के व्यवसाय को आवश्यक विधायी समर्थन प्रदान करने तथा ऋण संबंधी सूचना कंपनियों को विनियमित करने हेतु एक ऋण संबंधी सूचना कंपनियां (विनियमन) विधि अधिनियमित करने का भी प्रस्ताव है।

भारतीय स्टेट बैंक, 27 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी सात बैंक और 19 राष्ट्रीयकृत बैंक सम्मिलित है, में से सरकार की हिस्सेदारी केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही है। बैंककारी

कम्पनी (उमक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की उपधारा 3 (2ख)(ग) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत्त पूंजी का 51 प्रतिशत सदैव सरकार के पास रहना चाहिए।

वर्ष 1993 से राष्ट्रीयकृत बैंकों को पब्लिक इश्यू के माध्यम से पूंजी बढ़ाकर इक्विटी आधार बढ़ाने की अनुमति दी गई। अब तक 19 बैंकों में से 15 बैंकों ने पब्लिक इश्यू जारी किये परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों में केन्द्र सरकार की इक्विटी प्रतिशतता 51 प्रतिशत की सांविधिक सीमा से काफी अधिक रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज सारा देश आप लोगों को देख रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी सहायता का प्रयास किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: जैसा कि सर्वविदित है कि देश के कुल बैंकिंग व्यवसाय में 76 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। बैंकिंग उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए व बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए नए उपाय किये जाने की योजना बनायी जा रही है। नए उपायों के रूप में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा मूल्यवर्धन की एक रणनीति के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समेकन प्रणाली का गम्भीरता से मूल्यांकन कर रहे हैं। व्यापक वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अंतर्गत नरसिम्हन समिति ने वर्ष 1991 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में बैंकिंग क्षेत्र में समेकन का सुझाव दिया था। इस विषय पर आगे विचार करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने बैंकिंग उद्योग में समेकन के कानूनी, विनियामक और अन्य संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए एक कार्यदल की नियुक्ति की। कार्यदल ने अक्तूबर 2004 में सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं।

समेकन से रूपरेखा, श्रमशक्ति तथा अन्य संसाधनों के मामले में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारतीय बैंकों का आकार बड़ा होने से यह अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने में उन्हें सक्षम बनाएगा। बड़ा आकार होने से जोखिम का भी बेहतर प्रबन्धन हो पाता है। छोटे और कमजोर बैंकों को निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात और अधिक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के कारण व्यवस्थापरक जोखिम का सामना करना पड़ता है। समेकन दक्षता बढ़ाने का एक सामयिक उपाय है जिससे आय अर्जित होने के साथ-साथ देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। समेकन के लिए पहल बैंक प्रबन्धन द्वारा की जानी चाहिए और सामान्य शेयरधारक होने के नाते सरकार को इसमें समर्थक की भूमिका निबाहनी चाहिए। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकन के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किये गए हैं।

जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का संबंध है सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के लिए 5 मार्च, 2004 को एक अधिसूचना जारी की है। इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में संचालन दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाने हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों की इक्विटी में सरकार की कोई प्रत्यक्ष इक्विटी साझेदारी नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में संशोधन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम के लिए अनुकूल वातावरण सृजित होगा साथ ही नई प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन प्रणाली के उपयोग के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम को विनियमित करने तथा इस प्रयोजनार्थ दिशा निर्धारित करने के लिए 2 जुलाई, 2004 को सार्वजनिक रूप से एक दिशानिर्देश/परिचर्चा पत्र जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अब प्राप्त सुझावों/सूचनाओं पर विचार करने की प्रक्रिया में है।

इस प्रकार, ग्राहकों को लाभ प्रदान करने तथा बैंकिंग उद्योग में उनका विश्वास बनाये रखने के लिए देश के बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु बैंकिंग नीति में काफी परिवर्तन करने की योजना बनायी जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री गुरुदास दासगुप्त बोलेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं नहीं बोल सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, हम अगला मद लेते हैं। आपको उत्तर मिल गया है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: ऐसे वातावरण में, मैं नहीं बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं क्या कर सकता हूं। मैं सभा स्थगित नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: इस स्थिति में मेरा यहां बोलना कतई असम्भव है। मैं आपसे इसे स्थगित करने का आग्रह करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया इसे स्थगित कर दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह सविनय निवेदन है कि आप सुनिश्चित कीजिए कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से बहस करायी जाए...*(व्यवधान)*

महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी का भाषण सुना है। दुर्भाग्य से, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी आर्थिक समझ के बजाय राजनीतिक विचारों से अधिक प्रभावित है। जहां तक देश की बैंकिंग नीति का संबंध है, इसमें दूरगामी परिवर्तन हो रहे हैं...*(व्यवधान)* परन्तु संसद को विश्वास में नहीं लिया गया है। वित्त मंत्री जी की संसद के प्रति बाध्यता का पूर्णतया उल्लंघन हुआ है। ऐसा लगता है कि यह खुले रूप में एक अनुचित नीति है जो संसदीय जवाबदेही को प्रभावित कर रही है...*(व्यवधान)*

बैंकिंग क्षेत्र तथा बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का निर्णय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया था क्योंकि वे चाहती थी कि देश के राष्ट्रीय विकास के लिए सामाजिक बचत का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र की ओर हो...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा कहना है कि संसद की अवहेलना की गयी है। मैं मंत्री जी से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो कुछ भी किया जा रहा है, क्या वह कांग्रेस पार्टी और यू.पी.ए. सरकार के चुनावी जनमत के अनुरूप है? उन्हें एक वैकल्पिक आर्थिक नीति, गरीबों और किसानों के अनुकूल नीति, बेरोजगारी समाप्त करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए नीति बनाने के लिए जनमत मिला था...*(व्यवधान)*

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रास्ता निजीकरण का है। वे कहें कि यह निजीकरण नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह निजीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह देश की राष्ट्रीय बचतों का अंतर्राष्ट्रीयकरण के अलावा कुछ भी नहीं है...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन परिवर्तनों को किये जाने के क्या कारण है? क्या बाध्यता रही है। इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या हैं? क्या ये परिवर्तन आम आदमी की बेहतरी के लिए लाए गए हैं। क्या ये परिवर्तन रोजगार के अवसरों के सृजन तथा गरीबी हटाने के उद्देश्य से किये गए हैं?...*(व्यवधान)*

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के अंत में कहा है कि यह देखा जाना चाहिए कि बैंकिंग नीति में ये सभी परिवर्तन ग्राहकों के लाभ और बैंक उद्योग में उनका विश्वास बनाये रखने के लिए व देश के बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए किये जा रहे हैं।

मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। उन्हें ग्राहकों की चिंता है। उन्हें बैंकिंग उद्योग की चिंता है। उन्हें बैंकिंग उद्योग की चिंता है। परन्तु गरीबी हटाने के तथा आम आदमी की भलाई के विषय में उनकी चिन्ता क्या है? देश के आर्थिक विकास के बारे में उनकी चिन्ता क्या है?...*(व्यवधान)* मुझे यह माननीय मंत्री जी से जानने दें...*(व्यवधान)*

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है?...*(व्यवधान)* देश की बैंकिंग प्रणाली में ये गुप्त और अघोषित परिवर्तन किए जाने के पीछे राजनीतिक विचारधारा क्या है?...*(व्यवधान)*

आप किसे ध्यान में रखकर चल रहे हैं? क्या आप देश की आम जनता को ध्यान में रखकर चल रहे हैं या आप आर्थिक नीति में बदलाव लाने के लिए विश्व बैंक की नीति के अनुसरण में राजनीति से प्रेरित होकर चल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से गंभीरता से अपील कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी-अपनी जगहों पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो-जो सदस्य यहां खड़े हैं, उन सब के नाम लिख कर मुझे दो।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी नेताओं से अपील कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा की कार्यवाही शुरू की जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों ने काम नहीं करना है, तो बाहर जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। इस तरह से क्या हाउस चलेगा। हाउस की गरिमा, संसद की गरिमा क्या

कुछ नहीं होती है जो आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी अपनी सीटों पर जाकर बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय नेताओं से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वे अपने सदस्यों से अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाने को कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय नेताओं से अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: केवल इसलिए कि आप अध्यक्ष के आसन के समीप आ गये हैं, तो मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिये? क्या बात है? अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो क्या हाऊस एडजर्न हो जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की कार्यवाही स्थगित नहीं की जायेगी। यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी] यह तरीका नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी-अपनी सीटों पर वापस जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे खुशी है कि श्री वाजपेयी जी यहां उपस्थित हैं। मैं उन से अपील कर रहा हूं। मैं सभा की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित करने को तैयार हूं। बशर्ते आप मुझे कृपया यह बतलाएं कि सभा की कार्यवाही किस प्रकार से चलाई जाए मैं सभी नेताओं से अपील कर रहा हूं। यहां क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा स्थगित कर रहा हूं और सभा अपराह्न 12.50 बजे पुन: समवेत होगी।

अपराह्न 12.39 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 12.50 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.50 बजे

लोक सभा अपराह्न बारह बज कर पचास मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(श्रीमती सुमित्रा महाजन पीठासीन हुई)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, लालू प्रसाद जी कहां हैं? क्या वह बिहार की सरकार चलाने गए हैं?...*(व्यवधान)* वह जब तक सदन में नहीं आएंगे, सदन नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): सभापति महोदया, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* कल की रेल दुर्घटना में 50 लोग मारे गए। सदन की गरिमा और परम्परा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर सदन में बयान देते हैं। हम रेल राज्य मंत्री के बयान के खिलाफ नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप सब इस बारे में बोल चुके हैं। अब कोई नहीं बोलेगा।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: सभापति महोदय, दुर्घटना की गम्भीरता को देखना चाहिए। सत्र के चलते रेल मंत्री का यहां से चले जाना ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में लीडर्स की मीटिंग चल रही है।

[अनुवाद]

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में जालंधर-पठानकोट खंड पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में (जारी)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष जी, मैं केवलमात्र आपसे अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आज

प्रात:काल पंजाब में हुई रेल दुर्घटना के संदर्भ में जो बातचीत हुई, उसमें एक गतिरोध सा पैदा हो गया है। सदन के बहुत सारे सदस्यों ने आग्रह किया कि रेल मंत्री खुद आकर बयान दें और उसमें सदन के वरिष्ठतम सदस्य और हमारे नेता श्री वाजपेयी जी ने भी इस बात पर आग्रह किया कि उपयुक्त होगा कि वही आकर सदन में बयान दें। शायद वह शाम से पहले आ भी नहीं सकते। मेरा आपसे अनुरोध होगा और आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध होगा कि उपयुक्त होगा कि अभी सब घटनाओं को ध्यान में रखकर, आज प्रात:काल की चर्चा को ध्यान में रखकर अभी सदन को कल तक के लिए स्थगित किया जाए और कल प्रात:काल आकर मंत्री जी सदन में बयान दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं। मैं कोई आक्रामक रुख नहीं चाहता हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, हम भी समान रूप से क्षुब्ध हैं। रेल दुर्घटना में जो भी हुआ, उससे हम भी पूरी तरह दुखी महसूस कर रहे हैं। हम इस घटना पर खेद व्यक्त करते हैं और इस मामले की जांच की मांग करते हैं। जो कोई व्यक्ति भी इसके लिए जिम्मेवार पाया जाए उसे दंडित किया जाना चाहिये। इस संबंध में एक निष्पक्ष जांच की जानी चाहिये और माननीय मंत्री को सभा में अवश्य आना चाहिये और इस संबंध मे सभा में वक्तव्य देना चाहिये। मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि माननीय मंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिये। हम भी माननीय रेल मंत्री को सुनने के लिए व्याकुल हैं जिन्होंने कल ही दुर्घटना स्थल का दौरा किया है।

महोदय, हमने भी वही बात कही है लेकिन हम इस पर सहमत नहीं है कि जब तक सभा में माननीय रेल मंत्री द्वारा वक्तव्य नहीं दे दिया जाता, आज सभा की कार्यवाही को शेष चार घंटों तक न चलने दिया जाए। हम बैंककारी नीतियों के संबंध में ध्यानाकर्षण पर चर्चा कर रहे थे। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि 5 अथवा 6 बजे तक माननीय रेल मंत्री के पहुंचने तक सभा में कोई कार्य क्यों नहीं होना चाहिये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक है कि आप उनसे सहमत नहीं हो।

श्री गुरुदास दासगुप्त: देश में लाखों लोग बैंककारी नीतियों से जुड़े हुए हैं। हम इस संदर्भ में सरकार के निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकते। हम बैंककारी क्षेत्र के संदर्भ में सरकार के निर्णय का विरोध करते हैं। हम इस विषय पर सभा में चर्चा करना चाहेंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, रेल की दुर्घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय रेल मंत्री ने इसको गंभीरता से लिया और कल ही सदन में बयान दिया। उन्होंने स्थल का निरीक्षण करके जो एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए, वह की है। हम कहना चाहते हैं कि आज की लिस्ट ऑफ बिजनैस में जो बिजनैस लिस्टैड है, उसको हैल्ड अप करने की क्या जरूरत है? संसद में नया प्रिसिडैन्ट स्थापित मत करें कि कैबिनेट मंत्री ही जवाब देंगे। रेल राज्य मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं और आप उनको इजाजत नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह नयी परिपाटी, नया प्रिसिडैन्ट स्थापित नहीं किया जाए। यह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होगा, ये लोग कैलकुलेटेड मूव कर रहे हैं, जान-बूझकर यह सवाल उठा रहे हैं, ये दिशाविहीन हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात हो गई है। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस विषय को अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): मुझे भी एक मिनट अपनी बात कहने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): हम भी कुछ कहना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके लिए हम ही बोलेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को कल के एक्सीडैन्ट पर दर्द है लेकिन मैं पूरी इज्जत के साथ कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं गतिरोध किस बात का आडवाणी जी ने कहा।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): पहले लालू जी को लेकर आओ।

अध्यक्ष महोदय: योगी जी, आप बैठ जाइए।

श्री पवन कुमार बंसल: आज रेल राज्य मंत्री स्टेटमैंट देना चाहते थे। उसके बाद सब अपनी बात कह देते तो ज्यादा अच्छा होता। इतने अहम मुद्दे हमारे सदन में लगे हुए हैं जबकि बार-बार कहा जा रहा है कि काम नहीं हो रहा है, काम कम है। क्यों हम ऐसा करते हैं कि हाउस पूरे दिन नहीं चलने दें? अहम मसले लगे हुए हैं, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस बिल है। हम लोग अपना 377 पढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और विपक्ष से भी दरख्वास्त करूंगा कि कल तक

हाउस को चलने दें और जो हाउस का बिजनैस है उसको पूरा करें। कल स्टेटमैंट हो जाएगा।

अपराह्न 2.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(एक) आन्ध्र प्रदेश में प्राग टूल्स लिमिटेड की कार्यशील पूंजी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एम. अंजन कुमार यादव (सिकन्दराबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में प्राग टूल्स उपक्रम है। यह रक्षा विभाग का उत्पादन करता है और विदेशों में इसके उत्पादन का निर्यात करता है। इस उपक्रम के पास क्रय आदेश भी बहुत ज्यादा है। परन्तु समय पर अपने क्रय आदेश को पूरा करने के लिए सही प्रकार से उत्पादन नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस उपक्रम के पास वर्किंग कैपिटल की बहुत कमी है। 20 करोड़ की वर्किंग कैपिटल उपलब्ध करवाने के लिए कई सांसद माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले थे, परन्तु आज तक इस संबंध में पूर्ण कार्यवाही नहीं हुई है। इससे सरकार को बहुत नुकसान भी है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्राग टूल्स की वर्किंग कैपिटल को 20 करोड़ किया जाये, जिससे यह उपक्रम अपने क्रय आदेश को समय पर पूरा कर सके।

(दो) आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की सीधी खरीद हेतु खरीद केन्द्र खोलने के लिए भारतीय कपास निगम को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी (नरसारावपेट): आंध्र प्रदेश विशेषकर गुंटुर जिले के कपास का उत्पादन करने वाले किसानों ने मौसम में भारी मात्रा में कपास का उत्पादन किया है। किसानों को अपनी फसल उगाने के लिए विभिन्न स्रोतों से ऋण लेकर कीटनाशक और खाद पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ा। सरकार ने कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,010 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जबकि बिचौलिए किसानों से 1600 रु. प्रति क्विंटल रु. खरीद कर इसे 1800 रु. प्रति क्विंटल पर बेच रहे हैं जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह भारतीय कपास निगम को अनुदेश दें कि वह किसानों से गुराजला, धनचेपल्ली और मकहेरला जैसे खुले क्रय केन्द्रों से निर्धारित समर्थन मूल्य पर कपास खरीदे, जिससे कि किसानों को अपनी लागत का वाजिब मूल्य मिल सके और ऋणों को वापस कर सके साथ ही उन्हें आत्महत्या करने से रोका जा सके।

(तीन) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्ति पर लगाई गई 5 प्रतिशत की सीमा को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में पंजाब राज्य की सेवा शर्तों का पालन किया जाता है, परन्तु पंजाब के सुसंगत नियमों को संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में लागू नहीं किया गया है जिसके कारण कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, पंजाब सरकार ने हाल ही में अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली 5 प्रतिशत सीमा को हटा लिया है और हर मृत कर्मचारी के एक अश्रित को राज्य सरकार में नौकरी दिये जाने की घोषणा की है। जबकि लगातार मांग किए जाने और इसके न्यायसंगत होने के बावजूद, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक ने काफी संख्या में योग्य उम्मीदवारों को इस आधार पर नौकरी देने से निरन्तर इन्कार कर रहा है कि अनुकंपा के आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक लोगों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस कारण उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जिन्होंने अपनी रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा खो दिया है और वे गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें नौकरियां देने से इन्कार करने का कोई ठोस आधार नहीं है जबकि पंजाब राज्य ने उस 5 प्रतिशत की सीमा को हटा दिया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के संबंध में 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को तत्काल हटाए और इस संदर्भ में जिन लोगों के आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं उन्हें तत्काल नौकरियां दी जाएं।

(चार) संयुक्त राज्य अमरीका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों की भारत वापसी पर उनकी "सोशल सिक्यूरिटी सेविंग्स" लौटाया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.पी. वाई रेड्डी (नांदयाल): अमरीका में कार्यरत 2,00,000 से अधिक भारतीय व्यवसायियों के वेतन का 20 प्रतिशत समाजिक सुरक्षा हितों के लिए काटा जाता है। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो जब वह भारत वापस आ रहे हो तो यह धन उन्हें लौटाया जाना चाहिए। लेकिन वहां के कानून निर्धारित करते हैं कि सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें अमरीका में नौकरी करने के फोर्टी क्वाटर पूरा करने के पश्चात् ही मिलेंगे। अधिकतर भारतीय उतनी लम्बी अवधि तक वहां रहते नहीं हैं

* सभा पटल पर रखे गये।

और अंत तक संयुक्त राज्य अमरीका के कोष में अंशदान करते रहते हैं जोकि प्रति वर्ष एक विलियन डालर से भी अधिक बनता है।

भारत में कार्यरत अमरीकी व्यवसायियों के सामने कोई ऐसी समस्या नहीं आती है क्योंकि वे जब कभी नौकरी बदलते हैं अथवा देश छोड़कर जाते हैं तो वे अपनी सेवांत प्रसुविधाएं वापस ले सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका ने समाजिक सुरक्षा बचत को वापस किए जाने के लिए 20 देशों के साथ पहले ही लुभावने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन भारत के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संयुक्त राज्य अमरीका के साथ यह मुद्दा उठाए और वहां कार्यरत भारतीय व्यवसायियों को पारस्परिक लाभ प्रदान कराए।

(पांच) भागलपुर और नई दिल्ली के बीच चल रही विक्रमशिला एक्सप्रैस में भोजन यान सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, भागलपुर से नयी दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस लम्बी दूरी की गाड़ी है। रास्ते में इसका ठहराव भी काफी कम स्टेशनों पर है। भागलपुर से दिल्ली जाने वाली यह सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है। परन्तु, इस रेल में भोजन यान नहीं होने से यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अत: अनुरोध है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस में भोजन-यान (पेन्ट्री कार) लगाया जाये।

(छह) उत्तरांचल में कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर उपरि-पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद पौढ़ी गढ़वाल में मात्र एक रेलवे स्टेशन कोटद्वार नामक स्थान पर है। इस स्टेशन के एक तरफ अल्पसंख्यकों की घनी आबादी है और दूसरी तरफ शहर है। बस्ती के लोगों को रेलवे लाइन पार करने के लिए कोई (पैदल ऊपरगामी पुल) ओवरब्रिज की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण असुविधा तो होती ही है, लेकिन साथ-साथ जान-माल का भी खतरा रहता है। इस बस्ती के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग है कि कोटद्वार रेलवे स्टेशन के पास एक फुट ओवरब्रिज बनाया जाये।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पर तुरन्त धन स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

कोटद्वार रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन घोषित किया था लेकिन इस पर भी कार्यवाही बहुत धीमी गति से चल रही है। इस पर भी कार्यवाही करने की कृपा करें।

(सात) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत गुजरात सरकार को धनराशि आबंटित किए जाने की विधि की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सन् 2000-2001 से केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गयी है व इसमें सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों की इस योजना के तहत आने वाले कार्यों की अनुदान राशि प्रत्येक राज्य में उपयोग किये जा रहे डीजल के टैक्स के आधार पर आबंटित की जायेगी। गुजरात राज्य को जो 50.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, वह निश्चित नियम के अनुरूप नहीं है।

गांवों व उपनगरों, जो सड़क मार्ग से जुड़ने शेष है, वहां चरणबद्ध सड़क निर्माण कार्य, पूर्व निर्मित मार्गों के मरम्मत कार्य इत्यादि तत्कालीन आवश्यकता पर आधारित होते हैं। परिणामस्वरूप निर्धारित योजना के दिशा-निर्देशों से हटकर मर्यादित वित्त व्यवस्था में कार्य सम्पन्न करने होते हैं।

मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की इन उल्लेखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीजल उपयोग पर आये टैक्स के अनुपात में ही अनुदान वितरण व्यवस्था करें।

(आठ) गोरखपुर और ठूठीबारी के बीच दो लेन वाली सड़क बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से जनपद महाराजगंज होते हुए ठूठीबारी तक दो तरफा मार्ग न होने के कारण यहां की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दो तरफा सड़क न होने के कारण अक्सर यातायात रुक जाता है और लोगों का कीमती समय बरबाद होता है। यह एक महत्वपूर्ण सड़क है। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय होने के कारण राज्य के तथा केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय यहां स्थित हैं। इन कार्यालयों के कारण सड़क पर भारी भीड़ रहती है और कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने में भी विलम्ब होता है। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि यहां शीघ्र ही दो तरफ सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि लोगों को होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके और उनके बहुमूल्य समय की बरबादी को रोका जा सके।

(नौ) केरल में बीड़ी श्रमिकों की सहकारी समितियों के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण की राशि बढ़ाए जाने तथा उन समितियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): महोदय, केरल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कन्नानौर में बड़ी संख्या में लोगों और परिवारों के जीविकोपार्जन

का मुख्य आधार बीड़ी बनाना है जहां कई बीड़ी कामगार सहकारी समितियां संगठित तरीके से रोजगार अवसर प्रदान कर रही है। दिनेश बीड़ी वकर्स कन्नानौर एक सहकारी उद्यम है जहां 30,000 से अधिक कामगार काम करते हैं।

मौजूदा बीड़ी कामगार कल्याण कोष विनियमों के अधीन किसी सदस्य को भूमि खरीदने और गृह निर्माण के लिए एक लाख रुपये की अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन केरल में विद्यमान भूमि मूल्य और निर्माण लागत में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस ऋण सीमा को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये कर दिया जाए।

संगठित बीड़ी क्षेत्र पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगा है जोकि सहकारी उद्यमों के लिए भार है जबकि जीविकोपार्जन के लिए वैयक्तिक रूप से बीड़ी बनाने वालों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। चूंकि सहकारिताएं अपने सदस्यों के कल्याण के लिए अंशदान करती हैं अत: यह आवश्यक है कि उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी जाए।

(दस) उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद-जौनपुर-कोशीनगर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद जौनपुर पिछड़ा जनपद है, किंतु एक ऐतिहासिक जिला है। पूर्व में मुगल बादशाहों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। आज भी आदि गंगा-गोमती जौनपुर शहर के मध्य बहती हैं। जौनपुर का ऐतिहासिक किला गोमती नदी के तट पर स्थित है। इतना ही नहीं जौनपुर का ईदगाह एवं इमामबाड़ा अपना एक स्थान रखते हैं। साथ ही साथ चौकिया देवी का मंदिर तथा एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी जौनपुर में स्थित है। जौनपुर शहर से होकर लुम्बिनीबुद्धी मार्ग निकलता है। तीर्थराज प्रयाग एवं गौतमबुद्ध की कर्मस्थली कोशीनगर के मध्य में पड़ती है। जौनपुर पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा रोचक स्थान बन सकता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार एवं पर्यटन मंत्री से मांग करता हूं कि तीर्थराज प्रयाग से जौनपुर, आजमगढ़ एवं कोशीनगर देवरिया, उत्तर प्रदेश के मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाकर जौनपुर को पर्यटक स्थल की श्रेणी में परिवर्तित किया जाये।

(ग्यारह) बक्सर-पटना तथा क्यूल-पटना क्षेत्रों में उपनगरीय रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्णा (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल के अंतर्गत आने वाले रेल मार्ग बक्सर से पटना और क्यूल से पटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपरोक्त रेल मार्ग पर लाखों की संख्या में दैनिक यात्री यात्रा करते हैं, जिसके कारण इस मार्ग पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेनें लेट हो जाती हैं, इससे दैनिक यात्री और उन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अत: महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि उपरोक्त रेल मार्गों पर महानगरीय तर्ज पर एक अलग से ट्रैक बिछा कर उपनगरीय सेवा शुरू की जाये।

(बारह) उत्तर प्रदेश के राबर्टसगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वनवासियों को स्वामित्व का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री लालचन्द्र कोल (राबर्ट्सगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज, उत्तर प्रदेश में वनवासियों द्वारा वन भूमि पर सालों से खेती की जा रही है, परन्तु वन विभाग द्वारा अनेकों धाराओं जैसे 04 का इस्तेमाल कर वनवासियों को भू-स्वामित्व नहीं दे रहा है, जिसके कारण वनवासी परेशान हो रहे हैं।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि वनवासियों द्वारा सालों से वन भूमि पर की जा रही खेती को वैध ठहराते हुए स्वामित्व वनवासियों को सौंपा जाये।

(तेरह) उड़ीसा में फूलबनी में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी): महोदय, फूलबनी निर्वाचन क्षेत्र जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं देश के अन्य जिलों के समान विकसित नहीं हुआ है। यह शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा के अन्य भागों से काफी पीछे है। तकनीकी शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। उस जिले के शैक्षणिक संस्थाएं उड़ीसा रज्य में बहरामपुर विश्वविद्यालय के अधीन आते हैं। बहरामपुर विश्वविद्यालय में कोई भी सरकारी इंजीनियरिंग कालेज नहीं हैं। फूलबनी बहरामपुर विश्वविद्यालय के मध्य में स्थित है। यदि एक इंजीनियरिंग कालेज की वहां स्थापना की जाती है तो वह कालेज दक्षिण उड़ीसा के सभी जिलों की तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करेगा। उड़ीसा के अन्य भागों के विद्यार्थी जो उत्कल और सम्भलपुर विश्वविद्यालय में दाखिला पाने में असफल रहते हैं वे प्रस्तावित सरकारी फूलबनी इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला पा सकेंगे। राज्य सरकार इंजीनियरिंग कालेज का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि देश पारम्परिक जनजातीय, आबादी वाले पिछड़े भाग में इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देने की अविलम्ब आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2005-2006 के शैक्षिक सत्र के दौरान फूलबनी में शतप्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाए।

(चौदह) आन्ध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वी. विनोद कुमार (हनमकोंडा): महोदय, आन्ध्र प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए शैक्षिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में कई योजना का कार्यान्वयन कर रही है। राज्य सरकार प्रतिवर्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए वार्षिक बजट में वृद्धि कर रही है। परंतु राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। अत: राज्य सरकार ने कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पास पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए 135.45 करोड़ की वित्तीय सहायता लेने के लिए अगस्त 1995 में प्रस्ताव भेजे थे। इसी प्रकार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे थे कि शेयर पूंजी अंशदान के लिए 13.12 करोड़ की निधियां प्रदान की जाए। राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि राज्य पिछड़ा वर्ग सहकारी वित्त निगम (स्टेट वैकवर्ड कलास को-ओपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन) को अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम के अधीन निधियां प्रदान की जाए। भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया गया था कि पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करे।

(पन्द्रह) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके आरक्षण की प्रतिशतता को बढ़ाए जाने तथा यायावरी जनजातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जिस समय आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो उस समय इस समुदाय की आबादी क्रमश: 15 एवं साढ़े सात प्रतिशत थी। लेकिन अब इस समुदाय की आबादी क्रमश: 18 एवं 10 प्रतिशत हो गयी है। चूंकि आरक्षण के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में बड़ी संख्या में दूसरी जातियों को भी सम्मिलित किया गया है, यह भी इस समुदाय की आबादी में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। इसलिए आबादी के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण में साढ़े पांच प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए।

घुमन्तु समुदाय को पिछड़ी जाति में रखने से कोई फायदा नहीं मिलता है। घुमन्तु समुदाय की आबादी लगभग 10 प्रतिशत के आसपास है। इसलिए घुमन्तु समुदाय के लिए अलग से तीसरी सूची बनाकर इसको अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाये और अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाले आरक्षण के अलावा घुमन्तु समुदाय के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को कम से कम पांच एकड़ भूमि सरकार को अपनी तरफ से खरीदकर आबंटित करनी चाहिए या फिर केन्द्र सरकार ऐसी कोई योजना बनाये, जिसमें पांच एकड़ भूमि आबंटित किए जाने में आधार ऋण बिना किसी ब्याज के तथा आधा अनुदान केन्द्र सरकार की ओर से दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जहां तक सदन में आज आगे की कार्य सूची का सम्बन्ध है तो विपक्ष के नेता के साथ-साथ माननीय श्री वाजपेयी ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए न कि किसी अन्य मुद्दे पर मैं सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। लेकिन यह भी रिकार्ड में लाया जाए कि इसे भविष्य में दृष्टान्त के रूप में नहीं लिया जाएगा।

अपराह्न 2.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 16 दिसम्बर 2004/25 अग्रहायण 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों संख्या की संख्या
1.	श्री सुकदेव पासवान श्री रामकृपाल यादव	201
2.	श्री मोहन सिंह	202
3.	श्री कुलदीप बिश्नोई	203
4.	श्री ब्रजेश पाठक श्री कैलाश मेघवाल	204
5.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री पी. करुणाकरन	205
6.	श्री सुरेश कलमाडी	206
7.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री के.एस. राव	207
8.	श्री पी.एस. गढ़वी	208
9.	श्री एस.पी.वाई. रेड्डी	209
10.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री बिक्रम केशरी देव	210
11.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	211
12.	श्री भर्तृहरि महताब	212
13.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री संतोष गंगवार	213
14.	श्री एम. अप्पादुरई	214
15.	श्री नीतीश कुमार श्रीमती जयाप्रदा	215
16.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	216
17.	श्री रामदास आठवले	217
18.	श्री हन्नान मोल्लाह	218
19.	श्री पवन कुमार बंसल	219
20.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा प्रो. महादेवराज शिवनकर	220

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2408, 2439, 2454, 2470, 2312
2.	अहमद, श्री अतीक	2386, 2305
3.	अहीर, श्री हंसराज जी	2290
4.	अंगडि, श्री सुरेश	2403, 2465, 2310
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	2414, 2460, 2503
6.	आठवले, श्री रामदास	2421, 2464, 2487, 2343
7.	बंसल, श्री पवन कुमार	2430, 2472
8.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	2429, 2478, 2499, 2343, 2360
9.	बर्मन, श्री रनेन	2422
10.	बखला, श्री जोवाकिम	2422, 2317
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2350
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	2446
13.	बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	2311
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2405, 2503
15.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2390, 2287
16.	बोस, श्री सुब्रत	2422
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2411, 2458, 2478, 2318
18.	चंदेल, श्री सुरेश	2431, 2294, 2321
19.	चन्द्र कुमार, प्रो.	2294, 2321
20.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2415, 2489, 2329, 2339
21.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2368
22.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2286
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2412, 2334
24.	चौधरी, श्री अधीर	2345
25.	चर्चील, श्री अलीमाव	2316
26.	देव, श्री बिक्रम केशरी	2437
27.	देवरा, श्री मिलिन्द	2291

1	2	3
28.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2354
29.	धोत्रे, श्री संजय	2384
30.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2307
31.	गांधी, श्रीमती मेनका	2406, 2469, 2492, 2306
32.	गोहेन, श्री राजेन	2486, 2344
33.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2325, 2349
34.	हसन, श्री मुनव्वर	2362
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	2423, 2324
36.	झा, श्री रघुनाथ	23388, 2451, 2486, 2274, 2295
37.	जोगी, श्री अजीत	2320
38.	कलमाड़ी, श्री सुरेश	2324
39.	कामत, श्री गुरुदास	2330
40.	कस्वां, श्री राम सिंह	2383
41.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2370
42.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	2338
43.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2432, 2363
44.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2299
45.	कृष्ण, श्री विजय	2433, 2467, 2490, 2365
46.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2419, 2462, 2348
47.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	2373
48.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2337
49.	कुरूप, श्री सुरेश	2361
50.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2474, 2495, 2319
51.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2400, 2450, 2482, 2502, 2301
52.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2401, 2456, 2346
53.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2281
54.	महाजन, श्री वाई.जी.	2296
55.	महतो, श्री बीर सिंह	2347
56.	महतो, श्री सुनील कुमार	2357
57.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2466, 2494, 2295
58.	महताब, श्री भर्तृहरि	2442
59.	महतो, श्री टेक लाल	2357
60.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	2364
61.	मंडल, श्री सनत कुमार	2445, 2313, 2324
62.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2438, 2309
63.	माने, श्रीमती निवेदिता	2439, 2470, 2315
64.	मेघवाल, श्री कैलाश	2394, 2449, 2481, 2501
65.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2323
66.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2447, 2480, 2318
67.	मिश्रा, डा. राजेश	2325, 2349
68.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2425, 2325, 2353
69.	मोदी, श्री सुशील कुमार	2356
70.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2456
71.	मोहन, श्री पी.	2359
72.	मुकीम, मो.	2341
73.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2393
74.	मूर्ति, श्री ए.के.	2283
75.	मुन्शी राम, श्री	2474
76.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2399, 2477, 2295
77.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	2409, 2455, 2329
78.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	2486
79.	नरबुला, श्री डी.	2434, 2284
80.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2303
81.	नायक, श्री अनन्त	2465
82.	निखिल कुमार, श्री	2417, 2345
83.	उरांव, डा. रामेश्वर	2376
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2386, 2280
85.	पाल, श्री राजाराम	2336
86.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2445, 2478
87.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2420, 2351, 2463
88.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2410
89.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2385, 2448, 2277
90.	पासवान, श्री सुकदेव	2407, 2453, 2483

1	2	3
92.	पाठक, श्री ब्रजेश	2395, 2457, 2484, 2503
93.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2333
94.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2391, 2452, 2485
95.	पिंगले, श्री देविदास	2278
96.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2379, 2434, 2488, 2327
97.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2292, 2325
98.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2374, 2435
99.	राजेन्द्र कुमार, श्री	2377
100.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2282
101.	रामदास, प्रो. एम.	2314
102.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2428, 2328
103.	राणा, श्री काशीराम	2286, 2297
104.	राव, श्री के.एस.	2402, 2466, 2486 2494
105.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2367, 2434, 2468, 2493, 2322
106.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2360
107.	रावत, श्री अशोक कुमार	2308
108.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2332
109.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2444, 2285
110.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2378, 2445, 2479
111.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	2387
112.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2503, 2339
113.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2347
114.	साहु, श्री चन्द्रशेखर	2286
115.	सज्जन कुमार, श्री	2413, 2335
116.	सांगवान, श्री किशन सिंह	2382
117.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2436, 2473, 2500, 2322, 2366
118.	सरोज, श्री तूफानी	2279
119.	सत्पथी, श्री तथागत	2288
120.	सेनथिल, डा. आर.	2366
121.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2380, 2443, 2475, 2498
122.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2392, 2456, 2289
123.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम	2321
124.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2439, 2470, 2478, 2295
125.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2286
126.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	2441, 2343
127.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2331
128.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2375
129.	सिंह, श्री बृज भूषण शरण	2327
130.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2372
131.	सिंह, श्री दुष्यंत	2440, 2444, 2471, 2300
132.	सिंह, श्री गणेश	2304
133.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2371, 2453
134.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2439, 2467, 2470
135.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2371, 2418, 2461 2491, 2275
136.	सिंह, श्री राकेश	2416, 2340
137.	सिंह, श्री सीताराम	2426, 2476, 2497, 2355
138.	सुब्बा, श्री एम.के.	2398, 2302
139.	सुमन, श्री रामजीलाल	2369
140.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2409, 2495
141.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2397, 2298
142.	थामस, श्री पी.सी.	2342
143.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2427, 2325, 2358
144.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2404, 2439, 2459 2496
145.	विनोद कुमार, श्री बी.	2424, 2352
146.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2459
147.	यादव, श्री बालेश्वर	2396, 2276
148.	यादव, श्री पारसनाथ	2389, 2286
149.	यादव, श्री राम कृपाल	2453
150.	यादव, श्री सीताराम	2381
151.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2423, 2478, 2293
152.	जावमा, श्री वनलाल	2326

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	203
परमाणु ऊर्जा		
कोयला	:	213
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	208, 212, 219
विदेश	:	207
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 214, 216
खान	:	
महासागर विकास	:	
प्रवासी भारतीय कार्य	:	218
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	220
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	215, 217.
लघु उद्योग	:	
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	2336, 2354, 2355, 2400, 2406, 2471, 2495
परमाणु ऊर्जा	:	2298, 2363, 2487
कोयला	:	2274, 2318, 2345, 2357
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2279, 2280, 2282, 2283, 2289, 2291, 2293, 2296, 2301, 2303, 2305, 2308, 2311, 2316, 2333, 2337, 2338, 2341, 2342, 2344, 2347, 2349, 2362, 2377, 2379, 2384, 2392, 2393, 2394, 2395, 2405, 2414, 2415, 2424, 2434, 2445, 2446, 2454, 2455, 2456, 2462, 2465, 2467, 2472, 2474, 2475, 2477, 2483, 2489, 2503
विदेश	:	2317, 2326, 2358, 2368, 2375, 2386, 2411, 2438, 2468, 2470, 2491

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		2277, 2281, 2284, 2288, 2290, 2292, 2295, 2299, 2306, 2309, 2312, 2313, 2314, 2320, 2329, 2330, 2331, 2332, 2334, 2340, 2343, 2353, 2356, 2359, 2365, 2371, 2381, 2382, 2383, 2385, 2387, 2389, 2390, 2391, 2397, 2399, 2403, 2407, 2408, 2410, 2412, 2418, 2422, 2423, 2425, 2429, 2431, 2433, 2435, 2437, 2440, 2447, 2448, 2459, 2460, 2461, 2464, 2466, 2469, 2476. 2478, 2479, 2481, 2485, 2486, 2492, 2493, 2494, 2496, 2500, 2501
खान	:	2285, 2360, 2421, 2449
महासागर विकास	:	2324, 2351, 2450
प्रवासी भारतीय कार्य		2441, 2473
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन		2275, 2276, 2286, 2294, 2315, 2319, 2325, 2327, 2361, 2366, 2370, 2376, 2388, 2401, 2451, 2457, 2484, 2488, 2490
योजना	:	2278, 2322, 2352, 2367, 2404, 2413, 2417, 2499
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	2300, 2323, 2339, 2348, 2350, 2396, 2409, 2419, 2426, 2443, 2502
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2287, 2297, 2302, 2304, 2310, 2321, 2328, 2335, 2346, 2364, 2369, 2373, 2374, 2378, 2380, 2398, 2402, 2416, 2427, 2428, 2430, 2432, 2436, 2439, 2442, 2444, 2452, 2453, 2458, 2463, 2480, 2497, 2498
लघु उद्योग	:	2372
अन्तरिक्ष	:	2307, 2420, 2482.
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंत और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।